राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5 चतुर्थ विधान सभा के पंचम सत्र का अठारहवां दिवस संख्या 13

गुरुवार, दिनांक 28-8-1969.

विधान सभा की बैठक म. प. 11.02 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरन्जन नाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(सामान्य प्रशासन, गृह, कृषि, सार्वजनिक निर्माण, स्वायत्त शासन, पशुपालन)।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रोफेसर केदारनाथ।

पिलानी में मजदूरों पर मुकदमें

413. **श्री केदारनाथ** (श्रीगंगानगर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अप्रेल, मई 1968 में पिलानी में हुए मजदूर आन्दोलन में जो मुकदमे मजदूरों पर चलाये गये थे उनको वापिस लेने का आश्वासन जिलाधीश, झुंझुनूं द्वारा राजस्थान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मंत्री श्री मोहन पूनिया को दिया गया था ?

(2) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री केदारनाथ : यह एजीटेशन के दौरान चलाये गये और समझौता हुआ तो फिर आगे मुकदमे चलाने का क्या औचित्य है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : आपने पूछा कि आश्वासन दिया तो उत्तर दिया कि 'जी नहीं' आश्वासन नहीं दिया।

श्री केदारनाथ : क्या समझौते के दौरान कोई आश्वासन दिया गया था ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने निवेदन किया कि सिटी मजिस्ट्रेट की ओर से कोई आश्वासन नहीं दिया गया।

श्री केदारनाथ : आखिर नीति क्या है ? पोलिटिकल वर्कर्स और छात्रों पर चल रहे मुकदमों को राजस्थान सरकार ने आज तक वापिस नहीं लिये जब कि इस प्रकार के सारे मुकदमे बिहार, बंगाल में वापिस कर लिये गये ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जहां तक इस संबंध का प्रश्न है धारा 200 के अन्तर्गत मुकदमे चल रहे हैं इसलिये मुकदमे वापिस लेने का विचार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

राजवी श्री रूपसिंह।

जालोर उप-चुनाव में मंत्रियों द्वारा प्रचार।

414. **राजवी श्री रूपसिंह** (सरदार शहर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(क) जालोर उपचुनाव के सिलसिले में कौन मंत्री कांग्रेस के प्रचार के लिये तशरीफ ले गये और वह वहां किस तारीख से किस तारीख तक ठहरे व प्रचार किया ?

(ख) इस अर्से का कितना डी. ए., टी. ए. उन्होंने वसूल किया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ग) इस प्रचार के सिलसिले में उन्होंने सरकारी वाहन इस्तेमाल किये या कांग्रेस पार्टी के ? यदि सरकारी वाहन इस्तेमाल किये तो उन पर पेट्रोल, टूट फूट पर कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री प्रद्युम्नसिंह :

1.	श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)	1-11-68	टी.ए., डी.ए., चार्ज नहीं किया।	सरकारी वाहन काम में नहीं लिया।
2.	श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री)	27-10-68 से 3-11-68	"	"
3.	श्री परसराम मदेरना (खाद्य मंत्री)	23-10-68 से 4-11-68	"	"
4.	श्री भीखाभाई (स्वायत्त शासन मंत्री)	26-10-68 से 30-10-68 व 2-11-68 व 3-11-68	"	"
5.	श्री अमृतलाल यादव (सहकारिता मंत्री)	27-10-68 से 30-10-68	"	
9.	श्री गंगाराम चौधरी (उप मंत्री, राजस्व)	27-10-68 से 30-10-68		

उप मंत्री (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) वांछित तालिका सदन की मेज पर रख दी है।

(2) यह सूचना उक्त तालिका के स्तम्भ 4 पर अंकित है।

(3) यह सूचना उक्त तालिका के स्तम्भ 5 पर अंकित है।

राजवी श्री रूपसिंह : यह जबाब दिया गया कि हाउस की मेज पर तालिका रख दी गयी है। 10।। बजे तक मैंने दरियाफ्त किया लेकिन हाउस की मेज पर तो सूची आयी नहीं। सोचा चीफ मिनिस्टर आवेंगे तो साथ में लेते आवेंगे।

श्री अध्यक्ष : आपने कहा कि इस सदन की मेज पर रख दी गयी है। नहीं रखी गयी है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं पढ़ दूं आपकी आज्ञा हो तो ?

श्री अध्यक्ष : यस।

Page No 3

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

7. श्री खेतसिंह, (उप मंत्री, आयोजना)	28-10-68 से 2-11-68	टी.ए., डी.ए., चार्ज नहीं किया।	सरकारी वाहन काम में नहीं लिया।
8. श्री माधोसिंह, (उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण)	15-10-68 से 19-10-68 व 28-10-68 से 4-11-68	"	"
9. श्री प्रद्युम्नसिंह, (उप मंत्री सामान्य प्रशासन)	30-10-68 व 31-10-68	"	"
10. श्री जसराज, (उप मंत्री, मध्य व लघु सिंचाई।)	31-10-68 व 1-11-68	"	"

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : यह बताया गया कि मंत्रियों ने सरकारी वाहन काम में नहीं लिये तो मुख्य मंत्रीजी खुद पधारे थे और सरकारी अफसर गये तो उनके पास कौन से वाहन थे ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : प्रश्न यह किया गया है कि क्या मंत्रियों ने सरकारी वाहन चुनाव के काम में लिये इसका जवाब यह दिया गया है कि सरकारी वाहन चुनाव के काम में नहीं लिये गये।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री आईदानसिंह : सरकारी वाहन जालोर की बाउन्डरी में घुसने के बाद में काम में नहीं लिये या जयपुर से जालोर तक ही नहीं लिये ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जो सूचना मेरे पास आयी है उसके अनुसार मैंने यह उत्तर दिया है कि सरकारी वाहन चुनाव के प्रचार के लिये कोई काम में नहीं लिये और न ही मंत्रियों ने टी. ए., डी. ए. ही चार्ज किया है।

श्री आईदानसिंह : जालोर की बाउन्डरी में नहीं लिये लेकिन जयपुर से रवाना हुए तो क्या कांग्रेस पार्टी की जीपों में रवाना हुए या बाद में सरकारी वाहन काम में लिये ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अलग से प्रश्न है। मेरे पास इसकी सूचना नहीं है। स्पेसिफिक प्रश्न पूछें तो जानकारी करके बता सकता हूं।

श्री आईदानसिंह : आपने माननीय जसराजजी के लिये बताया कि उन्होंने सरकारी वाहन काम में नहीं लिया। मैंने पर्सनली देखा है कि जसराजजी झंडी लगाये सरकारी वाहन में पधारे थे ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं इसकी जानकारी हासिल कर लूंगा। जो जानकारी मेरे पास है उसके अनुसार वह अपनी प्राइवेट कार मेंटेन कर रहे हैं। यदि वह सरकारी गाड़ी काम में ले रहे हैं तो इसकी जानकारी करके मैं सूचना दे दूंगा।

श्री आईदानसिंह : अब आप कह रहे हैं कि जानकारी कर लूंगा तो फिर क्या जानकारी की है ?

श्री विजयसिंह (मकराना) : जानकारी करने के लिये ही तो प्रश्न पूछा है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपने पूछा कि सरकारी वाहन चुनाव के प्रचार के लिये काम में लाये उसका मैंने जवाब दिया है कि मेरी सूचना के

Page No 4

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

अनुसार कोई सरकारी वाहन मंत्रियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिये काम में नहीं लाया गया और न ही टी. ए. और डी. ए. चार्ज किया। जसराजजी के लिये पूछा है तो मैं इसकी जानकारी कर लूंगा उनकी वह प्राइवेट गाड़ी थी या सरकारी गाड़ी थी। मैं इसकी माननीय सदस्य को जानकारी दे दूंगा।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया है उसमें कहा कि टी. ए., डी. ए. चार्ज नहीं किया। लेकिन मेरे प्रश्न का आपने लिखित में उत्तर दिया है वह मैं आज लेकर नहीं आया हूं उसमें यह कहा है कि मंत्रीजी ने डी. ए. क्लेम किया है और दिया गया है क्या यह उत्तर सही है या वह उत्तर सही है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : उस प्रश्न में जो जवाब मैंने दिया है वह यह दिया है कि चुनाव प्रचार हेतु वहां गये हैं तो कोई डी. ए. और टी. ए. चार्ज नहीं किया। मुझे उसका अच्छी तरह से ध्यान है। बीस पच्चीस दिन पहले गये होंगे वरना चुनाव प्रचार के लिये तो चार्ज करने का सवाल ही नहीं है।

श्री पृथ्वीसिंह : मैंने स्पेसिफिक तारीख दी थी और पूछा था कि डी. ए. चार्ज किया या नहीं तो कहा गया कि क्लेम किया गया और भुगतान किया गया, क्या यह बात सही है या वह बात सही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : पिछली बात बतायें तो मालूम पड़े। स्पेसिफिक क्वेश्चन यह था कि प्रचार कार्य के लिये वहां गये तो टी. ए., डी. ए. चार्ज किया या नहीं, सरकारी वाहन का प्रयोग किया या नहीं उन्होंने कहा कि नहीं किया। चुनाव के दिनों में भी सरकारी काम से जायं तो एतराज नहीं है।

श्री पृथ्वीसिंह : उन तारीखों में। मैंने स्पष्ट किया है।

श्री अध्यक्ष : वह तारीख है क्या ?

श्री पृथ्वीसिंह : वह मैं आज लेकर नहीं आया हूं। मुझे क्या मालूम था कि उल्टा जबाब देंगे।

श्री अध्यक्ष : फिर प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : सरकारी गाड़ी में गये यह कहा गया है तो इसकी जानकारी करके उत्तर दिलाया जाय।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय सदस्य ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिये। मैंने इन्डिविजुअल केसेज की मंत्रियों और उप मंत्रियों की जानकारी दी है। हो सकता है उन दिनों में सरकारी कार्य से जालोर गये हों यह मैं अन्दाज से कह रहा हूं, ऐसा हो सकता है जैसा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि आस पास के जिलों में सरकारी काम से जाने में पाबन्दी नहीं है।

पर फर्क इतना है कि जो टी. ए., डी. ए. है वह चार्ज नहीं किया है और चुनाव क्षेत्र में सरकारी वाहनों का प्रयोग नहीं किया गया है।

श्री पृथ्वीसिंह : मैं विश्वास के साथ...

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता। राजवी रूपसिंह।

राजवी श्री रूपसिंह : मेरा क्वेश्चन तो यह था कि जालोर के चनाव के सिलसिले

Page No 5

(राजवी श्री रूपसिंह)
में कौन कौन मंत्री वहां तशरीफ ले गये थे और कैसे गये थे। क्या उन्होंने सरकारी वाहनों का प्रयोग वहां जाने के लिये किया था? इसका मतलब यह है कि जो महानुभाव वहां गये क्या उन्होंने सरकारी वाहनों का इस्तैमाल किया या नहीं? और दूसरा यह है कि जालोर तक गये, उसमें भी क्या सरकारी वाहनों का प्रयोग किया? यह बात जानना जरूरी है और इसकी जानकारी मंत्री महोदय नहीं दे सके हैं? इसलिये प्रार्थना है कि इस प्रश्न को स्वीकृत करके इसकी मुत्तल्लिक जानकारी दी जाये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो प्रश्न दिया गया है और जैसा मैंने निवेदन किया, वह यह था कि इस कॉन्स्टीट्यूएंसी के अन्दर चुनाव के सिलसिले में सरकारी वाहनों का उपयोग किया गया है? इसका जवाब दे दिया गया है। यह कहीं भी, किसी भी रूल में नहीं है कि किसी कॉन्स्टीट्यूएंसी में चुनाव हो रहा है तो उसके रास्ते के अन्दर कहीं भी सरकारी काम मन्त्री नहीं कर सकते, वहां जाने के लिये सरकारी गाड़ी को काम में नहीं ले सकते, यह कहीं भी नहीं है। जैसा कि प्रश्न था कि चुनाव के सिलसिले में सरकारी गाड़ी का उपयोग किया गया है, उसका जवाब दे दिया गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : यहां से रवाना होने के पहले क्या टूर प्रोग्राम जारी नहीं किया है?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री रामचन्द्र आर्य : अलग से प्रश्न नहीं है। यह इसी से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री रामचन्द्र आर्य : यहां से कोई टूर प्रोग्राम भेजा गया अथवा नहीं।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री रामचन्द्र आर्य : अलग से नहीं है। इसी से मालूम हो जायगा कि वे कौनसे टूर पर गये थे अध्यक्ष महोदय। इसका उत्तर आना चाहिये। इसका सही उत्तर आना चाहिये। इसी सिलसिले में मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा। क्या यह सही है कि मंत्री-मण्डल के सदस्य अपने प्राइवेट कामों में, शादियों में सरकारी गाड़ियां ले जाते हैं और टूर प्रोग्राम निकाल कर के इस तरह के फंक्शन में शामिल होते हैं। इस तरह से वे सरकारी पद का दुरुपयोग करते हैं।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

राजवी श्री रूपसिंह : उप मन्त्री जी यह बताने की कृपा करें, हैल्दी कन्वेन्शन के लिये, डेमोक्रेसी के प्रिन्सीपल्स के लिये कि पार्टी का कोई सदस्य, या मंत्री इलेक्शन के प्रचार के सिलसिले में जाता है तो क्या वह सरकारी वाहनों का इस्तेमाल करे या नहीं करे? मद्रास के अन्दर अपने प्रधान मंत्री तशरीफ ले गयी थीं, पार्टी के इलेक्शन के सिलसिले में तो उन्होंने मद्रास गवर्नमेंट की वाहन का इस्तेमाल किया था और उस सरकारी खर्चे का जब पेमेन्ट नहीं हुआ तो अन्नादुराई ने कह दिया कि यह खर्चा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और उसका सारा खर्चा कांग्रेस पार्टी को बाद में देना पडा। जालौर में खर्चा किया गया, जो मन्त्रीगण वहां गये वे वहां जाने का टी. ए., डी. ए. नहीं ले सकते और न सरकारी वाहनों का उपयोग वहां कर सकते हैं।

(राजवी श्री रूपसिंह)

क्या उप मन्त्री जी आइन्दा के लिये ऐसी व्यवस्था करेंगे।

एक माननीय सदस्य: माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने भी मन्त्री गण वहां पधारे थे, उनका टूर प्रोग्राम पहले ही बन चुका था और लोगों को पहुंच गया था इसलिये मुख्य मन्त्री जी ने यह फर्माया कि सारे रास्ते में सरकारी काम काज कर सकते हैं परन्तु यहां से चलते ही उनका उद्देश्य तो यह था कि मैं फलां जगह जाकर लेक्चर, भाषण देना है। तो फिर वहां जाने के लिये सरकारी वाहन के प्रयोग का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट। श्री स्वायत्त शासन मंत्री।

प्रश्न संख्या 415

श्री नथमल चौहिला।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री बीरबल।

राजस्थान नहर क्षेत्र में प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा भूमि पर अवैध कब्जा

417. **श्री बीरबल** (संगरिया-सु.): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार को विदित है कि राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में पंजाब और हरियाणा के बड़े 2 जमींदार तथा राजस्थान के कतिपय वरिष्ठ अधिकारियों तथा प्रभावशाली व्यक्तियों के रिश्तेदारों को हजारों एकड़ भूमि अवैध रूप से प्राप्त करके काश्त करवा रखी है?

(2) क्या बड़े और प्रभावशाली लोगों द्वारा इस प्रकार अवैध रूप से भूमि प्राप्त करने से जो नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ है और गरीब भूमिहीनों के हितों को कुचला गया है इसकी सरकार ने कोई जांच करवाई है?

(3) यदि जांच करवायी तो परिणाम क्या रहे और यदि जांच नहीं करवायी तो क्यों?

राज्य मंत्री, उपनिवेशन (श्री मनफूलसिंह): (1) राजस्थान नहर योजना उपनिवेशन क्षेत्र में पंजाब और हरियाणा के बड़े बड़े जमींदार तथा राजस्थान के कतिपय वरिष्ठ अधिकारियों तथा प्रभावशाली व्यक्तियों के रिश्तेदारों ने अवैध रूप से हजारों एकड़ भूमि लेने व काश्त करने की कोई शिकायत यहां नहीं है।

(2) जांच करवाने का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि इस विभाग में ऐसी कोई शिकायत जांच हेतु नहीं आयी है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): क्या यह सही है गांव हिन्डोली, तहसील रावतसर में काश्तकारों ने शिकायत की थी और कोई भी कार्यवाही नहीं हुई?

श्री बीरबल: राजस्थान केनाल क्षेत्र में हजारों एकड़ जमीन को जो हरिजनों की होनी चाहिये, को पंजाब के लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने अन-ऑथोराइज्ड रूप से कब्जे म कर रखी है? क्या यह सही नहीं है?

श्री मनफूल सिंह: इस तरह की शिकायत हमारे पास आयेगी, पर्टीकूलर नाम आयेंगे

Page No 7

(श्री मनफूलसिंह)
तो जांच करवाली जायेगी और उनकी भूमि को कैंसिल कर दी जायेगी ।

श्री बीरबल : ऐसा है अध्यक्ष महोदय, वहां पर कमीशन बिठा कर जांच करवायेंगे तो पता चलेगा कि कितना घोटाला हुआ है ?

श्री मनफूल सिंह: जो माननीय सदस्य ने कहा है, जिन जिन गांवों के नाम लिये हैं, उनकी खास तौर से जांच करवा ली जायेगी और इस तरह से कोई आया हुआ पाया गया, अगर वह सन् 55 से वाशिन्दा नहीं है तो उसकी जमीन कैंसिल कर दी जायेगी ?

श्री बीरबल : कब तक जांच करवा लेंगे ?

श्री मनफूल सिंह: बहुत शीघ्र ही जांच करवा दी जायेगी ।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर): इसकी मियाद दी जाये ।

श्री मनफूलसिंह: एक महिने के अन्दर करादी जायेगी ।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या मंत्री महोदय को यह जानकारी में है कि रावतसर, सूरतगढ़, अनूपगढ़ तहसीलों में पंजाब, हरियाणा के वाशिन्दे सन् 55 के बाद में आकर के बहुत सी जमीन ले चुके हैं और बड़े 2 अधिकारियों ने अपने नाम से, चाहे उनके रिश्तेदारों के नाम से कोई जमीन ले रखी है ।

श्री मनफूल सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो जो शिकायतें सरकार के सामने आती हैं उन पर एक्शन लिया जाता है । इस तरह की दरख्वास्तों पर कार्यवाही की जाती है । अब अगर आइन्दा आयेंगी तो उन पर ध्यान दिया जायेगा और कार्यवाही की जायेगी और 55 के वाशिन्दे नहीं मिलेंगे तो उनकी जमीन को खारिज कर दिया जायेगा ।

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : सूची तो तैयार नहीं है । लेकिन यह सही है कि बाहर से बहुत से आदमियों ने आकर जमीन पर कब्जा कर रखा है ।

श्री बीरबल : हजारों एकड जमीन पर पंजाब के लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने कब्जा कर रखा है । यह सही है इसकी जांच हो जायेगी तो पता चल जायेगा ।

श्री रामचन्द्र आर्य: कई मर्तबा शिकायतें की हैं, कमिश्नर को भेजी हैं, तहसीलों में दी हैं लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है । इसलिये मैं मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहता हूं कि उन दरख्वास्तों पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है, और नहीं तो क्या की जायेगी इसकी जानकारी के लिये तसल्ली दिलवायी जाये । उन पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई, इतने आदमियों के खिलाफ शिकायत होते हुए भी और उनकी दरख्वास्तों को दबाया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है ।

श्री रामचन्द्र आर्य: इसी से संबंधित है ।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : क्या यह सही है कि राजस्थान के भूतपूर्व आई. जी. गोवर्धन शर्मा ने अपने नाम से या अपने रिश्तेदारों के नाम से 90 मुरब्बा जमीन इस राजस्थान कैनाल क्षेत्र में ली है ?

श्री मनफूल सिंह : यह मेरी जानकारी में नहीं है ।

Page No 8

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या सरकार को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि उसके कई वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने नाम से या अपने रिश्तेदारों के नाम से भूमि आवंटित करायी है ?

श्री रामनारायण चौधरी : जैसा कि मंत्री जी ने बताया है कि मेरी जानकारी में नहीं है ? तो क्या वे इसकी जांच करवायेंगे कि भूतपूर्व आई. जी. गोवर्धन शर्मा के नाम से वहां जमीन आवंटित हुई है ।

श्री मनफूलसिंह : अवश्य जानकारी करवाई जायेगी ।

श्री भैरोंसिंह : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है । क्या इस सरकार को इस संबंध में जानकारी नहीं मिली है कि कई वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने, अपने रिश्तेदारों के नाम से उस क्षेत्र में भूमि आवंटित करायी है ।

श्री मनफूल सिंह : माननीय सदस्य को मैं यह पूछना चाहूंगा कि इस तरह के कोई भी ऐसे आदमी हैं, जो ऐसे वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनकी जानकारी हमें करा दी जाये, अवश्य जांच करायी जायेगी ।

श्री भैरोंसिंह: सवाल यह है कि आपको क्या जानकारी है ?

श्री अध्यक्ष : एक आध की जानकारी दे दी जाये ।

श्री मनफूलसिंह : मुझे इस तरह की एक-दो जानकारी है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की कोई जानकारी आती है तो उसके ऊपर जांच होती है । इस तरह की शिकायत पर एक-दो अधिकारियों की जांच जारी है । हजारों शिकायतें इस तरह की आयी हुई हैं ।

श्री दौलतराम सारण : मंत्री महोदय ने यह कैसे कहा कि हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, और अब कहते हैं कि कई शिकायतें आती हैं और जांच जारी है, ये परस्पर विरोधी उत्तर क्यों ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि किसी भी अधिकारी की जमीन की जांच के बारे में या कैंसिलेशन के बारे में सरकार ने आर्डर नहीं दिया है और क्या यह सही है कि कैंसिलेशन के आडर करने की सरकार को हिम्मत इसलिये नहीं है क्यों कि उन्होंने अपनी कानूनी पोजीशन बता कर यह कह दिया है कि सरकार को कैंसिल करने के अधिकार नहीं हैं ?

श्री हंसराज आर्य : राजस्थान कैनाल तो बहुत लम्बा चौड़ा है, लेकिन भीगा मार्चा में ही कई मुरब्बों की अगर आप जांच करवायें तो गलत अलाटमेंट हुआ है ।

श्री मनफूलसिंह : भीगा मार्चा के मुरब्बों के लिये जांच जारी है ।

श्री भैरोंसिंह : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष : एक तो आपने फर्माया कि एक दो अधिकारियों के बारे में जानकारी है ।

श्री मनफूलसिंह : हमारे पास जो शिकायतें आई हैं उनकी जांच जारी है, पर अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कौनसे पर्टीक्यूलर अधिकारी के खिलाफ शिकायत आई है और कैन्सिल किया है या नहीं ।

Page No 9

श्री हंसराज आर्य : कई जगह नाजायज कब्जा किये हुए हैं।

श्री मनफूलसिंह : सरकार आभारी होगी अगर माननीय सदस्य ऐसी शिकायत दें उनके नाम लें और लिस्ट दे दें तो मैं खुद जाकर जांच कर सकता हूं और माननीय सदस्य को भी ले जा सकता हूं। अगर किसी भी कर्मचारी को या बाहर के आदमी को नाजायज अलाटमेंट हुआ है तो सरकार उसका अलाटमेंट फौरन कैंसिल कर सकती है। यह सरकार चाहती है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : जांच बाहर के किसी आफिसर से करवाइये। गंगानगर के आफिसर से नहीं।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप खुद की इन्क्वायरी करवाइये। आपके और आपके भाईयों के नाम कितनी नाजायज अलाट करवा रखी है जमीन ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री रामचन्द्र आर्य : राज्य सरकार को इसके लिये एक कमिशन बिठाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस तरह से सरकारी जमीन पर इन्होंने·······

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, अंकित नहीं किया जाये।

श्री रामचन्द्र आर्य : X X X

श्री मनफूलसिंह : मेरे ऊपर श्री रामचन्द्र आर्य ने चार्ज लगाया है कि मेरे और मेरे भाइयों के नाम आर्जी काश्त राजस्थान कैनाल में ले रखी है, इसके लिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि आप एक कमेटी बिठा दीजिये, चाहे पंजीशन के एम. एल. एज. की कमेटी बिठा दें, और अगर एक बीघा भी मेरे नाम निकल जाये तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि इनके भाईयों के नाम········

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री रामचन्द्र आर्य : उन्होंने नाजायज तरीके से जमीन ले ली है········

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री मनफूलसिंह : मेरे पास कोई आर्जी जमीन नहीं है। मेरे पास मेरे बाप दादों की खातेदारी जमीन है। आर्जी काश्त की जमीन का एक बीघा भी नहीं है। अगर इसके खिलाफ सिद्ध हो जाये, तो मैं इस्तीफा दूं, या तो श्री राम चन्द्र आर्य इस्तीफा दें।

श्री रामचन्द्र आर्य : एक कमेटी बना दी जाय, अगर ये निर्दोष हैं तो········

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। दोनों ही माननीय सदस्य इस्तीफा यहां रख दें ताकि झगड़ा ही खत्म हो।

श्री राम चन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय··

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इन दोनों के इस्तीफा रखने से आपको जमीन का अलाटमेंट थोड़े ही होने वाला है।

श्री अध्यक्ष : मेरा दर्द कम हो जायेगा।

X X X अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

Page No 10

श्री मनफूलसिंह : मैं यह भी कहता हूं कि मैं निर्दोष हूं और जांच हो तो मैं इस्तीफा दे सकता हूं। आप आपोजीशन के एम. एल. एज. की ही कमेटी बिठा दीजिये और जांच जारी करवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : That is right.

श्री दौलतराम सारण : यह प्रश्न छिड़ गया है तो मैं भी माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही नहीं है कि आपने अपने गांव में जमीन पहले अनकमांड से कमांड और बाद में कमांड से नाली में बदलवायी और उसमें श्री दामोदरलाल व्यास ने फाइल पर अंग्रेजी का शब्द लिखा है 'फ्राडा' क्या यह सही नहीं है ?

श्री रामनारायण चौधरी : अनकमांड से कमांड आपने भी करवाया है अपनी एरिया में।

श्री दौलतराम सारण : तुम्हारे जैसा मुंह नहीं है मेरा। एक चार्ज भी अगर साबित करलें, तो सार्वजनिक जीवन में मुंह नहीं दिखाऊं।

(शोरगुल)

श्री रामनारायण चौधरी : जोर जोर से चिल्लाने से क्या होता है ?

श्री दौलतराम सारण : चोरी भी करो और सीना जोरी भी करो।

श्री मनफूल सिंह : मैं निवेदन करलूं कि सन् 1953-54 में सरदारगढ़ एरिया के अन्दर श्री दौलतराम सारण के नाम जमीन एलाट हुई है।

श्री दौलतराम सारण : और मैं यह भी बतला दूं कि दौलत राम के नाम से मनफूल-सिंह ने जमीन ले रखी है, और मेरे नाम से ही नहीं, और कार्यकर्ताओं के नाम से भी, जाला जमीन ले रखी है। अगर दौलत राम ने नहीं जमीन काश्त की है और काश्त को देखा है और कभी जमीन ली है तो मैं चेलेन्ज करता हूं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : बिना एप्लीकेशन के अलाटमेन्ट हो सकती है क्या ? दौलतरामजी को तो मालूम होगया होगा 1953-54 के अन्दर।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जब श्री दौलत राम को मालूम होगया कि सूरतगढ़ में उनके नाम जमीन है तो लिखकर क्यों नहीं दिया ?

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम नहीं। अगर मेरे नाम जमीन होती तो वह जमीन आज लाखों रुपयों की है। मैं वहां काश्त नहीं करता और न मेरा क़ब्ज़ा है। मुझे इसका कुछ नहीं मालूम।

श्री मनफूल सिंह : आपने रेवेन्यू रेन्ट नहीं भरा ? तीन साल तक भरा है और उसके बाद रेवेन्यू रेन्ट नहीं भरा।

श्री दौलतराम सारण : मैं ने आज तक जमीन नहीं ली है, न उस पर मेरा क़ब्ज़ा है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : रेवेन्यू पे किया या नहीं ?

Page No 11

श्री दौलतराम सारण : मैंने नहीं किया यह मैं डेफ़ीनेटली कह सकता हूं। मेरे नाम से किसी ने कर लिया हो तो यह नहीं . . .

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाये जो इसकी जांच करे मैंने तो जमीन वहां ली है, न काश्त की है और न मालूम किसने मेरा नाम झूठा लिखकर लण्ड रैवेन्यू भरा है, इसका मुझे कोई इल्म नहीं। मैंने अपनी गांठ से एक पैसा नहीं दिया और एक पैसा काश्त का नहीं लिया और कभी जाकर काश्त नहीं की।

श्री अध्यक्ष : अब तो जमीन वहां पर नहीं है?

श्री रामचन्द्र काश्त करते हैं तो . . .

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में बहुत गम्भीर आरोप श्री मनफूल सिंह ने श्री दौलतराम सारण पर लगाये हैं और कुछ आरोप श्री रामचन्द्र आर्य ने श्री मनफूलसिंह पर लगाये हैं। जिस प्रकार की ऐलीगेशन्स माननीय सदस्यों पर लगाई गई हैं, मैं समझता हूं कि राजनीतिक जीवन में शुद्धता के लिये यह जरूरी है कि इसकी जांच या तो प्रिविलेजेज कमेटी करे या सदन के तीन मेम्बर्स की एक और कमेटी बनाई जाये जो इन आरोपों की जांच करे। इस प्रकार की ऐलीगेशन्स और काउन्टर ऐलीगेशन्स सदन में लगाई जायें और सदन में उनके बारे में सही स्थिति नहीं आये, तो सदन में और जनता में एक भ्रम बना रहेगा। इसलिये इसका निराकरण होना चाहिये।

श्री मनफूल सिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है कि जितनी हाउस के अन्दर शुद्धता होगी, उतनी ही राजस्थान के अन्दर शुद्धता बढ़ेगी इसलिये बहुत जरूरी है कि एक कमेटी बिठाई जाये, नहीं तो यह भ्रम बना रहेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रोफ़ेसर केदार।

श्री रामनारायण चौधरी : हमारे यहां कहावत है कि जमीन जोरू जोर की और जोर हटे तो और की तो इस लिये हो सकता है कि उन्होंने अपनी जमीन को नहीं सम्हाला तो अब इनके हाथों से चली गई।

श्री विजयसिंह (मकराना) : मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने अपने जोर से कितनी जोरूएं दबा रखी हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज!

श्री विजय सिंह : माननीय सदस्य ने कितनी जोरूएं जोर से दबाई हैं?

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : प्रश्न यह था कि क्या राजस्थान कैनाल में गलत अलाटमेन्ट हुआ है। तो माननीय मन्त्रीजी ने उत्तर दिया कि इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं निवेदन करूं कि दस साल में जितना अलाटमेन्ट हुआ है वह गलत तरीके से हुआ है। और अब हाउस में यह प्रश्न आया है तो सुखाड़िया जी को एक कमिशन बिठा देना चाहिये जो इसकी जांच करे। कोई ऐसा पोलीटीकल लीडर नहीं है जो राजस्थान

(श्री केदारनाथ)
कैनाल में ट्रान्सफर्स और अलाटमेन्ट में शामिल न हो। इसकी जांच होनी चाहिये।

ग़लत तरीक़े से मेरे कहने का मतलब यह था कि अन कमाण्ड को कमाण्ड, कमाण्ड को नाली में, ग़ैर खातेदारी को खातेदारी में कनवर्ट करने के बहुत से केसेज को मैं स्वयं शोभारामजी के ध्यान में लाया हूं। और मैं ने उसके साथ साथ उनको इसके लिये कमीशन नियुक्त करने का भी कहा था। अनूपगढ़ तहसील को तो मैं एक प्रकार से नागालैण्ड कहता हूं, जहां ज़मीन का मालिक कोई है, खेती कोई करता है, लगान कोई देता है इस बारे में मैंने होम मिनिस्टर और रेवेन्यू मिनिस्टर को पत्र लिखे हैं। मेरा हमेशा यह ध्येय रहता है कि मैं पोलिटिकल क्षेत्र में अगर किसी से लड़ाई लूं तो चीफ़ मिनिस्टर से लूं छोटे मोटे मन्त्रियों से मैं उलझना नहीं चाहता। ग़लत तबादले किये गये, और ग़लत तरीके से ज़मीन रेगुलेराइज़ करवायी गयी इसके लिये मैंने निवेदन किया एक कमीशन की नियुक्ति की जाय आज फिर मैं इस सारे मसले पर जांच के लिये कमीशन की मांग करता हूं।

कृषि मन्त्री (श्री शोभाराम) : मूल प्रश्न यह है कि राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में पंजाब और हरियाणा के बड़े बड़े ज़मींदार तथा राजस्थान के कतिपय वरिष्ठ अधिकारियों तथा प्रभावशील व्यक्तियों के रिश्तेदारों ने हज़ारों एकड़ भूमि अवैध रूप से प्राप्त करके काश्त करवा रखी है? इस पर यह कहा गया कि पंजाब और हरियाणा के 55 से पहले के आवन्टन का सवाल है इस पर राज्य मन्त्री जी ने कहा इस प्रकार की कोई शिकायत या मामला इनके ध्यान में लाया जायगा तो इन्क्वायरी की जायगी और अगर गलत ढंग से आवन्टित की गई है तो उसको निरस्त कर दिया जायगा।

जहां तक वरिष्ठ अधिकारियों और उनके रिश्तेदारों का सवाल है उसके बारे में नोहर से आने वाले माननीय सदस्य जिन्होंने इस प्रकार की चर्चा की कि वरिष्ठ अधिकारियों को आवन्टन ग़लत तरीक़े से हुआ है। यदि माननीय सदस्य के पास इस बारे में निश्चित तथ्य हों जैसा कि श्री रामचन्द्र जी आर्य समय समय पर इस प्रकार के अलोटमेन्ट के बारे में मुझे लिखते रहते हैं, जानकारी देते रहते हैं उन्होंने भी मुझे किसी वरिष्ठ अधिकारी के बारे में जानकारी मेरे पास नहीं भेजी जिन्होंने नियम विरुद्ध आवन्टन कराया हो। मैं फिर माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करता हूं कि जिस किसी को भी ग़लत तरीक़े से आवन्टन किया गया हो वरिष्ठ अधिकारी हो या राजस्थान के बाहर के रहने वाले को हो, वह मेरे ध्यान में लाया जायगा तो उसके बारे में कार्यवाही करके उस ग़लत आवन्टन को निरस्त कर दिया जायगा।

इसके अलावा दूसरा प्रश्न उठा, सदन के माननीय सदस्य विषयान्तर होगये दौलतरामजी और मत्नफूल सिंह जी पर व्यक्तिगत आरोप लगाये गये इन्होंने ग़लत ढंग से ज़मीन का तबादला करवा लिया है। जहां तक तबादले का प्रश्न है यह मूल प्रश्न से किसी प्रकार भी ताल्लुक नहीं रखता। इस तबादले के प्रश्न को मूल प्रश्न से जोड़ दिया जाय तो ग़लत होगा। यह अलग से प्रश्न है।

(श्री शोभाराम)

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़े दिनों पहले एक्सचेन्ज ऑफ़ गवर्नमेन्ट लैण्ड, किसी जमीन को तबादला करने का प्रावधान था। माननीय सदस्य जो सिलेक्ट कमेटी के भी सदस्य हैं वे जानते हैं कि सिलेक्ट कमेटी में कोलोनाइजेशन बिल प्रस्तुत किया गया वहां इस प्रावधान को क़तई हटा दिया गया। कोई एक्सचेन्ज गवर्नमेन्ट लैण्ड के साथ काश्तकार नहीं कर सकेगा। गवर्नमेन्ट की इजाज़त थी उसको अमेन्डमेन्ट बिल में नहीं रखा है। पुराने जो एक्सचेन्जेज हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। क़ानून के खिलाफ़ एक्सचेन्जेज किये गये हैं ऐसे केसेज के बारे में इन्क्वायरी कराली जायगी। ज्यादा अच्छा तो यह होता अगर माननीय सदस्य इन्क्वायरी कराना चाहते हैं, वे नामजद रूप से केसेज दें, पूरी तरह से नाम आदि दें ताकि राज्य सरकार उस बारे में पूरी इन्क्वायरी कराकर, आप चाहें तो सदन के सामने रख सकती है।

एक माननीय सदस्य : सरकार के जांच में भरोसा नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरा इस बारे में यही निवेदन है कि कमिशन नियुक्त किया जाय आप पर कोई भरोसा नहीं है। सरकार द्वारा इन्क्वायरी होजायगी, सही हो जायगी यह हम मान नहीं सकते। मैंने इस बारे में कई दफ़ा शिकायतें की हैं मेरा आपसे अध्यक्ष महोदय निवेदन है कि या तो हाउस की एक कमेटी बिठाकर इस मामले की जांच करवाली जाय या कमिशन नियुक्त किया जाय।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मेरे नाम से कोई जमीन मनफूल सिंह जी ने ले रखी है ऐसा उन्होंने बताया है। मेरी जमीन जैसा कि वे कहते हैं, उस जमीन का अलोटमेन्ट राज्य सरकार द्वारा मुझे नहीं मिला, न मैंने लगान ही जमा कराया है। इस जमीन की अलोटमेन्ट सम्बन्धी जानकारी मनफूलसिंहजी को है मैं समझता हूं उन्होंने मेरे नाम से अलोट करवाई है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच की जाय उसके लिये हाउस की एक कमेटी बनाकर जांच की जाय कि वह जमीन किसने और किसको अलोट की, लगान उसका कौन भर रहा है, आज तक किसने भरा है आज उस जमीन पर किसकी काश्त है आदि सब बातों की वह कमेटी जांच करे।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : यह बहुत आवश्यक है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, दोनों ओर के माननीय सदस्य अनियमित आवन्टन के बारे में जांच कमेटी नियुक्त कराने के पक्ष में हैं। यह मांग इस तरह से सारे सदन की मांग है। विरोधी दल ने भी यही मांग की है और सरकारी पक्ष के सदस्यों ने और राज्य-मन्त्री ने स्वयं ने इस बात की मांग की है। सदन की भावनाओं के अनुसार आचरण अध्यक्ष महोदय करते हैं। सदन की भावना यह है कि इस बारे में समिति की नियुक्ति की जाय। इस बात का अनाउन्स मात्र आपको करना है ताकि सारी बात का समाधान हो जाय।

श्री शोभाराम : मैं समझता हूं हाउस की कमेटी बिठाने का प्रावधान है नहीं। मैं आपसे एक बात निवेदन करूं दोनों प्रकार के

(श्री शोभाराम)

फ़ैक्ट्स मेरे सामने आये हैं । मैं स्वयं इस बारे में जानकारी करके बता दूंगा ।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप पर भरोसा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : सदन के दोनों पक्षों की ओर से एक कमेटी की नियुक्ति करने को बात आयी है । विरोधी दल और सरकारी पक्ष के सदस्यों ने भी यही मांग की है इस तरह से सदन एक मत से मांग कर रहा है । कि एक समिति की नियुक्ति कर दी जाय । यह सदन का एक प्रकार से आदेश है । सदन के आदेश को किस प्रकार से कार्य रूप में परिणत करना है, उसके अनुरूप व्यवस्था करने का काम अध्यक्ष महोदय का है । अध्यक्ष महोदय को तुरन्त इस व्यवस्था के बारे में घोषणा कर देनी चाहिये । प्रश्न यह नहीं कि मनफूलसिंहजी ने या दौलतरामजी ने गलत आवन्टन कराया, बल्कि जिसने भी ग़लत आवन्टन कराया है उसकी जानकारी हो जाय । यह सरकार को भी काफ़ी लाभदायक होगी । सरकार को भी ग़लत आवन्टन हुआ है तो उसको निरस्त करके ज़मीन मिल जायगी ।

इसके अलावा सदन जब एक मत है तो इस बारे में समिति नियुक्त करदी जाय । समिति के प्रक्रिया क्या होगी इसकी घोषणा करदी जाय ।

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़) : सिद्धान्त के लिये यह बड़ा ज़रूरी है ।

श्री रामनारायण (मंडावा) : जैसा भैरोंसिंह जी ने सुझाव दिया है कमेटी बनाने का, इसका सवाल तब होता जब सदन को सरकार में विश्वास न होता । हमारा सरकार में पूरा विश्वास है । कृषि मन्त्री अपने पोर्टफ़ोलियों को बड़ी दक्षता और ईमानदारी से हैण्डल कर रहे हैं, हमें उनकी दक्षता और ईमानदारी में विश्वास है । अच्छा है कि वे स्वयं शोभारामजी स्वयं जानकारी करलें ।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मनफूलसिंहजी ने कहा है उसका सम्पर्क उन्हीं की पार्टी के कोई सदस्य नहीं कर रहे हैं क्या मैं ऐसा मानकर चलूं ?

श्री अध्यक्ष : जरूरत नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : उनकी बात का समर्थन सदन में कोई नहीं कर रहा है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । जो प्रश्न यहां उठा है और जिस प्रश्न के सन्दर्भ में माननीय सदस्यों ने अपनी व्यग्रता प्रकट की है वह महत्व की है । चाहे वह प्रश्न माननीय दौलतरामजी से सम्बन्धित हो अथवा मनफूलसिंहजी से सम्बन्धित हो । इसमें एक तो यह है एलीगेशन और काउन्टर एलीगेशन । दूसरा प्रश्न है अवैध स्थानान्तरण का । माननीय कई दूसरे सदस्यों ने कहा और कई गांवों के नाम लिये हैं, उनका उल्लेख किया है कि वहां पर भी अवैध स्थानान्तरण हुए हैं। इसके साथ ही कुछ विशिष्ट अधिकारियों द्वारा नियम के विरुद्ध जमीनों का लिया जाने का प्रश्न भी है । जैसा माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंह जी ने प्रश्न किया कि इन मामलों को एक समिति के अधीन कर दिया जावे । यहां बैठे हुए समिति के गठन पर मैं अपने विचार अभी रक्खूं इस स्थिति में मैं नहीं हूं क्योंकि इस प्रश्न में कई अन्य प्रश्न सन्निहित हैं । तो इन सारे प्रश्नों को विस्तार से

(श्री अध्यक्ष)
गम्भीरता से जब तक मैं मनन और चिन्तन न करलूं तब तक मैं इस निर्णय पर नहीं पहुंच सकता कि आया किस तरह सदन के सदस्यों को इस समिति में लिया जाकर उसका गठन किया जावे, अगर किया भी जाता है तो क्या उसकी उपयुक्तता होगी। अगर उपयुक्तता है तो क्या उसके रेफ़रेन्सेज होंगे। ये सारे प्रश्न इसमें लागू होंगे।

श्री भैरोंसिंह : टर्म्स ऑफ़ रेफ़रेन्सेज और मेम्बरों का निणय बाद में कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष : इसलिये मैं इस प्रश्न पर चिन्तन करूंगा कि इस पर क्या करना चाहिये। इस हेतु मैं इसको स्थगित करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : रेफ़रेन्सेज क्या होंगे कौन मेम्बर होंगे, यह तो बाद में डिसाइड करलें आप। समिति नियुक्त की जावे या नहीं यह आप घोषणा सदन में करदें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है समिति के गठन का उसमें गठन किया जावे या नहीं यह भी विचारना है।

श्री भैरोंसिंह : इसमें क्या विचारना है। यह तो आसान है।

श्री अध्यक्ष : आसान आपको मालूम होता है।

श्री भैरोंसिंह : जब यह सारे सदन की भावना है तो उस भावना को आसन की तरफ़ से सम्मान नहीं मिलेगा जब आसन उसका सम्मान नहीं करेगा तो सदन की भावना का सम्मान कैसे होगा। सदन ने एक भावना अपनी स्पष्ट व्यक्त की है। अगर अध्यक्ष महोदय ही सदन की भावना को आदर नहीं देंगे तो सदन का सम्मान और कौन करेगा ?

श्री अध्यक्ष : मैंने सदन की भावनाओं को भी समझा है।

श्री डूंगाराम रा.ोरि ा (दौसा-सु.) : अध्यक्ष महोदय, आपको इसे मानना चाहिये !

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर ! यह पेचीदा प्रश्न है, क़ानून का प्रश्न है। आसान प्रश्न नहीं है। जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि यह सदन की भावना है। भावनाओं को समझने में भी मुझे दिक्क़त हो रही है।

श्री भैरोंसिंह : कोई विरोध नहीं कर रहा है।

श्री अध्यक्ष : अगर भावनाओं के मूल्यांकन के सन्दर्भ में इसे मैं रखदूं सदन में वोट पर तो माननीय सदस्य यह विषम प्रश्न बन जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : आप वोट पर रख दीजिये।

We ere prepared for that.

श्री अध्यक्ष : सदन की भावनाओं का मूल्यांकन करना और देखना, यह कठिन समस्या मेरे सम्मुख है। इसलिये चूंकि यह प्रश्न कहीं मूल प्रश्न से, थोड़ा सा दूर चला गया है, मेरा यह विश्वास है, चूंकि यह बिजनेस एडवाइज़री कमेटी की मीटिंग हो रही है। दल के नेता और विशिष्ट सदस्य उसमें सम्मिलित होंगे उसमें

(श्री भैरोंसिंह)

इसे वापिस रखकर विचार कर लिया जाय और मैं सन्तुष्ट होजाऊं तो पुर्नविचार करके इसे हल करने का प्रयत्न करूंगा। अब इस स्थिति में नहीं हूं कि सदन की भावनाओं को समझूं। किसी आधार को लेकर भावनाओं को समझें यह भी मेरी स्थिति नहीं है। इसलिये मैं इसको स्थगित करता हूं। इसका मतलब यह तो हो कि यह खत्म होगया है, ऐसा नहीं है। अपने स्तर पर अधिक समझने के लिये माननीय सदस्यों से भी मैं सहायता लूंगा, दूसरों की भी सहायता लूंगा और कोई हल इसमें निकल सका जो राज्य सरकार को भी अप्रिय नहीं हो और सदन की भावनाओं के भी अनुकूल हो और जनहित की दृष्टि से भी अनुकूल हो, तो वह हल निकालने के लिये लिये सोचूंगा।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : इसके लिये आधा घंटा के लिये बहस पोस्टपोन्ड कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : इस दृष्टि से सारे प्रश्न का विश्लेषण कर लिया जावे तो अनुपयुक्त नहीं होगा। पांच या सात मिनिट में ही चिन्तन करने की स्थिति में नहीं हूं इसलिये निवेदन किया कि बिजनेस एडवाईजरी कमेटी में दस मिनिट के लिये विशिष्ट रूप से इस पर विवेचन कर लिया जावे।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन में इस प्रकार की परम्परा रही है। आपको स्मरण होगा और सदन को भी स्मरण होगा। पिछले सत्र में अकाल के सन्दर्भ में मौत के आंकड़ों को लेकर मेरा स्वास्थ्य मन्त्री के बीच और मेरे बीच विवाद खड़ा हुआ था और उस समय मैंने कहा था कि अगर मेरी बात गलत हो तो मैंने त्यागपत्र देने की घोषणा की थी और उन्होंने भी अपनी बात के गलत होने पर त्यागपत्र की घोषणा की थी। इस पर तुरन्त अध्यक्ष महोदय, आपने एक समिति के गठन की घोषणा सदन में कर दी थी। परम्परा और व्यवस्था की नीति तो आपने पहले से बना रखी है। अब उस हालत में और आज की हालत में अन्तर नजर नहीं आता। टर्म्स ऑफ रेफ़रेन्स में और कौन कौन सदस्य इसमें लिये जावें यह बात मैं आप पर छोड़ता हूं। प्रश्न केवल इतना है कि दोनों ओर के बोलने वाले सदस्य एक ही प्रकार की भावना इस बारे में व्यक्त कर रहे हैं तो इससे अपरोक्ष रूप में मैं मानकर चलना चाहूंगा कि सदन की ऐसी कोई रिक्वेस्ट आप से नहीं है, बल्कि सदन का आदेश है कि इस के अनुसार आप आचरण करें।

प्रश्न मामूली नहीं है। सदन की भावनाओं की अभिव्यक्ति जिस प्रकार से की गई है और उस भावना को स्वीकार नहीं करते हुए अगर उससे विपरीत कोई आपकी तरफ से व्यवस्था आती है तो हमारे सामने भी मजबूरन यह व्यवस्था आकर खड़ी होगी कि सदन की व्यवस्था को, भावनाओं को आप आदर नहीं करें तो फिर उसका आदर कौन करे। अगर इसे आप विवाद का विषय नहीं बनाना चाहें तो या तो कांग्रेसी पक्ष के लोग खड़े होकर यह कह दें कि हम अपनी हार मंजूर करते हैं, पर जब सभी इस बात पर इन्सिस्ट करते हैं, तो समिति नियुक्त कर दी जावे। अब चूंकि सभी एक मत से कह रहे हैं तो यह इनडाइरेक्टली हाउस का चेयर को आदेश है कि चेयर इस आदेश के अनुसार

(श्री भैरोंसिंह)
खड़े होकर समिति नियुक्त करके इसकी व्यवस्था दे ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो सुझाव रक्खा और तुलनात्मक दृष्टि से प्रश्न रक्खा कि पहले मौत के संबंधित आंकड़ों को लेकर एक समिति का गठन किया गया था । माननीय सदस्य यह भूल गये कहना कि ज्योंही ऐसा सुझाव विरोधी पक्ष से रखा गया था, मंत्री महोदय ने उसे उसी वक्त स्वीकार कर लिया था ।

श्री भैरोंसिंह : इन्होंने भी स्वीकार कर लिया है ।

श्री अध्यक्ष : और स्वीकार करने के बाद सदन की भावनाओं को समझने का प्रश्न बड़ा सरल हो जाता है और इसलिये समिति का गठन उस समय बड़ा सरल हो गया । यहां सिर्फ कुछ माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न पर यहां प्रकाश डाला है । कुछ ने विरोध भी किया है ।

श्री भैरोंसिंह : विरोध किसने किया है ?

श्री अध्यक्ष : शायद नहीं किया गया हो तो मैं राज्य सरकार की सहमति इसमें चाहता हूं ।

श्री भैरोंसिंह : मनफूलसिंहजी बोले हैं, राज्य सरकार के प्रतिनिधि बोले हैं ।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा सु.) : कुछ कहना चाहते हैं हम तो आप सुनते नहीं हैं । आप इतना क्यों खींचते हैं ?

श्री अध्यक्ष : मुझे कोई आपत्ति नहीं हो सकती और माननीय सदस्य ने जैसा कहा मेरा कोई निर्णय या व्यवस्था इस पर नहीं है जो कि कोई विवाद का रूप ले ले । मैंने व्यवस्था दी ही नहीं है जिससे कोई विवाद खड़ा हो । अब यदि कोई विवाद खड़ा भी होता है व्यवस्था देने के बाद तो आसन ऐसा है, कई बार खड़ा होता है, बैठता है, कई बार नीचे पड़ता है, लड़खड़ाता है । इसलिये मैं इस सन्दर्भ में चाहूंगा कि स्पष्ट रूप से यदि राज्य सरकार, मैं कन्डीशनल नहीं चाहता हूं, और उस वक्त भावावेश में बात हुई है उसको भी महत्व नहीं देता हूं, इसलिये यदि राज्य सरकार जो सुझाव माननीय भैरोंसिंह जी व अन्य सदस्यों ने रखा है और जिस सुझाव पर यदि राज्य सरकार की ओर से कोई सहमति प्रदान की गई हो तो पुन: उससे सदन को अवगत करा दें कि क्या राज्य सरकार इससे सहमत है । तो मुझे सुविधा हो ।

श्री मदनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल राज्य सरकार का है, मैं समझता हूं राज्य सरकार का भी जैसा अभी असेम्बली का हाल हुआ, वैसा कई बार हुआ होगा । इसलिये मनफूलसिंहजी ही से क्यों, चीफ मिनिस्टर यहां हैं, उनसे ही यह व्यवस्था चाहें कि सरकार क्या चाहती है, आया मनफूलसिंहजी ने कहा वह सही कहा और वह सरकार को मंजूर है या जो उन्होंने कहा वह सही नहीं कहा और सरकार को मंजूर नहीं है क्योंकि सदन में माध्यम अपनी अपनी पार्टी के लीडर होते हैं । इसलिये उनसे ही पूछना बेहतर होगा । अब जहां तक मनफूलसिंहजी और माननीय दूसरे मंत्री का कथन है वे भी ऐसी इन्फोर्मेशन चाहते हैं कि यह मामला क्या है । वह इन्फोर्मेशन चाहे कैसे भी आवे, चाहते सभी जरूर हैं यह इन्फोर्मेशन, अब इन्फोर्मेशन का माध्यम

(श्री मदनसिंह)
ऐसा हो कि दो तीन, दो तीन आदमी दोनों तरफ से चुनकर आप जांच करवायें जो तुरन्त सब बातों का पता लगाकर अपनी जानकारी राज्य सरकार के और सदन के सामने रख दें। ऐसा मेरा विचार है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री महोदय।

मुख्य मंत्री (श्री मोहन लाल सुखाड़िया) : माननीय अध्यक्ष जी इस प्रश्न को लेकर भावावेश में दोनों तरफ से काफी वाद-विवाद और कई बातें कही गई हैं। उन सारी बातों को क्रम बद्ध तरीके से देना अभी आसान नहीं है यह भी सही है कि श्री मनफूलसिंहजी ने जमीन अलाट करने के संबंध में किसी कमेटी के द्वारा जांच कर ली जाय तो उसके बारे में यहां पर जिक्र किया गया, उनके पूरे डिटेल्स क्या हैं? मैं अभी निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूं। उसी प्रकार दौलतरामजी ने अपनी बात कही है तो इसके संबंध में क्या टर्म्स आफ रेफरेन्स हों, क्या व्यवस्था हो इस पर माननीय सदस्यों से इतना ही कहना चाहूंगा कि माननीय मनफूलसिंहजी ने जो कुछ कहा है, मैं नहीं चाहता इस तरफ बैठने वालों ने एक बात को कह दिया उस पर हम ऐसा भ्रम रखना चाहें कि जो उन्होंने कहा उसको पूरा नहीं करना चाहते हैं। इस भावना को सामने रखते हुए इसके बारे में क्या किया जाना चाहिये यह मैं स्पीकर महोदय से चर्चा करके, सम्भव हुआ तो आज और नहीं तो कल अवगत करा दूंगा।

श्री भैरोंसिह : प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न सीधा सा है भावना की दृष्टि से जो कुछ मनफूल सिह जी ने एक प्रकार से समर्थन किया उसके लिये हम चाहते हैं समिति बने। टर्म्स आफ रेफरेन्स क्या हों, कौन कौन इसके सदस्य हों यह आप स्पीकर महोदय के साथ बैठकर तय कर लें लेकिन कमेटी नियुक्त करने की बात है या नहीं, यह बता दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मनफूलसिंह जी ने जिस भावना को स्वयं ने कहा है उस भावना का आदर करके ही हम इस सदन में रखना चाहते हैं। अगर माननीय मंत्री जी ने एक बात कही है, वह स्पष्ट की जानी चाहिये और उसके अनुकूल कार्यवाही हो लेकिन उसके डिटेल्स क्या हों, किसके पास रेफर हो, यह डिटेल्स की बात है। यह प्रश्न सदन में आया है, मैं चाहता हूं बाद में भ्रम न हो इसलिये मैं निवेदन करूं आरजी तौर पर जमीन अलाट करने के संबंध में जहां तक मैं समझता हू मनफूलसिहजी ने कहा है कि वापिस जांच करलें। कमान्ड से अन कमान्ड और अन कमान्ड से कमान्ड में कनवर्शन की बात जहां तक मनफूलसिह जी ने जिस कमेटी की बात कही है उसमें नहीं आता है।

श्री भैरोंसिह : यह नहीं है। प्रश्न यह है उसके संबंध में कमेटी की मांग है। यह उनके शब्दों के अनुसार आती है······

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगर उन्होंने कोई ऐसी बात कही है तो प्रोसीडिंग्ज को देखकर टर्म्स आफ रेफरेन्स क्या हों, यह तय करना है······

श्री भैरोंसिह : टर्म्स आफ रेफरेन्स का सवाल नहीं है, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इसको बहुत छोटा बनाने की चेष्टा की है··

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जिस रेफरेंस में उन्होंने यह बात कही है······

Page No 19

श्री भैरोंसिंह : आपने बहुत होशियारी दिखाई है आरजी तौर पर कमान्ड से अन कमान्ड और अन कमान्ड से कमान्ड का प्रश्न नहीं है या तो आपने इसको सुना नहीं और अगर सुना है तो उसको डाइवर्ट करने की चेष्टा कर रहे हैं·······

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने सुना या नहीं सुना, जो कुछ सुना है वह कहा है। प्रोसीडिंग्स में जो कुछ बातें आई हैं उसको देखकर ही कहा जा सकता है। समिति के साथ टर्म्स आफ रेफरेन्स बहुत इम्पारटेन्ट फेक्टर है।

श्री भैरोंसिंह : वह तो अध्यक्ष महोदय के साथ बैठकर आप टर्म्स आफ रेफरेन्स डिसाइड करेंगे। यह मानकर चलें लेकिन समिति नियुक्त की जायगी इस प्रश्न का निपटारा होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मैं यह निवेदन करूं समिति का प्रश्न है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस संदर्भ में कहा है उस संदर्भ में समिति से उनकी असहमति नहीं है। प्रश्न यह है कि टर्म्स आफ रेफरेन्स क्या हो, इसलिये···

(माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

ऑर्डर प्लीज।······ज्यादा दिक्कत नहीं रहती है। समिति बनाई जाय, मैं स्वयं भी देखना चाहता हूं प्रोसिडिंग्स में क्या रेफरेन्स है, किस ढंग से कहा गया है। इसलिये टर्म्स आफ रेफरेन्स की व्याख्या हो जाय और फिर यह प्रश्न सदन के सम्मुख रखा जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : हम तो अध्यक्ष महोदय एश्योरेन्स चाहते हैं। जो कुछ प्रोसीडिंग्स में है वह तो सही है लेकिन हमारा पाइन्ट यह है कि उनकी इन्क्वायरी करने के लिये समिति नियुक्त कर दी जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जिस पाइंट पर श्री मनफूल सिंह जी ने समिति निर्माण करने के लिये कहा है उसके संबंध में समिति हो, प्रिविलेज कमेटी हो इस व्यवस्था को स्पीकर महोदय से डिसकस करने के बाद उस लिमिट तक इसको रेफर करने वाली बात से सहमत हूं, लेकिन जनरल डिसकशन जो हुआ है वह लॉ के अन्डर कनवरसन हुआ, ला के अन्डर अलाटमेंट हुआ है उसके लिये कमेटी नहीं बिठाई जा सकती है, उसको मिनिस्टर तय कर सकता है········

श्री भैरोंसिंह: डिसप्यूट यह है कि माननीय दौलत राम जी के नाम से अलाट हुई, अलाट मेंट लेटर मिला या नहीं मिला, इनका पजेशन हुआ या नहीं हुआ इन्होंने अपनी तरफ से लगान जमा कराया या नहीं कराया इसके लिये माननीय दौलत राम जी ने चनौती दी है कि मैंने जमीन नहीं ली, लगान जमा नहीं कराया, अलाटमेंट लेटर नहीं मिला, पजेशन नहीं लिया। यह बात सही है या नहीं इसकी जांच करा ली जाय इसके जो रिपर्कशन्स होंगे, मैं भुगतने को तैयार हूं। दूसरा जो कहा गया कि आरजी तौर पर कमान्ड से अन कमान्ड में और अन कमान्ड से कमान्ड में रामचन्द्रजी ने जो आरोप लगाया है यह आरोप इस आरोप के ऊपर मनफूल सिंह जी ने कहा है अगर यह बात सही हो जाय और कमेटी नियुक्त कर दी जाय, बाकी उन्होंने यहां तक..

श्री मनफूल सिंह (राज्य मंत्री): राम चन्द्र जी ने यह कहा है, मैं प्रश्न का उत्तर दे रहा था उस समय कहा आपके नाम से

Page No 20

(श्री मनफूलसिंह)
हजारों बीघा जमीन कालोनाईजेशन ऐरिया में अलाट हुई है उस पर मैंने कहा मेरे नाम से एक बीघा भी आरजी काश्त नहीं है। मेरे बाप-दादों के नाम से है, मेरे नाम से नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बाकी का अलाटमेंट है, उसकी जांच कराने के लिये कहा है।

श्री मनफूल सिंह : यह प्रश्न था मेरे नाम से कोई जमीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य लिये मेरे पास कई प्रश्न हैं। अभी केवल 4 प्रश्न हुए हैं माननीय सदस्यों की जो भावना है वह यह है कि समिति का गठन किया जाय और समिति गठन करने का आधार माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कुछ कहा उस पर आधारित है। इसी तरह से दूसरी समिति माननीय सारण साहब ने जो कुछ कहा है उस पर आधारित है। माननीय मुख्य मंत्री ने उनके कथन के संदर्भ में विश्वास दिलाया है। आप मुझे मौका दीजिये। प्रोसीडिंग्स में देखूंगा क्या कथन कहा गया है, उस प्रोसिडिंग्स को देखने के बाद सदन के सामने रखा जायगा। मैं फिर माननीय मुख्य मंत्री जी से चर्चा कर लूंगा।

श्री मदन सिंह (दांता): मनफूल सिंह जी के सम्बन्ध में कोई चीज है तो गलत हो सकती है यह साफ होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय ने कहा है तो यह प्रोसीडिंग देखकर कहा जा सकता है।

श्री दौलतराम सारण : जिस भूमि पर गैर-वाजिब तरीके से कब्जे का प्रश्न यहां चल रहा है, उस सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर काल के अन्दर एक दूसरी तरफ से इधर से और उधर से आज प्रश्नोत्तर हुये हैं। इसमें मनफूल सिंह जी ने एक उत्तर दिया, इधर से माननीय सदस्य ने एक बात कही, उन्होंने एक बात को गैर वाजिब बताया या गलत बताया। मैंने यह बताया आपने गलत तरीके से अपने गांव की अन कमान्ड से कमान्ड और कमान्ड से अन कमान्ड और कमान्ड से नाली में कनवर्ट करवाया है। दामोदर लाल जी ने 'फ्राड' शब्द यूज किया है, फ्राड लिखी है वह गैर कानूनी है तब उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया कि तुम्हारे नाम से भी सन् 53 में अलाटमेंट हुई है। मैंने उससे इन्कार किया है 53 में अलाटमेंट जमीन मेरे नाम से हुई इसका मुझे कोई अलाटमेंट लेटर नहीं मिला, मैंने उसका कोई लगान जमा नहीं करवाया, उसका पजेशन नहीं लिया, मैंने उस जमीन को काश्त नहीं किया और मेरी कोई जानकारी नहीं है यह मैंने कहा है।

श्री अध्यक्ष आर्डर, आर्डर।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय यह बहुत इम्पोरटेन्ट है।

(12 मध्यान्ह)

श्री अध्यक्ष: आर्डर, माननीय सदस्य अभी तक केवल चार प्रश्न ही हो पाये हैं।

श्री दौलतराम सारण : इसमें यह दोनों रखे जायें।

श्री अध्यक्ष : हां, दोनों प्रश्नों पर मैं प्रोसीडिंग्स को देखकर जिस निष्कर्ष पर पहुंचूंगा वह माननीय सदस्यों को अवगत करा दूंगा और फिर उसके बाद समिति के गठन का प्रश्न उठता है।

(श्री अध्यक्ष)

नैक्स्ट,

श्री कन्हैया लाल

प्रश्न संख्या 417

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मूलचन्द डागा

ग्राम मांडवला (जालोर) जल प्रदाय योजना पर व्यय

418. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) :क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि आज से 8 माह पूर्व करीब जन स्वास्थ्य विभाग से यह मन्जूरी दी गई थी कि 10,000) लगाकर ग्राम मांडवला, तहसील जालोर में जो वर्तमान जल प्रदाय योजना चल रही है, उसको उपयोगी बनाने के लिये धनराशि खर्च की जाये ?

(2) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है है कि अभी तक गांव मांडवला, तहसील जालोर में जल प्रदाय योजना का कार्य पूरा नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार को विदित है कि इस बार अकाल के समय गांव मांडवला की जनता को पानी की कमी के कारण भारी कष्ट उठाना पड़ा ? यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन ठहराया जा सकता है?

राज्य मंत्री जन स्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा) : (1) अकाल राहत कोष से 10,000 रु. की स्वीकृति मांडवला की वर्तमान जल प्रदाय योजना को उपयोगी बनाने हेतु धनराशि 69 में दी गई।

(2) जल प्रदाय योजना का कार्य पूरा कर दिया गया है तथा जनता को सुचारुरूप से पानी मिलना चालू हो चुका है।

(3) अकाल व वर्षा के अभाव के कारण माह जून में कुए को 15 फुट गहरा कराने के उपरान्त भी पानी नीचे उतर गया था और फिर से पानी की कमी महसूस होने लगी थी जिसको सुधारने के लिए फिर कुए में 32 फुट बोरिंग किया गया। बोरिंग करने के बाद अब कोई भी पानी की समस्या गांव में नहीं है।

श्री अध्यक्ष: स्थगित प्रश्न-श्री जुझारसिंह।

स्थगित प्रश्न

(14-8-69)

सामुहिक कृषि सहकारी समिति, ग्राम हरिगढ़

63. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मण्डी) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम हरिगढ़ तहसील खानपुर में सामुहिक कृषि सहकारी समिति रजिस्टर्ड है? यदि हां, तो कब से और इसके कितने व कौन कौन सदस्य हैं ? नाम बताने की कष्ट करें।

(2) उपरोक्त सहकारी समिति के पास कितनी जमीन है और कहां कहां पर स्थित है?

(3) उपरोक्त समिति को सहकारी विभाग से अब तक कितना कितना ऋण किस मद में प्राप्त हुआ है ?

(4) क्या यह सही है कि समिति के सेक्रेट्री को सरकार से पिछले तीन साल से

Page No 22

(श्री जुझारसिंह)

वेतन मिल रहा है ? यदि हां, तो कितना और क्यों ?

(5) सामुहिक कृषि सहकारी समिति बनाने के पीछे सरकार की क्या नीति है और उपरोक्त समिति इसे कहां तक पूरा करती है ?

उप-मंत्री, सहकारिता (श्री रामदेव सिंह) : (1) जी हां, ग्राम हरीगढ़ तहसील खानपुर में हरीगढ़ सामुहिक कृषि सहकारी समिति लि. का रजिस्ट्रेशन दिनांक 24-3-65 को क्रमांक 72610 को हुआ है। सदस्यों के नामों की सूची परिशिष्ट (क) संलग्न है।

(2) इस सहकारी कृषि समिति को कोई जमीन अलाट नहीं हुई है अतः भूमि की स्थिति में अंकित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) उक्त समिति को पैटर्न के अनुसार वर्ष 1965-66 में सहकारी विभाग द्वारा 4000 रु. भूमि सुधार हेतु और 3750 रु. गोदाम निर्माण हेतु ऋण दिया गया।

(4) जी नहीं, समिति में कभी कोई वैतनिक सेक्रेटरी नहीं रहा है अतः वेतन देने का प्रश्न नहीं उठता।

(5) भूमिहीन किसानों को राजकीय भूमि अलाट कर सहकारिता के आधार पर कृषि किये जाने को प्रोत्साहन देने की सरकार की नीति रही है। चुंकि समिति को राजकीय भूमि अलाट नहीं हुई है अतः समिति द्वारा उक्त नीति को पूरा करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री जुझार सिंह : आपने यह कहा कि इस समिति को कोई भूमि अलाट नहीं हुई तो न इस समिति के पास कोई भूमि है तो इसको क़र्जा किस तरह से मिल गया ?

श्री रामदेव सिंह : रजिस्ट्रेशन होने के बाद पंचायत समिति के माध्यम से यह रुपया सन् 1965-66 में मिला था।

श्री जुझार सिंह : उनके पास कोई जमीन तो हो सहकारी कृषि करने के लिये ? जब समिति बनी है तो उसके पास बिना जमीन हुए उसको पैसा दिया जाना कहां तक उचित है ?

श्री रामदेव सिंह : यह भूमि तो अलाट नहीं हुई लेकिन समिति का कहना था कि उनको एश्योरेन्स मिला हुआ है तहसील अलाटमेन्ट कमेटी की तरफ से कि उनको जमीन मिल जायेगी तो इसी आधार पर दिया और वह पैसा आज तक बैंक में जमा है।

श्री जुझार सिंह : मेरी आपत्ति ही यही है। मैंने प्रश्न ही इसलिये दिया है कि जो संस्था एग्जिस्ट नहीं करती, जिसके पास जमीन नहीं है और जो खेती नहीं कर रही है उसने झूठ बोलकर पैसा उठाया है, क्या जो पैसा जमा है वह ब्याज पर जमा है ?

श्री रामदेव सिंह : वह आज तक सारा का सारा बैंक में जमा है और पैसा का सारा ब्याज भी बैंक में जमा है।

श्री जुझार सिंह : उनके पास जब जमीन नहीं है और जमीन उपलब्ध करने के साधन नहीं हैं तो क्या इसको अलाऊ करेंगे ?

श्री रामदेव सिंह : वह कार्यवाही चालू है।

Page No 23

श्री जुझारसिंह : किस तरह की कार्यवाही चालू है उनको समाप्त करने की या किस बात की ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री देवीदत्त गाड़िया।

स्थगित प्रश्न
(14-8-69)

ग्राम बड़वा में चन्दन के पेडों की अवैध कटाई की जांच

83. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा की तहसील मांगरोल के ग्राम बड़वा में स्थित चन्दन के पेड़ राजकीय कर्मचारी व एक अधिकारी के इशारे पर चोरी से काट दिये जाने का मामला पुलिस अन्ता में अंकित किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मामले की जांच बारां डी. वाई. एस. पी. ने की थी ? यदि हां, तो डी. वाई. एस. पी. की जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) सरकार ने इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

राज्य मन्त्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर गत सत्र में दिया जा चुका है और राजस्व विभाग नें इसका उत्तर दिया। राजस्व विभाग का आश्वासन बना हुआ है और कागजात उनके पास गये हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : आप क्या इसको स्थगित कराना चाहते हैं ?

श्री हीरा लाल देवपुरा : मैं उत्तर दे चुका हूं और इसके ऊपर एक आश्वासन का प्रश्न बना हुआ है जो कि राजस्व मन्त्री जी देंगे और आश्वासन के उत्तर के लिये ले लिया इसलिये स्थगित करने का प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष : राजस्व मन्त्री की तरफ़ चला गया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैंने जब पहले प्रश्न राजस्व मन्त्रीजी को पूछा था तो उन्होंने कहा कि गृह विभाग से सम्बन्धित है और इसको पोसपोन कर दिया गया। लगातार 2।। साल से इसको पोसपोन कराते चले जा रहे हैं और अब गृह विभाग से पूछा तो वह कह रहे हैं कि यह राजस्व विभाग के पास है।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं इस प्रश्न का उत्तर गत सत्र में दे चुका हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : नहीं दिया गया है। मैं आज भी चुनौती के साथ कहता हूं कि डी. एस. पी. की रिपोर्ट को सदन की पटल पर रखी जाये। उस समय राजस्व विभाग ने कहा कि यह गृह विभाग से सम्बन्धित है इसलिये उनसे पूछा जाये और स्थगित किया गया और आज गृह विभाग से पूछा तो वह कह रहे हैं कि इसका उत्तर दे दिया गया है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि इसका क्या उत्तर दिया गया था। पुनः इसको टालना चाहते हैं। 29 तारीख तक सदन है और जानबूझ कर टाल रहे हैं इसलिये इसका उत्तर इसी सत्र में दिलाया जाये इसका आश्वासन दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : मैं इस प्रश्न को देख लूंगा।

Page No 24

श्री देवीदत्त गाडिया : 29 तारीख तक की सत्र है और आप इसको टालना चाहते हैं और मन्त्रीजी ने कहा है कि इसका उत्तर गत सत्र में दे दिया गया है। मैं कह रहा हूं कि यह मन्त्री महोदय ने ग़लत उत्तर दिया है। मन्त्रीजी इस तरह सदन में ग़लत उत्तर दे रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री देवीदत्त गाडिया : उत्तर इसका नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : मैं इसको देख लूंगा कि उत्तर दिया गया है या नहीं। आपने जो बातें कहीं हैं उनको मैं देख लूंगा।

श्री देवीदत्त गाडिया : तो मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि इसका उत्तर इसी सत्र में दिला दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : मैं देख लूंगा ।

श्री देवीदत्त गाडिया : यह सत्र कल ही समाप्त हो रहा है इसलिये इसी सत्र में दिला दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष : आप तो कह रहे हैं कि कल ही खत्म हो रहा है।

श्री देवीदत्त गाडिया : बिजनेस के हिसाब से तो कल तक ही है।

श्री अध्यक्ष : मैं देख लूंगा।

नैक्स्ट, श्री जुझार सिंह ।

स्थगित प्रश्न

(10-8-69)

सुनेल झालरापाटन सड़क कार्य

100. **श्री जुझार सिंह** (रामगंज मण्डी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सुनेल-झालरापाटन रोड कब मन्जूर की गयी थी और उस पर कितने माइल में काम पूरा किया जा चुका है ?

(2) चालू वर्ष में इस सड़क पर कितनी मन्जूरी है और कितना काम किया जा चुका है? कृपया मय गांवों व मील के नम्बरों के बताने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि सड़क को बनाने में रास्ते से अलग नई सड़क बनाई जा रही है व बिना गजट नोटिफ़िकेशन, बिना मुआवज़ा व बिना लोगों की मन्जूरी के जबरदस्ती काम चलाया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या इस सड़क का अलाईनमेन्ट तब्दील किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (1) इस सड़क की स्वीकृति वर्ष 1963-64 में हो गई थी स्टेट प्लान में 3 मील में कार्य पूरा किया जा चुका है। अकाल राहत कार्यों में 8 मीलों में काम चल रहा है।

(2) स्टेट प्लान में 1 लाख रुपये की स्वीकृति है जिसका कार्य अभी चालू नहीं हुआ है। ललातियां से सुनेल 6 मील तथा तीतरवास से पाटन 3 मीलों में कार्य अकाल राहत साधन से हाथ में था। 2,05,809.55 अकाल राहत मद में खर्च हुआ है।

(3) जी नहीं, तीन अलाईनमेन्ट विचारार्थ थे, जिसमें से एक अलाईनमेन्ट जिसकी लम्बाई व खर्चा सब से कम था मन्जूर किया गया है। स्टेट प्लान में जो 3 मील निर्माण

(श्री माधोसिंह)

हुआ है उसका मुआवजा भुगतान करा दिया गया है। आगे यह कार्य अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत आई भूमि का वाजिब मुआवजा दिये जाने की कार्यवाही जारी है।

श्री जुझार सिंह : आपने कहा कि वह बिलकुल समझ में नहीं आया क्या कहा आपने ?

श्री अध्यक्ष : आपने भी बहुत अन्त में कहा कि समझ में नहीं आया।

श्री माधोसिंह : कौनसी बात नहीं आई समझ में ?

श्री जुझारसिंह : अकाल राहत में कितना रुपया खर्च किया गया इस सड़क पर ?

श्री माधोसिंह : 2,05,809.55।

श्री जुझार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक तो यह पूछना चाहता हूं कि यह सड़क जैसा आपने कहा कि 1963-64 से बननी शुरू हुई थी और 3 मील का टुकड़ा पहले ही बन चुका था तो क्या अभी जो काम आपने अकाल राहत के तहत शुरू किये हैं वह 3 मील से आगे का शुरू किया है या बीच में से ही शुरू कर दिया है ?

श्री माधोसिंह : इसके अन्दर जहां से सुविधा थी वहां से कर लिया गया है। सीधा अलाइनमेन्ट है और उस अलाइनमेन्ट में कम खर्चा वहां से आयेगा।

श्री जुझार सिंह : पहले सड़क जहां तक बन चुकी है, तीन मील की सड़क बन चुकी है, तो सामान्य तौर से तीन मील से आगे चौथे मील से काम शुरू करना चाहिये तो क्या काम चौथे मील से शुरू किया है या नहीं क्या बीच में से कर दिया है ?

श्री माधोसिंह : काम चौथे मील से शुरू किया है और शाटेस्ट लाइनमेन्ट था उस रूट से लिया गया है।

श्री जुझार सिंह : यह चौथे मील से काम शुरू नहीं किया गया है और मन्त्री महोदय के गांव से शुरू किया है और जानबूझकर वहां पर पैसा खर्च किया गया है और अकाल के नियमों के मुताबिक एक गांव में दो दो काम नहीं चल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : वह भी तो सुविधा का प्रश्न था। सुविधा नहीं दें तो खतरा कम नहीं है वहां।

श्री जुझार सिंह : जनता को तो सुविधा नहीं मिली। मन्त्री महोदय को सुविधा मिली है। (विराम) :

श्री अध्यक्ष : प्रश्न करिये।

श्री जुझारसिंह : क्या जिस जमीन पर आपने काम शुरू किया है उसके बारे में कोई नोटिफिकेशन किया था और लोगों को उसका मुआवजा दे रहे हैं ?

श्री माधोसिंह : वाजिब मुआवजा दिये जाने की तजवीज की जा रही है।

श्री जुझार सिंह: क्या लोगबाग ने इसके लिये स्टे आर्डर्स ले लिये हैं ? (विराम) अभी जिनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है वहां के लिये लोग स्टे ऑर्डर ले आये हैं ?

श्री माधोसिंह : इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

Page No 26

श्री कुमारसिंह : वस्तुस्थिति यह है कि लोग स्टे आर्डर ले आये हैं।

श्री अध्यक्ष : यह दूसरा प्रश्न है।

श्री कुमार सिंह : यह काम जहां से शुरू होना चाहिये था वहां पर शुरू नहीं करके प्रश्न की मन्शा यह है कि जहां से काम शुरू होना चाहिये था वहां से इस सड़क पर काम नहीं हुआ और जानबूझ कर ऐसे स्थान से काम शुरू किया गया है जो एक व्यक्ति विशेष के इन्ट्रेस्ट में था उस जगह से सड़कों का अकाल राहत कार्य हुआ है जहां पर अकाल राहत में मजदूरी देने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट स्वायत्त शासन मन्त्री।

स्थगित–प्रश्न
(20-8-69)

नगरपालिका चित्तौड़गढ़ द्वारा भूमि का बेचान

229. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि नगरपालिका चित्तौड़गढ़ द्वारा सदस्य श्री हरनारायण बंसल, एडवोकेट को उनके बंगले के वरजानिब उत्तर चित्तौड़गढ़ में एक लम्बे चौड़े प्लाट में से 20-100 फ़ीट का प्लाट लम्बे रोड पर स्ट्रीप आफ़ लैण्ड कह कर 500 रु० में दे देने का दि० 21-1-67 को सदस्य श्री बंसल की उपस्थिति में प्रस्ताव पारित किया गया था?

(2) क्या यह सच है कि इस प्रस्ताव को तत्कालीन कलैक्टर महोदय ने स्ट्रिप ऑफ़ लैण्ड नहीं मानते हुए खारिज किया था?

(3) क्या यह सच है कि एडमिनिस्ट्रेटिव आफ़िसर व एक्जीक्यूटिव आफ़िसर ने यह भी प्रस्ताव अनियमित व नगरपालिका को नुकसान पहुंचाने वाला मानते हुए रद्द करने की सिफ़ारिश कलैक्टर साहब के पास की थी?

(4) यदि यह सच है कि इसके बाद सिटी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट में श्री हरनारायण बंसल को राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य नियुक्त किया गया और इस नगर विकास प्रन्यास द्वारा इस भूमि को श्री हरनारायण बंसल को देने का निर्णय लिया गया अकर कलैक्टर साहब श्री गणेश शंकर द्विवेदी ए. डी. एम. द्वारा अनुमोदन कर 500 रु० में ही श्री हरनारायण बंसल को जमीन दे दी गई और जमीन पर कब्जा व पट्टा भी दे दिया गया?

(5) यदि यह सच है तो यह बताया जावे कि इस भूमि को प्राप्त करने के लिये अन्य किन किन व्यक्तियों ने आवेदन-पत्र दिया था और इन्होंने इसकी प्रारम्भिक राशि 5000 रुपया बताई थी? क्या श्री रतन खमेसरा, रंगलाल कावरा, श्री लादूराम तोशनीवाल आदि ने आवेदन किये थे? और उन्होंने नीलाम की मांग की थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

(6) क्या यह सच है कि डिप्टी टाउन प्लानर ने भी इस भूमि को श्री बंसल को देने में आपत्ति की थी? यदि हां, तो किस कानून के तहत यह भूमि दी गई है? और इस भूमि को श्री बंसल को देने के क्या कारण है? इससे संस्था को कितनी हानि हुई?

(श्री दौलतराम सारण)

(7) क्या यह सच है कि सिटी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट में श्री हरनारायण बंसल सदस्य ने मिसल नं. 25 सन् 68 ई. यू. आई. टी. में दिनांक 4-1-68 को वकालत करने के लिये उक्त मिसल में पैरवी की तथा जमशेद का रजिस्टर्ड वकील भी है ?

उपमंत्री स्वायत शासन श्री (मुल्कराज सिन्हा) : अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका से उत्तर मिल चुका है यू. आई. टी. से अभी नहीं मिला है इस लिये इसको स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या यू. आई. टी. से इसका उत्तर नहीं प्राप्त हो सका ?

श्री मुल्कराज सिन्हा : जी हां।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री दौलतराम सारण : माननीय अध्यक्षः कोई उत्तर भी आयेगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : जवाब प्राप्त नहीं हुआ तो किसी अधिकारी को भेज देते तो जवाब प्राप्त हो जाता।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! श्री भैरोंसिंह।

स्थगित प्रश्न
(20-8-69)

अकाल राहत कार्यों में अनियमित कार्यवाही करने के कारण निलम्बित कर्मचारी।

240. **श्री भैरोंसिंह** : (किशनपोल, जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अकाल राहत कार्यों में अनियमित कार्यवाहियां करने के कारण किस किस जिले में इस विभाग के किस किस कर्मचारी को कब कब निलम्बित किया गया और उसके सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

(2) किन किन कर्मचारियों (निलम्बित कर्मचारियों के अतिरिक्त) को किन किन कारणों से कब कब आरोप-पत्र दिये गये हैं ? ऐसे प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? कृपया विवरण सहित तालिका सदन की मेज पर रखने कष्ट करें।

उपमंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (1) सूची संलग्न है।

(2) सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि नागौर जिले में 9 कर्मचारी निलम्बित किये गये हैं और आपने 6 की सूची दी है।

श्री माधोसिंह : जितने भी सूची में हैं उतने ही निलम्बित किये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह एक विशेषाधिकार का प्रश्न है कि कितने गलत उत्तर मन्त्री महोदय इस सदन में देते हैं। इसी सदन में जानकारी माननीय श्री हरजीराम बुरड़क ने एक प्रश्न के द्वारा की है। उसकी सूची भी मेरे पास है जिनमें 9 आदमियों के नाम लिखे हैं कि 9 आदमी सस्पेन्ड हैं, और इन्होंने जो सूची दी है उसमें 6 के नाम लिखे हैं।

श्री माधोसिंह : माननीय सदस्य जानकारी देंगे तो

Page No 28

श्री भैरोंसिंह : मेरे जानकारी देने का सवाल नहीं है। आप जानकारी कीजिये। मैंने जो नाम बताये हैं वे आपको सुना देता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : वे सूची तो सही देते हैं लेकिन 6 का उलटा 9 हो गया।

श्री भैरोंसिंह : (1) श्री एम. एस., (2) श्री हरिश्चन्द्र, (3) श्री ओम प्रकाश जैन, (4) श्री आर. एस. अली या खली न मालूम क्या है, (5) श्री ओमप्रकाश करमचन्द, (6) श्री खलील अहमद।

ये 6 नाम इन्होंने दिये हैं। जो श्री हरजीराम बुरड़क ने प्रश्न किया था....

श्री अध्यक्ष : वह प्रश्न क्या था ?

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न बिल्कुल सिमिलर है। प्रश्न यह है—

"क्या यह सही है कि जिला नागौर में अकाल राहत कार्यों में घोटाले और गबन के मामले अधिकारियों द्वारा पकड़े गये हैं ? यदि हां, तो कब-कब, किस-किस अधिकारी द्वारा किन किन के खिलाफ और कितने कितने रुपयों के घोटाले के मामले पकड़े गये और अब तक उनमें क्या क्या कार्यवाही की गई ?"

इसका जवाब दिया गया है—

"जी हां, यह सही है कि जिला नागौर में अकाल राहत कार्यों में भ्रष्टाचार किये जाने के मामले अधिकारियों द्वारा पकड़े गये हैं, और जिन जिन मामलों में पकड़े गये हैं उनकी स्थिति संलग्न सूची से स्पष्ट है।"

इस संलग्न सूची में 9 आदमियों के नाम दिये गये हैं जिनमें से पांच तो ये ही हैं और चार दूसरे हैं जिससे ऐसा लगता है कि दोनों सूचियों में भी कुछ बाकी रह गया है।

श्री रामनारायण चौधरी (मन्डावा) : कर्मचारी बदल गये होंगे।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) : ऑर्डर, ऑर्डर !

श्री माधोसिंह : ये पर्सन्स निर्माण विभाग के कार्यों से सम्बन्धित न होकर और कार्यों से सम्बन्धित हो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वह प्रश्न नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह : जितने भी नाम हैं उनके सब के आगे लिखा है कि ओवरसियर।

श्री माधोसिंह : ओवरसियर इर्रीगेशन में भी होते हैं।

श्री भैरोंसिंह : एक पर्टीक्यूलर प्रश्न पूछना चाहता हूं कि भंवर सिंह ओवरसियर पी. डब्ल्यू. डी. में है या नहीं ?

श्री माधोसिंह : यह जानकारी करके बताया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : जी. सी. बरुआ और गोरधन लाल पी. डब्ल्यू. डी. में हैं कि नहीं ?

श्री माधोसिंह : जो नाम मैंने दिये हैं ये पी. डब्ल्यू. डी. में हैं इनके अलावा जिन नामों को आप फर्मा रहे हैं उसके लिये जानकारी हासिल करना होगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

Page No 29

श्री भैरोंसिंह : क्या ये नागौर वाले सब मुकदमें पुलिस को दे दिये गये हैं ?

श्री माधोसिंह : मैंने अर्ज किया कि नागौर के अन्दर जितनी भी शिकायतें आई थीं वे 13 शिकायतें थीं। उनमें से तीन में इन्क्वायरी प्रोग्रेस में है, एक केस हो गया है और एक के अन्दर एक्शन ले लिया गया है, सस्पेन्ड कर दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : मैं पूछ रहा हूं कि पुलिस को दे दिये गये हैं या नहीं ?

श्री माधोसिंह : केस पुलिस को दे दिये गये हैं ?

श्री भैरोंसिंह : सब मामले ?

श्री माधोसिंह : जितने भी मामले आये हैं उनकी एन्क्वायरी की गई है और एक पुलिस में दे दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : 6 मामालों की लिस्ट दी है उनके बारे में जानकारी चाहता हूं।

श्री माधोसिंह : 9 मामलों को पुलिस में दे दिया गया है।

श्री रामसिंह कुडी (जायल) : एक्जीक्यूटिव एन्जीनियर इनको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। पहले पुलिस में दे दिये गये थे सारे मामले पर बाद में एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने आकर यह लिख कर दे दिया कि विभागीय जांच के बिना ये पुलिस में नहीं दिये जा सकते हैं। एक मामला दिया गया है और कोई मामला अभी तक पुलिस में नहीं चल रहा है। उन्होंने सारे मामले पुलिस से वापस मंगा लिये।

श्री रामनारायण चौधरी : ये जो कर्मचारी निलम्बित किये गये थे वे परमानेन्ट थे या टेम्परेरी ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है। श्री बालसिंह सोढ़ा।

श्री देवीदत्त गाडिया : नहीं माननीय अध्यक्ष, मैं चाहता हूं कि उसका उत्तर दिलाया जाय कि क्या यह सही है कि एक मामले के अलावा पांच मामलों को पुलिस को नहीं दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : जवाब में छहों का कहा है।

श्री देवीदत्त गाडिया : एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने वापस ले लिये हैं।

श्री माधोसिंह : मैंने अर्ज कर दिया कि पुलिस में दे दिया गया है और वापस ले लिये गये हैं ऐसी जानकारी मेरे पास नहीं है।

स्थगित प्रश्न

(20-8-69)

सीमा सड़कों के लिये मशीन की खरीद

242. **श्री बालसिंह सोढ़ा** (जैसलमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि सीमा सड़कों के लिये मशीनें खरीदने के हेतु एक नकली फ़र्म को भुगतान किया गया है और जब मशीनें नहीं सप्लाई हुई तो दूसरी भुगतान कर खरीदी गई हैं ?

(2) क्या यह भी सच है कि सरकार को इसकी शिकायतें भी हुई हैं कि 40000 रु.

Page No 30

(श्री बालसिंह सोढ़ा)
का घोटाला है ? अगर हां, तो इसमें कौन दोषी है और उसके खिलाफ़ क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उपरोक्त शिकायत पर कार्यवाही की जा चुकी है ? अगर हां, तो विभाग में किस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

उप मंत्री : सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (1) जी नहीं ।

(2) मशीनों की खरीद के बारे में इस तरह के घोटाले की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री बालसिंह सोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच है कि रामगढ़ प्रोजेक्ट . . .

श्री माधोसिंह : समझ में नहीं आया है ।

श्री बालसिंह सोढ़ा: क्या यह सच है कि प्रोजेक्ट के लिये 6-7 मशीनें जयपुर की एक फर्म से खरीदने के लिये ऑर्डर दिया गया ?

श्री माधोसिंह : कोई आर्डर नहीं दिया गया।

श्री बालसिंह सोढ़ा : क्या यह सच है कि प्रोजेक्ट नं. 7 की इन्क्वायरी हुई है और उसमें साबित हुआ है कि जयपुर की एक फ़र्ज़ी फ़र्म को दो बार भुगतान किया गया ।

श्री माधोसिंह : ट्रान्सपोर्ट का मामला है। दो-तीन जगह से उठा लिया गया है। उसके खिलाफ़ केस चला है ।

श्री देवीदत्त गाडिया : उस फ़र्म का नाम क्या है ?

श्री माधोसिंह : पी. एल. मिश्रा है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : क्या यह सही है कि डिलीवरी लेने से पहले ही भुगतान कर दिया गया था ?

श्री माधोसिंह : जी हां । एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने भुगतान कर दिया है । उसके खिलाफ़ जांच जारी है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न स्थगित हुए हैं या रह गये हैं वह कल ले लिये जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : इसका दोष मुझ पर नहीं है, आप और सारे सदन दोनों पर है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये परिशिष्ट 3 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

लक्ष्मणगढ़ (सीकर) नगरपालिका के हरिजन कर्मचारियों का वेतन

415. **श्री नथमल चोहला** (लक्ष्मणगढ़-सु.) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सीकर जिला अन्तर्गत नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ के हरिजन कर्मचारियों की तनख्वाह अन्य नगरपालिकाओं के मुकाबले में कम है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ के हरिजन कर्मचारी महिलाओं

Page No 31

(श्री नथमल चौहला)
को 52) रुपया व पुरुषों को 55) रुपया तनख्वाह मिल रही हैं ?

(3) क्या यह सही है कि पड़ौसी नगरपालिका फतेहपुर के हरिजन कर्मचारी महिलाओं को 102) व पुरुषों को 105) रुपया तनख्वाह मिल रही है ?

(4) क्या लक्ष्मणगढ़ नगरपालिका के हरिजन कर्मचारी इस भीषण मंहगाई में 52) व 55) रुपया तनख्वाह में अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं ?

(5) फ़तेहपुर नगरपालिका व लक्ष्मणगढ़ नगरपालिका के हरिजन कर्मचारियों की तनख्वाह में इतना अन्तर क्यों है ?

(6) क्या सरकार इस अन्तर को समाप्त करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

नगरपालिका, लक्ष्मणगढ़ के हरिजन कर्मचारियों को मिलने वाला कुल वेतन अन्य नगरपालिकाओं के मुक़ाबले में कम है। समस्त नगरपालिकाओं के हरिजन कर्मचारियों का एक ही वेतन मान है जो 25-1-40 है। जहां तक मंहगाई भत्ते का सवाल है, इसके लिये भी सरकार के आदेश हैं कि नगरपालिकायें अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख कर सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले मंहगाई भत्ते के अनसार देवे। अतः नगरपालिकाओं में मंहगाई भत्ते की राशि में अन्तर होना सम्भव है।

(2) जी नहीं।

लक्ष्मणगढ़ नगरपालिका के हरिजन कर्मचारियों को वास्तव में वेतन 60) रुपया प्रति माह दिया जा रहा है।

(3) जी नहीं।

नगरपालिका, फतेहपुर के हरिजन कर्मचारियों में महिलाओं को 95ll) रुपये से 97lll) रुपये तक एवं पुरुषों को 103) से 105) रुपये तक कुल वेतन मंहगाई भत्ते सहित मिलता है।

(4) जैसा प्रश्न (2) के उत्तर में कहा गया है, कर्मचारियों को 60) रुपया प्रति माह वेतन दिया जा रहा है।

(5 फतेहपुर नगरपालिका की आर्थिक स्थिति नगरपालिका, लक्ष्मणगढ़ के मुकाबले अच्छी होने से उसके कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता अधिक दिया जाता है इसलिये यह अन्तर है।

(6) यह नगरपालिका की आय के साधन बढ़ने पर निर्भर है।

सांगानेर तहसील के ग्राम वाटिका में पशु चिकित्सालय

417. **श्री कन्हैयालाल** (बस्सी-सु.) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर में एक पशु चिकित्सालय है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो वहां का पशु चिकित्सालय कब से हटाया गया व क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि वाटिका के असपास कोई पशु चिकित्सालय नहीं है

Page No 32

(श्री कन्हैया लाल)

व इस चिकित्सालय में निकट के गांवों के पशु अधिक मात्रा में आते थे ? कृपया 1967 से पूर्व पांच वर्षों की जानकारी दें।

(3) क्या यह सत्य है कि वाटिका से पशु चिकित्सालय के हटाये जाने से वहां के किसानों में असन्तोष है तथा सरकार उसके समाधान हेतु क्या प्रयत्न कर रही है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। वहां पशु चिकित्सालय था ही नहीं अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जी नहीं।

वाटिका के पास सांगानेर का पशु चिकित्सालय है। आगे प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अकाल सहायता कोष में मंत्रियों द्वारा दी गई राशि

647. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अकाल सहायता कोष में अब तक किस किस मन्त्री ने अपने पास से कितना कितना रुपया कब कब जमा कराया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) किस किस मन्त्री ने अपनी इस वर्ष की डिसक्रिशनरी ग्रान्ट का कितना कितना रुपया अब तक वितरित किया है ? जिन व्यक्तियों को यह रुपया दिया गया है उनकी एक नामावली मय रकम के सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) वांछित सूची सदन की मेज पर रखदी है (परिशिष्ट—1)।

(2) वांछित सूची सदन की मेज पर रखदी है (परिशिष्ट 2)।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मेड़ता में नेहरू फण्ड की एकत्रित राशि

648. श्री गौरी शंकर सोनी (मेड़ता) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री सुखदेव आर्य भूतपूर्व एस. डी. ओ. मेड़ता ने नेहरू फण्ड के लिये अपने कार्यकाल में रकम इकट्ठी की थी ?

(2) क्या यह सही है कि यह रकम इकट्ठी होने के कई दिन बाद जमा कराई गई ? यह रकम किस तारीख से किस तारीख तक एकत्रित की गई एवं किस तारीख को कहां जमा कराई गई ?

(3) क्या यह सही है कि एकत्रित राशि के बराबर राशि मिला कर राज्य सरकार को नियमानुसार [illegible] उस क्षेत्र में अब तक लगा देनी चाहिये थी ?

(4) क्या यह सही है कि मेरे बार बार सुझाव देने पर भी यह रकम अब तक गर्ल्स स्कूल मेड़ता में बाल उद्यान, लाइब्रेरी इत्यादि विकास कार्यों पर नहीं लगाई गई है ?

(5) क्या राज्य सरकार शीघ्र ही इस रकम को लगाने का इरादा रखती है ?

(मुख्य मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां। श्री सुखदेव आर्य एस. डी. ओ. मेड़ता वहां की नगरपालिका के प्रशासक नियुक्त किये गये थे और वहां के प्रशासक के कार्य काल में उन्होंने 4010) रु. नेहरू ममोरियल फण्ड के लिये एकत्रित किये।

(2) जी नहीं।

यह राशि श्री सुखदेव आर्य द्वारा 4 अप्रेल, 67 से 11 जनवरी, 68 तक एकत्रित की गई और दिनांक 12-1-68 को नागौर ट्रेजरी में जमा करादी गई।

(3) जी नहीं।

यह राशि जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल फण्ड की केन्द्रीय समिति के अधिकार द्वारा ही व्यय की जा सकती है जिसके निर्णयानुसार कुल एकत्रित राशि का 40 प्रतिशत राज्य सरकार को नेहरू बाल भवन के निर्माण हेतु दिया जावेगा, बाकी 60 प्रतिशत क्षेत्रीय जनता द्वारा एकत्रित करना होगा।

(4) जी हां।

राज्य सरकार के पास सदस्य महोदय का कोई ऐसा सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है और न सुझावानुसार राज्य सरकार इस राशि का उपयोग ही कर सकती है।

(5) जी हां। इस राशि के उपयोग की स्वीकृति के लिये जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल केन्द्रीय समिति को लिखा जा चुका है परन्तु अभी तक कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है।

सरकार की अचल सम्पत्ति

649. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के बाहर भी राजस्थान सरकार की कोई अचल सम्पत्ति विद्यमान है? यदि हां, तो कौन कौन सी सम्पत्ति कहां कहां पर है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त सम्पत्ति किस किस काय में आती है?

(3) उक्त सम्पत्ति की बुक वेल्यु क्या है?

(4) उक्त सम्पत्ति की देख-रेख व सार-संभाल सरकार की ओर से किसके द्वारा की जाती है?

(5) यदि इससे किसी प्रकार की किराये की आमदनी है तो कितनी कितनी?

(6) क्या उपरोक्त सम्पत्ति के मौजूदा उपयोग को सरकार उचित समझती है?

(स्थगित किया गया)

रक्षा कोष के लिए केकड़ी में भेंट की गई भूमि

950. **श्री देवीलाल बूरालिया** (केकड़ी-सु.) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1962 में चीन की लड़ाई के समय केकड़ी नगर-वासियों ने व मोहतबीनों ने दादू द्वारा की

(श्री देवीलाल बुरासिया)
ज़मीन व मकान रक्षा में केकड़ी उप जिला अधिकारी को भेंट की थी ?

(2) क्या यह सही है कि वो सम्पत्ति लगभग 4000) चार हज़ार के बराबर है ?

(3) क्या वो रुपया वसूल होकर रक्षा कोष में जमा हो गया ? अगर नहीं, तो क्यों ?]

(4) क्या अब सरकार उस पैसे को लेकर रक्षा कोष में जमा कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

1. जी नहीं दादू द्वारा जो सुरक्षा कोष में देने का एक आवेदन-पत्र एस. डी. ओ. के पास आया था, परन्तु यह सम्पत्ति भेंट में स्वीकार नहीं की जा सकती थी क्योंकि इसके स्वामित्व के सम्बन्ध में न्यायालय में दावा चल रहा था।

2. जी हां, दादू द्वारा केकड़ी की भूमि व मकान लगभग 4,000। की क़ीमत के हैं।

3. प्रश्न नहीं उठता ।

4. प्रश्न नहीं उठता ।

मंत्रियों पर व्यय

651. **श्री रूप सिंह** (सरदार शहर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान में 37 मन्त्रियों पर प्रत्येक पर तनख्वाह, डी. ए., टी. ए. पानी, बिजली, मकान, वाहन, टेलीफ़ोन, पैट्रोल, फ़र्नीचर, पी. ए., सेक्रेटरीज, पिओन व दीगर सरकारी मुलाज़िमान जो उनके पास कार्य करते हैं, उन पर सरकार का 1 जनवरी, 1968 से 31 दिसम्बर, 1968 तक कितना कितना रुपया खर्च हुआ ? इसकी सूची सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

1 जनवरी, 1968 से 31 दिसम्बर, 1968 तक हुए प्रत्येक मन्त्री पर तनख्वाह, डी. ए., टी. ए., पानी, बिजली, मकान, टेलीफ़ोन, पैट्रोल, एवं उनके स्टाफ़ पर हुए खर्चे की तालिका सदन की मेज़ पर रख दी है।

(तालिका 1, 2 व 3)

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई) ।

मंत्रियों द्वारा विभिन्न जिलों का दौरा

652. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मौजूदा मंत्रि-मंडल में सम्मिलित मंत्रियों, राज्य मंत्रियों व उप मंत्रियों ने अब तक कौन कौन से जिले का कितने कितने दिन का दौरा किया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या दिनांक 15, 19 व 17 जनवरी, 1969 को राज्य कार्य हेतु जोधपुर या जोधपुर जिले में कोई मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री गये हैं ? यदि हां, तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(स्थगित किया गया)

मंत्रियों को मोटर गाड़ियां खरीदने के लिए दी गई राशि

653. **श्री जुझारसिंह** (रामगंजमंडी)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में मंत्रियों के वेतन, भत्ता, मकान किराया, टेलीफोन, पेट्रोल व दूसरी सुविधाओं पर कितना खर्चा पिछले साल में किया गया है ?

(2) पिछले साल में अलग अलग मंत्रियों पर किये गये खर्चे की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) मंत्री बनने के बाद से किन किन मंत्रियों को मोटर गाड़ियां खरीदने हेतु कितनी कितनी रकम खर्च के रूप में दी गई और उनमें से आज तक कितनी कितनी जमा करा दी गई है ?

(4) मंत्रियों पर होने वाले खर्चे को कम करने के लिये सरकार क्या विचार रखती है।

उत्तर

(1-2) वांछित सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(परिशिष्ट 1 व 2)

(3) वांछित सूची सदन की मेज पर रखदी है।

(परिशिष्ट 3)

(4) मंत्रियों पर होने वाले खर्चे को कम करने की दृष्टि से उनको दी जाने वाली सुविधाओं पर समय समय पर प्रतिबन्ध लगाए गए हैं, जैसे बिजली, पानी तथा पैट्रोल आदि के खर्चे पर।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

मंत्रियों द्वारा किये गये दौरे और उसका भत्ता

654. **श्री किशन सिंह** (मकराना):—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

एक सितम्बर, '68 से लेकर अब तक किस किस मंत्री ने किस किस जगह का कितना कितना दौरा किया है और इस दौरे के लिये उनको किस किस माह में कितना कितना भत्ता मिला है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

जैन मंदिर में चोरियों के मामले

655. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पिछले दो वर्षों (31 मार्च, 1969 तक समाप्त होने वाले) में जैसलमेर एवं रणकपुर के जैन मन्दिरों (प्रसिद्ध तीर्थ) दोनों में कितने कितने मूल्य की क्या क्या सामान की चोरियां हुई ? ये चोरियां कब कब हुई और इनके संबंध में आज तक क्या क्या कार्यवाही हुई एवं कार्यवाही का क्या क्या फल निकला ?

उत्तर

इस अवधि में जैसलमेर व रणकपुर के मन्दिरों में कोई चोरी की घटना रिपोर्ट नहीं हुई है ?

Page No 36

सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध गबन की जांच

656. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री मदनलाल सरपंच व श्री रामप्रसाद सचिव ग्राम पंचायत सांगानेर जिला भीलवाड़ा के खिलाफ पंचायत की रकम गबन करने की शिकायत दिनांक 1-8-61 को श्री केशरीमल अग्रवाल सांगानेर ने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग भीलवाड़ा को की ?

(2) क्या यह सही है कि इस गबन की जांच एस. डी. एम. भीलवाड़ा ने 1962 में की और गबन को सही पाया ?

(3) क्या यह सही है कि यह फाइल एस. डी. एम. भीलवाड़ा द्वारा जिलाधीश भीलवाड़ा को भेज दी गई परन्तु वहां से फाइल गुम हो गई ?

(4) क्या यह सही है कि डाइरेक्टर आफ पब्लिक ग्रीवेन्सेज के हस्तक्षेप से इस मामले की पुनः जांच श्री गणेश शंकर द्विवेदी उप- जिला विकास अधिकारी भीलवाड़ा द्वारा 1965 में की गई और उन्होंने मामला सही पाया इसलिये प्रोसीक्यूशन करने के लिये पुलिस को सौंप दिया ?

(5) क्या यह सही है कि पुलिस ने उक्त व्यक्तियों के खिलाफ दफा 409 ताजिरात हिन्द में मुकदमा नं. 8 सन् 19 5 में की गई और उन्होंने मामला सही पाया इसलिये प्रोसीक्यूशन करने के लिये पुलिस को सौंप दिया ?

(6) क्या यह सही है कि पुलिस ने 13-1-68 को जिलाधीश भीलवाड़ा से सरपंच को गिरफ्तार करने की इजाजत मांगी तो जिलाधीश भीलवाड़ा ने दुबारा जांच करने के आदेश दिये।

(7) क्या यह सही है कि जिलाधीश भीलवाड़ा को मंत्रि-मंडल के एक सदस्य का इस विषय में एक पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उक्त पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित किया गया)

क्रय-विक्रय सहकारी समिति कांकरोली में गबन का मामला

957. श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (गोगुन्दा-सु.) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कांकरोली क्रय-विक्रय सहकारी समिति में गबन हुआ व फर्जी रेकार्ड व फर्जी रसीदें बनाई गई ?

(2) क्या यह सही है कि भूतपूर्व अध्यक्ष ने फर्जी रेकार्ड बनाने, फर्जी रसीदें बनाने, गबन करने की कार्यवाही हेतु नवम्बर 1968 में भूतपूर्व मैनेजर श्री चतरलाल श्री गणेशलाल मास्टर पर मुकदमा दर्ज कराया था ?

(3) क्या यह सही है कि नवम्बर, 68 में मुकदमा दर्ज करने पर भी पुलिस ने अभी तक जांच नहीं की ? यदि हां, तो जांच, चालान कार्यवाही आदि नहीं करने का क्या कारण है ?

(श्री देवेन्द्रकुमार मीणा)

(4) क्या यह सही है कि श्री चतरलाल, श्री गणेशलाल मा. लालबहादुर शास्त्री स्कूल, कांकरोली भ्रष्टाचार अव्यवहारिक माउण्ट आबू से सरकारी नौकरी से निकाला गया है ? कृपया स्पष्ट बताया जावे ।

(5) क्या यह भी सही है कि श्री गणेशलाल मास्टर पर लड़की भगाने का भी मुकदमा चला था एवं वह लड़की भगा कर श्री अमृतलाल यादव के घर पर लाई गई थी ?

(6) क्या यह सही है कि इस लड़की को भगा कर लाने का केस भी चालान नहीं किया गया है ?

(स्थगित किया गया)

बीकानेर जिले में हत्या और आत्महत्या के मामले

658. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

गत चार माह में बीकानेर जिले में कुल कितनी हत्यायें या आत्महत्यायें हुई और इनमें से पुलिस ने किस किस सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

गत चार माह में जिला बीकानेर में दो हत्यायें व चार आत्महत्यायें हुई ।

हत्या के दो मुकदमात नं: 10 धारा 302, 307, 149 ता. हि. दिनांक 19-4-69 थाना देशनोक व नं: 7 धारा 302, 307 ता. हि. दिनांक 19-4-69 थाना पुगले का चालान पेश अदालत हो चुका है जहां जेर तजवीज है ।

चारों आत्महत्याओं की जांच धारा 174 जा. फौ. पुलिस द्वारा हुई जो जांच पर आत्महत्यायें सिद्ध हुई हैं ।

थानों में रिपोर्ट दर्ज कराने की अव्यवस्था

659. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थानों में एफ. आई. आर. जानबूझ कर दर्ज नहीं करते हैं ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो कस्बा नोहर में ता. 12-7-69 की रात को सुमेरमल सुनार के घर में एक बदमाश घुस गया उसकी एफ. आई. आर. कितने नम्बर पर दर्ज की गई ? प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि जब थाने में कोई रपट दर्ज कराने के लिये जाता है तो उससे कागज पर लिख कर प्रार्थना-पत्र ले लिया जाता है और बाद में उस प्रार्थना-पत्र को फाड़ कर फैंक दिया जाता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

(3) क्या सरकार इस अव्यवस्था को कड़ाई से दूर करने पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं । यह असत्य है कि थानों में एफ. आई. आर. जानबूझ कर दर्ज नहीं करते हैं । दिनांक 12-7-69 की रात्रि में जो घटना घटी इस बारे में अभियोग सं. 58 दिनांक 13-7-69 धारा 451/294 ता. हि. में आरक्षी केन्द्र नोहर में पंजीबद्ध हुआ है । प्रथम सूचना की प्रतिलिपि अधीक्षक आरक्षी मण्डल, गंगानगर से प्राप्त होने पर प्रस्तुत की जायेगी ।

(गृह मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(4) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

सुजानगढ़ का निलम्बित थानेदार

660. श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मोती खां, भूतपूर्व थानेदार सुजानगढ़ को सस्पेण्ड क्यों, कब और किसके द्वारा किया गया ? इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही चालू है ?

(2) क्या इससे पहले भी इसी थानेदार को कभी सस्पेण्ड किया गया था ? अगर हां, तो किस अपराध में ?

उत्तर

(1) श्री मोतीखां, को राज्य सरकार ने निदेशानुसार डी. आई. जी. रेंज द्वारा दिनांक 3-12-68 को निलम्बित किया गया था। इनके खिलाफ श्री बिरदीचन्द बागरेचा व उसके परिवार के सदस्यों को गैर कानूनी तौर पर हथकड़ी लगा कर दिनांक 7-1-68 को बाजार में घुमाने के आरोप थे।

(2) जी हां, सन् 1969 में मुसम्मात उम्मेद कंवर जोजे कान्स्टेबल बहादुरसिंह को अनधिकृत तरीके से रोकने व उसके साथ बलात्कार करने आदि के आरोप थे।

ये सन् 19_2 में भी बीकानेर कोटगेट थाने पर तैनाती के वक्त एक श्री शंकरलाल मोदी की पुलिस हिरासत में मृत्यु के सम्बन्ध में निलम्बित किये गये।

ग्राम प्राहेन्ड़ा के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा दर्ज मामला

661. श्री देवीलाल बुरसि ा (केकड़ी सु.) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष ग्राम प्राहेन्ड़ा के अनुसूचित जाति वालों ने फसल मेलने की रिपोर्ट केकड़ी पुलिस थाने में की थी यदि हां, तो कितने व्यक्तियों के खिलाफ की थी ? व किन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और किन किन को गिरफ्तार नहीं किया गया ? और क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि अभी तक इस मुकदमें को कोर्ट में दायर नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया वे फसल को चुराने में शामिल नहीं थे ?

(4) अब इस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि गत वर्ष तारीख 1-9-68 को गंगाराम, लिखमाराम और धन्ना रेगरान निवासी प्राहेन्ड़ा अनसूचित जाति वालों ने फसल मेलने बाबत रिपोर्ट सुखदेव, ऊदा, रामधन, रतना, गंगाराम, काना, जगन्नाथ, नारायन, हंगामा, लादू, बालू, नारायण अकर हरदेव के खिलाफ की थी। इन सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार

(गृह मंत्री)
किया जाकर जमानत मुचलकों पर आजाद किया गया है।

(2) जी हां। यह सही है कि अभी तक मुकदमा कोर्ट में नहीं भिजवाया गया है। अभियोग दर्ज होने के बाद इस मुकदमे की तफतीश एस. एच. ओ. व सी. ओ., केकड़ी करते रहे व तदन्तर उनके विरुद्ध पक्षपातपूर्ण कार्यवाही करने की शिकायत होने पर इस अभियोग को अनुसंधान हेतु राज्य अपराध शाखा में लिया गया है और अब इस अभियोग में यह राज्य अपराध शाखा में अनुसंधान चालू है।

(3) इस प्रश्न पर तफतीश पूर्ण होने के पूर्व कुछ नहीं कहा जा सकता।

(4) रिपोर्ट पर अभियोग सं. 63।68 धारा 147।148।440 ता,. हि. तारीख 1-9-68 थाना केकड़ी पर कायम हुआ था जिसका अनुसंधान अब राज्य अपराध शाखा द्वारा चालू है। शीघ्र ही नतीजा तफतीश दिया जावेगा।

उप निरीक्षकों के लिये निर्धारित योग्यता

662. श्री देवीलाल बुराड़िया (केकड़ी-सु.): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पुलिस विभाग में वर्ष 1969 में उप निरीक्षकों के चयन के लिये योग्यता प्रथम विज्ञापन में बी. ए. घोषित की गई थी ?

(2) क्या उक्त विज्ञापन के पश्चात् संशोधन द्वारा योग्यता हायर सेकेण्डरी की गई ? यदि हां, तो इसका क्या कारण था ?

(3) परीक्षा हुई उसमें कितने ग्रेज्युएट पोस्ट ग्रेज्युएट तथा हायर सेकेण्डरी सम्मिलित हुए और उनमें से किस किस योग्यता वाले किस किस व्यक्ति का चयन हुआ ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त विज्ञापन के पश्चात् संशोधन द्वारा योग्यता हायर सैकेण्डरी घोषित की गई, क्योंकि राज्य सरकार ने उस समय तक राणावत वेतन आयोग द्वारा योग्यता बाबत की गई सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया था और न सबोर्डिनेट सर्विस रूल्स में ही संशोधन हुआ था।

(3) उप निरीक्षकों की लिखित परीक्षा में कुल 1847 परीक्षार्थी बैठे जिनमें से 638 ग्रेजुएट, 62 पोस्ट ग्रेजुएट तथा 1947 हायर सैकेण्डरी योग्यता रखने वाले सम्मिलित हुए। चयन किये गये व्यक्तियों की सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

रामपुरा की फार्मिंग सोसाइटी

663. श्री बृजवल्लभ (दीगोद): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या रामपुरा में फार्मिंग सोसाइटी बनाई गई है ?

(2) इस सोसायटी को उम्मेदगंज के तथा रामपुरा के समीप की कितनी बीघा जमीन अलाट की गई है ?

(श्री ब्रजवल्लभ)

(3) इस सोसायटी में कितने मेम्बर किस किस ग्राम के हैं ? मेम्बरों का नाम वल्दियत तथा सकूनत क्या है ?

(4) क्या इस सोसायटी में कई कुटुम्ब के एक से अधिक तथा नाबालिग सदस्य भी हैं ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) सूचनाएं प्राप्त की जा रही हैं।

(2) सूचनाएं प्राप्त की जा रही हैं।

(3) सूचनाएं प्राप्त की जा रही हैं।

(4) सूचनाएं प्राप्त की जा रही हैं।

सामूहिक कृषि सहकारी समिति लिमिटेड, राजसमन्द

664. श्री खेमराज कटारा (गोगुन्दा-सु.):—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत नगर सामूहिक कृषि सहकारी समिति लि., राजसमन्द (उदयपुर) का पंजीकरण कब हुआ ? इसकी कितनी हिस्सा पूंजी जमा हुई व कब ?

(2) इस समिति द्वारा कितने बीघा ज़मीन कहां कहां खरीदी गई ? उसके नम्बर क्या हैं ? इस भूमि का क्या उपयोग किया गया व वर्तमान में इस पर कौन काबिज हैं ?

(3) इस समिति को कब लिक्विडेट करने की कार्यवाही विभाग द्वारा प्रारम्भ की गई तथा इसके क्या कारण हैं ? लिक्विडटर की नियुक्ति किस तिथि को हुई ?

(4) क्या यह सत्य है कि समिति के अध्यक्ष, मंत्री व कोषाध्यक्ष ने जमीन के कागजात, रेकार्ड व रकम अभी तक जमा नहीं कराये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो कब जमा कराये ?

(5) समिति के ऐसे कितने सदस्य हैं जिन्होंने हिस्सा पूंजी नहीं लौटाई है ? सदस्यों के विरुद्ध रकम वसूली, रेकार्ड आदि के सम्बन्ध में क्या कोई केस रजिस्टर किया गया है ? यदि हां, तो कब और नहीं तो क्यों ?

(सरकार से सूचना प्राप्त नहीं हुई)

भू-संरक्षण कार्य

665. श्री केशरीसिंह हाडा (हिण्डोली):—क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के कितने जिलों में भू-संरक्षण कार्य चल रहे हैं ? यह कार्य कब से शुरू हुआ और अब तक जिलेवार कितना व्यय हो चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त राशि में से कितनी राशि अनुदान में दी गई और कितनी राशि कर्ज के रूप में दी गई है ? जिलेवार बतावें।

(3) क्या हर जिले में भू-संरक्षण कार्य सलाहकार समितियों का गठन किया गया है ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या कहीं काश्तकारों की रुचि न होने पर भी उनके खेतों पर भू-संरक्षण का कार्य कराया गया ? यदि हां, तो यह कहां कहां पर करवाया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(केशरी सिंह हाडा)

(5) क्या यह सत्य है कि ग्राम पीपल्या तहसील नैंवल के काश्तकारों के खेतों में भू-संरक्षण का उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य कराया गया ?

(6) क्या यह सत्य नहीं है कि जो कार्य कराया गया उससे लाभ न होकर काश्तकारों को बड़ी हानि हुई है और समतल खेतों में खाल गलत योजना के कारण बना दिये ?

(7) क्या काश्तकारों ने जिलाधीश बंदी, मंत्री महोदय को भी आवेदन-पत्र लिखा पर कोई परिणाम नहीं निकला ? क्या खेत बिगाड़ कर सरकार कुरकी द्वारा जबरन वसूल कर रही है ?

(स्थगित किया गया)

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत खोदे गये ट्यूब वैल्स

666. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): क्या कृषि (भूतल जल बोर्ड) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1968-69 एवं 69-70 में राजस्थान सरकार द्वारा अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में कितने ट्यूब वैल्स खोदे गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त ट्यूब वैल्स में कितने सफल हुए एवं कितने कमीशन किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उनमें से कितने ट्यूब वैल्स उपयोग में लाये जा रहे हैं और कितने उपयोग में नहीं लाये जा रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) उक्त ट्यूब वैल्स को उपयोग में नहीं लिये जाने के क्या कारण हैं ? उसका भी पूरा ब्यौरा दें।

(5) उक्त ट्यूब वैल्स कब तक उपयोग में लाये जायेंगे ?

उत्तर

(1) सन् 1968-69 में इस अकाल राहत कार्य-क्रम के अन्तर्गत 72 नलकूप बनाये (61 नलकूप राजस्थान भूजल मण्डल द्वारा, 9 नलकूप जी. एस. आई. द्वारा तथा 2 नलकूप ई. टी. ओ. द्वारा) तथा 1969-70 में अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत 25 नलकूप और बनाए जा रहे हैं। जिन्हें क्रमशः सूची संख्या 1 व 2 में दर्शाया गया है।

(2) उक्त नलकूपों में से 46 नलकूप सफल हुए (43 नलकूप राजस्थान भूजल मण्डल द्वारा, 2 नलकूप जी. एस. आई. द्वारा तथा 1 नलकूप ई. टी. ओ. द्वारा निर्मित) जिन्हें संलग्न सूची में दर्शाया गया है। तथा 41 नलकूप कमीशन कर दिये गये हैं तथा शेष 5 नलकूपों को कमीशन किया जा रहा है।

(3) उक्त कमीशन किये गये सभी नलकूप उपयोग में लाये जा रहे हैं।

(4) जो 5 नलकूप एनरजाइज नहीं किये गये उनका कारण संलग्न सूची में दर्शाया गया है।

(5) इन नलकूपों के एनरजाइज होते ही कमीशन कर दिया जायेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No 42

कृषि फार्म कवाई

667. **श्री मेमं सिंघवी (छबड़ा)**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तह. अटरू में कवाई नाम का राजकीय एग्रीकल्चर फार्म 2 साल से गया स्थापित हो रहा है ?

(2) उक्त फार्म से इन दो सालों में कितनी कितनी पैदावार किस किस चीजों से कितनी कीमत की हुई ?

(3) इस फार्म पर अब तक कितना खर्चा हो चुका है तथा कितना स्टाफ कौन कौन से रेंक का यहां तैनात है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) सूची संलग्न है ।

(3) इस फार्म पर गत तीन वर्षों से दिनांक 31-7-69 तक कुल 1,76,794.67 रु. की धनराशि खर्च की गई है । स्टाफ जो तैनात है उसकी सूची संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिए) ।

भूमि का अस्थाई आवंटन

668. **श्री बीरबल (संगरिया-सु.)**: क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

गत वर्ष राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि का अस्थायी आवंटन अथवा नीलाम किन नियमों और आधारों पर किया गया? निम्नतम तथा अधिकतम दरें क्या रहीं और इससे सरकार को कितनी आय हुई ?

उत्तर

गत वर्ष राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि का अस्थाई आवंटन राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टे) शर्तें 1955 के आधार पर किया गया था । अधिकतम दर प्रति बीघा 120) रुपया रही और निम्नतम दर 0.65 पैसा रही । गत वर्ष अस्थाई आवंटन से सरकार को कुल 8,90,711 रु. की आय हुई है ।

राजस्थान नहर क्षेत्र में सिंचित भूमि

969. **श्री बीरबल (संगरिया-सु.)**: क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान नहर क्षेत्र में अब तक कितनी भूमि सिंचित हो चुकी है ?

(स्थगित किया गया)

मीटर बक्स का निर्माण कार्य

70. **श्री देवीदत्त गाडिया (बारां)**: क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जलदाय विभाग कार्यालय जयपुर में पानी के मीटर बक्स निर्माण कार्य चल रहा है ?

(2) यदि हां, तो कितने समय से प्रति वर्ष कितने मीटर बक्स बनाए गए और किस स्थान पर किस अधिकारी की देखरेख में बनाए जा रहे हैं और एक मीटर बक्स पर कुल कितना खर्चा आता है ?

(3) मीटर बाक्स बनाए जाने वाली वर्कशाप में कुल कितने कर्मचारी किस किस रैंक में कार्य कर रहे हैं ?

(वेदव्रत गाडिया)

(4) इस कार्य के लिए अब तक प्रति-वर्ष कितने रुपयों के लागत से क्या क्या सामान की खरीद की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(5) सामान की खरीद के लिए क्या सरकार ने न्यूनतम टेण्डर का आधार माना है ? यदि हां, तो आमन्त्रित किए गए टेण्डर्स की तुलनात्मक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) मीटर बक्से पिछले वर्ष जून 1968 से बनने शुरू हुए थे । पिछले वर्ष 68-69 में 11,102 मीटर बक्से बनाये गये थे । बक्से सहायक अभियन्ता, कर्मशाला उप खण्ड की देखरेख में बनते हैं । एक मीटर बक्से पर लागत लगभग 25) रु. आती है ।

(3) कर्मशाला में कुल 178 कर्मचारी कार्य करते हैं परन्तु मीटर बाक्स बनाने म केवल 32 कर्मचारी प्रयुक्त किये गये हैं ।

(4) चूंकि कर्मशाला में मीटर बक्सों के अतिरिक्त डिटेचेबल ज्वाइन्ट्स स्पेशल्स मग टाइप चेम्बर व अन्य वस्तुएं भी बनती हैं अतः केवल मीटर बक्सों के लिये की गई खरीद की लागत बताना असम्भव है । जो जो सामान मीटर बक्सों के बनाने के काम में आता है उसकी सूची संलग्न है ।

(5) सामान की खरीद के लिये सामान की गुण, श्रेण व उपयोगिता को ध्यान में रखते हुये ? न्यूनतम निविदाएं ही आधार मानी गई हैं ? आमन्त्रित की गई निविदाओं की तुलनात्मक प्रतिलिपियां साथ में संलग्न हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चित्तौड़गढ़ जिले की जल प्रदाय योजना

671. **श्री राम कुमार ल्खवाना** (चित्तौड़गढ़) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में इस समय शहरी जल प्रदाय योजना व ग्रामीण जल प्रदाय योजना कहां कहां चल रही है । कहां निर्माणाधीन है और कहां की योजना पेंडिंग है ?

(2) जो योजना निर्माणाधीन है वह कब तक पूरी होगी ? अब तक पूर्ण न होने का कारण क्या है ?

(3) क्या यह सही है कि विजयपुर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग योजना का सर्वे किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? कब तक इस योजना को हाथ में लिए जाने का विचार है ?

(4) क्या इन दोनों योजनाओं के लिये मुख्य मंत्रीजी ने विभाग को कोई निर्देश दिये हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में शहर जल प्रदाय योजना व ग्रामीण जल-प्रदाय योजनाओं

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

की स्थिति निम्न प्रकार है:—

शहरीय:—

निर्माणाधीन है विचाराधीन

(1) चित्तौड़गढ़ बड़ी सादडी कोई नहीं
(2) छोटी सादड़ी
(3) प्रतापगढ़
(4) निम्बाहेड़ा
(5) कपासन

ग्रामीण:—

(1) भैंसरोड गढ
(2) बस्सी कोई नहीं
(3) बेंगू
(4) मारसोढा
(5) सावा
(6) गोसुन्दा
(7) कनेरा ।

(2) शहरी जल प्रदाय योजनाओं में, बड़ी सादड़ी की योजना धनराशि व सामग्री की उपलब्धि पर अब दो वर्ष की अवधि में पूर्ण की जा सकेगी, ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं में बस्सी, मारसोड़ा, इस वित्तीय वर्ष के अन्त में पूर्ण की जा सकेगी। बाकी की योजनायें वित्त व्यवस्था व धनराशि की उपलब्धि पर अब से दो साल की अवधि में पूर्ण की जाने की सम्भावना है। साधारणतया एक योजना को वित व सामग्री की उपलब्धि पर 3 वर्ष की अवधि लग जाती है।

(3) विजयपुर की आबादी 2,000 से कम केवल 127 होने के कारण इसकी योजनायें नहीं बनाई जा सकती। ऐसे ग्रामों में विकास विभाग द्वारा जरूरत के अनुसार नये कुओं का निर्माण कराया जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जल-प्रदाय योजना के लिये सर्वे कार्य माह मई 69 में किया गया था। योजना बनाई जा रही है। योजना की स्वीकृति के बाद ही कार्य हाथ में लिया जा सकेगा।

(4) जी हां, जैसे कि प्रश्न के भाग 3 में स्पष्ट किया जा चुका है मुख्य मंत्रीजी को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है।

कैथून में पानी के मीटर का किराया

672. **श्री बृजवल्लभ बोहरा** (दीगोद) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कैथून तहसील लाडपुर में पानी के लिये नल लगे हुए हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि मकान मालिकों ने अपने पैसे से मीटर लगा रखे हैं जिसका किराया भी सरकार 10 आने माहवार वसूल करती है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, मकान मालिकों ने अपने पैसों से मीटर लगा रखे हैं। जिसका किराया सरकार 10 आना माहवार वसूल करती है। ऐसा राज्य सरकार के आदेश संख्या प. 112 (जन. स्वा.) 98।चिकित्सा, दिनांक अप्रेल, 69 प्रतिलिपि संलग्न है के अनुसार लिया जा रहा है ?

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

भारत सरकार से शहरों में पानी की व्यवस्था हेतु पंचवर्षीय योजनाओं में प्राप्त राशि

673. श्री **केशरीसिंह** [illegible] (हिन्डोली) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भारत सरकार से राजस्थान सरकार को शहरी इलाक़ों के लिये पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं के कार्य-काल में कितनी धनराशि पीने के पानी की योजनाओं के लिये प्राप्त हुई थी ?

(2) पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में राजस्थान सरकार ने शहरी इलाक़ों में कितनी योजनाएं हाथ में लीं और कहां कहां थीं ?

(3) जो योजनायें सरकार ने शुरू की उन पर अलग अलग कितनी धनराशि व्यय की गई ? किस किस स्थान की योजनायें पूरी हुई और कहां कहां की अभी अधूरी पड़ी हैं और क्यों ?

(4) इन योजनाओं के लिये भारत सरकार से कितनी रक़म सहायता के रूप में मिली ?

(स्थगित किया गया)

क़स्बा नोहर में पानी की व्यवस्था

674. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि क़स्बा नोहर वाटर वर्क्स का पानी खारा हो गया है ? यदि हां, तो इस क़स्बा की जनता पानी कहां से पी रही है ?

(2) क्या यह सही है कि क़स्बा नोहर को नहर से पानी देने के लिये नवम्बर, 1968 में मुख्य मन्त्री द्वारा नोहर के दौरे पर 80 हज़ार रुपया देने का वचन दिया था ? यदि नहीं, तो रक़म आज तक खर्च नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह सही है कि नहर से पानी लाने के लिये खाला तैयार करवाने का एक मरतबा काम शुरू करके बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार इस ओर विशेष ध्यान देगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

ई. ओ. नगरपालिका मेड़ता के चुनाव

675. श्री **गोरधन सोनी** (मेड़ता) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री **विष्णुदत्त** ई. ओ., मेड़ता का ट्रान्सफ़र बीदासर हो चुका है ?

(2) क्या यह सही है कि उन्होंने बीदासर नगरपालिका का चार्ज प्रशासक की हैसियत से ले लिया है ? चार्ज लेने की तारीख बताने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि उन्होंने अब तक नगरपालिका मेड़ता का चार्ज नहीं दिया है ?

(4) क्या यह सही है कि ई. ओ., मेड़ता के पास अपनी निजी कार 4 महीने से नहीं है ?

Page No 46

(गोरधन सोनी)

(5) क्या यह सही है कि बिना कार के भी उन्होंने कार का एलाउन्स नगरपालिका का उठाया है? कितने महीने व किन महीनों का कितना कितना उठाया बताने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। दिनांक 21-9-69 को।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं। दिनांक 6-12-68 से 50) रु. प्रति माह उपखण्ड अधिकारी मेड़ता की स्वीकृति अनुसार प्राप्त किया है।

नगरपालिका लाडनूं द्वारा आडिट ऐतराजों की पूर्ति नहीं की गई है

676. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है की नगरपालिका लाडनूं द्वारा आडिट रिपोर्ट में किये गये ऐतराजों की पूर्ति नहीं की गई है? यदि हां, तो कौन कौन सी आडिट रिपोर्ट के कौन कौन से ऐतराज हैं जिनकी पूर्ति अभी तक नहीं की गई है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गई?

(3) इसमें दोषी व्यक्तियों के खिलाफ़ कार्यवाही करने में सरकार द्वारा ढिलाई क्यों बरती जाती है?

(स्थगित किया गया)

नगर परिषद् बीकानेर के चुनाव

677. **श्री चुन्नीलाल इंदलिया** (नोखा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बीकानेर नगर परिषद् में कितने अर्से से प्रशासक है? वहां चुनाव कितने वर्षों से नहीं हुआ? चुनाव नहीं कराने के क्या कारण हैं? अब चुनाव कब तक करा दिये जावेंगे?

उत्तर

दिनांक 24-1-67 से चुनाव प्रशासक की नियुक्ति की तिथि से अब तक नहीं हुए हैं। चुनाव कराने सम्बन्धी कार्य चुनाव विभाग से सम्बन्ध रखता है।

यू.आई.टी. जयपुर द्वारा अवाप्त धर्मशाला

678. **श्री देवेन्द्र कुमार मीणा** (गोगुन्दा-सु.) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि फ़तेहसिंहजी की धर्मशाला स्टेशन रोड जयपुर को यू. आई. टी. ने एक्वायर की है? यदि हां, तो वहां के बाशिन्दों को जो 20 वर्षों से उसमें रहते हैं उनके आवास का प्रबन्ध किसी अन्य जगह क्या राज्य सरकार ने किया है?

(2) क्या यह भी सही है कि धर्मशाला के मालिकों को मुआवज़ा अदा किया है? ये कितने व्यक्ति हैं व प्रत्येक को कितना कितना पैसा दिया है? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री देवेन्द्रकुमार मीणा)

(3) इस धर्मशाला की हद हदूद में कितने परिवार रहते थे? उनकी सूची भी सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह भी सही है कि इस धर्मशाला के मालिकों को वहीं पर प्लाट एलाट किये गये हैं? यदि हां, तो किस किस को, कितनी कितनी जमीन व कितने कितने रुपयों में दी गई?

(5) इस धर्मशाला की जमीन जो नगर विकास न्यास, जयपुर ने एक्वायर की हैं उसकी मार्कट वेल्यू इस समय क्या है?

(6) क्या यह सही है कि इस भूमि का नगर विकास न्यास के पास साइड प्लान बना हुआ है? यदि हां, तो वह प्लान क्या है? उसकी प्रति नक्शे सहित सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

रतनगढ़ शहर की सड़कों के निर्माण पर व्यय

679. श्री लाभचन्द [illegible] (सुजानगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रतनगढ़ शहर की सड़क कब बनाई गई थी? और इसके निर्माण में कितनी धनराशि किस मद से खर्च की गई थी?

(2) इस सड़क के निर्माण के लिये क्या कुछ धनराशि किसी दानी सज्जन के द्वारा दान में दी गई थी? यदि हां, तो उनका नाम बतलाया जावे।

(3) क्या विभाग के और दानी सज्जन के बीच इस सम्बन्ध में कोई एग्रीमेन्ट हुआ था? यदि हां, तो एग्रीमेन्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जाये।

(4) इस सड़क की मैन्टीनेन्स पर अब तक सरकार ने कितना कितना खर्च कब कब किया है? वार्षिक वर्ष का व्यौरा बतलाया जाये।

उत्तर

(1) वर्ष 1946 से पूर्व बनी थी। इसके निर्माण में कितनी धनराशि किस मद से खर्च की गई यह जानकारी नगरपालिका को नहीं है।

(2) नगरपालिका की कोई धनराशि दान में नहीं दी गई थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह सड़क मैसर्स सूरजमल नागरमल जालान ने बनाई थी।

(3) नगरपालिका एवं मैसर्स सूरजमल नागरमल के मध्य कोई एग्रीमेन्ट नहीं हुआ था। मैसर्स सूरजमल नागरमल व तत्कालीन बीकानेर राज्य के सार्वजनिक निर्माण के मध्य एग्रीमेन्ट से सम्बन्धित पत्र सं. 6740। पी. डब्ल्यू., दि. 7/8 नवम्बर, 1946 की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जानकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ही दी जानी सम्भव है।

नगरपालिका को जानकारी के अनुसार कुछ समय पूर्व सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से की गई मामूली मरम्मत के सिवाय सड़क की कोई नियमित व सुचारु मरम्मत नहीं कराई गई।

(श्री स्वायत्त शासन मंत्री)

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

नगरपालिका सुजानगढ़ के प्रशासक

680. श्री लाभ चन्द बैंद (सुजानगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगरपालिका सुजानगढ़ में सन् 65-66 व 66-67 में कौन कौन व्यक्ति प्रशासक के पद पर नियुक्त थे ?

(2) क्या इस अर्से में लेखे की कोई आडिट हुई है ? यदि हां, तो आडिट रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज़ पर रखी जावे।

(3) क्या यह सही है कि इन वर्षों के हिसाब की आडिट रिपोर्ट में उक्त प्रशासक के खिलाफ़ आरोप हैं ? यदि हां, तो अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

1. दि. 30-4-64 से दि. 2-9-65 तक श्री जगमोहन लाल अग्रवाल एवं 3-9-65 से 21-6-66 तक श्री देवीसिंह तहसीलदार सुजानगढ़ ने प्रशासक का कार्य किया।

2. जी हां। आडिट रिपोर्ट बड़ी है। प्रतियां सदन की मेज़ पर रखने में समय व्यय होगा।

3. जी हां। कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अनिवार्य शिक्षा एक्ट के अधीन स्कूल

681. श्री लाभचन्द बैंद (सुजानगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान प्राथमिक शिक्षा एक्ट 1964 लागू हो जाने तथा अनिवार्य शिक्षा एक्ट 1929 तथा उसके तहत बने नियमों के निरस्त हो जाने से बीकानेर विभाग की अनिवार्य शिक्षा स्कूलों की क्या कानूनी स्थिति है ?

(2) क्या पंचायत समिति के शिक्षकों की तरह से नगरपालिका शालाओं में काम करने वाले अध्यापकों को भी चूरू जिले की युक्त वरिष्ठता सूची सम्मिलित किया गया है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि बीकानेर विभाग के ज़िला बोर्डों के अध्यापकों को पंचायत समिति एवं राजकीय शिक्षा विभाग में ले लिया गया है ? यदि हां, तो अनिवार्य शिक्षा शालाओं के अध्यापकों को क्यों नहीं लिया गया ?

(स्थगित किया गया)

नगरपालिका के द्वारा खाद का बेचान

682. श्री देवीलाल बुराड़िया (केकड़ी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि केकड़ी नगरपालिका द्वारा खाद बेचा जाता है ?

(2) अगर हां, तो क्या इसके कुछ नियम बने हुए हैं ? अगर हां, तो नियमों की प्रतिलिपि सदन में रखें।

Page No 49

(श्री देवीलाल बुरासिया)

(3) खाद किस दर से किस प्रकार बेचा जाता है?

(4) दिनांक 30-5-66 से दिनांक 30-6-69 तक कुल कितना खाद व कितनी रकम का व किस को बेचा गया? वार्षिक रिपोर्ट पूर्ण विवरण सहित सदन में रखें।

(5) क्या ट्रैक्टर द्वारा खाद सप्लाई करने की माइलेज पर दर तय की हुई है?

(6) सन् 1968-69 में 20-6-69 तक कितने ऐसे खाद मांगने के प्रार्थना-पत्र हैं जिन पर अधिशासी अधिकारी द्वारा लिखित रूप में माइलेज गलत होने का एतराज किया गया? ऑफिस रिपोर्ट एवं प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने की कृपा करें?

उत्तर

1. जी हां।

2. जी नहीं।

3 (क) बिना छना बिना मिला खाद पेटी 5.5 1 जो स्वयं खोल कर ले जायें। 1-00 प्रति पेटी।

(ख) बिना छना, निकाला हुआ खाद पेटी 1, 1-50 प्रति पेटी।

5' 5' 1'

(ग) छना हुआ खाद पेटी 5'-5' 1' 2-00 प्रति पेटी।

4. वार्षिक पूर्ण विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है?।

5. जी हां।

6. वर्ष 1968-69 व 1-4-69 से 20-6-69 तक अधिशासी अधिकारी का माइलेज के प्रति कोई एतराज नहीं है। अतः आई हुई प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचवीरों का चबूतरा मकराना

683. **श्री विजय सिंह (मकराना)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मकराना नगरपालिका क्षेत्र में गोडावास मोहल्ले में एक पंचवीरों का चबूतरा था जिसको तोड़ दिया गया जिसके लिये दिनांक 28 अगस्त, 1968 को प्रश्न संख्या 34 के जवाब में उसकी सम्पूर्ण जांच करने के लिये कहा गया था?

(2) क्या राज्य सरकार ने उप मन्त्री महोदय को इस की जांच करने के लिये कहा था जिसकी मुझे भी सूचना दी गई परन्तु उप मन्त्री महोदय मकराने के कुछ लोगों के प्रभाव में आकर जांच, निश्चित तिथि पर नहीं की।

(3) क्या इस प्रकार के चबूतरों को तोड़ना अपराध नहीं है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसकी जांच खुफिया पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा करवाकर दोषी व्यक्ति को कड़ा दण्ड दिलवायेंगे ताकि इस प्रकार की हरकतें न दोहराई जावें?

(स्वायत्त शासन मंत्री)

उत्तर

(1) पंचवीरों का चबूतरा था, परन्तु यह तोड़ा गया अथवा समय के साथ मरम्मत के अभाव में गिरते गिरते समाप्त हो गया इस बाबत निश्चयात्मक रूप से कोई राय नहीं दी जा सकती है। दिनांक 28-8-68 को प्रशासक से जानकारी करने के लिये कहा गया था कि इसको किसने डिस्मेन्टल किया है।

(2) जी नहीं। उप मन्त्री ने स्वयं की ओर से मौका देखने का कार्य क्रम निश्चित किया था, जिसकी सूचना संचालक स्थानीय निकाय द्वारा भेजी गई थी। वह आवश्यक कार्य की वजह से मौका नहीं देख सके।

(3) अपराध है।

स्थान का निरीक्षण सहायक संचालक द्वारा करवा लिया गया है। चबूतरा किसी असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ा गया है ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली। यदि चबूतरा तोड़ा जाता तो उसकी रिपोर्ट इसमें हित रखने वालों द्वारा पुलिस में अवश्य की जाती।

यह जनाकारी होने पर ही कि चबूतरा किसी व्यक्ति द्वारा तोड़ा गया है कोई कार्यवाही सम्भव हो सकती है।

नगर परिषद् जयपुर के कर्मचारियों का फिक्सेशन

684. **श्री लादूराम सुलानि.ा** (फागी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि नगर परिषद् जयपुर के चुंगी कर्मचारियों को 8 घन्टे से अधिक समय तक कार्य करने पर कोई अलाउन्स आदि दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) परिषद् के चुंगी कर्मचारियों पर राजस्थान सेवा नियम ही लागू हैं या फैक्ट्री नियम ?

(3) क्या नगर परिषद् जयपुर के सभी कर्मचारियों का फिक्सेशन 1-9-61 व 1-4-64 की वेतन शृंखलाओं में हो चुका है और उसी के अनुसार वेतन दिया जाता है ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि कर्मचारियों को पदोन्नतियां दी जाने के बाद उनका वेतन रोक दिया जाता है ? यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारियों का वेतन रोका गया है ? उन कर्मचारियों के नाम, पद, पदोन्नति तिथि व वेतन रोके जाने के कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) चुंगी नाकों पर कर्मचारियों की तीन शिफ्ट लगाई जाती हैं जिसके अनुसार किसी कर्मचारी से आठ घण्टे से अधिक कार्य लेने का प्रश्न नहीं उठता।

(2) परिषद् के कर्मचारियों पर राजस्थान म्यूनिसिपल सर्विस रूल्स, 1963 लागू हैं।

(3) नगर परिषद् कर्मचारियों के लिये 1-9-61 में कोई वेतन शृंखला निर्धारित नहीं की गई थी अतः फिक्सेशन का कोई प्रश्न नहीं है। दि. 1-4-64 से भी वेतन शृंखलायें निर्धारित की गई हैं उन वेतन शृंखलाओं के फिक्सेशन करने के मामले में

Page No 51

(स्वायत्त शासन मंत्री)
आडिट अंकेक्षण की आपत्ति होने पर कि फिक्सेशन करने के अधिकार राज्य सरकार को होंगे या परिषद् को, प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन होने के कारण फिक्सेशन नहीं किया जा सकता।

(4) पदोन्नति मण्डल की अनुमति के अभाव में पदोन्नतियां वैध नहीं मानी गई, अतः वेतन दिया जाना सम्भव नहीं है।

(1) श्री सुरेशचन्द्र एवं (2) श्री राधा-मोहन इन दोनों कर्मचारियों को क्रमशः 17-4-68 व 12-4-68 से सेवा नाकेदार के पद पर पदोन्नत किया गया था। वर्तमान में ये कर्मचारी अपने अपने नाकों पर ही पूर्वानुसार कार्य कर रहे हैं।

नगरपालिका केकड़ी के कर्मचारियों को सालाना तरक्की

685. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी सु.) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) म्युनिसिपल बोर्ड, केकड़ी, में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनको सालाना तरक्की नहीं दी जाती ?

(2) इनकी सालाना तरक्की नहीं देने का क्या कारण है और इनकी कब से तरक्की रोक रखी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 9 कर्मचारी हैं।

(2) विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

कलमोदिया हरनावदा सड़क

686. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि छीपा बड़ौद के हरनावदा शाहजी तहसील छीपा बड़ौद को जाने के लिये सार्थल कलमोदिया होती हुई पक्की सड़क जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि इस सड़क की कलमोदिया से हरनावदा तक बहुत ही खराब हालत है अगर हां, तो सरकार इस सड़क को कब तक ठीक कराने का इरादा रखती है ? अगर नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। उपलब्ध धन राशि अनुसार खराब टुकड़ों की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है।

कोटा शिवपुरी तथा बारां झालावाड़ मार्ग के बीच आने वाली नदियों पर पुल

687. श्री **देवीदत्त गाडिया** (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 61-62 या 62-63 में सरकार ने कोटा व झालावाड़ जिले के अन्तर्गत आने वाले राष्ट्रीय मार्ग कोटा से शिवपुरी सड़क एवं बारां से झालावाड़ सड़क के बीच आने वाली नदियों के पुलों को ऊंचा करने के निर्माण के आदेश हो गये थे ?

(श्री देवीदत्त गाडिया)

(2) यदि हां, तो कौन कौन से पुलों को कितने कितने रुपयों की लागत से बनाए जाने के आदेश हुए थे और फिर किन कारणों से निर्माण कार्य बन्द करा दिये गये ?

(3) क्या उन पुलों को अब ऊंचा करने का मामला सरकार के विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) विचाराधीन नहीं है।

सिटी पैलेस हाउस होल्ड के मकान

688. **श्री देवीदत्त गाडिया (बारां)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के एकीकरण के समय जयपुर रियासत के महाराजा ने सिटी पैलेस हाउस होल्ड के मकानों को सरकार के सुपुर्द कर दिया था ?

(2) यदि हां, तो वे कितने मकान थे और आज उनमें कौन कौन राज्य कर्मचारी रह रहे हैं और उनसे कितना कितना माहवारी किराया वसूल किया जा रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त मकानों में से कुछ मकानों का विक्रय भी कर दिया गया है ?

(4) यदि हां, तो किन नियमों के तहत कौन कौन से मकान किन व्यक्तियों को कितने रुपये में बेचा गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह सही है कि इन मकानों में कुछ गैर सरकारी व्यक्ति भी रह रहे हैं ? यदि हां, तो कौन कौन व्यक्ति किस किस समय से किस किस किराये पर व किन नियमों से रह रहे हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान के एकीकरण के समय जयपुर रियासत के महाराजा ने सिटी पैलेस हाउस होल्ड के जनानी ड्योढ़ी के मकानों को सरकार के सुपुर्द प्राइवेट प्रोपर्टी सैटिलमेन्ट के अनुसार किया था ? परन्तु उनमें रहने वाले व्यक्ति जब तक जिन्दा रहें उसी में रहते रहेंगे, और सरकार उनके जीवन के समय में इन मकानों को अन्यत्र कार्य में नहीं ले सकेगी। इस प्रकार के मकानों की सूची "क" संलग्न है।

(2) यह कुल 39 मकानात हैं और अब उनमें जो जो राज्य कर्मचारी रह रहे हैं वह जितना जितना माहवारी किराया वसूल किया जा रहा है उसकी सूची 'ख' संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) गैर सरकारी व्यक्ति जनानी ड्योढ़ी के पुराने रहने वाले हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No 53

कोडमुक दीगोद मार्ग की पुलिया की मरम्मत

689. **श्री कृष्ण वल्लभ बोहरा** (दीगोद): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोडमुक तहसील दीगोद के ग्राम से दीगोद जाने वाले रास्ते पर उतावली पर स्टेट टाइम से एक पुलिया भारी लागत की बनी हुई थी ?

(2) क्या यह सही है कि इस पुलिया की मरम्मत न होने से अब गिरने लग गई है ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत कराने का इस साल विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस विभाग की जानकारी नहीं है।

(2) सम्भव है।

(3) यह कुछ इस विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है।

बामनवास क्षेत्र की सड़कें

690. **श्री पृथ्वीराज पटेल** (बामनवास-सु.) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार को विदित है कि बामनवास कान्स्टीट्यूएन्सी एक पिछड़ा हुआ इलाका है ? वहां सड़कें बहुत कम हैं, यातायात के साधन नहीं हैं और जो सड़कें हैं उनकी दशा खराब है जैसे बामनवास से गढ़मोरा सागर तक वाया रिवाली, सुकार मांवरा, दुजी तथा अमावरा ?

(2) यदि हां, तो इस इलाके में सड़क निर्माण कब तक कराने का विचार है और अब तक सड़क निर्माण क्यों नहीं कराया गया ?

उत्तर

(1) जी हां। सड़कें कच्ची हैं बामनवास गढ़मोरा रोड इस विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है।

(2) वर्षाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता। उपलब्ध धन राशि अनुसार इस क्षेत्र में सड़कों पर खर्च किया गया है।

बामनवास—मोरा सागर सड़क की मरम्मत

691. **श्री पृथ्वीराज पटेल** (बामनवास-सु.) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1969-70 के बजट में जो सड़कें बामनवास कान्स्टीट्यूएन्सी जिला सवाई माधोपुर में निर्माण हेतु निश्चित की गई हैं, वे अब तक क्यों नहीं बनाई गई ? इस कार्य को कब तक कराये जाने का विचार है ?

(2) क्या यह सही है कि बामनवास से मोरा सागर तक जो सड़क की दशा खराब है ? यदि हां, तो उसको सुधार हेतु कब तक व्यवस्था की जावेगी ? अब तक यह सड़क क्यों नहीं सुधारी गई ?

उत्तर

(1) वर्ष 69-70 में मूल निर्माण मद में सड़क कार्य स्वीकृत नहीं है मरम्मत धन राशि से बामनवास लिंक रोड के 3 मी

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)
में डामर तथा पुलियों के निर्माण का काम किया है।

(2) जी हां—यह सड़क इस विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है।

ग्राम बस्सी से स्टेशन सड़क

692. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बस्सी ग्राम से बस्सी स्टेशन तक पक्की सड़क बनी हुई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सड़क से पूर्व यहां पर ग्राम के पानी को निकालने के लिये एक कच्चा नाला बना हुआ था ?

(3) क्या यह सही है कि सड़क बनाने के बाद ग्राम के इस पानी निकालने के लिये सड़क में कोई मोरी वगैरह नहीं बनाई गई है जिससे ग्राम का पानी सड़क के पास इकट्ठा होकर ग्राम के मकान व खेतों को नुकसान पहुंचाता है।

(4) इस पानी को निकालने के लिये मोरी सड़क में कब तक बनाई जा रही है ?

उत्तर

1. जी हां।

2. जी हां।

3. कच्चा नाला, जहां पर सड़क पर मिलता है उस जगह पर कोजवे (रांडडिप) बना हुआ है। जी नहीं।

4. प्रश्न नहीं उठता।

अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य

693. **श्री नत्थी सिंह** (भरतपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के जो इलाके इस साल अकालग्रस्त घोषित हुए थे उनमें अधिकांशतः सड़क निर्माण का कार्य हुआ है ? यदि हां, तो समस्त अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों में सड़क या विभिन्न कार्य कितना हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि भरतपुर जिला अकालग्रस्त क्षेत्र में नहीं था ?

(3) क्या सरकार का यह इरादा है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नियमित बजट का अधिकांश भाग ऐसे जिलों में सड़क निर्माण कराने पर खर्च किया जाय जहां अकाल के धन से सड़क नहीं बनी है ? यदि हां, तो भरतपुर जिले के सम्बन्ध में क्या योजना है ?

उत्तर

(1) अधिकांशतः सड़क निर्माण का ही काम हुआ है या नहीं यह सूचना इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है। विभिन्न जिलों में सड़क निर्माण का जो कार्य किया गया है उसकी तालिका संलग्न है। सड़क के कार्य के अतिरिक्त जो कार्य किया गया होगा उसकी सूचना या तो सम्बन्धित विभाग या सहायता विभाग ही दे सकता है।

(2) जहां तक इस विभाग का प्रश्न है, भरतपुर जिले में कोई अकाल राहत कार्य नहीं किये गये।

(3) ऐसी कोई योजना नहीं है ?

बाकलिया—बल्दू सड़क निर्माण कार्य

694. **श्री हरजी राम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग ने अकाल सहायता के अन्तर्गत इस वर्ष बाकलिया से बल्दू, तहसील लाडनूं, जिला नागौर में सड़क निर्माण का कार्य करवाया था ? यदि हां, तो कब से कब तक और कितने मजदूर लगे, कितने रुपये खर्च हुए और नाप के हिसाब से कुल कितना कार्य हुआ ?

(2) उक्त सड़क के कार्य का निरीक्षण कब कब विभागीय अधिकारियों ने किया ?

(3) विभाग द्वारा निर्धारित तखमीने के अनुसार कार्य हुआ या नहीं ? यदि कम हुआ तो कितना इसकी जिम्मेदारी किस अधिकारी की होगी ?

(4) अब तक इस वर्ष में यह सड़क कितनी लम्बी बन चुकी ?

(स्थगित किया गया)

भादरा झांसल सड़क की मरम्मत

695. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भादरा-झांसल सड़क की मरम्मत कब तक होने की आशा है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क की हालत बहुत खराब हो चुकी है ? यदि हां, तो इसकी मरम्मत क्यों नहीं की जाती ? यदि मरम्मत की हो, तो कुल कितने रुपये खर्च हुए ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

अनूपगढ़ विजयनगर—जैतसर सड़क की मरम्मत

696. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अनूपगढ़ से विजयनगर व जैतसर जाने वाली सड़क की मरम्मत नहीं की जा रही है ? यदि हां तो क्यों ? यदि नहीं, तो मरम्मत पर इस साल कुल कितने रुपये खर्च किये व कहां से कहां तक सड़क की मरम्मत की गई व कब की गई ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि इस रोड के ऊपर से घग्घर बाढ़ का पानी बहने से सड़क सालाना खराब हो जाती है ? यदि हां, तो इस सड़क के नीचे से घग्घर बाढ़ का पानी निकलने के लिये पुल क्यों नहीं बनवाये जाते ? क्या आइन्दा इस सड़क की हिफ़ाजत के लिये सड़क के नीचे पुल निर्माण करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं तो, क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। इस सड़क पर 0 से 6 मील तक सड़क के नवीनीकरण का कार्य चालू है। बाकी लम्बाई में (पेच रिपरेस) खड्डे भरने का कार्य चालू है।

(2) जी हां। पुल बनाने का कार्य चालू है। सड़क को पानी के बहाव से

Page No 56

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)
बचाने के लिये कच्चे डाले का कार्य 7 कि. मी. से 22 कि. मी. प्रगति पर है।

सोफ[illegible] सड़क का कार्य

697. श्री देवीदत गाड़िया (बारां) : क्या निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला जालोसर में सोफाडा की सड़क अकाल के समय में शुरू की गई है? यदि हां, तो उस सड़क पर कितने मजदूर काम कर रहे हैं?

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 12 फरवरी, 1969 को इस सड़क का काम बन्द कर दिया गया और 3000 मजदूरों ने कचेरी के सामनें जिलाधीश भवन पर प्रदर्शन किया ? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। 3 हजार मजदूर।

(2) कार्य 12-2-69 को बन्द किया गया था। प्रदर्शन हुआ है प्रदर्शन में कितने मजदूर थे यह जानकारी नहीं है। सड़क रेखा के झगड़े को निपटारे के लिये काम बन्द कराया गया।

सड़क निर्माण कार्यों में अवाप्त भूमि

698. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि काश्त की जमीन को बिना अवाप्त किये ही नई सड़कें बनाने का कार्य शुरू कर दिया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या विभाग को इस बात की भी जानकारी है कि जिन काश्तकारों की भूमि पर बिना अवाप्ति की कार्यवाही किये ही सड़कें बनाना शुरू कर देते हैं यह कानूनन अपराध है तथा काश्तकार चाहे तो मुकदमा कर सकता है ? यदि हां, तो इसके लिये विभाग की ओर से किसकी जिम्मेदारी होगी ?

(3) क्या इस प्रकार के मामले सरकार के पास हर वर्ष आते रहते हैं ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या क्या कदम उठाये गये और उसका क्या असर हुआ ?

(4) भविष्य में सरकार की इस संबंध में क्या नीति होगी ?

उत्तर

(1) काश्तकार की रजामन्दी से कार्य की आवश्यकता को देखते हुये कभी कभी काम करा दिया जाता है।

(2) जी हां, काश्तकार की रजामंदी से ही कार्य कराया जाता है इसलिये किसी की जिम्मेदारी का प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) सरकार की नीति नियमानुसार काम करने की है।

पाली एवं नागोर जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

699. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत पाली जिले में इस साल कितनी सड़कें

(श्री गोरधन सोनी)

(मुरड़वाली) एवं कितनी डामर रोड बनीं ? एवं इसके पहले पाली जिले में डामर रोड कितनी हैं ? ब्योरा तमाम किलोमीटर में दिलावें।

(2) नागौर जिले में अकाल राहत के तहत इस साल कितनी सादी एवं कितनी डामर रोड अब तक बनी एवं इससे पहले कितनी डामर रोड़ हैं ? ब्यौरा किलोमीटर में दिलावें।

(3) मेड़ता सिटी जहां कि सैशन कोर्ट है एवं नागौर जिले की प्रमुख मन्डी है, तहसील एवं सब-डिवीजनल हैड-क्वार्टर होते हुए भी जिला हैड-क्वार्टर नागौर एवं डिवीजन हैड क्वार्टर जोधपुर से अब तक डामर रोड से कनेक्टेड क्यों नहीं किया गया व कब तक कनेक्टेड कर दिया जावेगा ?

(4) मेड़ता सिटी से पुष्कर एवं ब्यावर के लिये बसें वाया रीया आलनियावास होकर रोज जाती आती हैं। रींयां आलनियावास के बीच नदी होने के कारण बारिश में यातायात की बड़ी दिक्कत होती है, सरकार इस नदी को ढंग से बंधा कर आवश्यक जगह पुलिया बंधाने का कार्य जन हितार्थ क्यों नहीं कर रही है ?

(5) मेड़ता जैतारण रोड पर जसनगर के पास नदी बंधवाने का आवश्यक कार्य कब तक कर रही है ?

(स्थगित किया गया)

पडिहारा-छापर सड़क

700. **श्री लाभचन्द वैद** (सुजानगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार को विदित है कि चूरू जिले के अन्तर्गत रतनगढ से छापर जाने वाली सडक, पडिहारा से छापर तक बहुत ज्यादा खराब हो गई है ? अगर हां, तो सरकार इसको कब तक ठीक कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां। उपलब्ध धन राशि के अनुसार सड़क की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है अर्थाभाव के कारण सम्पूर्ण सड़क का नवीनीकरण संभव नहीं है। इस वर्ष 5 मील सड़क के नवीनीकरण का कार्य चालू है।

चूरू-रतनगढ़ सड़क पर व्यय

701. **श्री लाभचन्द वैद** (सुजानगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू-रतनगढ़ सड़क कब बनाई गई और इसके बनाये जाने से लेकर अब तक कितनी कितनी धन राशि किस किस मद से इस सड़क के निर्माण व मरम्मत में खर्च की गई ?

(2) क्या इस सड़क में अब भी किसी प्रकार का कार्य कारपेटिंग, शोल्डिरिंग व अन्य रिपेयर इत्यादि का बाकी है ? यदि हां, तो इन कार्यों का एस्टीमेट कितना है ?

(श्री लाभचन्द वैद)

(3) सरकार इस सड़क को कब तक पूरा करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) इस सड़क के निर्माण का काय सन् 1961-62 में प्रारम्भ किया गया था। 18 मील 6 किलोमीटर डामर की सड़क पूरी हो चुकी है, बाकी बची 10 मील की पक्की सड़क को डामर करने का कार्य चालू है। मद वार जो धन राशि खर्च की गई है उसकी तालिका संलग्न है।

(2) जी हां। दस मील में डामर करने का कार्य बाकी है। शोल्डरिंग का कार्य भी बाकी है। बाकी कार्य का ऐस्टीमेट तैयार किया जा रहा है।

(3) सड़क निर्माण का कार्य चालू है। इस वर्ष में 30,000) रुपये का प्रावधान है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

फतहपुर-रतनगढ़ सड़क निर्माण कार्य

702. **श्री लाभचन्द वैद** (सुजानगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) फतहपुर-रतनगढ सड़क का निर्माण कार्य कब से चालू है ? अब तक किये गये काम का एस्टीमेट कितना है ?

(2) इस सड़क के बाकी काम को सरकार कब तक पूरा कराने का इरादा रखती है ?

(3) क्या यह सड़क "नेशनल हाई वे" का अंग है ? यदि हां, तो यह सड़क किस सन् में मन्जूर की गई थी ?

उत्तर

(1) इस सड़क को डामर करने का कार्य 1966-67 में शुरू हुआ था। (एस्टीमेटेड) अनमानित लागत कुल 65,000) रु. है।

(2) 1 मील 2 फलांग में डामर रोड का कार्य पूरा हो चुका है। बाकी कार्य प्रगति पर है। इस वर्ष 1969-70 में 30,000) रु. का प्रावधान है।

(3) जी नहीं।

अखबारों एवं अन्य प्रकाशकों को विज्ञापन

703. **श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं):** क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस वर्ष सरकार द्वारा किस किस अखबार को कौन कौन सा विज्ञापन कितने कितने रुपयों का दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) अखबरों के अलावा अन्य प्रकाशनों को कोई विज्ञापन दिये गये हों तो उनका विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) विज्ञापन देने के संबंध में कोई नियम बने हुये हैं यदि हां, तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(जन सम्पर्क मंत्री)

उत्तर

(1) इस वर्ष माह अप्रेल, 1969 से जुलाई, 1969 तक सरकार द्वारा दिये गये विज्ञापनों की सूची सदन की मेज पर (परिशिष्ट क व ख) रख दी गई है।

(2) विवरण (परिशिष्ट ग) सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) विज्ञापनों के नियम राज्य सरकार के गजट में दिनांक 19-9-63 को प्रकाशित किये जा चुके हैं। अतः प्रतिलिपि देने की आवश्यकता नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

राजस्थान के पत्र एवं पत्रिकायें

704. **श्री हंसराज आर्य** (मादरा) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में दैनिक साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक कितने पत्र व पत्रिकाएं निकलती हैं ?

(2) ऐसे कितने पत्र हैं जो नियमित रूप से समय पर बराबर निकलते हैं ?

(3) कितने पत्रों को सरकार से आर्थिक सहायता दी गई है और कितनी कितनी सहायता दी गई है ?

सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

(1) राजस्थान में दैनिक पत्र 19
राजस्थान में साप्ताहिक 220
राजस्थान में पाक्षिक 55
राजस्थान में मासिक 92 पत्र निकलते हैं।

(2) नियमित समय पर निकलने वाले पत्रों की सही संख्या बताना कठिन है। फिर भी वर्तमान स्थिति में नियमित पत्रों की जानकारी निम्न है :

दैनिक	11
साप्ताहिक	81
पाक्षिक	7
मासिक	18

इसमें भी परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ पत्र कुछ समय के लिये अनियमित हो जाते हैं तथा कुछ समय नियमित प्रकाशन पुनः प्रारम्भ कर देते हैं। उक्त जानकारी माह अप्रेल से जून, 1969 तक से संबंधित है।

(3) सरकार द्वारा किसी पत्र को आर्थिक सहायता जन सम्पर्क निदेशालय द्वारा न तो दी गई है, न ही दी जाती है। केवल विज्ञापन दिये जाते हैं।

राज्य के और बाहर के पत्र एवं पत्रिकाओं को विज्ञापन

705. **श्री दौलत राम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 जनवरी, 1966 से अब तक राजस्थान में और राजस्थान के बाहर से निकलने वाले हिन्दी, अंग्रेजी अथवा अन्य भाषाओं के कितने सेवीनियर, स्मारिकाओं डाईरेक्टरी, विशेषांकों, परिचय ग्रन्थों को

(श्री दौलतराम सारण)
कितना कितना विज्ञापन अथवा सहायता दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

(2) क्या राज्य सरकार को उनके अंक प्राप्त हुए हैं ? किस किस के अंक प्राप्त नहीं हुए ?

(3) क्या बिना एप्रूव किए किसी पत्र-पत्रिका के प्रकाशन के पूर्व ही विज्ञापन अथवा सहायता दिये जाते हैं ? किस किस पत्रकार को किस किस पत्र के लिए इस प्रकार कब कितना विज्ञापन अथवा सहायता दी गई और किन नियमों के अन्तर्गत ? उन नियमों की एक प्रति सदन की मेज पर रखी जाय।

(4) कितने पत्र-पत्रिकाओं को बिना एप्रूव किए ही विज्ञापन दिए गये ? कितने व कब कब तथा क्यों, वे कब से प्रकाशित हो रहे हैं ? क्या इस प्रकार विज्ञापन देना नियमानुसार है ?

(5) राजस्थान में ऐसे कौन कौन से दैनिक पत्र हैं जिनके उसी नाम से साप्ताहिक, पाक्षिक व मासिक भी निकलते हैं, कब से ? क्या उनके ऐसे दैनिक और साप्ताहिक, दोनों को ही विज्ञापन दिया जाता है ? कृपया दोनों को दिए गये विज्ञापन की सूची सदन की मेज पर रखें। यह कौन से नियमों के अनुसार है ?

(6) क्या राज्य सरकार को यह जानकारी है कि अनेक व्यक्तियों द्वारा पत्र-पत्रिकाओं के कुछ ही अंक छपवा कर अपने प्रकाशन की नियमितता पूरी करदी जाती है और नकली पते लिख कर बनावटी सरकुलेशन दिखाया जाता है और इस प्रकार एप्रूव कराकर विज्ञापन और कागज का कोटा प्राप्त किया जाता है जिससे अच्छे पत्र-पत्रिकाओं को हानि होती है ? यदि हां, तो ऐसे कितने केस राज्य सरकार के ध्यान में आए ?

(7) पत्र-पत्रिकाओं के नाम पर इस प्रकार की ब्लैक मेलिंग को रोकने के लिए राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

(8) राजस्थान में ऐसे कितने पत्र-पत्रिकाएं हैं जो अप्रूव्ड नहीं हैं और ये कब से प्रकाशित हो रहे हैं ? सूची दी जाय। बिना डिक्लेरेशन लिये कौन कौन से पत्र प्रकाशित हो रहे हैं ?

उत्तर

(1) जन सम्पर्क निदेशालय द्वारा इस प्रकार के प्रकाशनों को कोई आर्थिक सहायता नही दी जाती अलबत्ता विज्ञापन अवश्य दिये जाते हैं। उल्लिखित अवधि में विभाग की ओर से जो राजकीय विज्ञापन दिये गये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट क-4)।

(2) जिन पत्रों में सरकार का विज्ञापन प्रकाशित हुआ है उनके अंक यथा समय प्राप्त हो गये थे।

(3) डिक्लेरेशन के पूर्व किसी भी पत्र-पत्रिका को विज्ञापन नहीं दिया गया है।

(4) साधारणत: उन्हीं पत्रों को विज्ञापन दिया जाता है कि जो पहिले अलग कर लिये जाते हैं ? कुछ अच्छे प्रकाशनों को प्रोत्साहित करने के लिये अप्रूवल के पहिले भी विज्ञापन दिये गये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दे गई

(जन सम्पर्क मंत्री)
है (परिशिष्ट ख)। विज्ञापन नियमों में इस प्रकार विज्ञापन देने का सरकार को अधिकार है। विज्ञापन नियम तारीख 19-9-63 को सरकारी गजट में प्रकाशित हो चुके हैं। अतः उनकी प्रति देने की आवश्यकता नहीं है।

(5) राजस्थान में केवल ऐसे पांच दैनिक पत्र हैं जो उसी नाम से अपना साप्ताहिक प्रकाशन भेजा करते थे। इन पत्रों के नाम हैं:—

1. अधिकार, जयपुर।
2. यंग लीडर, जयपुर।
3. न्याय, अजमेर।
4. मारवाड़ टाईम्स, जोधपुर।
5. हिन्द वासी (सिन्धी), अजमेर।

अधिकार एवं यंग लीडर साप्ताहिक व दैनिक दोनों ही प्रकाशन निकालते हैं। न्याय, अजमेर और हिन्दीवासी, सिन्धी), अजमेर ने अपना साप्ताहिक प्रकाशन बन्द कर दिया है। मारवाड़ टाईम्स, जोधपुर का साप्ताहिक प्रकाशन अनियमित है। अधिकार यंग लीडर के प्रकाशन की तारीखें क्रमशः 14-11-65 और 9-11-67 हैं। दोनों का अलग अस्तित्व है और दोनों पृथक् 2 अप्रूव किये गये हैं। ऐसे साप्ताहिक व दैनिक दोनों को विज्ञापन दिया जाता है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है (परिशिष्ट ग)।

(6) राज्य सरकार के समक्ष ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। कागज के कोटे को प्राप्त करने का विषय राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं है। इसका सीधा संबंध भारत सरकार से है। इसी प्रकार पत्रों के सरक्यूलेशन का विषय भी भारत सरकार के हाथ में है और प्रेस रजिस्ट्रार आफ इन्डिया इन पत्रों की जांच करता रहता है।

(7) राज्य सरकार के पास इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है इसलिए इसके लिए कदम उठाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(8) राजस्थान में इस समय विभिन्न कालिकता (पीरियोडिसिटी) के 285 पत्र-पत्रिकाएं "है" जो राज्य सरकार द्वारा विज्ञापनों के लिए स्वीकृत नहीं हैं। राजस्थान में प्रकाशित होने वाले अन-अप्रूव्ड समाचार-पत्रों की सूची 1968 मय स्थानापन्न वर्ष के सूची परिशिष्ट "ग" सलंग्न है। बिना डिक्लेरेशन फाइल किये प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स एक्ट 1867 के अन्तर्गत कोई भी पत्र प्रकाशित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है। (सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सिरोही स्थित डाक बंगला

706. **श्री मोती लाल (रेवदर सु.)**: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार बढ़ते हुए पर्यटन के कारण सिरोही स्थित डाक बंगले में आवास के अभाव का अनुभव करती है?

(2) यदि हां, तो डाक बंगले के विकास की योजना को कब तक मूर्त रूप दिया जावेगा?

(पर्यटन मंत्री)

उत्तर

(1) जी नहीं। सिरोही स्थित डाक बंगले में पांच कमरे हैं और वहां पर ठहरने वालों की संख्या को देखते हुए जल्दी ही आवास में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

(2) जैसा कि प्रश्न 1 के उत्तर में स्पष्ट किया जा चुका है कि सिरोही डाक बंगले में तुरन्त ही आवास के स्थान में वढ़ोतरी करने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु फिर भी इस डाक बंगले में 2 कमरे और वढ़ाये जाने की योजना चल रही है।

आयुर्वेद औषधालय सिरोही

707. **श्री मोतीलाल** (रेवदर सु.) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार अपने पूर्व निश्चय के अनुसार सिरोही आयुर्वेद औषधालय को "अ" श्रेणी औषधालय में परिवर्तित करने की स्वीकृति इस वर्ष प्रदान करने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि विभाग की मांग के अनुसार जिलाधीश सिरोही ने इस औषधालय हेतु उपयुक्त सरकारी भवन भी उपलब्ध करने का आश्वासन आयुर्वेद विभाग को दे दिया है ?

(3) यदि हां, तो इसमें विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) विभाग की कोई मांग नहीं थी। जनता की मांग पर भवन उपलब्ध कराने के लिए जिलाधीश ने विभाग को लिखा है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

पाली एवं नागौर जिले के आयुर्वेद औषधालय

708. **श्री गोरधन सोनी** (मेड़ता) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस समय पाली जिले में कितने आयुर्वेदिक औषधालय हैं ?

(2) इस समय नागौर जिले में कितने आयुर्वेदिक औषधालय हैं ?

(3) तहसील मेड़ता में इस समय कितने आयुर्वेदिक औषधालय हैं ?

(4) मेड़ता तहसील के प्रमुख कस्बों गगराना, मेड़ता रोड़, बगड़ एवं डींगावास में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने के लिये मैंने निरन्तर मांग की परन्तु राज्य सरकार 2 वर्षों से मेरी मांग को क्यों टाल रही है जब कि इन गांवों के लोगों की बड़ी आबादी होते हुए भी चिकित्सा की सुविधा नहीं है ?

(5) गत 2 वर्ष में सरकार ने कहां कहां आयुर्वेदिक औषधालय खोले उनकी जनसंख्या क्या है ?

उत्तर

(1) पाली जिले में 55 आयुर्वेदिक औषधालय हैं।

(2) नागौर जिले में 69 आयुर्वेदिक एवं 1 यूनानी, इस प्रकार कुल 70 औषधालय हैं।

Page No 63

(आयुर्वेद मंत्री)

(3) तहसील मेड़ता में 7 औषधालय हैं।

(4) धनाभाव के कारण इन कस्बों में औषधालय नहीं खोले जा सके।

(5 सूची संलग्न है।)

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

गऊशाला केकड़ी

709. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी सु.) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केकड़ी गऊशाला में कितनी गायें हैं? क्या इसका कोई ट्रस्ट है? छोटी गायें बड़ी गायें व दूध देने वाली गायें तथा बैल कितने कितने हैं?

(2) केकड़ी गऊ शाला के मकानों की आमदनी कितनी है?

(3) केकड़ी गऊशाला को कहां कहां से अनुदान मिलता है?

(4) केकड़ी गऊशाला का साल भर का दूध, गोबर, छाने और बैलगाड़ी बैलों से कितनी आदमनी होती है?

(5) रामलीला स्टेज का सन् 60 से अब तक कितना किराया व दान के रूप में मिला?

(6) केकड़ी गऊशाला में कितने कर्मचारी एवं नौकर हैं और उनको कितनी महावारी तनख्वाह दी जाती है?

(7) उपरोक्त गऊशाला ट्रस्ट के कितने सदस्य हैं?

(8) क्या सन् 67 में गऊशाला ट्रस्ट के महामन्त्री श्री छगनलाल चौपडी वाले ने केकड़ी ग्राम निवासियों को हिसाब बताने से इन्कार कर दिया था?

(9) इस गऊशाला की सालाना आमदनी और खर्च का सन् 64 से 69 तक की प्रतियां सदन को मेज पर रखवाने की कृपा करें।

(10) सरकार द्वारा केकड़ी गऊशाला ट्रस्ट को जब से गुलाबचन्द बजाज अध्यक्ष बने कितना अनुदान दिया गया?

(11) क्या इस गऊशाला का पतन होता जा रहा है?

(स्थगित किया गया)

पशु प्रजनन केन्द्र बस्सी में दाने व चारे की व्यवस्था

710. **श्री कन्हैयालाल** (बस्सी सु.): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बस्सी पशु-प्रजनन केन्द्र के प्रवासी पशुओं के दाने व चारे की व्यवस्था के लिये पृथक् से भूखंड आवंटित है? यदि हां, तो कितना?

(2) क्या यह भी सही है कि इस भूखन्ड पर अल्पमात्रा में दाना व चारा पशुओं के लिए मिल पाता है? यदि नहीं मिल पाता है तो बाजार से किस किस वर्ष में कितना कितना दाना व चारा खरीदा गया है?

(3) क्या यह भी सही है कि यह केन्द्र घाटे में चल रहा है। यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो विगत पांच वर्षों की आय व

(श्री कन्हैयालाल)
व्यय का हिसाब सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी, हां करीबन 204 एकड भूमि है।

(2) जी, पूरा नहीं। इस भूखन्ड से करीबन 3/4 भाग चारा एवं 1/4 भाग दाना उपलब्ध हो जाता है, शेष बाजार से क्रय किया जाता है। वर्ष 1967-68 में 1136 क्विंटल चारा एवं 545.30 क्विंटल दाना तथा वर्ष 1968-69 में 740 क्विण्टल चारा एवं 570.86 क्विंटल दाना बाजार से क्रय किया गया है।

(3) यह केन्द्र पशु वंश की उन्नति एवं अनुसन्धान कार्य करता है ऐसी स्थिति में केवल तत्काल आर्थिक लाभ की दृष्टि से केन्द्र को कार्य मापे जाने का कोई औचित्य नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

जयपुर दूध वितरण केन्द्र की मोटरें

711. **श्री बालसिंह सोढा** (जैसलमेर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर दूध वितरण केन्द्र कितनी मोटर (दूध वितरण वाहन) हैं और कब कब कितने में खरीदी गई है? आज कितनी मोटरें चल रही हैं व कितनी कब से बन्द पडी हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि हर मोटर (दूध वितरण वाहन) की लॉग बुक रखी जाती है और यदि हां, तो आज तक कौन सी मोटर कितनी और कहां चली? महीनेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि कुछ मोटरों की मरम्मत कराई गई? यदि हां, तो कहां पर रिपेयर कराई गई और एक गाडी पर कितना एक वर्ष में खर्च किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें। रिपेयर के बाद कौन सी गाडी कितने मील चली और कितने समय के बाद बन्द हुई हैं?

उत्तर

(1) जयपुर दुग्ध वितरण केन्द्र में कुल 12 बैडफोर्ड मिल्क वाहन हैं। ये वाहन भिन्न भिन्न दिनांकों को खरीद किये गये हैं जिसकी सूचना निम्न प्रकार है:-

6 वाहन सन् 1959-60 में खरीदे गये जिसकी कुल कीमत 1,50,000) रु. है।
2 वाहन सन् 64-65 में खरीदे गये जिसकी कुल कीमत 70,700) रु. है।
4 वाहन सन् 65-66 में खरीदे गये जिसकी कुल किमत 1,48,230) 68 न. पै. है।

उक्त वाहनों में से इस समय 3 वाहन बन्द पडे हैं, ये वाहन निम्न माहों से बन्द है:-

आर. एस. एल. 6252 माह नवम्बर, 68 से
" 602 " जनवरी, 69 से
" 7564 " " "

(2) यह सही है कि जयपुर दुग्ध वितरण केन्द्र की हर मोटर (दुग्ध वितरण वाहन) की लाग बुक रखी जाती है और आज तक कौन सी मोटर कितनी और कहां चली महीनवार सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) यह सही है कि कुछ दुग्ध वाहनों की मरम्मत कराई गई है यह मरम्मत बैडफोर्ड के आथोराइज्ड डिलर मैसर्स वेस्टर्न इन्डियन स्टेट मोटर, मिर्जा इस्माईल रोड, जयपुर

(पशुपालन मन्त्री)

द्वारा कराई गई है। एक गाडी पर कितना एक वर्ष में खर्चा किया गया, सूची सदन की मेज पर रखदी गई है। जिन गाडियों की मरम्मत कराई गई थी वो बन्द नहीं हुई है बल्कि काम में चल रही है। मरम्मत शुदा गाडिया अब तक निम्न प्रकार माइलेज तक चल चुकी हैं:–

गाडी नं. 615	30,480
गाडी नं. 603	34,216
गाडी नं. 1039	4,255
गाडी नं. 616	1,939

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

गौवंश की निकासी

712. **श्री देवीदत्त गांडिया** (बारां):– क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सन् 67 के आम चुनाओं के समय राजस्थान सरकार ने प्रान्त से गाय व गऊवंश की निकासी बंदी हेतु एक अध्यादेश जारी किया था ?

(2) क्या सरकार अब प्रदेश से गऊ व गौवंश निकासी बन्दी को आवश्यक नहीं समझती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध का कोई विधेयक लाने का निर्णय किया है ?

उत्तर

(1) गांवों की निकासी रोकने हेतु अध्यादेश दिनांक 3-12-66 को जारी किया गया था।

(2) उपरोक्त अध्यादेश अब समाप्त हो चुका है। इस समय राज्य के बाहर गायों की निकासी, संबंधित जिलाधीश के परमिट से ही हो सकती है।

विधेयक लाने का प्रश्न विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

भेड व ऊन विभाग के स्थान पर बोर्ड का गठन

713. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं): क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :––

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने यह निर्णय लिया था कि भेड़ व ऊन विभाग के स्थान पर बोर्ड बनाया जायेगा और विभाग द्वारा चलाई जाने वाली प्रवृत्तियां उक्त बोर्ड को सौंपी जायेंगी ? यदि हां, तो कब और क्यों तथा इसकी क्या योजना थी ? उक्त योजना की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त योजना के सम्बन्ध में कोई नियम सरकार ने बनाये थे ? यदि हां, तो कब और क्या उक्त नियमों को अन्तिम रूप दे दिया गया है। यदि हां, तो उन नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त योजना को कार्य रूप में परिणित करने में देरी करने का क्या कारण है ? और अब कब तक उसे कार्यरूप में लाया जायेगा ?

(4) जिस आवश्यकता का अनुभव करके यह योजना बनायी थी वो आवश्यकताएं अभी विद्यमान हैं या नहीं ?

Page No 66

(पशुपालन मन्त्री)

उत्तर

(1) जी हां। दिसम्बर 1967 में यह निर्णय लिया गया था। ऊन के क्रय-विक्रय को सुचारु रूप से चलाने के लिये लिया गया था।

(2) योजना कोई नहीं है जिसकी कि प्रति सदन के समक्ष रखी जावे।

(3) अभी नियम नहीं बनाये गये हैं अतः उनको अन्तिम रूप देने का तथा उनकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता। तकनीकी कार्य के सम्बन्ध में दो उप-समितियां बनायी हैं जिनकी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट आ जाने पर आगे की कार्यवही की जायगी।

(4) जी हाँ।

तकनीकी कार्य के सम्बन्ध में दो उप समितियां बनायी हैं जिनकी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट आजाने पर आगे कार्यवाही की जाएगी।

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के पास दर्ज मामले

124. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के पास ऐसे कौन कौन से मामले कब कब से दर्ज हैं जिनकी जांच जारी है और अभी अदालतों में चालान नहीं हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) सन् 1966-67 और 68 में कौन कौन से मामले उक्त विभाग में किन किन के खिलाफ़ कब कब दर्ज हुए और उनमें किन किन मामलों में किन किन का किन किन आरोपों में कब कब चालान किया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में 887 मामलों में अभी प्राथमिक जाँचें चल रही हैं। सालवार सूची संलग्न है।

(2) वांछित सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

झालरापाटन-सुनेल सड़क

142. श्री राम प्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झालरापाटन-सुनेल रोड को पहले के प्लान से हटाकर दूसरी ओर से निकाला जा रहा है? यदि हां, तो पहले कहां कहां होकर निकाला जाना था कृपया गांवों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) अब किन किन गांवों से निकाले जाने का निर्णय किया गया है तथा क्यों?

(3) क्या अभी उक्त सड़क का कार्य सलोतिया से पाटन की ओर चलाया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? इधर से सड़क का कार्य कराने में किन किन गांवों के किन किन किसानों के खेत सड़क में आते हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

(4) क्या यह सही है कि आने वाले खेतों या जायदाद को लेने के पहले नोटिस नहीं दिये गये और वैसे ही खेतों पर जबरन क़ब्ज़ा कर सड़क बनाना शुरू कर दिया गया था? यदि हां, तो क्यों?

(5) इस सड़क पर अभी चालू कार्य में कितना रुपया खर्च किया गया है और कितना और होना है?

(6) इसके लिये बजट में कितना खर्च करने का प्रावधान है?

उत्तर

(1) जी नहीं। इस सड़क के तीन एलाइनमेन्ट सरकार के विचारार्थ रखे गये थे। तीनों एलाइनमेन्ट पाटन के तोतरवासा तक एक हो जाते हैं। तोतरवासा से सुनेल तक जो तीन रास्ते विचार हेतु थे इन में आने वाले गांवों की सूची निम्नलिखित है:—

1. तोतरवासा-गाड़िया-दुबलिया चिचलाई-सुनेल।

2. तोतरवासा-कनवारा, कनवारो सुनेल।

3. तोतरवासा-सामपुरा-सामिया-सलोतिया-सुनेल।

(2) जी हां। अकाल राहत कार्य में मजदूरों को रोजगार देने हेतु इस मार्ग पर भिन्न भिन्न जगह कैम्प खोले गये हैं। सलोतियां सुनेल मार्ग पर कुछ खेत सड़कों के रेखण में आते हैं जिन जिन किसानों के खेत सड़क में आते हैं और जिनका मुआवज़ा देना है उनकी सूची संलग्न है। बाक़ी खेत वालों के ज़मीन के मुआवज़े की कार्यवाही चालू है।

(3) जी नहीं अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत आई हुई भूमि आवाप्ति की कार्यवाही चालू है।

(4) जी नहीं। स्टेट प्लान में 3 मील निर्माण हुआ है, उसका मुआवज़ा भुगतान कर दिया गया है। अकाल कार्य में आयी भूमि के मुआवज़ा भुगतान की कार्यवाही चालू है।

(5) अकाल राहत कार्य में जुलाई, 67 तक 2,05,809-55 रुपया खर्च हुआ है। तथा स्टेट प्लान में 1,17,049 रु. व्यय हुआ है।

(6) वर्ष 69-70 में 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

स्थगित प्रश्न

(16-8-69)

रानी खुर्द में डिस्पेन्सरी भवन निर्माण

143. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

रानी खुर्द, जिला पाली में डिस्पेन्सरी भवन बनाने हेतु क्या एक ड्राफ्ट रुपये चालीस हज़ार का एक्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर, जोधपुर को मिला है? यदि हां, तो कब मिला है व सम्बन्धित निर्माणारम्भ कब किया जावेगा? निर्माणारम्भ में इतनी देरी का क्या कारण है?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(16-8-69)

ब्यावर-अजमेर सड़क पर मांगलियावास के पास किसानों की ली गई भूमि के मुआवजे का भुगतान

148. **श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर-अजमेर रोड पर मांगलियावास के पास सडक का मोड-निकालने का कार्य किया गया था ? उसमें जिन किसानों की भूमि ली गई थी उनको राजस्व विभाग से अवार्ड प्राप्त न होने के कारण अब तक मुआवजा नहीं चुकाया गया है ? यदि हां, तो अवार्ड प्राप्त करने के लिये सरकार ने अब तक क्या क्या प्रयास किये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) मुआवजे का भुगतान अधिक से अधिक कितने समय में कर दिया जाना चाहिए और अब संबंधित किसानों को कब तक भुगतान कर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) अवार्ड प्राप्त हो गया है मुआवजा भुगतान 30-7-68 को करा दिया गया है।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

स्थगित प्रश्न

(19-8-69)

चम्बल घाटी योजना-अन्तर्गत भूमि समतल करना

260. **श्री जुझारसिंह** (रामगंजमंडी):— क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चम्बल घाटी विकास योजना के अन्तर्गत भूमि को समतल करने व खेतों में पानी का निकास कराने का क्या प्रावधान है ?

(2) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र की मिट्टी भारी होने के कारण बैलों से चलाये जाने वाले उपकरणों से भूमि समतल नहीं की जा सकती ? यदि हां, तो सरकार ने भूमि समतल करने की मशीन यूनिटों को किराए पर उपलब्ध कराने का क्या प्रबन्ध किया है ?

(3) क्या सरकार ने इस बात का सर्वे करवाया है कि कितनी भूमि को सिंचाई की दृष्टि से समतल कराने की आवश्यकता है और यह भूमि कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत है ? कृपया यह भी बताने कि इस भूमि का समतल कराने में कितना समय व खर्चा लगने का अनुमान है ?

उत्तर

(1) चम्बल घाटी विकास योजना के अर्न्तगत भूमि को समतल करने हेतु बुलडोजरों का उपयोग किया जाता है।

(2) जी हां । इस संबंध में भूमि समतल कार्य की क्षमता देखते हुये भारी उपकरण जैसे बुलडोजर कृषि यांत्रिक मंडल से किराये पर उपलब्ध किये जाते हैं । इसके अतिरिक्त जयपुर की एक प्राईवेट फर्म द्वारा भी इस कार्य हेतु भारी उपकरण किराये पर दिये जाते हैं ।

(3) इस प्रकार का कोई सर्वे अभी तक नहीं किया गया है । लगभग 50 हजार से 75 हजार एकड़ भूमि समतल की जा सकती है । अनुमानतः इसके लिये 5 करोड़ रुपये के खर्च होने का अनुमान है।

स्थगित प्रश्न

(20-8-69)

बाड़मेर के रास्ते पाकिस्तान जाने का मामला

320. श्री देवीव्रत पाडिया (बारां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजीम बहिकाती साकिन मुहल्ला खरादियान, इलाका घाटगेट, जयपुर, जनवरी सन् 1965 में या इसके आस पास के दिनों में बाड़मेर के किस रास्ते से किस तारीख को करांची पाकिस्तान को गया और कब वापस आया ?

(2) इसके साथ उसके परिवार के कौन कौन व्यक्ति थे ?

उत्तर

(1) रेकार्ड से, अजीम बहिकाती साकिन मुहल्ला खरादियान, इलाका घाटगेट, नाम के किसी व्यक्ति का पाकिस्तान जाना व वहां से आना नहीं पाया जाता। उक्त व्यक्ति के पूर्ण विवरण के अभाव में अधिक जानकारी एकत्रित नहीं की जा सकती।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

स्थगित प्रश्न

(20-8-69)

बीकानेर शहर की सड़कें

323. राजवी श्री रूपसिंह (सरदार शहर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर शहर में पुराने किले उत्तर-पूर्व की तरफ जो मेन रोड व बाई-लेन्स हैं वो कब बनी व उनकी मरम्मत किस किस साल में किस डिपार्टमेंट यानी पी. डब्ल्यू. डी., य. आई. टी. व म्यूनिसिपैलिटी ने किया ? अब इन सड़कों की कैसी कन्डीशन है अब इनकी मरम्मत कब की जायेगी ?

(2) वार्ड मेम्बर 31 बास धोबीधोरा व हनुमानहत्ता में जो रोड्स व बाई-लेन्स हैं वो किस साल में बनीं व उनकी मरम्मत किस किस साल में हुई ?. व अब कितने सालों से मरम्मत नहीं हुई है ?

(3) क्या यह सही है कि बाई-लैन्स में एक फुट से लेकर डेढ फुट गहरे व 3 से 11 फुट तक लम्बे गढ्ढे जगह जगह पड गए हैं। जिसकी वजह से बसेज व कार्स की स्प्रिंग्स टूटती रहती हैं व जाने आने में मुश्किल रहती है ?

उत्तर

(1) बीकानेर शहर में पुराने किले के उत्तर-पूर्व की तरफ जो मेन रोड है यह पी. डब्ल्यू. डी. विभाग द्वारा बनाई हुई है। बाई-लेन्स सिर्फ एक बनी है जो दिनांक 30-3-69 को बनकर समाप्त हुई है।

इन सड़कों की हालत अभी अच्छी नहीं है। मरम्मत का कार्य पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा कराया जाता है।

(2) वार्ड नं. 31 बास धोबीधोरा व हनुमानहत्ता में जो सड़क सूरसागर से धोबी-धोरा तक बनी है वह पी. डब्ल्यू. डी. ने सन् 1955-56 में बनाई थी और बाईलेन्स जो बनाई गई थी यह नगरपरिषद् द्वारा दिनांक 30-3-60 को बनाई गई थी। बनाने के बाद मरम्मत नहीं हुई है।

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

(3) सड़क टूटी फूटी हालत में अवश्य है जिसकी कि मरम्मत करवाने की योजना पी. डब्ल्यू. डी. विभाग के विचाराधीन है।

स्थगित प्रश्न
(20-8-69)

नगरपालिका सवाई माधपुर द्वारा विकास कार्यों पर व्यय की गई राशि

325. **श्री चुन्नीलाल जलिया** (खंडार-सु.) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगरपालिका सवाई माधोपुर बोर्ड किस तारीख को भंग किया गया तथा वहां पर प्रशासक की नियुक्ति कब की गई ?

(2) प्रशासक कार्यकाल में जब से बोर्ड भंग हुआ तब से अब तक कितनी आय हुई ?

(3) प्रशासक कार्यकाल से अब तक विकास कार्य में कितनी राशि व्यय गई ? तथा कितनी सड़कें नालियां बनाई गई ?

(4) यदि सड़कों, नालियों का निर्माण नहीं किया, तो क्यों ?

(5) भविष्य के लिये विकास कार्यों के लिये नगरपालिका ने बजट में कितनी राशि रखी है ?

(6) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र में अनसूचित जाति के वार्डों में अभी तक पाइप लाइन नहीं डाली गई ?

(7) यदि हां, तो क्यों नहीं डाली गई ?

(8) अब कब तक अनुसूचित जाति वार्डों में पाइप लाइन डल जावेगी ?

उत्तर

(1) दिनांक 23-1-67 को दिनांक 24-1-67 से।

(2) लगभग चार लाख अड़तीस हजार चार सौ अठावन रुपया पिच्चानवें पैसा।

(3) बत्तीस हजार चार सौ चौरानवें रुपया पांच पैसा व्यय हुआ है।

तीन सड़क, सीमेन्ट चौक व तीन नालियों का निर्माण किया गया है। गत बोर्ड के कार्यकाल में जो विकास कार्य हुये उनके बकाया बिलों का भुगतान किया गया।

(4) उत्तर प्रश्न के भाग 3 में दे दिया गया है।

(5) 52,500/- का प्रावधान रखा गया है।

(6) जी हां।

(7) नगरपालिका द्वारा अनुदान प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

(8) अनुदान प्राप्त होते ही पाइप लाइन डालने का कार्य चालू कर दिया जावेगा।

स्थगित प्रश्न
(20-8-69)

रानीवाडा-सांचोर सडक पर मजदूरों को पीने के पानी की व्यवस्था

373. श्री **देवीदत्त गाडिया** (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि अकाल सहायतार्थ जो रानीवाडा से सांचोर सडक बन-

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

रही है उस पर मजदूरों को पानी पिलाने हेतु ऊंटों की पखालें रखी गई थीं ? यदि हां, तो कितने दिन तक ऊंट वालों ने पानी पिलाया ?

(2) क्या यह भी सही है कि उस रूट पर ऊंटों को हटाकर सरकार ने किराये पर ट्रेक्टर लगाया था ? यदि हां, तो वह ट्रेक्टर किसका था व उसे क्या भुगतान किया ? क्या इसके संबंध में टेण्डर मांगे गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि उस ट्रेक्टर के द्वारा जानवरों के पीने लायक गन्दा पानी लोगों को सडक पर पिलाया गया व उसकी शिकायत सरकार के पास आई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां कुछ दिनों तक ऊट वालों ने पानी पिलाया।

(2) जी हां, ट्रेक्टर मीयाराम का था। उसे 45) रु. रोज के हिसाब से चुकारा किया गया। टेन्डर नहीं मांगे गये। स्ट्रल रेट होने से टेन्डर लेने को कोई आवश्यकता नहीं थी।

(3) जी नहीं। ट्रेक्टर पानी वहीं से लाता था जहां से ऊंट वाले पानी लाते थे।

स्थगित प्रश्न

(20-8-69)

मेड़ता अस्पताल में नये वार्ड एवं प्रसूति गृह का निर्माण

374. **श्री गोरधन सोनी** (मेड़ता) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मेड़ता सिटी होस्पिटल में जो नया वार्ड एवं प्रसूति गृह का निर्माण जनता द्वारा कराया गया है को 2-3 साल की अवधि बीत जाने पर भी अभी तक विभाग ने बिल्डिग हेन्डओवर नहीं की है ?

(2) क्या बिल्डिग हेण्डओवर हु बिना बिल्डिग की रिपेयर व पुताई भी नहीं हो सकती जो कि सफाई की दृष्टि से आवश्यक है ?

(3) क्या राज्य सरकार शीघ्र ही इसे हैण्डओवर करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। जब तक यह भवन विभाग द्वारा अपने मकानों की सूची में नहीं लिया जाता तब तक भवन की मरम्मत व पुताई का प्रश्न नहीं उठता।

(3) विभाग द्वारा भवन को हैण्डओवर करने का प्रश्न नहीं उठता। विभाग भवन को टेकओवर करता है।

स्थगित प्रश्न

(20-8-69)

पुलिस द्वारा जनता पर गोली चलाने के मामले

393. **श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां):— क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 1967-68

(श्री देवीदत्त गाडिया)

से लेकर 1969-70 में राजस्थान की पुलिस द्वारा जनता पर कई बार गोलियां चलाई गई हैं और उनसे कई व्यक्ति मारे गए तथा घायल हुए ?

(2) यदि हां, तो प्रति वर्ष किस किस स्थान पर, किन किन कारणों को लेकर कितनी कितनी बार गोलियां चलाई और उनसे कौन कौन व्यक्ति मरे व घायल हुए ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि कुछ दिनों पूर्व हिन्डौन की जनता पर पुलिस ने गोलियां चलाई ? यदि हां, तो किस तारीख को और उससे कौन कौन व्यक्ति मरे तथा गोली चलाने का क्या कारण था ?

उत्तर

(1) जी हां, उपद्रवी भीड़ पर कानून व्यवस्था कायम रखने व आत्मरक्षा के दृष्टिकोण से ही गोली चलाने की परिस्थियां पैदा होने पर गोली चलाई गई हैं।

(2) सन् 1967 से लेकर अब तक राज्य की पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये गोलियां चलाई गई इन स्थानों के नाम संलग्न तालिका में लिखे गये हैं। फायरिंग में 15 व्यक्ति मारे गये और 102 व्यक्ति घायल हुए। मृतक व्यक्तियों के नामों की सूची संलग्न है।

(3) जी हां दिनांक 27-6-69 व दिनांक 28-6-69 को गोली चलाई गई थी। इस विषय पर चालू सत्र में एक वक्तव्य म पूरी स्थिति पर प्रकाश डाला जा चुका है।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(20-8-69)

आत्महत्या के मामले

394. श्री रामकिशन (वैर):—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1962 से मार्च सन् 1969 तक राज्य में कुल कितने लोगों ने आत्महत्या की ? इनमें स्त्री तथा पुरुषों की अलग अलग सूची सदन के पटल पर रखी जावे।

(2) इन आत्महत्याओं के क्या क्या कारण रहे ? विस्तृत ब्यौरा सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(20-8-69)

एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, झालावाड़ द्वारा सामान की खरीद

398. श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले में एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर कार्यालय द्वारा गत मार्च 69 से अगस्त 69 तक कितना कितना, कौन कौन सा सामान खरीदा गया ?

(2) क्या सरकार यह उचित नहीं समझती है कि प्रमुख व्यापारियों, व्यापारिक संस्थानों के प्रतिनिधियों एवं प्रमुख 2 नागरिकों का सम्मेलन बुलाकर इस संबंध में शीघ्र और अन्तिम निर्णय ले लिया जाय ?

(स्थगित किया गया)

Page No 73

स्थगित प्रश्न

(12-8-69 व 20-8-69)

आवास विहीन नागरिकों की समस्या

4. **श्री दौलतराम शरण** (डूंगरगढ़): क्या गृह निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के कितने निवासी आवासविहीन हैं जिनके पास न रहने के लिए भूमि है और न मकान हैं ? जिलेवार शहरी और देहाती क्षेत्रों की अलग अलग संख्या दी जाय ।

(2) आवास समस्या के समाधान के लिए क्या योजना है ?

(3) अब तक इस संबंध में क्या किया गया है ?

(4) आवासविहीन नागरिकों को आवास सुविधा देने के संबंध में राज्य की क्या नीति व कार्यक्रम है ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(13-8-69 व 20-8-69)

जयपुर नगर की आवास समस्या के समाधान के लिय अवाप्त भूमि

61. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर):—क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर की बढ़ती हुई आवास की समस्या के समाधान हेतु कुल कितनी कृषि एवं आबादी भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही नगर सुधार न्यास के कार्यालय में चल रही है ? अलग अलग भूमियों का क्षेत्रफल, उनके मालिकों के नाम मय पूर्ण पतों तथा भूमि का स्थान अवाप्ति के लिये जारी किये गये नोटिस की तारीख और इस समय कार्यवाही किस स्तर पर है इसका पूर्ण विवरण देते हुए सूचियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) नगर सुधार न्यास के गठन से लेकर अब तक कौन कौन सी ऐसी भूमियां हैं जिनकी अवाप्ति की कार्यवाही की गई थी और बाद में समाप्त कर दी गई ? उन सभी भूमियों का क्षेत्रफल, उनका पता, उनके मालिक के नाम मय पूर्ण विवरण के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें, जिसमें अवाप्ति की कार्यवाही समाप्त किये जाने के कारणों तथा अवाप्ति के नोटिस की तारीख और उसके समाप्त करने की तारीख का भी उल्लेख हो ।

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास के गठन से व गठन पश्चात् 24 अवाप्ति के मामले न्यास कार्यालय में चल रहे हैं इन अवाप्ति ग्रस्त भूमियों का कुल क्षेत्रफल कुल दावेदार एवं कार्यवाही की प्रगति की सुक्ष्म तालिका अ संलग्न हैं । तालिका ब में अवाप्त ग्रस्त भूमि के संबंध में उपलब्ध भूमि का विवरण दावेदारों का नाम अवाप्ति हेतु जारी किये नोटिसों का दिनांक आदि पूर्ण विवरण अंकित है ।

2. राज्य सरकार ने न्यास के गठन पश्चात् किसी भी अवाप्ति की गई कार्यवाही को समाप्त नहीं किया है ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई) ।

Page No 74

स्थगित प्रश्न

(21-8-69)

सवाई माधोपुर का नाला

406. **श्री चुन्नीलाल जेलिया** (खण्डार सु.) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर म्युनिसिपैलिटी क्षेत्र में जो नला कस्बे की प्रमुख बस्ती के उत्तर की ओर हरिजन वस्ती के निकट है क्या उसके लिये पुश्ती बनाने को राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा 2 लाख 85 हजार रुपये प्राप्त हुए या इसके करीब स्वीकार हुआ है ?

(2) क्या यह रुपया राज्य सरकार खर्च करने की स्थिति में है ?

(3) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? यदि हां तो कब तक ?

उत्तर

(1) नगरपालिका को कोई धन राशि स्वीकृत नहीं की गई है ?

(2) प्रश्न के भाग 1 के उत्तर के अनुसार प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(3) प्रश्न के भाग 1 के उत्तर के अनुसार प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

स्थगित प्रश्न

(21-8-69)

सारथल की सहकारी समितियां

415. **श्री प्रेमसिंह सिंग्वी** (छबड़ा) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) छीपावडोद तहसील के ग्राम सारथल में कितनी सहकारी समितियां किस किस प्रकार की हैं ?

(2) क्या यह सही है कि सारथल की हर एक समिति से खाद व बीज वहां के कृषकों को उधार मिला है ? यदि हां, तो किन किन काश्तकारों को कितना कितना खाद व बीज किस कीमत का दिया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि इस प्रकार दिये गये खाद व बीज की रकम अभी तक काश्तकारों में बाकी है ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) छीपाबड़ोद तहसील के ग्राम सारथल में केवल एक सारथल ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. है ।

(2) जी, हां । जिन काश्तकारों को खाद व बीज जो दिया गया है, कि, सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है ।

(3) जी, हां । जिन काश्तकारों में खाद बीज की रकम बाकी है, की सूची परिशिष्ट "ख" संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट 14 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(21-8-69)

निरीक्षकों एवं सहायक निरीक्षकों के फिक्सेशन के सामने

417. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री फूलचन्द बाफना)

(1) कितने और कौन 2 से निरीक्षकों, व सहायक निरीक्षकों के फिक्सेशन सन् 1956 1961 व 1966 में रिवाइज्ड हुए ग्रेड्स. में नहीं हुए ? अब कब तक हो जायेंगे ?

(2) किन किन निरीक्षकों व सहायक निरीक्षकों के फिक्सेशन हो गये और उनमें से किन किन को भुगतान नहीं किया गया है और वह भुगतान कब तक किये जायेंगे ?

(3) कितने व कौन कौन से निरीक्षकों एवं सहायक निरीक्षकों के कितने 2 रुपयों भिन्न भिन्न बिलों का (जिन बिलों में कार्यालय के किराये के बिल भी शामिल समझें) भुगतान किया जाना अब तक बाकी है ? इन बकाया राशियों का भुगतान कब तक किया जायेगा ?

(4) दस दस वर्ष तक कार्य करते रहने पर व लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किये जाने पर भी किन किन निरीक्षकों को अभी तक स्थायी नहीं किया गया है और क्यों ? इन्हें कब तक स्थायी कर दिया जायगा ?

(5) कितने व किन किन निरीक्षकों व सहायक निरीक्षकों के वरिष्ठता के मामले कितने कितने समय से विचाराधीन हैं और उन पर कब तक निर्णय ले लिया जायगा ?

(6) अन्य विभागों से स्थानान्तरित होकर आये हुए कितने व कौन कौन से निरीक्षकों व सहायक निरीक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के वरिष्ठता, वेतन स्थायीकरण आदि के मामलों का अन्तिम निर्णय अब तक भी नहीं हो पाया है ? कब तक इन निर्णयों की सम्भावना है ? दस वर्ष और बीस वर्ष की पृथक सूचियां सदन पटल पर रखी जायें ।

(7) किन किन निरीक्षकों के सेवाकाल का निर्णय इन्टीग्रेशन विभाग द्वारा किया जा चुका है ? उनका सेवाकाल क्यों नहीं माना जा रहा है ?

उत्तर

इन प्रश्नों के उत्तर के लिये आवश्यक सूचना अधीनस्थ कार्यालयों से एकत्रित की जा रही है ।

(स्थगित प्रश्न)
(2-8-69)

जिला बांसवाडा के काश्तकारों द्वारा भूमि बंधक बैंक से ऋण के लिये प्रार्थना-पत्र

418. **श्री विट्ठल भाई** (पीपलखूंट सु.) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाडा में भूमि बन्धक बैंक से वहां के काश्तकारों ने कर्ज के लिये मांग की है ?

(2) यदि हां, तो कैसे कितने काश्तकारों ने कर्जा फार्म दिये हैं और अब तक कितने किसानों को कर्जा मिला और कितने को नहीं मिला ? यदि नहीं, तो क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) जी, हां ।

(2) कुल 557 काश्तकारों ने कर्जा फार्म दिए । अब तक 283 किसानों को कर्जा मिला है, 274 को नहीं । इनमें से 74 प्रार्थना पत्र आक्षेप पूर्ती न किए जाने के कारण रद्द किये गये । शेष 200 किसानों को क

Page No 76

(सहकारिता मन्त्री)
नहीं मिलने का कारण प्रार्थना पत्रों की पूर्ती हेतु उन पर विभिन्न प्रकार की कार्यवाहियां चलना है ।

स्थानान्तरों पर व्यय

421. **श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

अक्टूबर, 68 से लेकर जनवरी, 69 तक सहकारी विभाग ने केन्द्रीय कार्यालय से एक अन्य जिलों से किस किस पद के कितने कर्मचारियों का परिवतन किन किन कारणों से किया और उन पर टी. ए., डी. ए., आदि आदि के रूप में कुल कितने रुपये खर्च हुए ? सूची सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

1. अक्टूबर 68 से लेकर जनवरी 69 तक सहकारी विभाग ने केन्द्रीय कार्यालय एवं अन्य जिलों से जिस जिस पद के जितने जितने कर्मचारियों का परिवर्तन जिन जिनके कारणों से किया गया है तथा उनके टी. ए., व डी. ए., पर जो खर्चा हुआ है वह निम्न प्रकार है :--

पद	कर्मचारियों की संख्या	व्यय टी. ए., व डी. ए.	स्थानान्तरण करने के कारण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1. निरीक्षक (कार्य.)	160	9688,79	राज्य सरकार की परिवर्तित नीति के अनुसार होम डिस्ट्रिक्ट से हटाये गये।	52 निरीक्षकों द्वारा बिल प्राप्त नहीं हुए हैं।
2. निरीक्षक (कार्य.)	74	5426,34	सहायक निरीक्षक के पद से पदोन्नति के कारण	21 निरीक्षकों को पंचायत समिति से भुगतान किया गया।
3. निरीक्षक (कार्य.)	12	1237,06	प्रशासनिक कारण एवं सहकारी संस्थाओं में प्रतिनयुक्ति पर भेजने व वापस लेकर नियोजन करने के कारण	

(सहकारिता मन्त्री)

1	2	3		4	5
4.	सहायक निरीक्षक	66	3600,	बैंकों की हेबिलीटेशन योजना समाप्त होने के कारण	23 सहायक निरीक्षकों द्वारा बिल प्राप्त नहीं हुए हैं। 14 सहायक निरीक्षकों को भुगतान बैंक द्वारा किया गया है।
5.	" "	43		राज्य सरकार की नीति ` अनुसार होम डिस्ट्रिक्ट से अथवा उसके नजदीक के जिलों से लाने के कारण	
6.	वरिष्ठ लेखक	6 ..	545-04	पदोन्नति के कारण प्रशासनिक कारण	1 वरिष्ठ लेखक द्वारा बिल प्राप्त नहीं हुआ।
7.	लेखालिपिक	2 ..			
8.	स्टेनोग्राफ़र	1 ..	158-80	डेपुटेशन से वापस आने पर नियोजन के कारण	
9.	कनिष्ठ लेखक	8 ..	368-86	पदोन्नति के कारण रिक्त हुए तथा अन्य रिक्त पदों की पूर्ति हेतु	3 कनिष्ठ लेखकों द्वारा बिल प्राप्त नहीं हुए हैं।
10.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	87,10	राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक कार्यालय के लिये उनके आदेश दि. 20-8-68 द्वारा मानदण्ड में परिवर्तन के फलस्वरूप	

उपरोक्त स्थानान्तरण के अतिरिक्त निरीक्षक (आडिट) के बारे में पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं हो पाई हैं जो एकत्रित की जा रही है।

स्थगित प्रश्न

(21-8-69)

कल्याण सोना गेहूं के बीज की खरीद

423. **श्री शंकर लाल जाट** (कपासन) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि राजस्थान में उन्नत कृषि बीज जैसे कल्याण सोना गेहूं का वितरण सन् 1968 में प्रति किलो 7 रुपये के हिसाब से किया गया था?

Page No 78

(शंकरलाल जाट)

(2) यदि हां, तो कुल कितना गेहूं किस किस व्यक्ति को और किस पंचायत समिति को वितरित किया गया है? पते सहित सूची सदन की मेज़ पर रखें?

(3) क्या यह भी सही है कि कल्याण सोना गेहूं जिन किसानों को दिया गया था उन्हें देते समय वापिस सरकार ने लेने का वायदा किया था?

(4) यदि हां, तो किन किन किसानों से वापिस लिया गया है और किस भाव से? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) सूची संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) बीज की खरीद पंचायत समिति द्वारा की जाती है अतः आवश्यकतानुसार पंचायत समितियां ही बीज क्रय कर रही हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखदी गई)

स्थगित प्रश्न
(21-8-69)

भूतपूर्व कोटा रियासत के अधिकारियों की नियुक्ति

437. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं): क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व कोटा के रियासत के कुछ अधिकारी राजस्थान बनते समय पशु पालन विभाग में नियुक्त किए गये थे? यदि हां, तो किस किस को किस किस पद तथा पर क्या क्या वेतन दिया जाना तय किया गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त अधिकारियों में से किन किन को ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र सवाई माधोपुर से किस किस पद पर लगाया गया तथा क्या तनख्वाह दी गई? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त प्रशिक्षण केन्द्र अब तक कब से कब तक किस किस विभाग के अधीन रहा?

(4) जब प्रशिक्षण केन्द्र एक विभाग से हट कर दूसरे विभाग को स्थानान्तरित किया गया तो उस समय स्टाफ को कहां कहां पर किस किस पद पर लगाया गया?

(5) उपरोक्त अधिकारियों से श्री एम. आर. शर्मा मौजूदा खाद्य एवं चारा विकास अधिकारी पशुपालन विभाग किस किस पद पर कब कब रहे और उनको क्या क्या तनख्वाह दी गई?

(6) क्या श्री एन. आर. शर्मा एक विभागीय आदेश संख्या एफ. 1952 ए. एच. एफ. 31 (2) (26) एग्री. 58 दिनांक 3–9–58 के द्वारा सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रजनन केन्द्र के पद पर नियुक्त किया गया यदि हां, तो किस आधार पर?

(श्री हरजीराम बुरडक)

(7) उपरोक्त कोटा रियासत से राजस्थान सरकार की सेवा के लिए गए कर्मचारियों की सेवा का कब से माना गया ?

उत्तर

1. जी हां, अधिकारीयों के पदों तथा दिये गये वेतन की सूची सदन की मेज़ पर रखदी गई ।

2. अधिकारियों के पदों एवम् वेतन की सूची सदन की मेज़ पर रखदी गई है।

3. उक्त केन्द्र, अक्टूबर, 57 तक कृषि विभाग तथा तत्पश्चात् 1 नवम्बर, 58 से विकास विभाग के अधीन चल रहा है।

4. जब प्रशिक्षण केन्द्र को स्थानान्तरित किया गया, केवल मात्र श्री मेघराज शर्मा अधीक्षक पशु प्रजनन केन्द्र पर लगया गया था।

5. श्री मेघराज शर्मा, [निम्नांकित अवधि में निम्नांकित पदों पर निम्न वेतन पर रहें :—

पद	अवधि	वेतन शृंखला
1. अधीक्षक पशु प्र. के. ..	1-4-50 से 3-1-53	150-300 (1-4-50 से 28-2-56)
2. व्याख्याता	4-1-53 से 4-10-58 तक	200-400 (1-3-56 से 31-8-61)
3. अधीक्षक	5-10-58 से 22-4-63 तक	225-800 (1-9-61 से 19-6-68)
4. व्याख्याता	23-4-63 से 19-10-67 तक	उक्त ही
5. व्यवस्थापक	20-10-67 से 15-12-67	"
6. खाद्य एवम् चारा वि. अ.	15-12-67 से 5-7-69 तक	360-900 (20-6-66 से 5-7-69)
7. गव्य प्रसार अधिकारी ..	6-7-69 से अब तक	375-800

6. लीन एवम् जन सेवा आयोग चयनित होने के कारण।

7. सभी कर्मचारियों का सेवा का उनकी प्रथम नियुक्ति को दिनांक से माना गया है।

(कृपया परिशिष्ट 15 देखिये)

(21-8-69)

स्थगित प्रश्न

(21-8-69)

झालरापाटन में मेलों से आय

438. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरा पाटन) : क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 66-67 व 67-68 व 68-69 में हुए झालरापाटन कार्तिक एवं

(श्री रामप्रसाद बोहरा)
वैशाख मेलों से कुल कितनी आमदनी हुई और कितना खर्चा प्रति मेला हर साल व हर मदवार की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि मेला जब नगर पालिका द्वारा भरवाया जाता था तब इस प्रकार ज्यादा खर्च नहीं होता था ?

(3) यह भी बताने का कष्ट करें कि इन सालों में नगरपालिका झालरापाटन को कितना कितना रुपया दिया गया ? और यह कब तक दिया जाता रहेगा ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) जी, हां।

(3) 25,000 रुपये वार्षिक दिया जाता है। जब तक नीति में कोई परिवर्तन नहीं होता है ?

(कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

स्थगित प्रश्न
(21-8-69)

गोपालकों का लोन व सब्सिडी

440. **श्री चुन्नी लाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिले में आई. सी. डी. के द्वारा कितने गोपालकों को कितने कितने रुपये लोन व सब्सिडी दी गई, उन व्यक्तियों के नाम मय गांव के लोन व सब्सिडी सहित सूची सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि गोपाल को को कुन्ड बनाने के लिये व छप्पर बनाने के लिये सब्सिडी दी गई है ? यदि हां, तो किस किस व्यक्ति को दी गई, इनके नाम मय गांव के व धन-राशि सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) समस्त सूचना की सूची संलग्न करदी गई है।

(2) जी नहीं, कोई धन राशि नहीं दी गई।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न
(21-8-69)

मत्स्य अधिकारियों के ग्रेड

443. **श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां) : क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने पशुपालन अधिकारियों के लिये उच्चतर ग्रेड जो घोषित किया था वह पशुपालन विभाग के सब अधिकारियों को दे दिया गया है, जब कि उसी विभाग के मत्स्य अधिकारियों को उक्त ग्रेड नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या मत्स्य शाखा के अधिकारियों के लिये सेवा नियम अभी तक नहीं बने हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

Page No 81

(श्री देवीदत्त गाडिया)

(3) राज्य में कितने मत्स्य प्रोजेक्ट चुने गये हैं ?

(4) क्या यह सही है कि उन मत्स्य प्रोजेक्टों पर भारी खर्चा होने के बाद भी स्टाफ़ की नियुक्ति नहीं हुई है व तकनीकी काम नहीं हो रहे हैं ?

(5) क्या यह सही है कि अप्रेल 1967 से अब तक सवाई माधोपुर के सहायक मत्स्य विकास अधिकारी का पद रिक्त है जब कि उक्त ज़िला मत्स्य पालन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है ? यदि हां, तो क्यों ?

(6) सेन्ट्रल फ़िशरीज़ ट्रेनिंग सेन्टर, आगरा से प्रशिक्षण प्राप्त मत्स्य निरीक्षकों को कहां लगाया गया है ? प्रत्येक का नियुक्ति स्थान बताया जावे। क्या फ़िशरीज़ प्रोजेक्ट कार्य के लिये उनका उपयोग हो रहा है ?

(7) अजमेर जैसे स्थान में जहां कि कोई प्रोजेक्ट कार्य नहीं है आगरा से प्रशिक्षित मत्स्य निरीक्षक नियुक्त करने का क्या प्रयोजन है ?

(8) क्या यह सही है कि देश के समस्त प्रान्तों में, सिवाय एक राजस्थान के मत्स्य विभाग अलग से है ? यदि हां, तो राजस्थान में ही वह पशुपालन विभाग के अन्तर्गत क्यों रखा हुआ है ? उसको पूर्ण संचालकालय घोषित करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

(9) इस वर्ष इन्ड्यूस्ड ब्रीडिंग पद्धति पर सफ़ल हुआ है और उससे कितना मत्स्य-बीज का उत्पादन हुआ ? आंकड़े सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। मत्स्य शाखा के कुछ अधिकारियों को उच्चतम ग्रेड दे दिये गये हैं और बाक़ी कार्यवाही राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) राजस्थान पशु पालन सेवा नियम बन चुके हैं। इन नियमों को संशोधित कर मत्स्य शाखा के पदों के लिये अलग से परिशिष्ठ बनाने की कार्यवाही जारी है।

(3) राज्य में 2 मत्स्य प्रोजेक्ट चुने गये हैं।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) जी नहीं।

(6) सूची संलग्न है।

(7) यह आवश्यक नहीं है कि आगरे से प्रशिक्षित निरीक्षक को प्रोजेक्ट कार्य हेतु ही लगाया जावे।

(8) जी नहीं।

(9) सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 17 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(14-8-69 व 21-8-69)

रेगिस्तानी इलाकों में कुओं का निर्माण

112. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि नवम्बर, सन् 1968 में रेगिस्तानी इलाक़ों में एक हज़ार नये

Page No 82

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कुवें तथा शेष राज्यों में दो हजार नये कुएं निर्माण करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया था? यदि हां, तो तब से लेकर अब तक इन तीन हजार कुवों में से कितने कुवे बनकर तैयार हो गये हैं और उन पर अब तक कितना खर्चा हो गया है? शेष कुवे कब तक बनकर तैयार हो जायेंगे? जिलेवार बनाये जाने वाले कुवों की संख्या बताने की कृपा करें।

उत्तर

जी नहीं, यह सही नहीं है। नवम्बर, 1968 में राजस्थान भूजल मण्डल द्वारा अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत 60 नलकूप निर्माण करने का प्रावधान पूरा किया गया, जिसमें से 47 (सैंतालीस) नलकूप सफल हुए। इन नलकूपों पर 31 मार्च 1969 तक रु0 47,56,086.09 व्यय हुआ।

नवम्बर, 1968, से 31 मार्च, 1969 तक सारे राज्य में 6,992 नये कुवे बनाये गये, तथा 18,198 कुओं की मरम्मत हुई या गहरा कराया गया।

स्थगित प्रश्न

(14-8-69 व 21-8-68)

जयसमन्द झील में मछली पकड़ने का ठेका

119. **श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां): क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयसमन्द झील में मत्स्य पालन के सम्बन्ध में प्रगतिशील रिपोर्ट विभाग द्वारा बनाई गई है? यदि हां, तो वह रिपोर्ट सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने जयसमन्द झील में मछली पकड़ने का ठेका श्री एच0 सी0 कपूर को नहीं दिया जाकर विभागीय स्तर पर कार्य कराने का या नीलामी के द्वारा नया ठेका देने का निर्णय कर लिया है?

उत्तर

1. जी हां, रिपोर्ट सदन की मेज़ पर रखदी गई है।

2. जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखदी गई)

स्थगित प्रश्न

(22-8-69)

शंकर किस्म के बीजों का वितरण

495. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार शंकर किस्म के बीजों का प्रचार कर रही है तथा इन शंकर बीजों का उत्पादन अधिक है? यदि हां, तो क्या कारण है कि पंचायत समिति छीपा बड़ौद के बी. डी. ओ. ने काश्तकारों की मांग के बावजूद भी शंकर ज्वार का बीज काश्तकारों को उपलब्ध नहीं कराया?

(2) क्या सरकार इस प्रकार के अधिकारी के खिलाफ़ जो सरकार की

Page No 83

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)

पोलिसी के विपरीत काम करता है, कुछ एक्शन लेना उचित समझती है? यदि हां, तो कब तक एक्शन लिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या पंचायत समिति छीपा बड़ौद राजकीय आदेशों के खिलाफ रसायनिक खाद उधार वितरण कर रही है?

(4) क्या यह सही है कि केवल अकाल-ग्रस्त क्षेत्र में उधारी के रूप में वितरण के आदेश हैं? यदि हां, तो उधार खाद वितरण करने के क्या कारण हैं?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(22-8-69)

कोटा जिले में उन्नत किस्म के बीजों की खरीद

496. **श्री बृजवल्लभ बोहरा** (दीगोद): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले में इस साल किस किस फार्म से किस किस क़िस्म का कितना कितना उन्नत बीज किस किस भाव से खरीदा गया है?

(2) क्या उन्नत बीज की खरीद से पहले किसी अधिकारी ने इस बीज की जांच की थी? यदि हां, तो कौन कौन सी तारीखों को?

उत्तर

(1) तालिका संलग्न है।

(2) जी हां। बीज जांच अधिकारी, कृषि अनुसंधान फार्म दुर्गापुरा जयपुर के द्वारा करायी गयी थी। जांच कराने की तारीखों की सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 18 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(22-8-69)

कल्याण सोना स्पेशल गेहूं

499. **श्री देवीलाल बरासिया** (केकड़ी सु.)—क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला कृषि अधिकारी अजमेर में कल्याण सोना स्पेशल गेहूं 6) 64 रु. प्रति किलो काश्तकारों को बेचा था?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भाव में काश्तकारों को अनग्रेडिंग बीज दिया गया था?

(3) क्या यह सही है कि 2) रु. प्रति किलो वापस खरीदने का उक्त अधिकारी ने काश्तकारों को आश्वासन दिया था और वापस लेने का कान्ट्रेक्ट भी किया था?

(4) जिला कृषि अधिकारी के कल्याण सोना गेहूं की फसल निरीक्षण के कितने चार्जेज हैं और अन्य क्या चार्जेज देने पड़ते हैं?

उत्तर

(1) जी नहीं। कल्याण सोना बीज 6) 50 रु. प्रति किलो की दर से काश्तकारों को बेचा तथा बिक्री कर अलग से चार्ज किय

(कृषि मंत्री)

(2) जी नहीं। पंतनगर से फाउन्डेशन बीज खरीद कर वितरण किया गया था। अनग्रेडेड बीज नहीं दिया गया।

(3) जी नहीं।

(4) राज्य सरकार द्वारा 5) रु. प्रति एकड की दर से निरीक्षण शुल्क तथा 5 पैसे प्रति किलो ग्रेडिंग चार्जेज के निर्धारित किए हैं। अतः जो भी काश्तकार अपनी इच्छा से उपरोक्त कार्य कराना चाहे वो शुल्क जमा कराकर करा सकते हैं।

स्थगित प्रश्न

(22-8-69)

अकाल के कारण पशुओं की मृत्यु

512. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य के विभिन्न जिलों में सन् 1968-69 तथा 1969-70 में अकाल के कारण कितने पशु मरे उसकी सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(16-8-69 व 22-8-69)

घाटे में चल रहे पंचायत समितियों के कृषि फार्म

182. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने कुछ कृषि फार्म पंचायत समितियों को सौंपे थे? यदि हां, तो कौन कौन सा फार्म किस किस पंचायत समिति को कब कब सौंपा गया और उन फार्मों का क्या क्या क्षेत्रफल व क्या क्या साज सामान व मकान तथा सिंचाई के साधन थे और बुक वैल्यू के आधार पर कितने कितने मूल्य के थे? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त फार्मों को पंचायत समितियों को सौंपते समय और आज दिन घाटे नफे की क्या क्या स्थिति है?

(3) जिस उद्देश्य से कृषि फार्मों की स्थापना की थी उस उद्देश्य की पूर्ति अब हो रही है या नहीं?

(4) उक्त फार्मों के घाटे में जाने के क्या कारण हैं और इसकी रोकथाम के लिये क्या क्या उपाय काम में लिए गये और लिये जायेंगे?

(5) इस प्रकार लगातार घाटे में जा रहे फार्मों से आगे चलकर इस योजना का भविष्य क्या होगा?

(स्थगित किया गया)

(12.20 म. प.)

विधान सभा समितियों के निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि जनलेखा समिति, 1969-70,

Page No 85

(श्री अध्यक्ष)

प्राक्कलन समिति, 1969-70 एवं राजकीय उपक्रम समिति, 1969-70 के लिये निम्नांकित सदस्य निर्वाचित घोषित किये जाते हैं :—

जनलेखा समिति, 1969-70

क्र. सं.	सदस्य का नाम	विभाजन संख्या
1.	श्री मुकुटविहारीलाल गोयल	111
2.	श्री चुन्नीलाल	34
3.	श्री दौलतराम सारण	56
4.	श्री देवीलाल बुरासिया	53
5.	श्री कृष्ण कुमार गोयल	16
6.	श्री हंसराज आर्य	173
7.	श्री गुलाब सिंह	29
8.	श्री सहदेव शर्मा	166
9.	श्री गोकुलचन्द	30
10.	श्री रघुनाथ विश्नोई	121
11.	श्री पुखराज कालानी	72
12.	श्री किशनलाल शर्मा	17

प्राक्कलन समिति, 1969-70

1.	श्री कन्हैयालाल (बस्सी)	11
2.	श्री कालूराम आर्य	15
3.	श्री किशनलाल शाह	18
4.	श्री केशरीसिंह हाडा	21
5.	श्री चुन्नीलाल इन्दलिया	35
6.	श्री जवाहरमल	41
7.	श्री दीपचन्द छंगाणी	49
8.	श्री देवीदत्त गाड़िया	52
9.	श्री नाथूराम	65
10.	श्री नाथूलाल करौल	66
11.	श्री मजलिस खां	98
12.	श्री महेन्द्र कुमार	106
13.	श्री मोहनलाल मोदी	117
14.	श्री रामकुमार नन्दवाना	127
15.	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत	144

राजकीय उपक्रम समिति, 1969-70

1.	श्री नत्थीसिंह	60
2.	श्री विजयसिंह मकराना	149
3.	श्री सुवालाल चौधरी	171
4.	श्री हरजीराम बुरड़क	174
5.	श्री भैरोंसिंह शेखावत	97
6.	श्री बीरवल	88
7.	श्री देवेन्द्र कुमार	55
8.	श्री गोकुल प्रसाद	31
9.	श्री शीशराम	159
10.	श्री शंकरलाल	154
11.	श्री रोशनलाल शर्मा	141
12.	श्री वृद्धिचन्द्र जैन	86

श्री अमृतलाल यादव के विरुद्ध प्रस्ताव की ग्राह्यता संबंधी निर्णय

माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने प्रक्रिया के नियम 119 के अन्तर्गत सहकारिता मंत्री श्री अमृतलाल यादव के विरुद्ध एक प्रस्ताव, कतिपय आरोपों के विवरण सहित, प्रस्तुत किया था।

मैंने इस प्रस्ताव की ग्राह्यता पर विचार कर लिया है और इसे सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इस प्रस्ताव को सदन में लिए जाने की तिथि बाद में निश्चित की जावेगी।

Page No 86

(श्री अध्यक्ष)

(3) पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक–

राजस्थान विश्वविद्यालय विधियां

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय मैं, राजस्थान विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 1969 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं, मजदूरी संदाय (रास्थान संशोधन) विधेयक, 1969 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मजदूरी संदाय (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1969 को पुरःस्थापित किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं, मजदूरी संदाय (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1969 को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान साहूकार (संशोधन) विधेयक।

श्री रामकिशोर व्यास : अध्यक्ष महोदय मैं, राजस्थान साहूकार (संशोधन) विधेयक 1969 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामकिशोर व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान साहूकार (संशोधन) विधेयक, 1969 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान बालक विधेयक।

श्री विशम्बरनाथ जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान बालक विधेयक, 1969 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री विशम्बरनाथ जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान बालक विधेयक, 1969 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रवर समिति . . .

श्री विशम्बरनाथ जोशी : मैं यह भी निवेदन करता हूं कि राजस्थान बालक विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये जो अपना प्रतिवेदन अगले सप्ताह में . . .

श्री भैरोंसिंह : पहले इस प्रश्न पर हाउस में विचार किया जाये ताकि उस पर सिलेक्ट कमेटी में ठीक विचार किया जा सके। क्योंकि पहले भी यह विधेयक आया था। उस वक्त रिजेक्ट कर दिया गया था इसलिए अब वह विधेयक काफी समय बाद फिर आया है। मैं चाहूंगा कि इस पर हाउस में विचार किया जाये।

श्री बिशम्बरनाथ जोशी: अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि अधिकांश राज्यों में ऐसे कानून बनाकर उन पर क्रियान्वित शुरू कर दी गई है। राजस्थान राज्य ही अब तक पिछड़ा हुआ था। कई ऐसी ट्राइब्स हैं जिनके रिहैबिलीटेशन के लिए हम कुछ करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि सदन इस पर विचार करले। इस पर तथ्य हैं तो आप कहें।

श्री बिशम्बरनाथ जोशी : प्रवर समिति के सुपुर्द करने के बारे में विचार किया जाएगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की 2।। बजे मीटिंग होगी उसमें आप रख दें।

श्री अध्यक्ष : मैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के लिए इसे रख लेता हूं।

राजस्थान विधान सभा—अधिकारियों तथा सदस्यों के परिलाभ।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय मैं, राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों के परिलाभ) (तृतीय संशोधन) विधेयक 1969 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों के परिलाभ) (तृतीय संशोधन) विधेयक, पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय मैं, राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों के परिलाभ) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1969 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विधायी-कार्य।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बिजनेस में नहीं है: यह बाद की चर्चा है।

श्री अध्यक्ष : यस यस। स्पष्टीकरण कन्हैया लाल उप मन्त्री द्वारा।

श्री मन्त्री महोदय।

एक माननीय सदस्य : बोलते नहीं हैं।

श्री परसराम मदेरना (पंचायत मन्त्री) : इससे पूर्व कि उप मन्त्री महोदय स्पष्टीकरण दें, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 26-8-69 को प्रश्न 145 के सम्बन्ध में जब मैं जवाब दे रहा था तो सदन के माननीय सदस्यों और सदन के समक्ष यह आश्वासन मैंने दिया था कि सलोनियां पंचायत समिति से पूरा रिकार्ड मंगाकर मैं स्वयं अध्ययन करूंगा और परिणामस्वरूप जो जानकारी उपलब्ध होगी उससे मैं सदन को

Page No 88

(श्री परसराम मदेरणा)
अवगत करूंगा। मैंने पंचायत समिति सलोनियां का रिकार्ड मंगाकर ध्यान पूर्वक अध्ययन किया है। मैंने स्वयं उसका अध्ययन किया। उससे यह प्रकट हुआ है कि 19-2-66 के पश्चात आज तक किसी भी बैठक में किसी हैसियत से उप मन्त्री ने भाग नहीं लिया है। जब कि उप मन्त्री जी ने पंचायत की किसी भी बैठक में भाग ही नहीं लिया तो उनके द्वारा पंचायत की बैठक में भाग लेने के लिये आने जाने एवं ठहरने का भत्ता उप मन्त्री की हैसियत से उठाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अब कोई सरपंच यदि राज्य सरकार में मंत्री का उप मन्त्री का पद ग्रहण कर ले तो सरपंच के पद पर बने रहने योग्य रहता है या नहीं—इस मसले में राज्य सरकार के विधि विभाग के द्वारा विचार किया जा रहा है...

श्री जुझारसिंह (रामगंज मन्डी) : अध्यक्ष महोदय, उप मन्त्री जी देंगे स्टेटमेंट (विराम) जहां तक मन्त्री महोदय के जवाब का सम्बन्ध है...

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री देवीदत्त [illegible] (बारां): उप मन्त्री जी से वक्तव्य दिला दिया जाय।

श्री मदनसिंह : पटेल जी बोलें, उसके पहले माननीय मन्त्री महोदय ने जो फर्माया है उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं। अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा कि 1966 से लेकर आज तक किसी मीटिंग में नहीं गये, जब कि आपने यहां पर यह बताया था कि चार महीने पहले तक सरपंच थे, और तब उन्होंने इस्तीफा दिया था। इससे क्या साबित होता है ? क्या मंत्री महोदय का कहना सत्य है ? जब उप मन्त्री जी यह कहते हैं कि चार महिने पहले मैं सरपंच था। तो क्या सरपंच होने के नाते से वह वहां नहीं बैठे होंगे ? क्या भत्ता नहीं लिया होगा ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर। समझ में आ गया।

श्री शंकरलाल जैतारण : सवाल मीटिंग अटेण्ड करने का है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने सब कुछ सोच लिया है। मैं यह नहीं कहता हूं कि सरपंच नहीं थे, सरपंच आज भी हैं लेकिन उन्होंने बैठक न तो बुलाई न उसको अटेण्ड किया न उसमें भाग लिया इन्होंने जब बैठक में भाग नहीं लिया है तो जो प्रश्न यहां पर कल यह उठाया गया था कि उप मन्त्री जी पंचायत की बैठक में भाग लेते रहे हैं, टी.ए.डी.ए. लेते रहे हैं, उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पंचायत की मीटिंग में उप मन्त्री बनने, एम.एल.ए. बनने के बाद नहीं गये, जब यह एम.एल.ए. बने, तब से मई 1969 तक कोई मीटिंग में भाग नहीं लिया है। (श्री मदन सिंह के बोलने के लिए खड़े होने पर आप बैठिये। मेरी बात नहीं सुनना चाहते हैं..

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने जो फैक्ट्स रखे हैं, अध्यक्ष महोदय अगर इसके लिए रिकार्ड देखना चाहें तो वह मेरे पास है।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न•••

श्री मदनसिंह : सवाल यह नहीं हैं•••

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री मदनसिंह : मैं इस सम्बन्ध में•••

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! श्री जुझार सिंह !

श्री जुझार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न, जो पिछली साल 1968 में इस सदन में पूछा था, उसको वरबेटिम सुनाना चाहता हूं जिससे स्थिति स्पष्ट हो जायगी..

श्री भैरोंसिंह : उसको सुनाने के पहले मन्त्री महोदय एक स्पष्टीकरण कर दें इस सम्बन्ध में। आपने इस सम्बन्ध में जो प्रश्नों के उत्तर दिये और वक्तव्य दिया है, क्या उसमें कोई बात गलत थी जो आपकी जानकारी में अब आई है ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, सदन में इस प्रश्न को तीन दफा उठाया गया है— एक तो एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर 16 सितम्बर, 1968 को दिया था। दूसरे 18 तारीख को, इसी महीने की 18 तारीख को इस पर चर्चा हुई और फिर परसों 26 को इस पर चर्चा हुई। उसमें जो गलतफहमी चल रही है, वह अतारांकित प्रश्न का जो उत्तर दिया है, जो कि रामगंज मण्डी से आने वाले माननीय सदस्य के पास में हैं, उससे चल रही है और उससे गलतफहमी होना स्वाभाविक है। इसका कारण यह है••••

श्री भैरोंसिंह : एक्स्प्लेनेशन नहीं। जो मेरा क्वेश्चन है, वह स्पष्ट है। इस केस में इस हाउस में आपने दो बार तो प्रश्न का उत्तर दिया और एक स्टेटमेंट दिया, उसके बाद अब तक जो आपने रिकार्ड देखा है इसकी जानकारी के आधार पर क्या यह बात सही नहीं हैं कि आपने पिछली बार हाउस में गलत स्टेटमेंट दिया है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : यही कह रहा हूं।

श्री शंकरलाल : यही स्पष्टीकरण दे रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : जब तक मैं यह नहीं कहूंगा तब तक स्पष्टीकरण नहीं कर सकता। आप मुझे पिन डाउन करना चाहते हैं, वह मैं होने वाला नहीं हूं।

श्री भैरोंसिंह : अच्छा साहब।

श्री परसराम मदेरणा : आपने प्रश्न पूछा उसका जो उत्तर दिया था; उसमें असल में उप सरपंच ने मीटिंग बुलाई थी। कानून के अन्तर्गत सरपंच के फंक्शन्स और पावर सरपंच की एबसेन्स में उप सरपंच को होते हैं। इसलिए उस वक्त जो सरपंच बताया था उससे मतलब उप सरपंच से था। मैं एक बात कहूं कि माननीय सदस्य इस बात को कह रहे हैं और उन्होंने एक पत्र भी लिखा था जिसमें इसका जिक्र किया गया था कि उन्होंने टी. ए., डी. ए. उठाया है। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि वह तारीखें मैं आपको बता दूं जो अतारांकित प्रश्न के उत्तर में बताई हैं, 13-2-68 तक की तारीखें हैं इन तारीखों में उस जिले में यह एक दो दफा रहे हैं, लेकिन उसके साथ वह अपने गांव में नहीं

(श्री परसराम मदेरणा)

गये थे। इसलिए उस वक्त जो भी मीटिंग हुई उस वक्त मीटिंग में भाग लेने का प्रश्न नहीं है बाकी के वक्त वह उस जिले में नहीं थे, एक या दो दफा झालावाड जिले के अन्दर दूसरी जगह थे, हनुमानगढ़ आदि या फिर जयपुर थे। इसलिए जब मीटिंग हुई उनमें सरपंच जो यूज किया गया है वह उप सरपंच के लिए है। आप यह भी देखेंगे कि जो उप सरपंच दस्तखत करता है, उस पर जो सील हैं। कानून में भी वही स्थिति है। लेकिन इससे गलतफहमी हो गई है इसलिए माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि मैंने जो 18 को स्टेटमेंट दिया है—यह बात सही है कि 18 को मैंने जो स्टेटमेंट दिया था तो 18 तारीख को मैंने कहा था कि हमको पता नही है, लेकिन रामगंज मण्डी से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात को एम्फेटिकली कहा कि मीटिंग अटेण्ड की है, मीटिंग में भाग लिया है और उसका टी. ए. डी. ए. उठाया है। उस वक्त मैंने कहा था कि मेरे पास जो इन्फार्मेशन है, वह यह है कि बहैसियत उप मंत्री ने भाग नहीं लिया। हो सकता है कि भाग लिया हो सरपंच की हैसियत से लेकिन मेरे पास इन्फार्मेशन नहीं है। परसों फिर यह क्वेश्चन आया कि आपने ऐसा जवाब दिया है। उसके बाद मेरे पास रिप्लाई आफिशियली भी आया है, रिकार्ड को भी देख लिया है, उसको देखने के बाद जो बात मैंने उस वक्त कही थी, जिसको कान्ट्रे डिक्ट्री आप समझते हैं वह रामगंज मण्डी से आने वाले माननीय सदस्य स्टेटमेंट पर बिलीफ रखते हुए कही थी।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो सवाल उठाया गया उसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया। आपने यह फर्माया कि 1966 से लेकर आज तक कोई मीटिंग अटेन्ड नहीं की और वह कहते हैं कि चार महीने के पहले इस्तीफा दिया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि दो साल तक या डेढ़ साल तक अगर मीटिंग को अटेन्ड नहीं करता है तो स्वतः ही उसका इस्तीफा हो जाता है। यह दोनों बात कान्ट्रे डिक्ट्री होने के कारण शक होता है कि रिकार्ड कैसे अच्छा हो सकता है। व खुद कह रहे हैं कि चार महीने पहले इस्तीफा दिया है और आप कह रहे हैं कि दो साल तक मीटिंग अटेण्ड नहीं की है।

श्री अध्यक्ष : कानूनी प्रश्न है, उसको एक्स्प्लेन कर देंगे।

श्री मदनसिंह : कानूनी क्या प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष : वह एक्स्प्लेन अभी कर देंगे।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने फर्माया, उसके सम्बन्ध में मैंने जो प्रश्न पिछली साल किया था उसको मैं सदन की जानकारी के लिए सुनाना चाहता हूं। प्रश्न यह था :

ग्राम सलोनिया, पंचायत समिति, पिडावा के सरपंच ने पिछले छः महीनों में कितनी बार किन किन दिनों में मीटिंग्स की है ?

यदि नहीं, तो इन्हें सरपंची से अलग नहीं करने के क्या कारण हैं ? मैंने इसमें जो पूछा था उस बात को आप मंजूर करते हैं कि सरपंच थे, आज के दिन में सरपंच हैं तो

(श्री जुझारसिंह)
सरपंच होने के नाते इनको ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाना और अटेण्ड करना जरूरी हैं। अगर इन्होंने अटेण्ड नहीं की हैं तो कानून के माफिक पांच मीटिंग अटेन्ड नहीं करने के बाद इन्हें ग्राम पंचायत के सरपंच पद से अलहदा करना चाहिये था। मैंने इस प्रश्न को इसलिए पूछा था कि शायद मंत्री बन जाने के बाद मीटिंग अटेण्ड नहीं कर रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे होंगे तो अलग कर दिये गये होंगे सरपंच के पद से। इन्होंने जो जबाब दिया है उसमें यह बात मंजूर की है, इन्होंने तारीखें दी हैं जिनमें सरपंच साहब ने मीटिंग बुलाई हैं मीटिंग अटेन्ड की हैं। इस प्रश्न का दूसरा भाग, जिसका इन्होंने जवाब दिया है, मैंने यह पूछा था, क्या मीटिंग अटेन्ड नहीं करने की वजह से इन्हें अलग कर दिया गया है। उसका जवाब दिया गया है।

सरपंची से अलग करने का इसलिए प्रश्न नहीं उठता। मतलब, सरपंच के पद से अलग करने का प्रश्न इसलिए नहीं उठता क्योंकि इन्होंने मीटिंग अटेन्ड की हैं। अध्यक्ष महोदय, यह जवाब हैं, पर कान्ट्रडिक्ट्री हैं, एक साल पहले के जवाब में यह एडमिट करते हैं कि मीटिंग अटेण्ड करते चले आ रहे हैं और क्योंकि पांच मीटिंग में गैर हाजिर नहीं रहे इसलिए पद से अलग का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर !

श्री जुझारसिंह : कल परसों चेम्बर में आपसे मंत्री महोदय ने फर्माया था कि उन्होंने चार पांच महीने पहले, तारीख और दिन मालूम नहीं है, इस्तीफा दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस्तीफा कौनसी तारीख को दिया? क्या वह इस्तीफा मंजूर हुआ है? उन्होंने इस्तीफा किसको दिया? किसके पास वह इस्तीफा पहुँचा है? इसकी भी जानकारी मंत्री महोदय के पास पहुँच गई होगी। मैं यह भी जानना चाहता हूँ, जैसा उन्होंने फर्माया कि 1966 से यानि उप मंत्री बन जाने के बाद बहैसियत सरपंच कोई मीटिंग अटेन्ड नहीं की हैं, तो जहां तक मेरी जानकारी है, जब पंचायत समिति के प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तब इन्होंने ...

श्री रघुनाथ विश्नोई : ग्राम पंचायत का प्रश्न है यह।

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है।

एक माननीय सदस्य : सरपंच हैं वह अटेन्ड नहीं कर सकते।

श्री जुझारसिंह : इन्होंने, जहां तक मेरी जानकारी की है, उस पर दस्तखत किये हैं, बहैसियत सरपंच ग्राम पंचायत, सलोनियां और इनके दस्तखत रजिस्टर में मौजूद हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वह ठीक हैं।

श्री जुझारसिंह : उसके अलावा भी ...

श्री रघुनाथ विश्नोई : ठीक है कर सकता है।

श्री जुझारसिंह : ठीक कैसे है। इस्तीफे की तारीख क्या है? उसके बाद आपको स्वयं को मालूम हो जायगा कि आपका स्टेटमेंट गलत है और रेकार्ड में हेराफेरी

Page No 92

(श्री जुझारसिंह)

की गई है। यह मैटीरियल पोइंट है कि इस्तीफा कौनसी तारीख को दिया।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : दो प्रश्न पैदा होते हैं।

श्री श्रवणलाल : इसका उप मंत्री महोदय द्वारा स्पष्टीकरण किया जाय।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अभी मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया उससे पूर्व भी आप वक्तव्य दे चुके हैं। इन वक्तव्यों से दो बातें सामने प्रकट होती हैं। पहली बात यह है कि वर्तमान में श्री पटेल सरपंच हैं, इस स्थिति को आप मानकर चलते हैं। दूसरी बात मंत्री महोदय कहते हैं कि 1966 से आज तक उन्होंने पंचायत की मीटिंग भी अटेंड नहीं की। पंचायत मंत्री सौभाग्य से वक्तव्य दे रहे हैं और पंचायत कानून के ज्ञाता हैं और पंचायत संबंधी जितने विषय हैं, उन सब पर अधिकार क्षेत्र मंत्री का है। ऐसी हालत में यह उत्तरदायित्व पंचायत मंत्री का विशेष रूप से हो जाता है तो यह त्याग पत्र की बात कि 4 महीने पूर्व पंचायत मंत्री आटोमैटीकली कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत जब सीज हो जाते हैं तो त्याग पत्र पंचायत मंत्री ने किसका लिया?

श्री रामनारायण चौधरी : आटोमैटीकली नहीं होता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपमंत्री जवाब दें तो अच्छा होगा...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री श्रवणलाल : वह भी तो उप मंत्री हैं, उनको जवाब देने दें। चार्जेज उन पर हैं, उनसे जवाब लिया जाय।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह तो मुख्य मंत्री जी कह दें कि उप मंत्री असमर्थ हैं।

श्री परसराम मदेरणा : जैसे ही मैं पहले निवेदन कर चुका हूं, अतारांकित प्रश्न के उत्तर के समय जो वर्ड सरपंच है, वह उपसरपंच के लिए इस्तेमाल में लाया गया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मीटिंग्स अटेंड की हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आपको मालूम नहीं, बैठ जायं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कैसे कहते हो कि बैठ जाऊं, मैं आपसे कहता हूं कि बैठ जायं।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री देवीदत्त गाडिया : आपको मुझे बिठाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं कहता हूं, बैठ जाइए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य व्यवधान न डालें।

श्री देवीदत्त गाडिया : मंत्रीजी इतने गरूर में रहते हैं, कौनसा अधिकार है आपका कि मैं बैठ जाऊं?

श्री विज सिंह (मकराना) : व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, जब तक आप आसन पर बिराजते हैं, आप किसी माननीय सदस्य को बैठने के लिए फरमा सकते हैं, कोई मंत्री किसी सदस्य को बैठने के लिए

Page No 93

(श्री विजय सिंह)
नहीं कह सकता कि वह बैठ जाये। इसलिए इस पर आपकी व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : कोई किसी को बैठने के लिए नहीं कह सकता, पर अमूमन यह कह दिया जाता है।

श्री शंकरलाल (जैतारन): व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि इस प्रश्न के अंदर कई मामले उलझे हुए हैं तो इनको अलग अलग लेना उचित होगा। पहले की 5 मीटिंग्स अटेंड न करने से स्वतः पद रिक्त हो जाता है या नहीं, क्योंकि हमारा प्रोसीजर...

श्री अध्यक्ष : दिस इज नो पोइंट आफ आर्डर। स्पष्टीकरण का प्रश्न है। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। मंत्री महोदय सब समझते हैं, वह कहें उसके बाद आप कहें।

श्री देवीदत्त गाडिया : माननीय सदस्य ने बिल्कुल उचित बात कही है और वह व्यवस्था की दृष्टि से कही है...

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री परसराम मदेरणा : तो मैं निवेदन कर रहा था कि अतारांकित प्रश्न के संबंध में जो उत्तर मैंने माननीय सदस्य को दिया, उसमें सरपंच से मेरा मतलब था उप सरपंच से क्योंकि उप सरपंच ही परटीक्यूलर मीटिंग्स बुला रहे थे जिनकी तारीखें दी हैं।

श्री श्रवणलाल : सरपंच और उप सरपंच की मोहरें अलग होती हैं...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। व्यवधान न डालें।

श्री परसराम मदेरणा : इस संबंध में राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 की धारा 16 उप धारा 2 इस प्रकार है।

(2) The Upsarpanch shall—

(i) perform such duties as may be allotted to him by the Sarpanch, and

(ii) in the absence of Sarpanch due either to his office remaining vacant or otherwise, I emphasise word otherwise perform all the functions and exercise all the powers of the Sarpanch.

माननीय कन्हैयालाल डांगी भी कहते हैं, इनको डांगी भी कहते है माननीय सदस्य आवेदन पत्र में डांगी लिखते हैं। तो माननीय कन्हैयालाल ने दिसम्बर 1966 से पंचायत की कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं की। माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न पूछने की तारीख से 6 महीने पूर्व इस पंचायत की कोई बैठक हुई या नहीं। सरपंच ने आयोजित की या नहीं अगर हां तो कौनसी तारीख और कोरम हुआ या नहीं ? मैंने बताया 15 मीटिंगें सरपंच ने बुलाई और 15 मीटिंगे इस इस तारीख को बुलाई। जो सरपंच वर्ड यूज किया है उसका मतलब उपसरपंच से था। क्योंकि विकास अधिकारी ने जो सूचना भेजी डी. डी. ओ. को उसमें लिखा है कि उपसरपंच पंचायत सलोनिया द्वारा निम्न दिनों के अन्दर इन तारीखों पर बुलाई हैं। इससे बिल्कुल स्पष्ट है उस पत्र से जो डिप्टी डी. ओ. को जो ओरिजिनल लेटर विकास अधिकारी के पास में भी है। इसलिए तथ्य यह है कि सरपंच से मतलब मेरा उपसरपंच से था।

Page No 94

(श्री परसराम मदेरणा)

दूसरा अतारांकित प्रश्न पूछा है कि 5 मीटिंग्स में एब्सेंट रहे तो हटाए क्यों नहीं गए ? इसके नीचे भी लिखा है क्योंकि मीट्रींग्स हुई हैं इसलिए हटने का प्रश्न नहीं । हटने की कार्यवाही, सीट खाली होती है मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए पंचायत अधिनियम की धारा 17 (2) पढता हूं ;

(2) If any Panch, Sarpanch or Up-Sarpanch during the term of his office, absents himself from five consecutive meetings of the Panchayat, without giving information in writing to the Panchayat he shall cease to be such Panch Sarpanch or Up-sarpanch and his seat shall become vacant

लेकिन वहां मामला खतम नही हो जाता हैं। पहले सेक्शन 17 (2) के लिए क्या प्रक्रिया होगी और किस तरह से सीज करेगा सरपंच होना, वह प्रक्रिया रूल 12 में हैं :

12. Vacation for absence from meetings,—In the case of a Panch, Sarpanch or Up-Sarpanch of a panchayat or a member or Chairman of a Nyaya Panchayat becoming liable or probably liable for absence from meetings under sub-section (2) of Section 17, the following procedure shall be observed namely.—

(1) If such Panch, Sarpanch, Up-Sarpanch, member or Chairman, hereafter referred to as the absentee, so absents himself from four consecutive meetings of the Panchayat or the Nyaya Panchayat, as the case may be the Sarpanch, or in his absence, the Up-Sarpanch or any other presiding Panh, or as the case may be, the Chairman, or in his absence any other presiding member, shall give to the absentee a notice in wri ing as soon as may be after the close of the fourth meeting and before the fifth meeting takes place stating that he has inspite of due notice, not attended four immediately preceding meetings held on the dates to be stated in the notice and that his seat shall become vacant if he does not attend the fifth meeting of which due notice shall be received by him in due course of time.

इसमें रूल 12 का सब-क्लाज 2 इस तरह से है :

(2) Such notice shall be sent by registered post or through a messenger and shall be deemed to have been served on the person to whom it is addressed if it is delivered to him or to any adult male member of his family residin with him.

(3) In case the absentee or any such adult male member refuses to receive such notice, it shall be deemed to have been duly served.

आगे है :

If therefore the absentee fails to attend the fifth meeting of the Panchayat, the matter shall be

(श्री परसराम मंदेरणा)

placed before the Panchayat at that meeting and such panchayat, if it is satisfied that the notice referred to in clause (i) and the notice of the date of the fifth meeting, were duly served on the absentee, shall pass a resolution resolution to the effect that the absence has not attended 5 consecutive meetings and forward a copy of the resolution together with the record of notice of the meetings issued to the absentee and the other papers that may be relevant, to the District Development officer........

अभी ऐसा रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ उसके बाद 4 मीटिंगों के बाद नोटिस नहीं आया। इसलिए वह पंचायत पंचायत में प्रस्ताव पास करती और प्रस्ताव को रिकमन्डेशन के साथ पिछले पेपर्स के साथ डिप्टी डी. ओ. के पास भेजती। और आगे प्रोसीजर यह लिखा हुआ है कि डिप्टी डी. ओ. उस प्रोसीजर को मानने के लिए बाध्य नहीं है। उसको शक हो तो पर्सनल हीयरिंग भी दे सकता है। इसलिए जो वहां लिखा है वह इस सन्दर्भ में लिखा है कि पंचायत का रिजोल्यूशन नहीं है, सुओ मोटो रिज्योल्यूशन न हो किसी आदमी को नहीं हटा सकते। क्लॉज 12 में प्रावधान है उसके जितने पार्ट्स हैं उनका ओब्जर्वेन्स नहीं होता है तो राज्य सरकार उन्हें नहीं हटा सकती।

श्री मदनसिंह : एक आदमी मंत्री होकर फिर सरपंच भी बना रहे।

श्री जुझारसिंह : सरपंची से स्तीफा कब दिया उसकी तारीख तो दीजिये।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह भी बता दें कि 6 साल तक सरपंच रह कर उन्होंने कितनों से स्तीफा दिलाया है इसी रूल के तहत?

श्री परसराम मदेरणा: दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य की क्वेरी का मैं पहले उत्तर देना पसन्द करूंगा कि हाउस इसके लिए समक्ष है। हाउस यह समझता है कि कोई और आर्म से पावर करे कि जिससे सरपंच को हटा दें। ऐसा अमेन्डमेन्ट पंचायत एक्ट में कर सकते हैं। जो स्थिति थी वह मैंने बता दी।

इस्तीफे के सम्बन्ध में जैसा मैंने परसों सदन में कहा था और अध्यक्ष महोदय ने उप मंत्री महोदय से बात करके सदन को अवगत कराया कि तीन चार महीने पहले इस्तीफा दिया मैंने उनसे बात की तो मुझे यह बताया कि एक दफा या दो दफा जहां तक उनको याद है एक दफा उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 25-3-67 को इस्तीफा दे दिया। आउट वर्ड नम्बर उस रजिस्टर में है। उन्होंने कलेक्टर को लिखा है। वास्तव में ऑफिसर इन्चार्ज डिप्टी डी. ओ. है और इस सम्बन्ध में सरकार ने नोटिफिकेशन्स निकाल दिये हैं। वह ही इस्तीफा स्वीकार कर सकता है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर के नाम लिखा है और पंचायत के सेक्रेटरी को दिया था। सेक्रेटरी कहता है कि भेज दिया कलेक्टर को। कलेक्टर के पास ऐसा इस्तीफा नहीं है। अगर वह मिल भी जाता है तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट कमिश्नर इस बात का सक्षम अधिकारी नहीं था।

(श्री परसराम मदेरणा)
एड्रेस किया है वह गलत किया है। प्रोसिजर उनको मालूम नहीं था।

श्री मदनसिंह : राजस्थान का मंत्री सरपंच का इस्तीफा नहीं देना जानता उसकी आप अयोग्यता सिद्ध कर रहे हैं। दो हजार रुपया खत्म कर रहे हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह जरूरी नहीं है कि हरएक कानून जाने।

श्री परसराम मदेरणा : इस सदन में जितने इनेक्टमेन्ट्स पास किये हैं और रूल्स बने हैं आपको इसकी सबकी जानकारी है सदन के माननीय सदस्य होने के नाते ?

श्री देवीदत्त गाडिया : विरोधी दल की गवर्नमेन्ट बनती तो परिचित हो जाते।

श्री मदनसिंह : माननीय सदस्यों के जो रूल्स ओफ प्रोसिजर और कन्डक्ट ओफ बिजनिस हैं उसका इम्तिहान ले लें। मैं उनको नहीं जानता हूं तो आपको कहने का हक है। राजस्थान का मंत्री होकर सरपंच भी बना रहे और उसे इस्तीफा देने का तरीका नहीं मालुम हो यह बड़ी शर्म की बात है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इस्तीफा घोषित कर दिया।

(घंटी)

श्री मदनसिंह : हमें शक है····

(व्यवधान)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय···

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अगर यह आदमी सरपंच भी है और डिप्टी मिनिस्टर भी है तो आपत्ति क्या है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय···

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): इससे कोई असर नहीं पडता है। अगर सरपंच है तो अच्छी बात है और मुख्य मंत्रीजी भी कहीं के सरपंच बन जायं तो अच्छी बात है। नीचे की इकाई को तल्लीनता से देखते हैं।

श्री विजयसिंह : निवेदन है कि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि कोई सरपंच प्रधान बन जाता है तो ओटोमेटिकली इस्तीफा माना जाता है और उप सरपंच होता है उस ग्राम का कार्य करता है क्या यहां का यह कानून माननीय सदस्यों पर लागू नहीं होता है ?

श्री शंकरलाल : सरपंच के लिए और एम. एल. ए. के लिए भी है लेकिन डिप्टी मिनिस्टर सरपंच रह सकता या नहीं रह सकता है कहीं कानून में नहीं है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबडा): क्या यह सही है····

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य।

आपका उत्तर समाप्त हो गया है माननीय मंत्री महोदय।

मैं यह चहता हूं माननीय सदस्यों से कि इसी पर सारा बिजनिस समाप्त नहीं होगा। मैं इसको जल्दी ही समाप्त करना चाहता हूं।

माननीय सतीशचन्द्र जी!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, कल जब, कल से मेरा मतलब 26-8-69 से है, आधे घंटे के लिए स्थगित हुआ और आपने अपने चैम्बर में उप-मंत्री श्री कन्हैयालाल जी पटेल को विवादास्पद प्रश्नों पर जानकारी करने के लिए बुलाया और जानकारी करके आपने सदन को सूचित किया। जहां तक मेरी स्मरण शक्ति मुझे धोखा नहीं देती है तो आपने यह कहा था कि उप-मंत्री श्री कन्हैयालाल पटेल जो सरपंच भी थे उन्होंने सरपंच से इस्तीफा तीन चार महीने पहले ही दिया है।

अध्यक्ष महोदय, उसमें और भी कुछ प्रश्न खड़े हुए थे। उन्होंने सरपंच की हैसियत से बैठकों में भाग लिया या नहीं? पंचायत समितियों की बैठकों में भाग लिया या नहीं? टी. ए., डी. ए. उन्हें उठाने का अधिकार था या नहीं और कानूनी मुद्दे इवॉल्व होते हैं उनका डिटरमिनेशन यहां सदन में नहीं हो सकता यह मैं मान सकता हूं, लेकिन मंत्री महोदय ने स्पष्टीकरण किया है और मेरी जानकारी के आधार पर श्री कन्हैयालाल पटेल, उपमंत्री, राज्य सरकार, सुखाड़िया मंत्रिमंडल ने आपको यह जानकारी चेम्बर में दी और उसकी जानकारी आपने सदन में दी कि तीन चार महीने पहले इस्तीफा दिया। यह नितान्त असत्य और झूठ है। इस्तीफा नहीं दिया वह अलग बात है। सदन को यह झूठी जानकारी दी गयी क उन्होंने चार महीने पहले सरपंची से इस्तीफा दिया। इस्तीफा दिया है लेकिन चार महीने पहले नहीं दिया। यह बात सदन को झूठी दी गयी और नितान्त असत्य बयान किया है यह कहां तक शोभाजनक है? यह आप कार्यवाही करें या सदन कार्यवाही करे मैं फैक्ट की बात कह रहा हूं, लीगल इन्फरेन्स इससे ड्रा नहीं करें। चार महीने पहले इस्तीफा देने की बात कही है वह नितान्त झूठी और तथ्यों के परे हैं।

मंत्री महोदय ने इस्तीफा 25-3-67 को दिया।

(1 म. प.)

तो मैं मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या इन तिथियों की जांच उन्होंने जिलाधीश से करवायी है और क्या यह सही है कि 24 घन्टे के अन्दर-अन्दर इसकी जांच करवायी है और जिलाधीश महोदय ने संबंधित रेकार्ड को देख कर, संबंधित पंचायत के सचिव, उप-सरपंच के बयानात लेकर जांच रिपोर्ट आपको भेजी है? क्या यह भी सही है कि जांच रिपोर्ट में इस जांच से यह साबित हुआ है कि जो डिस्पैच किया गया है, तथाकथित इस्तीफे का, जो 25 मार्च, 67 को डिस्पैच रजिस्टर में 22 नम्बर पर दर्ज किया गया है, और जो आमद रजिस्टर है झालावाड़ का 27-3-67 का उसमें यह दर्ज हुआ है। 22 वें नम्बर पर जो तथाकथित इस्तीफा दिया गया है वह सरपंच कन्हैयालाल पटेल के इस्तीफे का विषय नहीं है, उसमें लिखा हुआ है बाबत कृषि भूमि। क्या यह जांच रिपोर्ट से साबित हुआ है। इससे यह साबित होता है कि दिनांक 25-3-67 को क्रमांक 22 पर ग्राम पंचायत रजिस्टर पर 22 वें नम्बर पर जो लिखा है उसके विषय में कलेक्टर महोदय ने यह कहा है कि यह श्री कन्हैयालाल पटेल का त्याग-पत्र नहीं है। जिलाधीश ने जांच करने के बाद यह रिपोर्ट दी है कि रेकार्ड्स में तब्दीली की गयी है, उसमें फर्क किया गया है और जिस स्याही से रिकार्ड्स में परिवर्तन किया गया है, उससे यह फर्जी लगता

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है और विषय को बदल दिया गया है, कन्हैयालाल पटेल के इस्तीफे के विषय में यह जांच रिपोर्ट से साबित हो चुका है। इसलिये यह मामला संगीन है और विवादास्पद है, इसकी जांच कराना आवश्यक है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मामला क्या है? (शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय मन्त्री महोदय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन कर रहा था। मैं ऐसे इन्टरप्शन में नहीं बोलता। आप तो (डागाजी) फालतू मक्खन लगा रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : इसमें चीज क्या है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह डिबेट्स का कोई तरीका नहीं है। मैं फैक्ट्स रख रहा हूं। मैं दावे के साथ यह बात कह रहा हूं कि जिस ऑफिसर से इसकी जांच करवाई गई है उसकी जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाय।

श्री मूलचन्द डागा : कैसी जांच रिपोर्ट ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसी सिलसिले में। ये कांग्रेस के मेम्बर सभी समझते हैं। आपका दिमाग ठोठ है क्या? 26 तारीख को जब यह मसला यहां आया, तो मन्त्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि 24 घन्टे के अन्दर अन्दर जांच करवाऊंगा और जांच करवायी गयी··

श्री शंकरलाल : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर सर। माननीय सदस्य ने अभी यहां कहा है कि "दिमाग ठोठ है"। क्या इस शब्द का प्रयोग यहां किया जा सकता है ?

श्री मदनसिंह : ऐसी स्थिति न होती तो मन्त्री मण्डल में न बैठे होते ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो बात कही, उसका कहने का यह मतलब नहीं है। अगर किसी माननीय सदस्य को बुरा लगा हो तो मैं उस शब्द को वापिस लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में चाहूंगा कि जब सदन को आपने आश्वासन दिया था और सही मायने में इसके सारे भ्रम दूर करना चाहते हैं, इस समय मैं लीगल इन्फरेंसेज की बात नहीं कह रहा हूं। जो जांच रिपोर्ट है, वह रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जावे ताकि जो कुछ भी भ्रम माननीय सदस्यों को हैं वह दूर हो जायेंगे, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है, उत्तर कुछ दिया गया, मुख्य मन्त्री स्पष्टीकरण कुछ और करते हैं, और जांच के बाद कुछ दूसरे तथ्य यहां रखे जा रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि यह शोभा की बात होगी कि इसकी जांच कराई जाय और उसकी जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाय। जो खुद भी सरकार ने यहां कहा है और उपमन्त्री महोदय ने स्पष्टीकरण में कहा है, वह साफ हो जाय। अध्यक्ष महोदय, आपके सामने ही यह बात साबित

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हो जायेगी कि यह दुराचरण किस प्रकार का है। उन्होंने सरपंच की हैसियत से मार्च 67 को इस्तीफा दे दिया। यह कहा है कि सरपंच की हैसियत से मीटिंगों में भाग नहीं लिया। तो पंचायत समिति की बैठक में 28 मार्च, 67 को, जब विधान सभा स्थगित थी, विधान सभा स्थगित सस्पेन्डेड थी, राष्ट्रपति शासन लागू था 28 मार्च, 67 को उस तारीख को पंचायत समिति की बैठक में किस हैसियत से उन्होंने भाग लिया ? बतावें।

एक माननीय सदस्य : एम. एल. ए. थे ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस समय में लीगल इन्फरेंसेज की बात नहीं कर रहा हूं, एम. एल. ए. के बारे में भी नहीं कह रहा हूं। सस्सपेन्डेड एम. एल. ए. अटेण्ड कर सकता है मीटिंग को, इसको भी लीगली एग्जामिन कराया जाये, यह अभी मैंने आपसे नहीं कहा है। परन्तु इसको कहने के पहले इसकी जांच करने का सवाल है। आप ला डिपार्टमेन्ट से जांच करवा लें। यह मुद्दा महत्वपूर्ण है कि जब 28 मार्च, 67 को यह विधान सभा सस्पेन्डेड थी तब यह और महत्वपूर्ण हो जाता है कि आया पंचायत समिति की बैठक में एम. एल. ए. जिसने कि शपथ नहीं ली है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है, वह टी. ए., डी. ए. ले सकता है या नहीं परन्तु यह सही है कि श्री पटेल ने 28 मार्च, 67 को पंचायत समिति की बैठक में भाग लिया। अब चाहे वह सरपंच की हैसियत से लिया है, चाहे एम. एल. ए. की हैसियत से या वुड बी डिप्टी मिनिस्टर की हैसियत से भाग लिया है, यह अलग है। इसके बाद 9-2-68 को..

श्री अध्यक्ष : जल्दी समाप्त करियें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पंचायत समिति के प्रधान के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव पर जिस पर कि उनके हस्ताक्षर मौजूद हैं, आप उपस्थित हैं। वहां आपने सरपंच, सुलानियां, की हैसियत से भाग लिया है। 9-2-68 की कार्यवाही में यह दर्ज है। उसके सामने इनके हस्ताक्षर मौजूद हैं। अब इन्होंने इस्तीफा दिया और 9-2-68 को प्रधान के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव पर सरपंच सुलानियां की जगह दस्तख्त मौजूद हैं। इस प्रकार से यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो गया है। आया यह सरपंच नहीं रहे तो मेम्बर की हैसियत से इन्होंने इस मीटिंग में भाग लिया by virtue of his being as M. L. A. वह पंचायत समिति की बैठक में भाग नहीं ले सकते। क्या एम. एल. ए. की हैसियत से अलग भत्ता ले सकते थे ? पंचायत समिति के रूल्स के हिसाब से भत्ता ले सकते हैं। गवर्नमेंट के ऑफिशियल बिजिनेस से आप कई पंचायत समितियों की बैठक में भाग लें, दूसरी कमेटी में भाग लें, लेकिन रूल्स के हिसाब से टी. ए., डी. ए. पंचायत समिति के हिसाब से चार्ज करना होगा। मिनिस्टर की हैसियत से नहीं। इसलिए यह मामला जांच करने के लायक है। इसमें लीगल पाइन्ट है। एक डिप्टी मिनिस्टर बहुत सारी कमेटियों का मेम्बर हो तो प्रश्न इस बात का है कि उस कमेटी का टी.ए., डी.ए., चार्ज कर सकता है या नहीं ? कहीं 5 रुपया है, 7 रुपया है और कहीं एम. एल. ए. को

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

डी. ए. 22 रुपया सभी जगह चार्ज नहीं कर सकते। यह गलत है ऐसी मेरी मान्यता है इसलिए इसकी जांच होना आवश्यक है। यह सारे फैक्ट्स मैंने सदन के सम्मुख रखे हैं कि उपमन्त्री महोदय का यह मिस कन्डक्ट है। सरपंच की हैसियत से बैठक में भाग लिया, और टी.ए.,डी.ए. उठाया तो यह मिसयूज किया है यह मिस कन्डक्ट की कार्यवाही में आता है इसलिए इसके सारे फैक्ट्स सदन के सामने आने चाहिए। इसलिए यह ज्यादा मुनासिब होगा कि इस मसले को प्रिविलेज कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय, उसको रेफर कर दिया जाय और वह जांच करके अपनी रिपोर्ट उपमंत्री महोदय के मिस कन्डक्ट के बारे में कि मिस कन्डक्ट किया है या नहीं इसके बारे में रिपोर्ट कमेटी द्वारा शीघ्र दे दी जाय।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री देवीदत्त गाडिया : उपमंत्री महोदय से जवाब दिलाया जावे। उनका इससे सम्बन्ध है। बार बार आप ही उठते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर!

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय,.......

श्री रामनारायण चौधरी : पोइण्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन सर। अध्यक्ष महोदय, कई बार एक शब्द सुनने में आया है माननीय सतीश चन्द्र जी बोल रहे थे वे एक शब्द का बार बार प्रयोग कर रहे थे झूठे तथ्य झूठी रिपोर्ट। इस झूठ शब्द के बारे में मैंने बार बार आपत्ति भी की थी। मैं जानना चाहता हूं क्या 'झूठ' शब्द पार्लियामेंटरी है?

इसके बारे में पहले व्यवस्था भी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 'झूठ' को 'असत्य' शब्द मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : यह संदर्भ से संबन्धित है। जहां झूठ और सत्य का प्रतिपादन किया जा रहा हो वहां झूठ जब तक सत्य साबित न हो जाय झूठ झूठ ही रह जाता है, और जहां झूठ की पुष्टि हो जाती है वहां झूठ सत्य हो जाता है इसलिये अभी व्यवस्था नहीं दे सकता।

श्री रामनारायण चौधरी : पहले की व्यवस्था है। राजप्रमुख के अभिभाषण की आलोचना का उत्तर देते समय वित्त मन्त्री श्री नाथूराम मिर्धा ने विरोधी दल द्वारा की गई आलोचनाओं को तथ्यहीन व झूठी कहा। इस पर श्री इन्द्रनाथ मोदी के यह चाहने पर कि वेदर 'झूठ' इज पार्लियामेंट्री श्री अध्यक्ष ने यह कहा "इट इज नोट।"

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चेम्बर में कहे हुए बयानों की बात के लिये है।

श्री अध्यक्ष : 'झूठ' शब्द अन पार्लियामेंटरी है लेकिन जिस संदर्भ में यहां कहा गया है। आरोपों के बारे में किये अरोप झूठे हैं सच्चे आरोप हैं इस संदर्भ में झूठ शब्द अनपार्लियामेंट्री नहीं हैं क्योंकि इसकी पुष्टि हो जाने के बाद ही व्यवस्था दी जा सकती है।

श्री परसराम मदेरणा : जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने दो तीन मुद्दे उठाये हैं। सब से पहले मुद्दा यह कि कन्हैयालाल जी पटेल ने पंचायत समिति की बैठक में भाग लिया है। 19 मार्च 67 से लेकर के 23.8 तक 12 मीटिंगें हुई इन बारह मीटिंगों में से दो मीटिंग के सम्बन्ध में यहां मामला उठया जा रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल जितनी मुझे जानकारी है उसके अनुसार···

श्री परसराम मदेरणा : इन दो मीटिंगों में 28-3-67 की मीटिंग अटेण्ड की। अब प्रश्न यह उठता है कि उन्होंने सरपंच की हैसियत से अटेन्ड की या विधान सभा सदस्य की हैसियत से की। माननीय सदस्य के पास कैसे कागज पहुँच जाते हैं पता नहीं 4 बजे तक तो में कागज प्राप्त नहीं कर सका।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : प्रश्नों के कागज हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आपके पास पूरे कागज नहीं मैं नहीं मानता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप बयान दें उसके बाद बताऊंगा।

श्री परसराम मदेरणा : 28.3 को मीटिंग अटेण्ड की। नोटिस जो उनको मिला है वह विधान सभा सदस्य की हैसियत से मिला है। विधान सभा सदस्य की हैसियत से पंचायत समिति की मीटिंग अटेण्ड की और उसका टी. ए., डी. ए. ले लिया। उस समय मिनिस्टर थे नहीं। वे सितम्बर, 67 में मिनिस्टर बने, एम. एल. ए. की हैसियत से टी. ए., डी. ए. उठाया नहीं। जब तक सरपंच रहे एम. एल. ए. की हैसियत से कोई टी. ए., डी. ए. उठाया नहीं। एम. एल. ए. बन जाने पर भी सरपंच की हैसियत में कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कानून में प्रावधान है। दो कैपेसिटी में जाय लेकिन वोट एक ही होगा। दो वोट देने का अधिकार नहीं होगा। सदस्य की ओथ लेने से पहले भत्ता उठा लिया यह बात यहां लागू होती है या नहीं? हमारे विधान सभा सदस्यों के लिये अध्यक्ष महोदय ने प्रक्रिया निर्धारित की है, सदस्य सिगनेचर करते हैं अपनी उपस्थिति के उसके बाद भी सदस्य महोदय धरने पर बैठ जायं और सिगनेचर नहीं करें फिर भी भत्ता ले लें यह डिसप्यूट का मामला बन जाता है। यह कानूनी मामला है ····

श्री मदन सिंह : इसका मतलब है वे सरपंच है?

श्री अध्यक्ष : उत्तर देने दीजिये।

श्री परस राम मदेरणा : 9-2-68 को उपस्थिति पर हस्ताक्षर किये हैं। नोटिस किसी हैसियत से आया नहीं। वह रिपोर्ट मेरे पास नहीं है। उपस्थिति पर हस्ताक्षर किस हैसियत से हैं यह डी. डी. ओ. से भी मालूम नहीं हो सका। जो नो कॉन्फीडेन्स आया उस में जो हस्ताक्षर किये गये वे सरपंच की हैसियत से नाम लिखा हुआ है। सरपंच और एम. एल. ए. दोनों स्थान पर रह सकते हैं, लेकिन राइट आफ वोट एक है। उसको वह कास्ट कर सकते हैं। माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा मैं समझा नहीं इससे वे मेक आउट करना चाहते हैं····

श्री देवीदत्त गाडिया : दिल में तो आपके भी शक है?

श्री परसराम मदेरणा : मैं जो दिल में है वही कह रहा हूं।

श्री देवीदत्त गाडिया : आपका चेहरा ही बता रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं सभी बातों को जैसी है वैसी ही रखना पसन्द करता हूं, कभी छिपाता नहीं। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें रखी हैं उसके बारे में जो भी मैं कह रहा हूं रेकार्ड के आधार पर कह रहा हूं। उस दिन मैंने कहा था कि रेकार्ड मैं मंगवा लूंगा। जांच के लिए नहीं कहा था केवल रेकार्ड मंगाने की बात कही थी। कलेक्टर ने फारवर्डिंग लेटर भेजा है मौखिक आदेश दिया कि डी. डी. ओ. को भेजें। वह पत्र मेरे को 25 को मिला मैंने न तो जांच का आदेश दिया और न डिटेल्स में जांच की है। जिस रेकार्ड को भेजा गया उसमें कितनी बैठकें हुई उसमें से 61 में भाग नहीं लिया। पंचायत समिति की आठ बैठकों में भाग लिया जो रेकार्ड के आधार पर फैक्ट्स हैं। मैं नहीं समझता मैंने कौनसी बात सदन से छिपायी है। जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने उस दिन कहा कि टी. ए., डी. ए. ले लिया पंचायत की मीटिंग अटेण्ड की इससे राज्य के खजाने को नुकसान पहुंचाया। मैंने निवेदन किया कि इन्होंने पंचायत समिति की मीटिंग अटेण्ड करने का टी. ए., डी. ए. नहीं उठाया फिर घाटे का सवाल कहां से आता है।

जहां तक रेजिग्नेशन का सम्बन्ध है··

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : एक मिनिट लिए आप क्षमा करें। क्या आप यह कह सकते हैं कि पंचायत समिति की बैठकों में भाग लिया एम. एल. ए. की हैसियत से 9-2-68 का सरपंच की हैसियत से तो क्या उसका टी. ए., डी. ए. नहीं लिया ?

श्री परसराम मदेरणा : यह मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं। सन् 64 से जब से वे ग्राम पंचायत के सरपंच थे सरपंच की हैसियत से 64 के बाद में भी माननीय मंत्री महोदय ने कोई टी. ए., डी. ए. नहीं उठाया।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : पंचायत समिति का उठाया यह नहीं कहा मैंने निवेदन किया पंचायत समिति की बैठक में भाग लिया और टी. ए., डी. ए. डिप्टी मिनिस्टर का उठाया इस तरह से सरकारी कोष को हानि हुई ?

श्री परसराम मदेरणा : सरपंच वाला मामला तो खत्म हो गया...

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : आप उस दिन की कार्यवाही देख लीजिये डिप्टी मिनिस्टर की हैसियत से सरकारी खजाने से टी. ए., डी. ए. उठाया यह लीगली कम्पलीकेटेड मामला है आप यह कह सकते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : मामला बिल्कुल साफ है। जहां तक इस पॉईन्ट के लीगल इम्पलीकेशन का सवाल है इसको लॉ डिपार्टमेन्ट को रेफर कर चुके हैं। 12 पंचायत समिति की मीटिंग्स में से 8 मिटिंग्ज अटेण्ड की लेकिन टी. ए., डी. ए. नहीं लिया। 22-7-67 को डिप्टी मिनिस्टर नहीं थे। इसका मतलब 8 मीटिंग अटेन्ड की, दो मीटिंग अटेन्ड की वह एम. एल. ए. की हैसियत से की - 6 मीटिंग अटेन्ड की वह

(श्री परसराम मदेरणा)

डिप्टी मनिस्टिर बनने के बाद की। आप कह रहे हैं वहां पर भत्ता उठा लिया, वह नहीं उठाया है। पंचायत समिति की मीटिंग जरूर अटेन्ड की है। वह राजकीय काम से की है। राज्य के बहुत से काम हो सकते हैं। पंचायत समिति की उन्होंने मीटिंग अटेन्ड की दूसरे वह राज्य के काम से गये थे, उस समय में सीधे जाकर वहां भी मिटिंग अटेन्ड कर ली टी. ए., डी. ए. उन्होंने राज्य सरकार से लिया, क्योंकि राज्य सरकार के काम गये थे। एक उपमंत्री सरकारी दौरे के समय पंचायत समिति की मीटिंग अटेन्ड कर सकता है, यह प्रोविजन है। उन्होंने पंचायत से टी. ए., डी. ए. लिया हो यह आप एक भी केस बता दें। पंचायत समिति की मीटिंग को एडजस्ट करते हुये कि वह भी अटेन्ड कर लें क्योंकि वह वहां के पंचायत के रिप्रजेन्टेटिव हैं और उस रिप्रजेन्टेटिव की हैसियत से मीटिंग अटेन्ड करना कोई जुर्म नहीं है। वहां की पंचायत ने उनको मेम्बर बनाया है वह बना सकती है। यहां भी हाउस ने उनको मेम्बर बनाया है तो यह कानून में प्रावधान है। जिला परिषद् एक्ट में प्रोविजन है। एक्ट के अनुसार वे सदन की मीटिंगों को अटेन्ड करेंगे और उस मीटिंग को अटेन्ड करने का भी उतना ही कर्तव्य है जितना इस सदन की मीटिंगों का इसलिये यह पाइन्ट··

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने टी. ए., डी. ए. के लिये कहा तो क्या आप यह कह सकते हैं कि 6 मीटिंगों को जो पंचायत समिति की अटेन्ड की हैं या उसमें जो भाग लिया है, इन दिनों का जो टी. ए., डी. ए. चार्ज किया है उसमें क्या यह परपज लिखा है कि पंचायत समिति की मीटिंग में भाग लिया है, ऐसा लिखा है ? आपने जांच की है ? आप जांच के आधार पर कह सकते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : एक बात और बता दीजिये क्या मंत्री महोदय, टी. ए., डी. ए. चार्ज करते हैं उस टी. ए., डी. ए. के बिल में परपज आफ विजिट लिखते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : परपज एक एक नहीं लिखते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा, मैंने सब रेकार्ड देखा।

श्री परसराम मदेरणा : एक एक परपज नहीं लिखते हैं, परपज दोपहर के पहले क्या है और दोपहर के बाद क्या परपज हो गया··· फलां फलां गांव में में मीटिंग है तो उसको अटेन्ड..

श्री भैरोंसिंह : आप नियमों के अनुसार····

श्री परसराम मदेरणा : राज्य के कार्य से गये थे यह बात लिखी है, पंचायत समिति की बात लिखी है।

श्री भैरोंसिंह : नियमों के अनुसार क्या लिखते हैं ?

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : अध्यक्ष महोदय, पूछते हैं दिल्ली की और बताते हैं बम्बई की।

श्री भैरोंसिंह : मंत्री महोदय जब यात्रा पर जाते हैं और भत्ता बिल बनाते हैं उस बिल पर परपज आफ जर्नी लिखा जाता है, यह बता दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : मैं नहीं कह सकता....

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री भरोंसिंह : आप कैसे टी. ए., डी. ए. चार्ज करते हैं। परपज लिखते हैं क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : यह पंचायत समिति का क्वेश्चन है...

श्री भरोंसिंह : मिनिस्टर परपज लिखते हैं या नहीं ?

श्री विजयसिंह (मकराना) : यह आपने टी. ए., डी. ए. की जांच की है या...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री मुकटबिहारी लाल भार्गव : अगर टी. ए., डी. ए. उठाया है और पंचायत समिति का है तो फिर अब एफ. एम. जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री मुकुटबिहारीलाल भार्गव : इन्होंने 6 मीटिंगों का जो टी. ए, डी. ए. उठाया है वह डिप्टी मिनिस्टर की हैसियत से उठाया। उसमें परपज में लिखा है और क्या पंचायत समिति में भाग लेने का लिखा है––ऐसा लिखना जरूरी है क्या ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुये...

(शोरगुल, अश्रव्य)

(श्री देवीदत्त गाडिया, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दोनों के साथ साथ बोलने पर अश्रव्य।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने यह आश्वासन दिया था कि उपमंत्री जी वक्तव्य देंगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने सदन को अवगत कराया था, सदन में यह कहा था कि उप मंत्री जी वक्तव्य देंगे....

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री देवीदत्त गाडिया : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब आना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कल इस प्रश्न को लेकर सदन की कार्यवाही स्थगित की गई थी–सदन इस बात को स्वीकार करेगा। इसके प्रति माननीय सदस्यों की उग्र भावना है। यह दो प्रकार से है। पहला प्रश्न यह कि माननीय जुझारसिंह जी जिनके द्वारा सरकार से जानकारी चाही गई थी कि माननीय श्री कन्हैया लाल पटेल लगातार पंचायत समिति की बैठकों में उपस्थित रहे इसलिये इनको अपदस्थ किया जाय। यह प्रश्न पूछा था तो सरकार की ओर से जवाब आया था कि पंचायत समिति की मीटिंग अटेन्ड करने पर अपदस्थ करने का प्रश्न नहीं होता है। दूसरा प्रश्न यह पूछा जब पंचायत समिति की मीटिंग अटेन्ड करने के लिये गये तो टी. ए., डी. ए. कितना लिया, और वह पंचायत समिति के नियमों के अनुसार लिया या राज्य के उपमंत्री की हैसियत से लिया। किस प्रकार से यह टी. ए, डी. ए. चार्ज किया है ? उसको बताने के लिये कह दिया इन्होंने पंचायत समिति से

(श्री भैरोंसिंह)
कोई टी. ए., डी. ए. चार्ज नहीं किया जब कि प्रश्न दूसरा ही था और दूसरा उत्तर जो दिया वह केवल श्री कन्हैयालाल पटेल की स्थिति दुविधा में न पड़ जाय इसके लिये दिया है। लेकिन अध्यक्ष महोदय अभी तक यह स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी अभी तक यह नहीं स्पष्ट किया है कि वे अभी तक सरपंच हैं या नहीं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : हैं।

श्री भैरोंसिंह : इसलिये उपाध्यक्ष महोदय · ·

श्री अध्यक्ष : उपाध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष।

श्री भैरोंसिंह : बार बार उप-मंत्री जी की बात चल रही है इसलिये उपाध्यक्ष याद आ जाता है। अध्यक्ष महोदय तो मैं निवेदन करना चाहता था कि दो प्रश्नों का उत्तर एक दूसरे का कन्ट्राडिक्टरी है। उप-मंत्री जी की स्थिति को बचाने के लिये मुख्य-मंत्री जी ने उत्तर दिया है, यह कार्यवाही से स्पष्ट है। पहला उत्तर सही है या गलत है लेकिन दूसरे की स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। जो उत्तर दिया गया वह स्पष्ट नहीं है। न इसको मंत्री महोदय स्वीकार करते हैं और न सदन स्वीकार करने की स्थिति में है। इसका निचोड़ यह निकलता है कि जिन प्रश्नों का उत्तर सरकार की ओर से दिया गया है यह गलत था और यदि मैं यह भी चार्ज लगाऊं कि सदन को गुमराह करने की दृष्टि से किया गया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिये मैं चाहूंगा इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर दिया जाय। वह समिति इस सारे मसले की स्थिति से सदन को अवगत करा देगी, इस प्रकार सदन को सारी जानकारी भी मिल जायगी।

एक माननीय सदस्य : बिल्कुल ठीक है।

श्री अध्यक्ष : प्रक्रिया के अनुसार मैं स्वतः जिस संदर्भ में माननीय सदस्य ने रखा है क्या कन्ट्राडिक्शन्स हैं, उस स्थिति में नहीं हूं कि समझ सकूं इसलिये प्रक्रिया में जो नियम हैं विशेषाधिकार समिति को देने का, उन नियमों के अनुपालन करने के बाद में विचार कर सकता हूं। यह प्रश्न तो यहीं समाप्त हुआ। अब मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कल भी इस प्रश्न ने काफी समय लिया है आज भी अत्यधिक समय लिया है। मेरे पास बिजनिस ज्यादा है, स्थगन प्रस्ताव हैं।

श्री भैरोंसिंह : एक बात की जानकारी आप और दे दें। आपने सदन को सूचना दी थी कि माननीय उप मन्त्री जी अपना स्पष्टीकरण देंगे। वह स्पष्टीकरण देना चाहते हैं या नहीं।

श्री अध्यक्ष : यदि वे चाहें तो। मैं इन्हीं शब्दों में पूछ सकता हूं। उप मन्त्री जी यदि चाहें तो · · ·

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री रघुनाथ विश्नोई : अब जरूरत रही ही नहीं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। उप मन्त्री जी को कहने की आवश्यकता नहीं है।

Page No 106

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय यह सब ने स्वीकार किया है। आपके मन्त्री मण्डल में इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो वक्तव्य न दे सकें, हाउस जिन पर इस प्रकार के आरोप लगाये और कोई जवाब नहीं दें।

श्री विजयसिंह : यह उप मंत्री हैं या . . .

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। आर्डर, प्लीज।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सच बात तो यह है, मैं आज ही सुन रहा हूं। मेरी समझ में नहीं आया यह बहस का विषय है या नहीं।

श्री दुर्गालाल बाढदार : यह वकालत भी आप करने लग गये। इसके लिये और ही दूसरे बहुत हैं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मंत्री जी से प्रश्न किया गया है मुख्य मंत्री जी से नहीं किया है। उप मंत्री जी से पूछ लीजिये क्या वे स्थिति का स्पष्टीकरण करना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : अगर वे चाहें तो, उप मंत्री जी चाहें तो . . . .

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष ; ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज।

आप चाहते हों करिये, चाहते हों तो न करिये।

ऑर्डर प्लीज।

श्री कन्हैयालाल पटेल : अध्यक्ष महोदय..

श्री जयनारायण सालोदिया : बहुत बहादुर हैं, अहा हा।

श्री अध्यक्ष : आप तो अपनी आवाज व्यवस्थित करिये।

श्री कन्हैया लाल पटेल : मुझे स्पष्टीकरण करने के लिये कहा। इस बारे में उप मन्त्रीजी ने जो कहा . . .

श्री जयनारायण सालोदिया : उप मन्त्रीजी कौन से ?

श्री कन्हैयालाल पटेल : माननीय मन्त्रीजी ने जो कहा।

कई माननीय सदस्य : कौन से उपमन्त्री जी . .

श्री मोहनलाल सुखाडिया : कई बार जैसे आप अध्यक्ष को उपाध्यक्ष बोल जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: ऐसा इन्होंने भी किया है।

श्री कन्हैयालाल पटेल : (शोरगुल के बीच बोलते रहे : अस्पष्ट : अश्रव्य) किस प्रकार की राजनैतिक स्थिति उस समय वहां थी। यह मैं निवेदन कर दूं। उस समय प्रश्नकर्ता का स्थान किस प्रकार था, किस प्रकार की रंजिश और गुटबन्दी थी उनमें और मेरे में। उस रंजिश को लेकर 64 में प्रधान का चुनाव हुआ और इसके बाद कई क्लीयर चार्जेज लगाना, झूठी शिकायतें करना चालू किया। वहां एक पटवारी जो है, 64 में किस तरह से उसे बदले की भावना से वहां रखा और उसके द्वारा मेरी झूठी शिकायतें कराते रहे हैं। इसके जवाब में मैंने हमेशा स्पष्टीकरण किया।

(श्री कन्हैयालाल पटेल)

अधिकारियों द्वारा जांच की जाती थी और उसको दबाने की कोशिश की जाती थी राज्य सरकार के अधिकारियों के सामने सारा मामला आया और उनकी जांच से बाद में वह अधिकारी जो हैं वह गबन के आरोप में गिरफ्तार होकर कोर्ट में उस पर मुकद्दमा विचाराधीन है। वह पटवारी, जिसको हथियार बनाकर रखा गया था वह हमारे साथ में ज्यादती करता था। उस पर आज गम्भीर चार्जेज हैं। मुख्य चार्ज इन लोगों ने जो मेरे पर लगाया था सारी तहसील के द्वारा जांच होकर उसके अन्दर कहा गया है कि इसके अन्दर उनकी गलती नहीं हुई है और ताहम कहते रहते हैं कि मेरे पर गम्भीर चार्ज मौजूद हैं, विचाराधीन हैं, अब जो बात कही जाती है वह सब गलत है।

(शोरगुल :अस्पष्ट उच्चारण: अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : हो गया स्पष्टीकरण।

ऑर्डर, ऑर्डर। व्यवस्था।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, आन ए पोइन्ट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन सर।

अध्यक्ष महोदय, अभी जो उपमन्त्री महोदय ने यह चार्जेज लगाये कि किसी व्यक्तिगत द्वेष के कारण पटवारी ने उनके खिलाफ घोर अनियमितताओं के चार्जेज लगाये। मैं नहीं जानता, मेरे को पता भी नहीं कि वह पटवारी कौन है। क्या कार्यवाही उसके खिलाफ हो रही है। मैं कुछ नहीं जानता।

इतना साफ है कि बहैसियत सरपंच उपमन्त्री जी पर अनियमितताओं के चार्ज हैं। मैंने पांच छः कागज पंचायत मंत्रीजी को लिखे हैं और जानकारी चाही थी कि जो घोर अनियमितताएं भ्रष्टाचार और रिश्वत के चार्ज उनके प्रति हैं उनकी 64 के बाद में क्या जांच हुई। मैं यह माननीय मन्त्री महोदय को पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : यह प्रसंग से दूर है। माननीय सदस्य।

यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है और यह तो कोई पर्सनल एक्सप्लेनेशन भी नहीं हुआ। व्यवस्था।

स्थगन प्रस्तावों पर माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि जयपुर नगर में स्थित सी 13 सवाई जयसिंह हाईवे बनी पार्क में बच्चों की जो संस्था गायत्री इंगलिश स्कूल के नाम से सन् 1965 से चल रही है उसे मकान मालिक द्वारा जबरन खाली कराये जाने की कार्यवाही करने तथा स्कूल की प्रधानाध्यापिका को इस सिलसिले में चोट आने व पुलिस द्वारा इस विषय में की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री नत्थीसिंह व श्री रामकिशन द्वारा दी गयी है। इस मामले में राज्य सरकार से जानकारी की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर उस पर निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथा समय सूचित कर दूंगा।

इसके अतिरिक्त जिन दो स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, वे इस प्रकार हैं।

(श्री अध्यक्ष)

(1) श्री हरजीराम बुरडक व श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य विधान सभा ने थाना डीडवाणा जिला नागौर के थानेदार द्वारा कुछ समय पूर्व ग्राम तीतरी तहसील लाडनूं जिला नागौर से एक लड़की को उठा ले जाने तथा उस सम्बन्ध में पुलिस के उच्चाधिकारियों द्वारा कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) श्री मदनसिंह दांता ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें यह कहा गया है कि ग्राम दांता में शिवजी के मठ की भूमि पर जिसमें मठ के साधुओं द्वारा काश्त की जाती थी अन्य काश्तकारों द्वारा मारपीट कर अपना कब्जा करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(3) एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना भी श्री मदनसिंह दांता द्वारा दी गई है जिसमें गोपाल गोशाला के कब्जे में जो भूमि चली आ रही थी उसको तहसीलदार दांता रामगढ द्वारा छीन लेने का प्रयत्न करने का उल्लेख किया गया है।

(4) श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा ने स्थानीय लाल बहादुर शास्त्री कालेज की रात्रि कक्षा जो पिछले वर्ष तक महाराजा कालेज में चलती थी के अब राजस्थान कालेज में स्थानान्तरित कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इसमें यह भी कहा गया है कि इससे अध्यापकों एवं विद्यार्थियों तथा कर्मचारियों विशेषकर महिला वर्ग की कठिनाइयां बढ गई हैं क्योंकि यह स्थान जयपुर शहर से बहुत दूरी पर है, इसके अतिरिक्त इस बिल्डिंग में न तो पानी की व्यवस्था है और न बिजली की तथा न बैठकर अध्ययन करने की, न वाचनालय की और न पुस्तकालय की। इसी प्रकार के एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री देवीदत्त गाड़िया द्वारा भी 25 अगस्त, 1969 को दी गई थी और उसे अस्वीकार किया गया था।

इनके अतिरिक्त उपरोक्त सभी स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के भी नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर आज इन पर विचार किया जाय। अतः मैं इनको सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव रह गया है।

श्री अध्यक्ष : अभी तो खड़ा ही हूं मैं, इस पर कल व्यवस्था दूंगा।

आधे घण्टे की चर्चा। चिप्स बोर्ड फैक्टरी बांसवाड़ा से सम्बन्धित प्रश्न संख्या 178 के उत्तर से उत्पन्न मुद्दों पर आधे घन्टे की चर्चा श्री नाथूराम बागीडोरा उठावेंगे।

आधे घन्टे की चर्चा चिप्स बोर्ड फैक्ट्री, बांसवाड़ा संबंधी

श्री नाथूराम बागीडोरा : अध्यक्ष महोदय · ·

श्री फूलचन्द बाफना : एक स्थगन प्रस्ताव मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष : वह आ जावेगा।

श्री नाथूराम।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, आपने जो अवसर इसके लिये मुझे पुन: दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

इस चिप्स बोर्ड फैक्टरी का 8-2-62 को एग्रीमेन्ट हुआ मैसर्स सहरिया कॉर्पोरेशन और सरकार के बीच में। तीस साल का एग्रीमेन्ट हुआ।

अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा आजादी के पहले खुशहाल था, भारी बड़े बड़े जंगल थे और वहां अकाल नहीं पडता था और चूंकि बड़े घने घने जंगल थे इसलिये हर साल कम से कम चालीस इन्च और पचास से लेकर साठ इन्च तक वर्षा होती थी।

(1.40 म. प.)

(श्री पूनमचन्द उपाध्यक्ष पदासीन)

पर आजादी आने के बाद वे जंगल बड़े बड़े ठेकेदारों को ठेके पर देकर कटवा दिये गये सन् 62 में इन जंगलों का तीस साल के लिये ठेका सहरिया कम्पनी को दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय जो एग्रीमेन्ट हुआ है उस एग्रीमेन्ट में यह बताया गया है कि प्रतिवर्ष 6700 एकड़ सागवान के जंगल काटता रहेगा। इसकी एवज में सहरिया कम्पनी 6।। लाख रुपया सरकार को प्रतिवर्ष देती रहेगी। उपाध्यक्ष महोदय जो एग्रीमेन्ट हुआ था सहरिया कम्पनी ने उस एग्रीमेन्ट का पालन नहीं किया। वैसे तो 1964 में फ़ौरेन से प्लान्ट लाकर बांसवाड़ा जिले में लगाना था और एग्रीमेन्ट के अनुसार हर साल उसको 6।। लाख रुपया जमा कराना था। एग्रीमेन्ट में यह भी बताया है कि 8 साल बाद 6।। लाख के बजाय 7 लाख रुपया जमा कराना पड़ेगा। लेकिन उसने एक भी वर्ष सरकार को रायल्टी की रकम जमा नहीं कराई। उपाध्यक्ष महोदय, उसको जो फौरेन से प्लान्ट लाना था वह भी उसने नहीं लगाया और आरा मशीनें लगाकर जंगलों को वह नष्ट करता रहा। उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिले में सरकार की तरफ से वन विभाग ने एक आरा मशीन लगाई है और उससे लगभग 2 लाख की इमारती लकड़ी की चिराई होकर डूंगरपुर और बांसवाड़ा के लोगों को मिलती है और इससे सरकार को लगभग 2 लाख रुपये का फायदा प्रतिवर्ष होता है और सहरिया कम्पनी ने 18 आरा मशीनें लगाई थीं। इन 18 मशीनों के द्वारा जो बढ़िया जंगल थे उनको नष्ट किया और नतीजा यह हुआ कि जो वर्षों से पुराने जंगल थे उनके नष्ट होने से दुष्काल आने लगा और हर साल बांसवाड़ा में सरकार को इस दुष्काल के लिए लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं कि जब कि सहरिया कम्पनी ने एग्रीमेन्ट का पालन नहीं किया तो उसकी जो रायल्टी की रकम बकाया थी उसके लिए कानूनी कार्यवाही करके उसको वसूल किया जाना चाहिए था लेकिन सरकार ने एग्रीमेन्ट का कोई पालन नहीं कराया। उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो उसका जो लाइसेन्स था 65 में जब उसने प्लान्ट नहीं लगाया था तब ही रद्द कर देना चाहिए था लेकिन वह भी नहीं किया और सरकार को जो 3 साल में 20 लाख रुपये रायल्टी के बने थे और जो सरकार को मिलने चाहिए थे वह भी नहीं मिले। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से एक पूंजीपति को

(श्री माथूराम, बागीडोरा)

पनपाने के लिए सरकार ने वहां पर जंगल जो पुराने वर्षों के थे खत्म कर दिये और जो सरकार की रायल्टी थी वह भी वसूल नहीं हुई। इससे सरकार को काफी नुकसान हुआ और जंगलों के खत्म होने से दुष्काल आने लगे और सरकार को हर साल दुष्काल में पिछले चार वर्षों में लाखों रुपया खर्च करना पड़ा। उपाध्यक्ष महोदय, गत 10 मार्च 69 को मन्त्री जी ने बताया कि उसने कुछ काम किया था और एग्रीमेंट का पालन नहीं किया इसलिए उसका लाइसेन्स रद्द कर दिया गया है और उसके बाद 19-8-69 को बताया कि सरकार के विचाराधीन है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से पूछना चाहता हूं कि एक तरफ तो मन्त्री जी बताते हैं कि उसका एग्रीमेंट 10-9-68 को रद्द कर दिया गया है और एक तरफ बताते हैं कि 19-8-69 को बताया कि एग्रीमेंट सरकार के विचाराधीन है। प्रोसीडिंग्स में मन्त्री महोदय ने यह जवाब दिया है। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से पूछना चाहूंगा कि सही कौन सा माना जाये ? क्या एग्रीमेंट खत्म कर दिया गया है या सरकार के विचाराधीन है ? हाउस में इस तरह के जवाब दिये जाते हैं वह ठीक नहीं हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एग्रीमेन्ट के बारे में मंत्री जी ने बताया है कि उसने एग्रीमेन्ट की शर्तों को पूरा नहीं किया है और 20-10-68 को लाइसेंस रद्द करने के लिए आज्ञा कर दी गई है। यह साफ जवाब दिया है। उपाध्यक्ष महोदय वैसे जो डीड है उसकी धारा 10 के अनुसार लाइसेन्स रद्द कर देना चाहिए था लेकिन रद्द नहीं करते हुए जो जंगल काटने की इजाजत थी वह आगे बढ़ाते गये और बढ़ाते बढ़ाते 20-9-68 को रद्द करना बताया है उसमें सरकार को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। आज कोई भी किसान से सरकार को थोड़ी सी भी रकम बकाया रहती है तो उससे पी. डी. आर. के तहत वसूली होती है लेकिन सरकार ने यह रकम वसूल भी नहीं की पूंजीपति से। उपाध्यक्ष महोदय, जंगल की जो कटाई हुई है और 10 मार्च को मन्त्रीजी ने बताया कि जंगलों की कटाई हुई है वह भी पूंजीपति के द्वारा हुई है और बदनाम कर रहे हैं आदिवासियों को। 18-8-69 को आदिवासियों पर आरोप लगाया है कि आदिवासियों ने जंगलों को नष्ट कर दिया और पिछले जवाब में पूंजीपतियों के ऊपर आरोप लगाया। इसलिए मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने जो पहला जवाब दिया वह सही है या बाद में दिया वह सही है ? आप खामखां आदिवासियों पर आरोप लगा रहे हैं। लाइसेन्स दिया था और जो शर्तें तय हुई थीं उनकी भी कोई पालना नहीं की और न सरकार को उसने रुपया जमा कराया। 18 आरा मशीनें लगाकर जो बढ़िया से बढ़िया जंगल थे वे खत्म कर दिये और खामखां आप आदिवासियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आदिवासियों में वनों की रक्षा की आदत है, आजादी के पहले ही वह घने जंगलों में रहते थे और जहां उनकी झोंपड़ियां हैं वहां रिजर्व जंगल हैं। वैसे रिजर्व जंगल अब नाम मात्र के नक्शे में हैं। सागवान व बांस के अच्छे जङ्गल थे, सब खत्म हो गए। जहां आदिवासी की झोंपड़ी है।

(श्री नाथूराम बागीडोरा)

जङ्गल में तो उसके पास में ही वनों की रक्षा होती है और जहां आदिवासी नहीं रहते हैं वहां जङ्गलों में वृक्ष के ठूंठ खड़े हैं। इस लिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूँ कि आप इस पूंजीपति को पनपाकर जङ्गलों को खत्म कर रहे हैं और अभी भी मंत्री महोदय ने सही स्थिति नहीं बताई कि आपका कौनसा जबाव सही है। क्या उसका जो लाइसेन्स है वह खत्म हुआ है या नहीं यह हाउस को सही जानकारी देने की कृपा करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एग्रीमेन्ट बहुत लम्बा चौड़ा है, समय कम है, इसलिए विशेष न निवेदन करता हुआ यह निवेदन करता हूँ कि सरकार चिपबोर्ड फैक्ट्री लगवाकर एक व्यक्ति को पनपाने के लिए कोशिश नहीं करे और सरकार के द्वारा यदि औद्योगीकरण की कोशिश होगी तो उसमें लोगों को भी फायदा होगा और सरकार को भी फायदा होगा और मैं तो जब से इस विधान सभा में आया हूं सरकार से निवेदन करता आया हूँ कि बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो पुराने घने जङ्गल थे और जो अब खत्म हो गये हैं उनकी रक्षा के लिए ध्यान दिया जाये। आज जङ्गलों की रक्षा नहीं होगी तो हर साल दुष्काल आते रहेंगे और सरकार को लाखों, करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेता हुआ आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं कि अगर आपका यह सही जबाव नहीं है और सहरिया कम्पनी का ठेका कैन्सिल नहीं किया है तो मैं हाउस में निवेदन करूंगा कि इसका ठेका कैन्सिल कर देना चाहिए और जङ्गलों की रक्षा करनी चाहिए। यही आपके द्वारा मैं निवेदन करता हूँ।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें बिना पूर्व सूचना के कोई माननीय सदस्य चर्चा में हिस्सा नहीं ले सकता।

श्री शंकरलाल : वह तो साधारणतया है।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि जो आपके द्वारा पूछे जा सकते हैं। आधा घन्टे का संमय दिया है इसलिए थोड़ा समय मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शंकरलाल।

श्री नारायण सिंह मसूदा (वन-मन्त्री): मैं निवेदन कर दूं कि इस सम्बन्ध में मैं स्पष्टीकरण दे चुका हूं और बाद में कोई खास प्रश्न हों तो पूछ लें।

श्री रोशनलाल शर्मा : आप तो एक जबाब दे दें कि जो रायल्टी सरकार ने माफ की है उसका क्या कारण है ? क्योंकि अभी प्रश्न आया है कि काम नहीं हो रहा है वह तो ठीक है लेकिन रायल्टी भी वसूल नहीं की तो उसका क्या कारण है वह बता दें।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन प्रश्न पूछूंगा। यह जो ठेका दिया गया इसके अन्दर यह शर्त थी कि :

"The Licensee may be permitted to cut 64 hundred acres of teak

Page No 112

(श्री शंकरलाल जैतारण)

forest annually." 6,400 एकड़ जमीन के अन्दर साल या टीक के वृक्ष काट सकेगा। यह बड़ा गम्भीर मामला है जिसमें आदिवासी क्षेत्र के जंगल नष्ट करने की बात है। 6400 एकड़ उसको दिये गये जिसके अन्दर से वह काट सकेगा लेकिन साथ ही यह शर्त लगाई कि अगर वह तीन साल के अन्दर एग्रीमेंट की धारा 13 है उसके अन्दर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि—

"The Licensee shall establish and run the Chip Board Factory which shall go into production within three years from the date of signing of the agreement. If for any reason the licensee is not able to obtain the import licence and the factory is not installed or brought under production within the aforesaid period of three years this licence shall be liable to be terminated without assigning any further reason." धारा 13 के अन्दर यह था कि यदि तीन साल तक चिप बोर्ड फैक्ट्री को नहीं लगायेंगे तो लाइसेन्स कैन्सिल हो जायेगा। तीन साल के अन्दर जब वह नहीं लगाई गई चिप बोर्ड फैक्ट्री तब उसका लाइसेन्स कैंसिल हो जाना चाहिए था। उसके अन्दर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा माननीय मन्त्री जी का कि उन्होंने 10 मार्च, 1969 को एक तारांकित प्रश्न के उत्तर के अन्दर इसी सदन में यह जवाब दिया था कि वे एग्रीमेंट पूरा नहीं कर सके और सारी चीजें नहीं लगा सके इसलिए उनका लाइसेन्स कैन्सिल कर दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, 10 मार्च को यह जवाब माननीय मन्त्री जी ने दिया था कि उसका लाइसेन्स कैन्सिल कर दिया गया है। लेकिन 10 मार्च के बाद में जब 19 अगस्त को सदन के अन्दर दूसरा जवाब दिया गया माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में जब यह कहा गया कि लाइसेन्स कैन्सिल नहीं किया गया। अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है। उपाध्यक्ष महोदय, 10 मार्च को कहते हैं कि लाइसेन्स कैन्सिल कर दिया है क्योंकि शर्तें पूरी नहीं हुई और 10 अगस्त को जवाब में कहते हैं कि कैन्सिल नहीं किया गया विचाराधीन है। मैं यह समझता हूं कि दोनों में से एक उत्तर सही होना चाहिये। दोनों उत्तर सही नहीं हो सकते।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर मामला है। जब उसके अन्दर यह कहा गया था कि साढ़े $6\frac{1}{2}$ लाख की धनराशि देगा और प्रति वर्ष देगा, तो आज दिन तक उसने एक पैसा भी नहीं दिया तो सरकार ने उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। वह लाइसेन्स क्यों कैन्सिल नहीं हुआ? क्यों सरकार ने उसके खिलाफ कोई मुकद्दमा नहीं चलाया, क्यों उसको पैनेलाइज नहीं किया? और उसने रैवेन्यू में साढ़े 6 लाख नहीं दिये तो भी लाइसेन्स कैन्सिल नहीं किया गया और कहते हैं कि विचाराधीन है। तो यह एक बड़ा गम्भीर मामला है। एक तरफ तो आदिवासी क्षेत्र के जंगल नष्ट हुए, 6400 एकड़ में टीक वृक्ष सालाना नष्ट हुए और दूसरी तरफ ठेकेदार ने वह धनराशि जमा नहीं कराई, और तीसरे इसका लाइसेन्स कैन्सिल न करें, तो मैं समझता हूं कि सदन के समक्ष यह जो मामला आया है बड़ा गम्भीर मामला है, और उसके संबंध में माननीय मंत्रीजी अपने स्पष्टीकरण में हमें

(श्री शंकरलाल जैतारण)

इस बात का विश्वास दिलायेंगे कि सरकार इस विषय में क्या कर रही है, क्योंकि इस बात से यह बडा सन्देहास्पद मामला हो जाता है सरकार की नीतियों के बारे में, मैं मानता हूं कि माननीय मंत्रीजी बहुत ही सज्जन, निष्पक्ष और ईमानदार व्यक्ति हैं हमारे सदन में, लेकिन किसी स्तर पर यह हो रहा है, तो क्यों हो रहा है उसका देखना है उनको कि इस तरह के उत्तर इस सदन में क्यों दिये जाते हैं। इसलिए मैंने यह तीन प्रश्न किये हैं। मैं समझता हूं कि उसी के अनुसार माननीय मंत्रीजी का स्पष्टीकरण आयेगा तो आगे और प्रश्न करूंगा।

श्री [illegible] (वन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बड़ा विवादग्रस्त विषय बन रहा है। इसके विषय में यदाकदा सदन के अन्दर प्रश्न आये और उनके जवाबात दिये गये। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार सारी चीजें यहां पर नहीं गई हैं। हमारे माननीय सदस्य नाथूरामजी मूलतः जो शंका प्रकट करते हैं और जो उनके प्रश्नों से आभास मिलता है जो उनकी तकरीर से आभास मिलता है, और जो सारी चीज समष्टि रूप से हमारे सामने आकर प्रस्तुत होती है उसका, यदि मैं गलत नहीं हूं तो निष्कर्ष यही निकलता है कि बांसवाडा के जंगल में खराबी हुई वह एक बात है. लेकिन और जो खराबियां इस प्रकार की फैक्ट्री से हो सकती हैं, एक पूंजीपति केवल मात्र वहां पर पनपेगा, और इस इन्डस्ट्री के मुकाबले में जो वहां पर जंगल हैं वे ज्यादा लाभप्रद हैं, बांसवाड़े में इन्डस्ट्री की कोई आवश्यकता नहीं है, जो कुछ तरक्की बांसवाड़े में हो सकती है वह शायद यथावत् जो स्थिति बनी हुई है उसी से हो सकती है।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यदि इस बात को समझ पाया हूँ तो सबसे पहले मैं यह निवेदन करूंगा कि इस विषय पर जो कुछ बांसवाडा चिप बोर्ड फक्ट्री के बारे में कार्यवाही प्रारम्भ हुई वह न तो ऐसे किसी पूंजीपति को लाभ पहुंचाने के लिए हुई थी और न किसी ऐसे और काम के लिए हुई थी। यह सरकार जब कृतसंकल्प है समाजवादी समाज की रचना यहां पर हो, तो इस प्रकार की शंका मैं समझता हूं माननीय सदस्यों को जो इस तरफ बैठे हुए हैं उनकी तो कम से कम निर्मूल हो जानी चाहिए। जो कुछ हुआ था उसकी भूमिकाएं हैं, और भूमिका के अन्दर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सन् 1962 के अन्दर जब एग्रीमेंट हुआ था उसके पहले एक जर्मन एक्सपर्ट जिसका नाम वान मोंग राय था उसने वहां के वनों को तकनीकी तौर पर देखा। इसके पहले की वर्किंग प्लान की रिपोर्ट है। यदि आवश्यकता हुई तो उसको पढ कर सुनाऊंगा नहीं तो सूक्ष्म में उसका लब्बे लुआब बता दूंगा....

श्री [illegible] : उन्होंने उपयोगिता के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने यह कहा है कि फैक्ट्री जब अभी तक शुरू नहीं हुई है और शर्त यह थी कि तीन साल तक अगर शुरू नहीं होगी तो लाइसेन्स कैन्सिल कर दिया जायगा। वह अभी तक नहीं किया है। इसके बारे में आप कहें।

श्री नारायणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यदि सारा सदन स्पष्टतया समझेगा

(श्री नारायणसिंह)
और सुनेगा तो जो कुछ भी प्रश्न उठाये हैं माननीय सदस्य ने उन पर पूर्णतया प्रकाश डाल सकूंगा। तो मैं यह निवेदन करूंगा··

श्री उपाध्यक्ष: सदन को आशंका है कि यह भूमिका में काफी समय लगेगा और बात पूरी नहीं हो सकेगी।

श्री नारायणसिंह: जो कुछ उन्होंने कहा है उसके बारे में तो कहना ही पड़ेगा।

मेरा निवेदन यह है कि जिस प्रकार से माननीय सदस्य ने कहा है कि आदिवासियों पर उपालम्भ लगाया गया है ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री नाथूराम बागीडोरा: उसके एग्रीमेंट का पालन नहीं किया गया है तो सरकार ने क्या कार्यवाही की। आप संक्षेप में एक एक प्रश्न का जवाब दे दें। मेहरबानी करके भाषण मत दें।

श्री नारायणसिंह: मैं उसी प्रश्न पर आ रहा हूं आप उत्तेजित न हों। आपने बड़ी भूमिका बान्धी थी तो आपकी भूमिका का उत्तर दे रहा हूं और मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस संदर्भ के अन्दर यह हुआ था। वर्किंग प्लान की रिपोर्ट थी कि बांसवाड़े के जंगल काफी कट चुके हैं रियायतों के कारण अथवा दूसरे कारणों से तो उसमें किसी पर उपालम्भ का प्रश्न नहीं था, वह हक का प्रश्न था और हक की वजह से लोग कन्सेशन की चीजों को निकाल रहे थे, लेकिन क्योंकि उसका टोटल इफैक्ट इस पर पड़ रहा था और वनों का इस तरह से ह्रास हो रहा था। तो बान मोंग ने तकनीकी राय दी है कि चिप बोर्ड फैक्ट्री जैसी चीज वहां पर स्थापित हो सकती है, और यह हुई। इसी संदर्भ के अन्दर यह सारी फैक्ट्री आई है और 62 के अन्दर यह एग्रीमेण्ट हुआ।

अब एग्रीमेंट की शर्तों का सवाल आता है। मैं निवेदन करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष, कि जिस वक्त एग्रीमेंट हुआ था उस वक्त उन्होंने कुछ खिलाफवर्जी की जिसके बारे में मैं प्रश्न के उत्तर में कह चुका हूँ, और उस उत्तर में बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि रायल्टी 12-5-63 के अन्दर सी. सी. एफ. की रिपोर्ट के अनुसार यह वृक्षों की रायल्टी के ड्यूज जो उनको पहले एक क्षेत्र दिया जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं अपने प्रश्न के उत्तर में कि 328 एकड़ का जो क्षेत्र दिया गया था, उसकी रायल्टी के ड्यूज और दूसरा क्षेत्र है 78 एकड़ का उसके अन्दर रायल्टी के ड्यूज, पहले के 33,312 और दूसरे क्षेत्र के हैं 7,173 रु.। इनमें से उसने 12,128 रुपये एक तरफ के और 2,800 रुपये दूसरी तरफ के जमा कराये थे और जो बैलेन्स रह गया था वह एक तरफ का तो 20,484 और दूसरी तरफ का 4,306 रुपये थे। इस विषय में जब यह रिपोर्ट आई तब कार्यवाही आगे बढ़ी है और उसका ट्रान्जिट पास बन्द कर दिया गया, और उनको और बातें शुरू हुई तो उन्होंने यह कहा कि हमारे एग्रीमेंट के अन्दर··

श्री कृष्णकुमार गोयल: यह जो रिपोर्ट आपने बताई है वह किस सन् की है? यह 62 की बात है क्या?

श्री नारायणसिंह: हां।

(श्री नारायणसिंह)

(2 म. प.)

तो उस उक्त में यह वाद-विवाद भी उठा वह सहरिया ने उठाया उसमें इतने प्रति एकड लकडी निकलनी चाहिए थी । क्यों नहीं निकली।

श्री शंकरलाल जे.तारण : यह एग्रीमेंट में कहां है ?

श्री नारायणसिंह : आप पूरा सुन लें। सुनने के बाद कोई संदेह नहीं होगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ) : पौन घन्टा हो गया है।

श्री नारायणसिंह : तो सहरिया ने अपने फार्मूले का मतलब किया 25793....

श्री माथुराम डागीडोरा : आप सीधी बात कहें।

श्री हरिदेव जोशी : जो सवाल उठाये हैं तो क्या उनका जवाब नहीं दें।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : उद्योग मंत्री जी, उस व्यक्ति को जंगल दिया गया था। उसको रायल्टी साढ़े 6 लाख रुपया देनी चाहिए थी। हमारी जो धारणा थी।

श्री हरिदेव जोशी : उसके अन्दर इसको केवल 328–70 एकड़ दी है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : एग्रीमेंट के अनुसार 6400 एकड जंगल देना चाहिए था। उसके अनुसार 6½ लाख रायल्टी उसे देनी चाहिए थी। क्या कहीं किसी स्टेज पर कोई तब्दीली हुई है या और प्रावधान था ?

श्री नारायणसिंह : माननीय सदस्य, मैं इन बातों पर आ रहा हूं। एग्रीमेंट में क्या था कि 6400 एकड प्रति वर्ष काटेगा। और उसी एग्रीमेंट में यह भी था कि प्रति एकड इतना माल चिप बोर्ड को मिले।

श्री माथुराम डागीडोरा : यह कौन सी धाराओं के अनुसार है ?

श्री नारायणसिंह : मैं थोडा निवेदन कर दूं...

श्री कृष्णकुमार गोयल : आवाज नहीं आ रही है।

श्री नारायणसिंह : The Licensee shall be entitled to cut and remove annually teak trees on 6400 acres of teak forest from the aforesaid Protected forest (the area allotted being able to produce per acre on an average the minimum quantity of 135 Cft. of Sewable teak timber of 8" diameter and above and 81 tons of material fit for Chip board provided that the area of 6400 acres in which teak tree to be felled and utilised in the said Mill and Factory in one year shall not be allotted the next year to the Licensee. Provided further that if the Government is satisfied in any year for reasons beyond the control of the licensee the licensee has not cut or felled the whole of the teak timber of the area

(श्री नारायणसिंह)
allotted to it, the unfelled area may be alloted again in the next year.

एक माननीय सदस्य : यह कण्डीशन तो····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री नारायणसिंह : नम्बर एक उनको यह बेलेंस रहता था। तो आगे भी उनका शिकायत का मौका आया। लेवलिंग ठीक तरह से नहीं थी। ड्रेसिंग ठीक तरह से नहीं थी। इसलिये यह सोचा गया कि कैंसिल किया जाये। कैंसिल करने की बात सोची तो लॉ डिपार्टमेंट ने यह राय दी कि पहले नोटिस देना पड़ेगा। तो क्लाज 8 के मुताबिक जो कैंसिल करने का है, उसका फेवर हो जायगा आटोमेटिकली। तो इसके आगे काम करने नहीं दिया गया। सन् 1965 में एक स्थिति बनी और एक कमेटी ने एग्रीमेंट रिवाइज करने की बात कही। वह भी पूरी तरह से नहीं समाप्त हो पाया। उसके बाद 1966 के अन्दर यह कहा गया, मैंने एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि वह कैंसिल कर दिया गया था। उसका मैं कारण बताता हूँ उसके अन्दर मैंने यह हुक्म दिया था कि उसको कैंसिल क्यों नहीं कर दिया जाये। लेकिन ला डिपार्टमेंट ने कहा कि नोटिस देना पड़ेगा। नेगोसिएशन में जाने की बात थी। इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट ने यह भी बात कही कि जो वह इण्डस्ट्री लगी है उसकी लेटेस्ट पोजीशन की बात कह दूं। उसकी मौके पर बातचीत होने को है। हम पहले तसल्ली करेंगे कि वनों की क्षमता है या नहीं। वनों की क्षमता को देख कर, रा मेटीरियल चिप बोर्ड फैक्ट्री के लिए है या नहीं वह दिया जाएगा। वह भी डिपार्टमेंट वर्किंग लाभ उठाता है उस आधार पर दिया जाएगा। न कि दूसरों पर। और इसके उपरान्त अगर कोई बात होगी इसके बारे में तो और कोई हाई पावर कमेटी बनाई जावेगी। उसमें भी कोई बात होगी तो आर्बीट्रेशन कानून में आर्बीट्रेशन होगा।

श्री नाथूराम बागीडोरा : पहले वाले लाइसेंस का क्या हाल हुआ है?

श्री हरिदेव जोशी : लाइसेंस इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट से सम्बन्धित है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : वन मन्त्री जी जो बता रहे हैं, क्या हम यह मान कर चलें कि उन्होंने चिप बोर्ड फैक्टरी को दुबारा लगाना स्वीकार कर लिया है?

श्री नरोत्तमसिंह मेहता : संक्षेप में ही बता दें।

श्री नारायणसिंह : मैं यह बता रहा हूँ कि इस प्रकार के नेगोसिएशन की स्टेज आयी है। सरकार यह देखती है कि—इस बात की स्टेडी की जा रही है कि कितने मजदूर लगेंगे। कितना सैल्स टैक्स मिलेगा। कितना इन्कम टैक्स का भाग मिलेगा। उसके बाद डेवलपमेंट वर्किंग की क्या पोजीशन बनती है? मैं यह निवेदन कर दूं कि जो इण्डस्ट्रियलाइज करना चाहते हैं इस प्रकार के कन्सर्न से तो यह निर्णय एकदम नहीं लिया जा सकता है। सरकार यह देखेगी कि इकोनामिक स्थिति क्या होगी। यह मंशा नहीं है कि वहां के जंगल खत्म हो जायें।

(श्री नारायणसिंह)

यह तकनीकी तौर पर काम किया जाय। उसमें डिपार्टमेंटल वर्किंग को लगाना पड़ा तो वह भी लगाया जाय। लेकिन इन्डस्ट्री ज्यादा मुफीद है, यह यथावत् स्थिति बने कि यह ज्यादा मुफीद है...

श्री नाथूराम : चिप बोर्ड फैक्ट्री को क्यों देते हैं ?

राव श्री नारायणसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सवाल राज्य सरकार को और बांसवाड़ा की जनता को तय करना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता...

श्री नाथूराम : वहां की जनता नहीं चाहती है।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : बांसवाड़ा की जनता आप नहीं हैं, दूसरे भी हैं।

श्री नारायणसिंह : इससे जंगल विभाग की आमदनी बढ़ेगी या नहीं, इस बारे में विभाग स्थिति पर विचार करेगा। बाकी जो प्रश्न आपने उठाया है वह इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट से सम्बन्धित है...

श्री नाथूराम : इसने सरकार के लाखों रुपयों का नुकसान किया है...

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री नाथूराम : आदिवासियों के क्षेत्र के जंगलों को नष्ट किया है...

श्री हरिदेव जोशी : सुनिये, सुनिये।

श्री नाथूराम : हम सब तरह की इन्डस्ट्री चाहते हैं, हमारे क्षेत्र में इन्डस्ट्री होनी चाहिए...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर !

श्री नाथूराम : लेकिन जंगलों को जो नष्ट कर दे, ऐसी इन्डस्ट्री हम नहीं चाहते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के कहने से ऐसा कुछ भ्रम होता है जैसे बांसवाड़ा के जंगल किसी फैक्ट्री के कारण से नष्ट हो गया है। मैं यह निवेदन कर दूं कि बांसवाड़ा जिले में पांच तहसीलें हैं और इन पांच तहसीलों में से इस सहरिया कम्पनी को केवल घाटोल तहसील का एरिया, जो लाइसेन्स के तौर पर कहा, वह लाइसेन्स के तौर पर नहीं, लीज के तौर पर है, लेकिन उसमें कहीं गढ़ी का एरिया नहीं है, बागीडोरा का एरिया नहीं है, किशनगढ़ का एरिया नहीं है, कुशलगढ़ का एरिया नहीं है...

श्री शंकरलाल : 6400 एकड़ है।

श्री हरिदेव जोशी : 6400 एकड़ है। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं, आज भी हमने जो इन्क्वायरी कराई है, जो जांच करवाई है उसके अनुसार बांसवाड़ा में एक चिप्स बोर्ड फैक्ट्री की नहीं, बल्कि दो चिप्स बोर्ड फैक्ट्री की पोटेंसियलिटी है। जहां तक इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट की सर्वे और धारणा है वह यह है कि चिप्स बोर्ड फैक्ट्री अथवा इसी प्रकार की कोई दूसरी फैक्ट्री लगे तो उस पर एक करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। एक करोड़ का इन्वेस्टमेंट कोई साधारण बात

(श्री हरिदेव जोशी)

नहीं हुआ करती है-इसमें हमें समझना चाहिए। दूसरे हम अगर यह समझते हैं कि भील केवल लंगोटी लगाये हुए रहें, उनकी केवल यही स्थिति रहे कि जंगल से लकड़ी काट कर ले जायं और चार आने में मोल बेच कर जीवन निर्वाह करें तो बात दूसरी है वरना चिप्स बोर्ड फैक्ट्री में करीब बाइस सौ लेबर काम करेगा, जब बाइस सौ लेबर काम करता है तो स्थिति यह हो जाती है कि कम से कम वहां पर प्रत्येक माह लगभग साढ़े सात लाख रुपये का टर्नओवर होगा वेजेज के अन्दर, जब इतना टर्न ओवर वेजेज के रूप में आता है तो उसका सेल्स टैक्स के अन्दर और इन्कम टैक्स के अन्दर काफी असर पड़ेगा। यह सब बातें समझ कर गवर्नमेंट ने वहां पर चिप्स बोर्ड फैक्ट्री की मंजूरी दी थी, किन्तु जब एग्रीमेंट के बाद में यह मालूम हुआ, और कई तरह की बातें हवा में चलने लगीं, जैसे आदिवासियों को अभी जो कन्सेशन दिये जा रहे हैं, इससे उनकी स्थिति पर असर पड़ेगा। तब इस सारी चीज को रीकन्सीडर किया गया और यह तय किया गया कि आदिवासियों का जो अधिकार है आज लकड़ी लेने का इसमें कोई फर्क नही पड़ेगा। मैं बागीडोरा से आने वाले माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं, जैसी उन्होंने बात कही कि जंगल नष्ट हो गये हैं, वैसे मैं भी जंगलों के नष्ट होने के पक्ष में नहीं हूं लेकिन इस चिप्स बोर्ड फैक्ट्री ने केवल अरथूना और बड़ी सरवा में घाटोल तहसील में नरबाली के पास काम किया है। इसके अलावा कहीं कोई काम नहीं किया है। लेकिन माननीय सदस्य की तहसील के लोग घाटोल में लकड़ी लेने के लिए आते हैं, वह बागीडोरा से क्यों आते हैं .....

श्री नाथूराम : मैं हाउस को जानकारी देना चाहता हूं।

श्री हरिदेव जोशी : मेरी पूरी बात सुन लीजिये।

श्री नाथूराम : उसने अठारह आरा मशीन लगाई थीं। जब कि वह एग्रीमेंट में नहीं था कि वह अठारह आरा मशीन लगायेगा।

श्री हरिदेव जोशी : मेरी बात पूरी सुन लीजिये। क्या आप सोचते हैं .....

श्री नाथूराम : बागीडोरा क्या गढ़ी क्या, आजादी के पहले सबको अधिकार थे।

श्री हरिदेव जोशी : आजादी के पहले थे, लेकिन आजादी के बाद क्या स्थिति हुई।

मैं भी यह कहता हूं, आज जब जहां एक फैक्ट्री लगाने की बात होती है तो उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। फैक्ट्री के लिए जहां लकड़ी काटी गई है, वह तो वह एरिया नहीं है, वह तो एरिया है जहां पर आज घने जंगल हैं। दूसरे चिप बोर्ड के मायने क्या हैं? चिप बोर्ड के मायने हैं वह वेस्ट मेटिरियल जो कि केवल फ्यूअल के तौर पर अथवा चिप्स के तौर पर काम आ सकता है। अब इसके सम्बन्ध में जो नियम और सारी चीजें हैं। अगर फारेस्ट डिपार्टमेंट सारी कन्डीशन्स को समझ कर रा-मेटिरियल सप्लाई करने की पोजीशन में है, तो मैं इस पक्ष का हूं कि बांसवाड़ा जिले में इन्डस्ट्री लगानी चाहिए। वहां पर लाइम स्टोन है, वहां पर सीमेन्ट फैक्ट्री लग सकती

(श्री हरिदेव जोशी)

है, निम्बाहेड़ा में और सवाई माधोपुर में लग सकती है, लेकिन बांसवाड़ा में इसलिए नहीं लग सकती क्योंकि वहां पर रैल्वे नहीं है, वहां पर इन्फ्रा-स्ट्रक्चर नहीं हैं, उसको समझ कर जो चीज इकानामिकल होगी वही वहां पनप सकेगी, दूसरी नहीं पनप सकेगी। यह समझ कर अगर बांसवाड़ा में इन्वेस्टमेंट होता है तो उससे बांसवाड़ा का नुकसान होता हो—यह बात नहीं है। यह समझना चाहिए कि वहां के लोगों की इकानामिक पोजीशन को सुधारने के लिए वहां का इन्डस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है, और वह तभी हो सकेगा जब बड़े पैमाने पर वहां पर इन्वेस्टमेंट हो सकता हो।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : इस समय जो चिप बोर्ड फैक्ट्री लगाने की बातचीत दुबारा शुरू हुई है, यह उसी इन्डस्ट्रियलिस्ट के साथ हो रही है या दूसरे के ?

श्री हरिदेव जोशी : वही है। इसमें एक प्रकार का सन्देह पैदा हो गया था, जिससे 1964 में काम करने से रोक दिया गया था। जब काम करने से रोक दिया गया तो इसमें सारी चीजें साफ हो गई।

दूसरा सवाल उठाया था, शंकरलालजी ने लाइसेन्स के बाबत। इसमें लाइसेन्स जैसी चीज नहीं है। जो फारेस्ट डिपार्टमेंट देता है वह लीज देता है। इसमें लाइसेन्स लिखा है, वह गलत लिखा है। फारेस्ट डिपार्टमेंट को लाइसेन्स देने का अधिकार नहीं है, लीज देने का अधिकार है। फारेस्ट डिपार्टमेंट को लाइसेन्स देने का अधिकार नहीं है, लाइसेन्स तो इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट दे सकता है अथवा उसे वह कैंसिल कर सकता है। इस मामले में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का भी दखल नहीं है क्योंकि यह मीडियम स्केल इन्डस्ट्री होगी, इसलिए इसका अधिकार केवल गवर्नमेंट आफ इंडिया को है। वह ही लाइसेन्स को देगी और वही इसको रिन्यू कर सकती है और तब तक रिन्यू करती रहेगी जब तक ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो जाय.......

श्री शंकर लाल : जंगल काटने का लाइसेन्स कौन देगा ? भारत सरकार देगी ?

श्री हरिदेव जोशी : किसके लिए ?

श्री शंकर लाल : जंगल काटने के लिए ?

श्री हरिदेव जोशी : जंगल काटने के लिए लीज होती है, लाइसेन्स नहीं।

श्री शंकर लाल : लाइसेन्स शब्द इसमें प्रयोग में लिया है।

श्री हरिदेव जोशी : मेरे खयाल में यह लाइसेन्स शब्द ठीक नहीं है।

श्री शंकर लाल : वन मन्त्री कह रहे हैं....

श्री हरिदेव जोशी : यह मैं कह रहा हूँ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : लीज शब्द आया हो, लाइसेन्स शब्द आया हो—इससे हमें कन्सर्न नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : सम्बन्ध है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : हमारा कन्सर्न तो केवल इतना सा है कि लीज किसी पर्टीक्यूलर पर्पज के लिए दी गई और लीज के लिए एग्रीमेंट लिखा गया, उस एग्रीमेंट में जो शर्तें थीं, उन शर्तों का उल्लंघन हुआ है

Page No 120

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

और उल्लंघन होने के बाद तुरन्त लीज समाप्त क्यों नहीं की गई ? यह सवाल है।

श्री हरिदेव जोशी : यही कारण है कि लीज को टर्मीनेट कर दिया गया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : 1964 के अन्दर।

श्री हरिदेव जोशी : 1964 के अन्दर कर दिया गया। उसके बाद में नया एग्रीमेंट हुआ··

श्री कृष्णकुमार गोयल : कौनसे सन् में ?

श्री हरिदेव जोशी : मुझे ठीक से याद नहीं है, रिकार्ड भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन उसमें नई शर्त इन्कोर्पोरेट की गई, वह यह कि आदिवासियों को जो सुविधायें प्राप्त थीं वह लीज एरिया में बराबर मिलेंगी, इज इट नाट (श्री नारायण सिंह) तो पहले वाले एग्रीमेंट में यह था कि चिप बोर्ड फैक्ट्री के पास जो लीज दी गई है उसके अन्दर किसी को भी काटने अथवा ले जाने का अधिकार नहीं था, किन्तु नये एग्रीमेंट में इसको इन्कोर्पोरेट कर लिया गया है··

श्री नाथूराम : मुझे पहले वाला एग्रीमेंट··

श्री हरिदेव जोशी : महरबानी करके आप मेरी बात पूरी सुन लीजिये।

श्री नाथूराम : मुझे एग्रीमेंट पहले वाला दिया है या बाद वाला ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरी पूरी बात को सुन लीजिये। फिर आपकी जो शंका हो··

श्री शंकरलाल : जो एग्रीमेंट की प्रति माननीय सदस्य को दी गई है, उस पर ही बहस आधारित होगी। जिस एग्रीमेंट के लिए माननीय मंत्री जी कहते हैं वह उनको नहीं दिया गया है, फिर इसका जिक्र क्यों करते हैं······

श्री हरिदेव जोशी : मैं वही कह रहा हूं··

श्री शंकरलाल : इससे तो इस प्रश्न पर चर्चा स्थगित कर दी जाय। आप उनको पूरी जानकारी नहीं देते हैं। अगर दूसरा कोई एग्रीमेंट हो गया है दूसरी कुछ कार्यवाही हो गई है तो उनको सारी जानकारी दे दें और तब तक के लिए चर्चा स्थगित कर दी जाय।

श्री नारायणसिंह : वह अभी ड्राफ्ट एग्रीमेंट है।

श्री हरिदेव जोशी : मेरी बात को पूरा सुन लीजिये। आप कह रहे हैं कि वह अभी तक फाइनलाइज होकर पूरा नहीं हुआ है, वह ड्राफ्ट एग्रीमेंट होगा। तो उसमें यह सारी चीजें इन्कोर्पोरेट कर दी गई हैं, जो आदिवासियों के हक हैं, जो उनको कन्सेशन दिये हुए हैं वह उनको मिलते रहेंगे। इसके बाद में मैं ऐसा समझता हूं कि इसमें कहीं कोई विवाद नहीं रह जाता है। मैं यह मानता हूं कि किन्हीं भी स्थितियों के अन्दर वहां इन्डस्ट्री लगती है तो उससे न तो आदिवासियों को नुकसान होता है और न उस क्षेत्र को नुकसान होता है, बल्कि उस क्षेत्र की प्रगति होगी और उससे राज्य को भी लाभ होगा। मेरा निवेदन यह है कि माननीय सदस्य को वहम था, और मैं यहां तक कहने

Page No 121

(श्री हरिदेव जोशी)

को तैयार हूं कि वह मुझसे बात कर लेते तो उन्हें इतनी परेशानी नहीं होती ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आज बात कर लें ।

श्री हरिदेव जोशी : आज बात कर लें। इसमें कोई उन्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए । आदिवासियों के हितों की रक्षा करने की बात कही जाती है, उसकी रक्षा तो करनी है, लेकिन साथ ही हम समझते हैं कि आदिवासी मोर्डनाईज एकदम नहीं हो सकते हैं, मोर्डनाइज करने का क्रम तो धीरे धीरे होगा, लेकिन इस बात से मैं सहमत हूँ कि उनको जो रियायत और सुविधायें मिलती हैं वह बन्द नहीं होनी चाहिए और वह उनको मिलनी चाहिए । जहां तक इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट का सवाल है, वह लाइसेन्स अगर सस्पेन्ड हो गया है तो मैं प्रयत्न करूंगा कि वह लाइसेन्स फिर से दिया जाय और वहां पर इंडस्ट्री आ जाय और इंडस्ट्री लगे। यही मेरा निवेदन है।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री कृष्ण कुमार गोयल : उद्योग मंत्रीजी के इस लीज के सम्बन्ध में कुछ नए तथ्य देने के कारण एक नई स्थिति पैदा हो गई है । सन् 1962 के अन्दर एग्रीमेंट हुआ । चिप बोर्ड फैक्ट्री ने उस आधार पर फारेस्ट का पजेशन लिया और 328 एकड़ और 78 एकड़, इन दो भूमियों के अन्दर आपने आपरेशन्स आरंभ किए । 1963 के अन्दर शिकायत पैदा हुई । उसके बाद समिति बनी, समिति ने अपनी रिपोर्ट दी और जिसका उद्योग मंत्री ने बताया है कि उसके आधार पर लीज कैंसिल कर दिया गया था और 1964 के अन्दर फिर दुबारा नई लीज में मोडीफिकेशन्स के साथ लिखा गया तो हम जब इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं और तथ्य मंत्रीजी ने दिए कि उद्योग लगेगा • •

श्री उपाध्यक्ष : वन मंत्री ने इन्कार किया है। वह कह रहे हैं कि नया एग्रीमेंट विचाराधीन है।

श्री हरिदेव जोशी : लीज के बारे में कहने का अधिकार उनका ही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : हम वन मंत्री से जानना चाहते हैं कि 1962 में एग्रीमेंट के अनुसार जब सबसे पहले पजेशन दिया गया था तो वह लीज कब तक अन्डिस्टर्बड कन्टीन्यू रही है और जब जंगलात काटना आरंभ किया और काटने के बाद क्या किसी स्टेज पर वन विभाग ने उस लीज को कैंसिल करके उसकी कटाई को रोका था । अगर हां तो कभी किसी स्टेज पर लीज दुबारा देकर काटने की इजाजत दी या नहीं ?

श्री नारायण सिंह : प्रारंभ में जब उसके खिलाफ बात पाई गई 1963 में तब तुरन्त काम बंद करा दिया और यह सोचा गया कि इस लीज को कैंसिल कर दिया जाय—•

श्री उपाध्यक्ष : आज के दिन जंगल काट रहा है क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : नहीं नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : कुल कितना जंगल काटा ?

श्री रोशनलाल शर्मा : उसका रुपया कितना होता ? राज्य सरकार को कितना

(श्री रोशनलाल शर्मा)

दिया और बकाया कितनी है, बकाया क्यों नहीं ले रहे हैं ?

श्री नारायणसिंह : उस समय लाइसेन्स कहा जाता था, वह लीज है। जब उसको कैंसिल करने का प्रश्न उठा तब ला विभाग ने राय दी कि इसको प्रापर नोटिस देना चाहिए। उसके बाद श्री सहरिया से संपर्क किया और उसने आश्वासन दिया कि मैं केन्द्रीय सरकार से इजाजत मांग कर और जो इसके लिए मशीनरी चाहिए वह लेकर आऊंगा और इस लीज को रिवाइज किया जाय फिर उसके लिए समिति बिठाई तो उद्योग मंत्री कह रहे हैं कि जो रिवीजन एग्रीमेंट का हुआ और उसको प्रस्तावित किया, उसी विषय में है। 13 व 26 मुद्दे हैं इसके अन्दर उसके बारे में रिवीजन हुआ। 13 मुद्दे के अनुसार 3 साल के अन्दर उसको आपरेशन में पुट अप करने की बात थी। उसके बाद में रिवीजन को सजेस्ट किया गया। इसलिए जब तक चिप बोर्ड फैक्ट्री चालू की जाय तब तक काट काट कर लकड़ी ले न जायं तब तक कोई आपरेशन्स नहीं करने चाहिए और वह भी एक साल के अन्दर उस फैक्टरी को आपरेशन में ले जायें। उस पर उसने एतराज किया कि एक साल के अन्दर यह सम्भव नहीं होगा। एफ. डी. को भेजा गया। वहां विचार हुआ, उसके बाद उद्योग विभाग ने सोचा कि दो सालों की कम से कम उनको मियाद देनी चाहिए जिसके अन्दर वह आपरेशन्स को पुट अप कर सके उद्योग को। यह बात 1966 के अन्दर हो रही थी। बाद में आम चुनाव हुए, राज्यपाल का शासन हुआ, थोड़ी बहुत ढिलाई हुई। उसके बाद जब फिर यह बात आई तब उसको बुलाया गया वह उपस्थित नहीं हो सका, टालमटोल की बात नजर आई तो वन विभाग की तरफ से लीज कैंसिल करने की बात हुई। यह उस संदर्भ में थी और अब जो नए सिरे से एग्रीमेंट...

(कुछ माननीय सदस्य बीच में बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय आप तो...

श्री नारायणसिंह : जब तक मुझे सुना नहीं जायगा...

श्री नाथूराम : इसकी जांच होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय, आप एक बात बतायें कि कुल इसमें कितने एकड जंगल कटा ?

श्री हरिदेव जोशी : 328 व 71 एकड।

श्री नारायण सिंह : मैं कह चुका हूं, मैं अंतिम बार कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो एग्रीमेंट होने का है, उसका प्रारूप भी अभी नहीं बना है। वह टेनटेटिव एग्रीमेंट था, जिसका कोई प्रश्न नहीं है। हम रा मेटीरियल देना चाहते हैं और उस आधार पर डिपार्टमेंटल वर्किंग के रेट के आधार पर हम सारी चीज का निर्णय करना चाहते हैं जो बुनियादी एग्रीमेंट से बिल्कुल अलग है। इसलिए बुनियादी एग्रीमेंट को उठाने की कोई बात नहीं है।

श्री नाथूराम : आपने कितनी रायल्टी वसूल की, कितनी पेनल्टी वसूल की ?

श्री नारायणसिंह : हम लीज तब देंगे···

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मंत्री महोदय से पूछा उसका उत्तर नहीं आया।

श्री हरिदेव जोशी : सन् 1963 के बाद में कोई आपरेशन्स नहीं हुए और एक ब्लाक में 328 एकड़ और दूसरे में 70 एकड़···

श्री रोशनलाल शर्मा : रुपये कितने हुए, वह बतायें।

श्री हरिदेव जोशी : वह मेरे पास नहीं है।

श्री रोशनलाल शर्मा : कितना रुपया जमा कराया, बाकी रुपए का क्या हो रहा है? वह रुपया जब तक न दे तो उसी पार्टी से एग्रीमेंट करेंगे ?

श्री नारायणसिंह : मैं एरीयर भी बता चुका हूं, परन्तु माननीय सदस्यों की उतावल के कारण वह बात ध्यान से चली जाती। जिस समय यह बात आई कि वसूल कर लिया जाय, ला विभाग ने राय दी कि अगर इससे वसूल किया जायगा तो जो कुछ यथावत स्थिति है, वह रह जायगी और क्लाज 8 एक प्रकार से वेव हो जाता और हम बंध जायेंगे। हमने वस्तुस्थिति को स्वीकार कर लिया। हम उसको बिल्कुल कैंसिल करना चाहते थे।

श्री नाथूराम : सालाना 6½ लाख वसूल करने थे, मंत्री महोदय बतायें कि कितना वसूल किया ?

श्री नारायणसिंह : शर्तों के अनुसार काम करते, मैं नहीं कह सकता···

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री रोशनलाल शर्मा : आप बकाया लेने का क्या कर रहे हैं ? आप एक जवाब दें, मंत्री महोदय दूसरा जवाब दें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : स्वयं वन और उद्योग मंत्री ने जो लेटेस्ट पोजीशन बताई है उससे बात साफ हो गई कि स्वयं वन विभाग ने जान बूझकर और यह जानते हुए भी कि चिप बोर्ड फैक्ट्री के अंदर केवल वेस्ट मैटीरियल काम में आता है, सब कुछ जानते हुए जो टीक का जंगल था लाखों की संपत्ति उसने काटी। जब आज राज्य सरकार कह रही है कि एग्रीमेंट रिवाइज कर रहे हैं और लीज देने वाले हैं, उसमें केवल वेस्ट मैटीरियल काम में आएगा हम जानना चाहते हैं···

श्री हरिदेव जोशी : लाखों की कौनसी ? 31,000) कुल कीमत थी। 300 और 70 एकड़ टेन्टेटिवली काटा है। कुल मिलाकर···

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जो हमारी जानकारी में है 328 व 78 एकड़, यह तो केवल सरकार और सरकारी कर्मचारियों के मिले जुले आंकड़े हैं जबकि तथ्य यह है कि एक बढ़िया जंगल को बेरहमी से काटा है और मैं जानना चाहता हूं कि···

श्री नारायण सिंह : यह गलत है। जो मेरे पास आंकड़े हैं। मैंने निवेदन किया 328 एकड़ क्षेत्रफल जगमेर जोगीमाल नं. 23, पैदावार कूप से प्राप्त हुई 21360 घनफीट गोल कवाड़ा, 285 मैट्रिक टन व 340 किलोग्राम चिप बोर्ड मैटीरियल।

(श्री नारायण सिंह)

दूसरा श्यामपुरा 12634 घनफीट काटा गया और 222 मैट्रिक टन 589 किलोग्राम चिप बोर्ड मैटीरियल प्राप्त हुआ। कुल मिला कर चिप बोर्ड मैटीरियल इसमें से निकला इस प्रकार से कुल क्षेत्रफल, 6400 एकड़ नहीं बल्कि जितना एरिया काटा गया है वह 398 एकड़ था और उसमें से 34,044 घनफीट मैट्रिक टन 889 किलोग्राम चिपबोर्ड मैटिरियल निकाला गया।

श्री उपाध्यक्ष : समय काफी हो गया। यह चर्चा समाप्त हुई।

श्री रोशनलाल शर्मा : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया कि कितने रुपये आये ? बकाया के लिये मंत्री महोदय क्या कर रहे हैं ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या एग्रीमेन्ट के अनुसार उस उद्योग को यह अधिकार था कि जो लकड़ी जंगल से कटेगी उस एरिया से बाहर ले जा सकेगा ?

श्री नारायण सिंह : पहले जो एग्रीमेन्ट किया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसके अन्दर लेक्सिटी रह गयी, उस लेक्सिटी के तहत उसने इतना मैटिरियल काटा जिसमें से एक्सपोर्ट भी किया। उसको इजाजत थी। उन सब चीजों को सरेन्डर करने जा रहा है।

(व्यवधान)

18 आरा मशीनें लगायीं। आरा मशीनों

(व्यवधान)

से ज्यादा कटाई का काम कर लेगा इसलिए उसको बदल दिया।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें जांच होनी चाहिये। चिप बोर्ड फैक्ट्री के बारे में मैं हाउस से निवेदन करता हूं कि इस घोटाले की जांच के लिए हाउस की एक कमेटी बिठाई जाय।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर चर्चा समाप्त हुई।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : संतोष तो हुआ नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : संतोष तो इन मामलों पर नहीं होता है। वह तो दुर्भाग्य की बात है।

श्री नाथूराम : एक व्यवस्था चाहता हूं। पिछले प्रश्न का जवाब संतोषजनक नहीं दिया और आज भी मंत्री जी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। चिप बोर्ड फैक्टरी के द्वारा जंगलों को बर्बाद कर दिया गया है और राजस्थान के बाहर लकड़ी ले गये इसलिये इसकी जांच के लिये इस हाऊस की कमेटी बैठे इसकी व्यवस्था मैं आपसे चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह चर्चा समाप्त हुई।

राजस्थान मद्य निषेध विधेयक

श्री नाथूराम : उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री उपाध्यक्ष : इसमें काफी समय ले लिया गया है और किसी तरीके से और किसी समय उठा सकते हैं।

श्री नाथूराम : मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि चिप बोर्ड फैक्टरी में पिछले दिनों काफी घोटाले हुए । इसके

(श्री नाथूराम)

लिए एक हाउस कमेटी बिठायें। पूंजीपति नहीं पनपना चाहियें। उसने 18 आरा मशीनें लगाकर जङ्गल को बर्बाद कर दिया कागजों में बताया वह बिल्कुल गलत है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि चिप बोर्ड फेक्टरी द्वारा जो पिछले दिनों में घोटाले हुए हैं उनकी जांच करनी चाहिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : एक मिनिट अर्ज करना चाहता हूं। माननीय नाथूभाई अपने हृदय की वेदना प्रकट कर रहे हैं। यही हालत रही तो अकाल पड़ेंगे। इसके सम्बन्ध में एक कहावत है वह कहना चाहूंगा :

काट लिया सब रूखड़ा,
वन हुआ सपटपाट।
कद नाला बहे बारिश बरसे,
क्यों करे इन्तजार।

क्यों बारिश की इन्तजार करते हैं। इसलिये इसकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिये कि कितने वन काटे गये हैं। इतनी आरा मशीनें लगाने का मतलब जङ्गलों का सत्यानाश। यह सत्यानाश कब तक चलता रहेगा? इसके लिए एक जांच कमेटी बिठायी जानी चाहिये जिससे सही जांच हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : इस अवसर पर जांच कमेटी सदन नहीं बैठा सकता। माननीय सदस्यों ने नाराजगी प्रकट करदी है वह माननीय मन्त्री महोदय ने सुन ली है। आपकी बातों की ओर विभाग ध्यान देगी। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री नाथूराम : सहरिया लोग हैं उनको क्यों दे रहे हैं? गवर्नमेंट की इन्डस्ट्री क्यों नहीं खोलते हैं? रहे सहे जङ्गलों को क्यों खत्म कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य काफी समय हो गया है। एक घन्टे से अधिक का समय ले लिया है।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : आपके विभाग के द्वारा करना चाहिये या पूंजीपति को पनपाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री नाथूराम : वन मन्त्री महोदय बता तो दें। हाउस की कमेटी नहीं बैठाये तो सरकार के द्वारा ही जांच तो होनी चाहिये। पिछले दिनों घोटाले हुए हैं उसकी जांच होनी चाहिये।

श्री रोशनलाल शर्मा : जांच न करें तो एक बात का तो ध्यान रखें कि नया लाइसेंस न दिया जाय, पुराना पैसा बकाया हो वह ले लिया जाय।

श्री शंकरलाल : माननीय सदस्य ने सजेशन रखा है, वास्तव में जांच होनी चाहिये और माननीय मन्त्री महोदय को क्या ऐतराज हो सकता है जांच करने में। उस ठेकेदार द्वारा शर्तों का पालन हुआ या नहीं, पैसा वसूल हुआ या नहीं माननीय मन्त्री महोदय जांच को स्वीकार क्यों नहीं करते?

श्री नारायण सिंह : घोटाले क्यों हुए उसकी जांच जल्दी करायी जावेगी। इन्डस्ट्री लगायी जावेगी या नहीं यह मेरा सम्बन्ध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : जांच करने का आश्वासन दिया है।

Page No 126

श्री नाथूराम (वागीडोरा) : सुनाई ही नहीं दिया।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप फरमा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि हम जांच करायेंगे।

विधायी कार्य

राजस्थान मद्य निषेध विधेयक, 1969 पर आगे खण्डशः विचार।

खण्ड 29

चूंकि खण्ड 29 पर कोई संशोधन है इसलिए प्रश्न है कि खण्ड 29 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 29 स्वीकार किया गया।

(विराम)

खण्ड 30 पर भी कोई संशोधन नहीं है अतः प्रश्न यह है कि खण्ड 30 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 30 स्वीकार किया गया।

खण्ड 31। (विराम)

श्री महेन्द्रसिंह (वि. संख्या 107)

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खण्ड 31 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 31 स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 स्वीकार किये जांय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 32 से 38 तक स्वीकार किये गये।

खण्ड 39

श्री रोशनलाल।

श्री मथुरादास माथुर : इस खण्ड की द्वितीय पंक्ति में हैड कान्स्टिबल के बजाय सब-इन्सपेक्टर शब्द को प्रतिस्थापित किया गया है इसको मैं स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि संशोधन स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 39 मय संशोधन के स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

खण्ड 39 मय संशोधन के स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 40 से 77 तक स्वीकार किये जायें ?

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक मंत्री महोदय ही हां कह रहे हैं?

Page No 127

श्री उपाध्यक्ष : पर्याप्त है ।

(स्वीकृत)

खंड 40 से 77 तक स्वीकार किये जायें ।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाये ?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गई ।

खण्ड 11 श्री महेन्द्रसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री मनोहरसिंह मेहता ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्षजी, इसमें मेरा संशोधन है कि इसका उप-खंड (3) विलोपित किया जाकर निम्नांकित रूप से प्रस्थापित किया जाय: (3) यह 2 अक्टूबर 1969 को राज्य पूर्ण क्षेत्र में प्रवृत होगा; आज सचमुच बड़े आनन्द की बात है कि राजस्थान सरकार मद्य निषेध के बारे में कानून बनाने जा रही है जो अभी पास हो जायेगा। आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने सन् 72 की फरवरी तक जो यह रखा है उसके लिए जैसा कि माननीय भैरोंसिंहजी ने सुझाया था कि कम्पलीट प्रोहिबीशन 71 के दिसम्बर तक आप लागू कर दें, दो महीने पहले तो ज्यादा अच्छा रहेगा । कई लोग हो सकता है आपके मन में भ्रम डालें फिर भी मैं यह निवेदन करुंगा कि किसी भी वेलफेयर स्टेट को इसको रोकने का अधिकार नहीं है । आप जो शराब बंदी करने जा रहे हैं, उसमें इतनी ही बात है कि कानून में कहीं कोई खामी की रह गई हो तो वह आप आगे भी दूर कर सकते हैं । सवाल इसमें निष्ठा का है । निष्ठा के साथ इसका पालन किया जाये और इसकी ओर बढ़ा जाये। शुक्रवार और सोमवार ये दो दिन पहले आपने बन्द रखे हैं। इस दिन भी कोई दुकान खुली रह जाये तो उसको कडाई के साथ सजा दी जाये । 70 के बाद 4 दिन बन्द रखने का आपने सुझाया है ये चार दिन लगातार हो और इसका कड़ाई से पालन हो तो निश्चित रूप से आप सबका मार्ग-दर्शन करेंगे । यह अच्छी बात होती यदि आप अक्टूबर, 69 से कम्पलीट प्रोहिबिशन लागू कर देते । परन्तु आपकी मुसीबत और मजबूरी को मैं समझता हूं । परन्तु यह खुशी की बात है कि हम हिन्दुस्तान भर में सबसे आगे हैं इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मुझे खुशी इस बात की है, उपाध्यक्ष महोदय कि आज श्री महेन्द्रसिंहजी पंवार यहां बैठे हुए हैं । उन्होंने शराब छोड़ रखी है । मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि शराब बंदी का जो बिल पास करने जा रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, आप उनको इजाजत दें कि दो शब्द वे भी कहें तो हाउस के लिए बड़ी बात होगी । जिस पर रात दिन यह सवार हो गई थी, ये इतने काबिल आदमी हमेशा विश्व विद्यालय में फर्स्ट क्लास फर्स्ट जिन्हें मिला, कभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या मंत्री से कम कालेज की यूनियनों में नहीं रहे, जो आज के लीडिंग वकीलों में हैं उन्होंने आज शराब छोड रखी है इसकी मुझे अत्यन्त खुशी है । मैं उपाध्यक्ष महोदय आपसे प्रार्थना करता हूं कि एक आध मिनट का समय आप पंवार साहब को अवश्य दें, यह मेरी आपसे प्रार्थना है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महेन्द्रसिंह पंवार।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : मैं आपके आग्रह के लिए कह दूं आशीर्वाद⋯इसमें मेरा आशीर्वाद आपके साथ है।

श्री उपाध्यक्ष : महेन्द्रसिंह, विभाजन संख्या 117।

संशोधन के बारे में क्या कहना है।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मनोहरसिंह जी मेहता ने जो कुछ भी कहा है, मैं यह जानता हूं कि उनके दिल में नशा बंदी के लिए एक उमंग है, वे एक अच्छे कार्यकर्ता हैं और वे इसके लिए बहुत ही प्रयत्न करते रहे हैं। यह विधेयक जो कुछ भी है, आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है और जो कुछ भी नीति राज्य सरकार की है, वक्तन-फवक्तन इस सदन में मैंने उसकी घोषणा की है। राज्य सरकार को उत्साह दिलाने के लिए इसमें इनको बड़ा उत्साह रहा है। इसलिए इस वक्त वे यदि राज्य सरकार की सराहना करते हैं तो मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। 1972 तक पूर्ण नशा बंदी की घोषणा पहले की जा चुकी है। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इसे दो माह पूर्व लागू करने के लिए मुझे कहा था और उसका मनोहरसिंहजी ने समर्थन किया था। मैंने उनको निवेदन किया था कि राज्य सरकार इसके लिए भी समय पर विचार करेगी। इस वक्त जो कुछ भी सरकार की नीति है, घोषणा की है, उसके अनुसार ही चलना चाहिए। मैं इस विधेयक पर कई बार इस सदन में बोल चुका हूं इसलिए सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा और निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना संशोधन वापिस लेते हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी जाये?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

अधिनियम, सूत्र प्रस्तावना और नाम आदि प्रश्न यह है कि इनको स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

श्री मनोहर सिंह मेहता : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्तावना और नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मद्य-निषेध विधेयक, 1969 को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) संशोधन, 1969 पर विचार।

Page No 129

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) संशोधन, 1969, इसके सम्बन्ध में मेरा संकल्प था। इसमें कुछ संशोधन करके राज्य सरकार ने एक नया विधेयक प्रस्तुत किया है। इस सम्बन्ध में कुछ विवादास्पद प्रश्नों पर अभी निर्णय नहीं हुआ है और इस पर पूरा विचार-विमर्श नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि इस पर विचार स्थगित किया जाये और अकाल पर बहस प्रारम्भ की जाये। मैं समझता हूं कि वित मन्त्री महोदय इससे···

श्री मथुरा दास माथुर : मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री मथुरादास माथुर : स्थगित नहीं इसका डिस्कशन आज नहीं करके कल किया जाये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कल ले लेंगे।

(2.47 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति पदासीन)

अकाल स्थिति पर विचार विमर्श

श्री सभापति : अकाल की स्थिति पर विचार। श्री परस राम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य की अकाल की स्थिति पर विचार किया जाये।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, शताब्दी का भयंकर अकाल संवत् 2025 का था और उससे भी भयंकर अकाल संवत् 2026 में बाड़मेर, जैसलमेर जिले में आ चुका है। अभी, आज जो स्थिति है उससे स्पष्ट क्लीअर नक्शा है कि संवत् 2026 का अकाल काफी भयंकर है और उसका हमें मुकाबला करना है। संवत् 2025 के साल में राजस्थान सरकार ने जिस मुस्तैदी, जिस साहस से मुकाबला किया, उसकी प्रशंसा किये बिना मैं नहीं रह सकता। यह इतना बड़ा भयंकर अकाल था कि 32 हजार 242 राजस्थान के गांवों में से 22 हजार 799 ग्राम इस भयंकर अकाल से प्रभावित थे और इस अकाल का राज्य सरकार ने बड़ी ही मुस्तैदी और ताकत के साथ में मुकाबला किया। हमारे मिनिस्टर श्री परसराम मदेरणा हमारे क्षेत्र में 7 दफे पधारे, 7 दफे दौरे किये और हमारे मुख्य मंत्री जी ने 5 दफे दौरा किया और दौरा करके आन दी स्पाट निर्णय लिये। सबसे पहले पहल 25 सितम्बर को वे पधारे और 25 सितम्बर को पधार करके 26 सितम्बर को ही टैस्ट वर्क्स के आदेश दे दिये। टैस्ट वर्क्स शुरू हो गये।

यद्यपि 12 अक्टूबर, 68 को जैसलमेर में फेमिन घोषित हो गया था और 14 अक्टूबर को बाड़मेर जिले में। परन्तु उससे पहले ही काम शुरू कर दिये गये थे पहले संवत् 2[illegible] के अकाल के जो कार्य थे उनको कन्टिन्यू रखा। इस तरह से सरकार ने बड़ी होशियार और योग्यता से अकाल की स्थिति का मुकाबला किया। इसके बाद जो कार्य चालू किये गये उसमें विशेष तौर से हमारे क्षेत्र में सड़कों के काम चले जिनके बारे में मैंने सदन में कई

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

वार अपने विचार रखे हैं। यद्यपि स्टडी टीम ने निर्णय लिया उसके अनुसार राजस्थान सरकार ने भी निर्णय लिया था और प्राथमिकता जो मुकर्रर की थी उसमें सड़क पांचवें नम्बर पर आती है। पहले लघु सिचाई (2) भूसंरक्षण (3) वनारोपण (4) पेय जल कुओं को गहरा करना और पांचवां सड़क निर्माण का। हमारे क्षेत्र में इस पांचवें कार्य को प्राथमिकता दी गई क्योंकि इतनी जनता थी जो मजदूरी की मांग कर रही थी उनको किस तरह से सबको काम दिया जाय। मजदूरी देने का अहम प्रश्न था इसका सोल्यूशन करने के लिये सरकार ने हमारे क्षेत्र में सडकों का काम हाथ में लिया। इसको हाथ में लेकर के काफी मजदूरों को मजदूरी मिली और मजदूरों को बडा भारी सन्तोष मिला।

सभापति महोदय, जब इतना विशाल कार्य हाथ में लिया जाता है तो अवश्य ही कुछ न कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। सरकार के ध्यान में हम उन त्रुटियों को बराबर लायें और सरकार ने उसके बारे में विशेष तौर से डिसीजन भी लिये। टास्क बेसिस पर कार्य का डिसीजन लिया गया उसके बारे में मैं गवर्नमेन्ट की प्रशंसा करूंगा। जो भी इस प्रकार के टास्क बेसिस पर कार्य चले उसमें भ्रष्टाचार कम देखने को मिला। जो काम डिसीप्लिन के अन्दर नहीं आते हैं मर्जी पड़े जितना कार्य किया तो उससे काम भी ठीक नहीं होता और बोगस नाम भी लिख दिये जाते हैं।

मैं जनरली देखता हूं, मैंने 23 का अकाल भी देखा हैं विशेष तौर से सड़कों के बारे में ध्यान में लाना चाहता हूँ 23 के अकाल के समय चौहटन से रामसर सडक बनी 25 मील की सडक है जिस पर 25 लाख रुपया खर्च हो गया। डामर रोड बनाये उस पर भी इतना खर्च नहीं आ सकता और वह सडक भी ठीक ढंग से नहीं बनी है। उसका कारण यह था कि उस समय टास्क बेसिस मुकर्रर नहीं था। उसमें बहुत करप्शन हुआ लोग-बाग गडबडी करते थे। आज टास्क बेसिस लागू होने के कारण लोग अपने आप कह देते हैं हमारी मांग में इस प्रकार की गडबड है, फर्जी मस्टररोल है, इतने मजदूर गलत लिखे हुये हैं इससे काम पर कन्ट्रोल रहता है। इतना होने पर भी भ्रष्टाचार जरूर हुआ है। मैं चाहता हूँ गवर्नमेन्ट को चाहिये। या कि इस प्रकार से जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको रोक सकते थे अगर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के कुछ अधिकारियों की व्यवस्था रखते तो इसमें कुछ नियन्त्रण हो सकता था। काफी करप्शन में कमी हो सकती थी। इस करप्शन की जो स्थिति पैदा हुई है उसमें पी. डब्लू. डी. एजेन्सी विशेष तौर से यही करती है। पहले भी सड़कों का काम कराया जाता था बोर्डर रोड्स में भी परसेंटेज आफ प्रोफिट बंधा हुआ था, बिल्डिंग में भी परसेन्टेज बांधे हुए हैं। कानट्रेक्ट जिनके पेंडिंग हैं लेकिन मैं बार बार कह चुका हूं कि इस करप्शन को रोकने के लिए स्ट्रांग मेजर अपनाने चाहिए। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आपको इस बारे में ठोस कदम उठाना चाहिए। यह जो इस प्रकार का करप्शन चलता है यह एक प्रकार से स्थायी हो गया है जिसको रोका जाना चाहिये। यह जो एजेन्सी कार्य करती है इसमें ओवरसियर्स और कुछ जनता

(श्री वृद्धिचन्द्रजैन)

के लोग मिल जाते हैं। सरपंच भी मिल जाते हैं और, ओर लोग भी मिल जाते है इस कारण यह स्थिति बन गई है फैमिन के वर्क कन्टिन्यू रहे ऐसी इच्छा इन लोगों की रहती है बरसात होते हुए भी फैमिन के वर्क कन्टीन्यू रहे ऐसी कुछ लोगों की इच्छा रहती है ताकि उनको नाजायज फायदा होता रहे। इस प्रकार के तत्व हैं जो चाहते हैं कि ये काम चलते रहें और उनका फायदा मिलता रहे। कुछ लोग प्रभावशाली होते हैं जो भी इस प्रकार के कार्यों में लिप्त रहते हैं ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जानी चाहिये। वे जहां अकाल क कार्य होते हैं वहां पर अपने अड्डे जमा कर बैठ जाते हैं। ऐसे जो लोग हों उनको वहां जाने से रोका जाना चाहिये, उन पर प्रतिबन्ध लगाया जावे और जो इस प्रकार की कार्यवाही करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिये।

सड़कों के काम में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोका जा सकता है। मैं यह मानता हूं कि सम्वत् 23 में जितना करप्शन हुआ उससे बहुत कम सम्वत् 2025 के अकाल में हुआ है इसको भी कम किया जा सकता है। मैं आपका ध्यान बाड़मेर जिले की पी. डब्ल्यू. डी. की सड़कों की ओर दिलाना चाहता हूं। 1 7 काम वहां लेने को थे जिनमें से 6 कार्य सम्पूर्ण हो गये 108 कार्य प्रगति पर हैं 3 कार्य शुरू ही नहीं किये गये। दस पर अर्थ वर्क कम्पलीट किया गया है। इस तरह से 6 कार्य पूरे और 10 पर अर्थवर्क हो गया इसका पूर्ण मान कर 16 कार्य पूर्ण हुए मानकर चलता हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि हम कोई कार्य हाथ में ले उसको सम्पूर्ण किया जाना चाहिये। वह काम जो अर्थवर्क हो चुका ग्रेवल नहीं हुआ तो वह काम निकम्मा हो जायगा। यह मैं मानता हूं कि ग्रेवल पहुंचाने में डिफीकल्टी हो सकती है। पी. डब्लू. डी. की ओर से सड़कों के निर्माण का काम सितम्बर 68 में शुरु हो गया था कहीं पर अक्टूबर नवम्बर में शुरू हो गया था। टेन्डर्स इनवाइट करके यह काम जल्दी करवाया जा सकता था। टेण्डर इसके लिए मई में इनवाइट किये गये और वह पहले से बहुत मंहगे आये ट्रक्स आदि पानी लाने में लग गये इससे भी मुश्किलातें पड़ी। यह इसलिये हुआ कि सिस्टेमेटिक कार्य नहीं किये जाने से यह स्थिति पैदा हो गई। इस प्रकार के कार्य पूरी तौर से कन्ट्रोल किये जा सकते थे यह काम पी. डब्लू. डी. मिनिस्टर का है न कि फैमिन मिनिस्टर का। जो ऐजेन्सी वर्क कर रही थी जो स्पेशल वर्क था उसके बारे में मंत्री-मंडल की बराबर बैठकें हुआ करती थीं उसमें इन कामों पर जोर देना चाहिये था।

जहां 127 काम शुरू करने थे उनमें से केवल 16 काम पूरे माने जा सकते हैं बाकी कार्यों की प्रगति ठीक नहीं है। हमारे यहां मजदूरों की संख्या 1 लाख 79 हजार तक पहुंच चुकी थी बाद में इनमें से बच्चों की संख्या कम की गई। बच्चों की संख्या कम करने का औचित्य मालूम नहीं पड़ता। क्योंकि गांवों में पचास प्रतिशत बच्चे पढ़ते नहीं जिनकी आयु 12 से 18 वर्ष तक की है जहां भूख का सवाल हो वहां पढ़ाई का प्रश्न नहीं। इनकी संख्या कम कर दी 19-7-69 को संख्या 1,34,423 हो गई और दिनांक 26-7-69 को 1 13,153 और अब केवल 44 हजार की संख्या रह गई है। संवत् 26 का जो अकाल आया है

Page No 132

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

उसमें 44 हजार मजदूर कार्य कर रहे हैं। हमारी आबादी बाड़मेर की सन् 61 की सैन्सस के हिसाब से 6 लाख 50 हजार थी जो कि अब आबादी 7.1 लाख हो गई है। जैसी कि मुझे जानकारी है। इसमें इस समय 44 हजार मजदूर लगाये जा रहे हैं। बहुत से काम पड़े हुए हैं जिनको हाथ में तो लिया गया वे भी बन्द कर दिये गये। 15 अगस्त तक जो कार्य चल रहे थे वह भी बन्द कर दिये। इससे मजदूरों की संख्या 44 हजार तक पहुंच गई।

(3 म. प.)

इसलिये मेरा यह कहना है कि जो भीषण अकाल की स्थिति है उसको देखते हुए वे काम जो पहले शुरू किये थे और कम्पलीट नहीं हुए थे उनको कम्पलीट किया जाये और नये काम भी जो कि आवश्यक हों और जो होने चाहिये, वे भी शुरू किये जायें, और यह कोशिश की जाये कि जहां ग्रेविल का काम कम्पलीट नहीं हुआ है वह कम्पलीट किया जाये। मैटल्ड रोड्स का जितना भी काम लिया गया एक भी रोड कम्पलीट नहीं हुई। 25 सितम्बर को मुख्य मंत्रीजी ने निर्देश दिया था कि शिव से फलसून्ड रोड का काम 26 सितम्बर से शुरू किया जाय परन्तु शिव से फलसूण्ड रोड अभी तक भी तैयार नहीं है। बाडमेर से हरसानी, वाया बेसामा चौहटन से बाखाली, वे भी तैयार नहीं हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण रोड है। इसलिये इन रोड्स को तैयार करना चाहिये। अगर रोलर्स की कमी है तो उनकी पूर्ति करनी चाहिये। इसकी जांच पडताल करके जो काम हाथ में लिया है वह पूरा करना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो बहुत कहना है रोड्स के बारे में।

श्री सभापति : बोलिये आप।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : तो मेटल्ड रोड्स का काम हाथ में लिया जाये और समाप्त किया जाये क्योंकि रोड्स का वहां पर विशेष महत्व है। पहले तो यह पोजीशन थी कि अगर सर्वे किया जाता था तो उसमें भी दिक्कत होती थी। ट्यूबवेल खोदने के लिये भी दिक्कत होती थी। तो जब तक सड़कें नहीं बनती तब तक कोई प्रगति नहीं हो सकती। ट्रकों द्वारा पानी पहुंचाना हो, मवेशी के लिये घास पहुंचाना हो, तो इन सब कामों के लिये सडकें बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनका निर्माण बहुत आवश्यक है। जो कुछ कार्य किया जाता है वह सम्पूर्ण नहीं किया जाता, इसलिये कठिनाई होती है।

पानी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने जल समस्या को हल करने के बारे में जो कुछ कोशिश की वह तो प्रशंसनीय है, उसकी तारीफ किये बगैर नहीं रह सकता। बाडमेर के 301 गांवों में पिलाई की व्यवस्था एवं 173 गांवों में ट्रकों द्वारा पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई और 6 गांवों में रेलवे द्वारा पानी पहुँचाने की व्यवस्था की गई, इस प्रकार 179 स्थानों पर रेलवे और ट्रकों द्वारा पानी पहुँचाने की व्यवस्था की गई। यह कार्य बहुत ही सराहनीय है। इस प्रकार पानी पहुँचाने की व्यवस्था पहले किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं की। इसकी तो प्रशंसा करते हैं। राजस्थान में सब से ज्यादा पानी की व्यवस्था बाडमेर जिले में की गई और सब से कम बरसात भी बाडमेर जिले में हुई। तो पानी के बारे में इतना खर्चा किया गया, लेकिन अब तक इन

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

समस्या के लिये कोई परमानेन्ट मेजर्स नहीं लिये जायेंगे तब तक इसका हल नहीं हो सकेगा।

भीमडा में ट्यूबवेल खोदा गया है, भीमडा से बायतू तक पाइप लाइन की योजना की स्वीकृति जल्दी दी जानी चाहिये। भीमडा में जो ट्यूबवेल खोदा गया लेकिन वह अभी तक कमीशन नहीं किया गया 8 ट्यूबवेल सफल हुए हैं तो उनको कमीशन करना चाहिये। मुख्य मंत्रीजी का मैंने कई बार इस ओर ध्यान आकर्षित किया था कि भीमडा के ट्यूबवेल का विशेष महत्व है और ट्यूबवेल कमीशन होने से आस पास के गांवों में पानी पहुँचाया जा सकता है। इसलिये उनको कमीशन करके पाइप लाइन की जो स्कीम सरकार ने बनाई है उसको स्वीकृत करके जल्दी से जल्दी काम शुरू करना चाहिये। इसलिये जब तक इसका परमानेन्ट व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक समस्या का हल नहीं होगा।

पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में पानी के बारे में जो खर्चा किया गया वह शहरों के मुकाबले में गांवों में बहुत कम किया। गांवों के विकास के लिये पानी की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। चौथी पंचवर्षीय योजना में 35 करोड़ रुपये का आश्वासन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और माननीय वित्त मंत्रीजी ने दिया है तो यह प्रावधान किया जाये तो काफी मदद मिल सकती है।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि कई जगह कुओं को काफी गहरा करने पर भी खारा पानी मिलता है। इन स्थानों पर टांकों का निर्माण करके जल समस्या का हल करने की कोशिश करनी चाहिये। टांकों में ट्रकों द्वारा भी पानी डाला जा सकता है। इसलिये टांकों की पूरी व्यवस्था करनी चाहिये।

चारे की व्यवस्था के बारे में और मवेशी को बचाने के बारे में राजस्थान गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की पर हमारी मांग के अनुकूल चारा नहीं मिला और अब जो चारा मिल रहा है वह बहुत कम है। पहले जो चारा मिला वह 30 या 35 वैगन प्रतिदिन के हिसाब से आता था और हमारी डिमांड थी 100 वैगन प्रतिदिन की। सरकार ने 65 वैगन मानी थी, परन्तु वे 65 वैगन भी न देकर केवल 30 या 35 वैगन ही भेजे जिस से पूर्ति नहीं होती और अब अगस्त में स्थिति यह है कि सात आठ वैगन से ज्यादा चारा नहीं मिल रहा है। मवेशियों की इस कारण से खतरनाक स्थिति हो रही है। शिव में बरसात भी है। जैसलमेर बाड़मेर के सभी मवेशी वहां पर पहुंच गये। इससे करीब पांच सात दिन के बाद वहां पर भी घास खतम हो जावेगा और भयंकर स्थिति का सामना सरकार को करना पड़ेगा। राज्य सरकार को अगर इस भयंकर स्थिति का मुकाबला करना है तो अभी से कदम उठाना शुरू कर दिया जाना चाहिये। हरियाना, पंजाब और उत्तर प्रदेश से मवेशी वापिस नहीं आने दें। उन गये हुए मवेशियों को वहीं पर रख कर उनकी वहीं व्यवस्था की जाय आज सबसे बड़ा भारी प्रश्न इन पशुओं की रक्षा करने का है। इस प्रश्न का मुकाबला करने के लिये अभी से पूरी ताकत से संजीदगी और दिलचस्पी के साथ सरकार कदम उठावे।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

प्रश्न यह है कि सरकार की फाइनेन्शियल पोजीशन कमजोर है भारत सरकार ने 17.98 करोड़ की मदद दी है। अभी जहां अकाल है उसका भी मुकाबला करना पड़ेगा। प्रजातन्त्र में हम जनता के दुख दर्द की अवहेलना नहीं कर सकते। आज वह हालत नही है जैसे बंगाल में अंग्रेजों के जमाने में थी, लाखों लोगों को भूख से मरा दिया था सरकार ने। आज तो जनता का राज है। तो भारत सरकार से भी आप मदद मांगे। उनसे कहें कि आज बाड़मेर और जैसलमेर जिलों की हालत बदतर होती जा रही है। आप ऐसा करेंगे तभी समस्या हल हो सकेगी।

इस पशुधन को बचाने के लिये जो पशु निष्क्रमण का कार्य सरकार ने रेलों द्वारा भी किया उसकी सराहना करता हूं। 63 जगह घास डिपो खले गये उसकी भी प्रशंसा करता हूं। मारवाड़ रिलीफ सोसायटी ने भी अच्छा काम किया उसने कैटलफीड भी दिया दस हजार जानवरों को। इस प्रकार काफी जानवर बच गये। मैं तो समझता हूं कि जा कोशिश की गई है उससे उस इलाके के 75 प्रतिशत जानवर बच गये। पर अब की बार बड़ी सकट की घड़ी है। इसके लिये सरकार को पूरी तरह से कोशिश करनी पड़ेगी।

विशेष तौर से मैं सेन्ट्रल सरकार की स्टडी टीम का उल्लेख करना चाहता हूं। उसने समय समय पर रिपोर्ट दी है। उसके अनुसार योजना बनानी चाहिये। और उनको पारस्परिक सहयोग से सारे विभागों के सहयोग से पूरा करना चाहिये। जब तक इस प्रकार के कदम नहीं उठावेंगे वास्तव में स्थायी प्रगति अकाल घोषित क्षेत्रों में नहीं हो सकेगी।

मैं तो यहां तक उल्लेख करना चाहता हूं कि मनुष्य अपने परिश्रम और सतत उद्योग से चन्द्रमा पर भी पहुंच सकता है तो कृत्रिम वर्षा करके इस इलाके को भी संकट से मुक्ति दिला सकता है। इसके लिये भी कोशिश की जानी चाहिये। हमारे वैज्ञानिकों को इस ओर सोचना चाहिये।

राजस्थान नहर के बारे में भी दो शब्द कहना चाहता हूं। यह सीमावर्ती क्षेत्र के लिये एक वरदान है। इस काम को बढ़ाना चाहिये। और इधर के लोगों को वहां काम पर लगाना चाहिये ताकि इन लोगों को भी रोजी मिल सके इसके लिए यह जरूरी है कि राजस्थान नहर का कार्य दिसम्बर से बढाया जावे। जो इनकम्पलीट वर्क है उनको कम्पलीट करके राजस्थान नहर में लोगों को मजदूरी पर भेजा जावे। वहां वे अपनी स्थिति को भी मजबूत करें और राजस्थान नहर भी बन सके।

बाड़मेर जैसलमेर की रेल्वे लाइन का काम भी हाथ में लिया जा सकता है। यह डिफेन्स पोइन्ट आफ व्यू से भी ठीक है। बहुत से लोगों को इससे रोजी मिलेगी। बाड़मेर जिले में राक फास्फेट भी है। यद्यपि वह इतना अच्छा नहीं है कि वह और जगहों का मुकाबला कर सके, पर रूस में निकलने वाले कई जगहों से अच्छा है तो इसको भी भेजा जाने में सहूलियत हो सकती है। और भी खनिज पदार्थ निकाले जा सकते हैं। इसलिए इस रेल्वे के काम को भी हाथ में लिया जाना चाहिए।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

संवत्, 56 में अकाल पड़ा था। उसमें बाड़मेर से करांची तक रेल्वे लाइन बन गई थी। आज उससे भी भयंकर अकाल है। बीकानेर-सांचोर सड़क को वाइडन करने की भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में व्यवस्था है। यह भी महत्वपूर्ण काम हो सकता है। अभी वह 12 फीठ चौड़ी है, उसको चौडा करने का यह काम भी लिया जा सकता है। बोर्डर रोड्स भी हाथ में ली जा सकती है। बीकानेर से सांचोर रोड़ का काम शुरू करना यह महत्वपूर्ण काम भी है और यह काम रक्षा से सम्बन्धित भी है। तो इस काम से जिले का विकास होगा। परमानेन्ट काम भी हो जावेगा। लोगों को रोजी रोटी भी मिलेगी। इसकी आवश्यकता है।

डेजर्ट डवलपमेन्ट बोर्ड का गठन हुआ। पहले इसका दफ्तर जोधपुर में हुआ, बाद में जयपुर में हुआ। उनसे बार बार रिक्वेस्ट की गई, योजना भी बनाई गई, चरागाहों की तरक्की की योजना, तालाबों को वडा बनाने की योजना भी बनाई गई पर कोई भी क्रियान्वित नहीं हुई। यह बोर्ड बिल्कुल इनइफेक्टिव और इनएक्टिव रहा है। राजस्थान सरकार भारत सरकार से मिल कर इसे इफेक्टिव और एक्टिव बनावे। चरागाह की तरक्की का काम ये हाथ में लें डेजर्ट को कन्ट्रोल का काम हाथ में लें तो काफी प्रगति की जा सकती है।

ट्यूब वेल का काम तेजी से कराया जाना चाहिये। बायतू क्षेत्र में भीमडा ट्यूबवेल खादा गया है और भी खोदे जा रहे हैं। काछ का खेडा, बाटा से हूंडा की डाणी, रावतसर, नाट, भांक, रतेऊ, सबाई पदमसिंह ग्रामों में ट्यूब वेल खोदे जा सकते हैं। इस तरह ट्यूब वेल खोदने का काम तीव्रता एवं गति से होना चाहिए।

जहां कि तीन वर्ष से लगातार अकाल है, वहां पर भी बीव डी माफ करने का डिसीजन नहीं लिया, वहां राज्य सरकार जल्दी डिसीजन ले। निर्णय ले लिया है तो कम्पलाई की जानी चाहिये। सस्पेन्स में रखना उचित नहीं है। इसलिए इसके बारे में भी निर्णय लिया जाना चाहिये।

विशेष तौर से मेडिकल रिलीफ का प्रश्न महत्वपूर्ण है। मैं ोरों की ढाणी, रतेऊ, सवाऊ व कनूवल आदि गांवों में गया। शुरू में जो स्टेप लिये वे पूरे जरूर नहीं थे,हाफ हार्टेडली थे। जब स्थिति खराब हुई तो इसके बाद जो स्टैप लिये अच्छे लि, सराहनीय लिये गये और कम्पाउन्डर और डाक्टरों ने दिलचस्पी से काम किया वे गांव गांव गये जब हमने कहा तभी तत्काल वे गांवों में पहुँचे और पूरी तरह से व्यवस्था की और बीमारी रोकने में सफल भी हुए। आज बीमारी कन्ट्रोल में है। अब एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं जितने भी सरकार ने काम किये लाखों व्यक्तियों को मजदूरी दी। एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा। जो कहते हैं कि भूख से मरे हैं वे राजनैतिक दृष्टि कहते हैं। बिलकुल गलत कहते हैं। सरकार ने जो एफर्ट्स किये हैं वे चाहते हैं कि ये एफर्ट्स ब्राई लिटल करने की कोशिश की जाय। हमने जहां सरकार की कमजोरी थी वहां कमजोरी भी बताई। पर बाद में उसने बडी बहादुरी से अकाल का मुकाबला किया, जिसकी प्रशंसा करनी भी आवश्यक है।

फिर यह कहना कि वहां भूख से मरे, वहां के पंच, सरपंच और प्रधान आदि लोगों

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

का भी अपमान करना है। हमारे यहां अतिथि सत्कार पहले भी बहुत था जैसा वहां अतिथि सत्कार होता है वैसा राजस्थान में अन्यत्र बहुत कम जगहों पर होता है। कोई भी आदमी गांव में अगर आ जाता है उसका उनकी हैसियत के अनुसार आतिथ्य सत्कार किया जाता है भूखों वैसे भी नहीं मरने दिया जाता। इस कारण भी वहां किसी की भूख से मरने की नौबत नहीं आई।

इसलिए ऐसा कहना कि लोग भूख से मरे हैं यह हमारा अपना है हमारी अतिथि सत्कार की भावना का अपमान करना है। तो मैं कह रहा हूं कि यह जो भूख से मरने की चीज है वह गलत है। बीमारी से मरे हैं। इसके भी पूरे फीगर ओब्टेन नहीं कर सकते।

मैं कहूं कि बाड़मेर जिले में 852 गांव हैं। एक गांव में एक महिने में एक आदमी भी मरे तो एक महीने में 852 आदमी नार्मली मरते हैं तो 7 महीनों में करीब 6 हजार तो वैसे भी मर जाते हैं। इतनी मृत्यु तो आर्डिनरी कोर्स में हो जाती है। इसको लेकर ऐसा प्रचार करना और इस तरह करना कि विदेशों में और चीन में भी उसका जिक्र हो यह उचित नहीं कहा जा सकता। इसका अच्छा असर नहीं पड़ता। कालेरा एवं आंत्रशोध से इतनी डेथ हुई अगर इसकी पूरी जानकारी दें तो वह एक फीगर है। और इसका औचित्य भी है परन्तु कोई बुखार से मर गये, कोई तपेदिक से मर गये तो इनका प्रचार करना कोई यह तरीका नहीं है कोई अच्छा आदमी रात के समय भी आया और उसने बीमारी के बारे में बताया तो हमने वहां डाक्टर को भेजा है। डाक्टर ने उसको पूरी मेहनत से इलाज किया है डाक्टर और कम्पाउन्डर ने सच्चाई और ईमानदारी से काम किया है। 20-20 कम्पाउन्डर अस्पताल के एक कमरे में पड़े रहते थे डाक्टरों एवं कम्पाउन्डरों ने डटकर काम किया है। कोई अलवर से आता है, कोई कहां से आता है लेकिन बड़ी ताकत से काम किया है। सारंग के सरपंच ने लिखा कि भूख से मरे। मैंने खुद ने उस सरपंच से बातचीत की है। जब वह जोधपुर से बालोतरा जा रहा था, मैंने बात की। उसने मुझे बताया कतई भूख से मृत्यु नहीं हुई है तो फिर मैंने पूछा यह हुआ किस प्रकार। मैंने जो जानकारी मांगी उसको हाऊस में वर्णन करना चाहता हूं। मेरे को यह कहा कि हमारे यहां अकाल के कार्य नहीं चल रहे थे वहां पोकरन के जन संघी आये और उन्होंने कहा कि तुम्हारे अकाल के काम नहीं चल रहे हैं तो तुम रिपोर्ट लिख दो और सीरियस स्थिति बता दो सरकार काम खोल देगी और भूख से मृत्यु होने की बात लिख लिख कर चले गये और बाद में गवर्नमेंट ने जानकारी चाही थी, तहसील वालों ने जानकारी मांगी, पंचायत समिति से जानकारी मांगी सरपंच ने कहा कि कोई मृत्यु के रेकार्ड ओरीजनल रेकार्ड में कभी भी इस प्रकार की फीगर नहीं लिखते थे परन्तु हमने यह देखा कि जन संघ को लिख कर दिया है...

(समय-समाप्ति सूचक-घंटी)

पंचायत समिति को यह लिखकर नहीं देंगे तो हम झूठे हो जायेंगे और फंस जायेंगे इसलिये जो लिखा है वह भूख से मरने की वह गलत बात है। इस तरह की कार्यवाही करके झूठ प्रचार करवाते हैं। अब यह कार्यवाही

Page No 137

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

जो की गई उस समय जनसंघ वाले थे या नहीं यह मैं नहीं कहता परन्तु गांव वालों ने कहा कि अगर बीमारी की बात लिखेंगे तो जब हमने जनसंघ को भूख से मरने का लिखा दिया है और भूख से नहीं मरे हैं तो हम झूठे कहलायेंगे। मैं कहता हूं भूख से कतई मृत्यु नहीं हुई है। काम कराने का प्रेसर डालकर ऐसा किया गया है। उसकी सीनियरटी बताने की कोशिश की जाये तो गलत तरीका है इसलिये भूख से मृत्यु नहीं हुई है और राज्य सरकार ने जो काम किया है उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ परन्तु मैं यह कहता हूँ कि जो भयंकर अकाल है और स्थिति खराब है इस समय 44 हजार मजदूर लगे हुये हैं और कार्य 15 अगस्त से बन्द कर दिया है। वर्क कन्टीन्यू नहीं रखा और पांच सात दिन कार्य रुका रहा और बाद में बहुत से कार्य चालू नहीं किये। जो इन-कम्पलीट काम हैं वे कम्पलीट किये जायें और इन कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिये। मैं इन्हीं शब्दों के साथ राज्य सरकार ने जो कदम उठाये हैं उनकी प्रशंसा करता हूँ और जो अभी अकाल है उसका मुकाबला करें। ठीक है, हमारी फाइनेन्शियल पोजीशन वीक है लेकिन हम ताकत के साथ काम करें तो अवश्य सफलता मिलेगी।

श्री सभापति : श्री आईदानसिंह।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल):–सभापति महोदय, सं. 2025 के इस भयंकर अकाल में राज्य सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च किया लेकिन अगर काम का अवलोकन किया जाय तो लाखों में भी नहीं होगा। करोड़ों रुपया खर्च कर लिया, काम लाखों का भी नहीं हुआ। यह एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इसके लिये हमारी सरकार जिम्मेदार है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? जहां तक मैं समझ पाया हूं इसके अन्दर अकाल राहत विभाग, राजस्व विभाग सिंचाई विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग और कोई विभाग जो शामिल रहें हैं उनका कोआर्डिनेशन और कोआपरेशन बिलकुल नहीं रहा। यह एक निर्विवाद सत्य है। हम किसी काम के लिये राजस्व विभाग यानि जो कलेक्टर हैं उनको कहते हैं तो वह कहते हैं सार्वजनिक निर्माण विभाग पर हमारा कन्ट्रोल नहीं है। सार्वजनिक निर्माण विभाग में कहते हैं तो वे कहते हैं राजस्व विभाग यह ढांचा बन रहा है। अकाल विभाग में अकाल मन्त्री महोदय को कहें, इसके लिये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई एजेन्सी है नहीं वह राजस्व विभाग करता है। इसलिये मैं तो इनके कोआर्डिनेशन और कोआपरेशन नहीं होने से कह सकता हूं करोड़ों रुपयों की क्षति हुई हैं और उसके लिये राज्य सरकार जिम्मेदार है।

दूसरे अकाल के समय यह दुर्भाग्य की बात है कि राजनीति को अपनाया गया। राजनीति को अपनाने में मैं यहां तक कहूँगा कि यह कहां काम खोला जाय और कहां न खोला जाय इसके अन्दर राजनीति को काम में लिया है। एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं सबसे पहले जालोर जिले में 2 जुलाई को समस्त जिले में, आई एम सॉरी, 21 अक्टूबर 68 को समस्त जिले में अकाल घोषित किया गया था लेकिन उसके पहले 12 अक्टूबर को वहां 7 काम शुरू किये और तीन हजार मजदूरों को वहां पर काम में लगाया गया उसमें एक ही तहसील थी और वह थी सांचोर तहसील। सांचोर तहसील के मुकाबले सारे जालोर में

Page No 138

(श्री आईदानसिंह)
बल्कि सारे पश्चिमी इलाके में एक सा ही अकाल था ....

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह आप बिलकुल असत्य बता रहे हैं।

श्री आईदानसिंह : सुनिये 12 अक्टूबर को केवल सांचोर तहसील में ..

श्री रघुनाथ विश्नोई : गलत है।

श्री आईदानसिंह : यह निर्विवाद सत्य है.....

श्री परसराम मदेरणा : कौनसी तारीख को?

श्री आईदान सिंह : 12 तारीख को।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसके साथ तथ्य रखिये।

श्री आईदान सिंह : आप सुनिये। आगे जो होगा मैं इसको क्लीयर करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद 21 अक्टूबर को काम शुरू हुआ। उसके पीछे एक राजनैतिक आधार यह भी था कि 13 अक्टूबर को जालौर के उप-चुनावों की आखिरी तारीख थी और इस उप-चुनाव में खुल कर इस अकाल का प्रयोग किया गया। इस उप-चुनाव में यहां तक कहा गया, भाषण में नहीं, लेकिन यह अन्डर-स्टेन्डिंग दी थी अगर कांग्रेस यहां से हार जाती है तो काम यहां शुरू हो या नहीं हो, यह सोचना पड़ेगा। आम लोगों ने कहा स्वतन्त्र पार्टी जीत जाती है तो काम शुरू कर सकेंगे या नहीं, यह देखना पड़ेगा इसलिये हमें कांग्रेस का साथ देना पड़ेगा। इसलिये मैं निश्चित रूप से अनुभव करता हूं जो अकाल में काम खोले हैं वह पूरे राजनीतिक आधारों पर खोले हैं और आपके विभागों में कोआर्डिनेशन और कोआपरेशन नहीं होने से करोड़ों रुपया जो लगा वह लाखों रुपया भी काम में नहीं आया और दूसरे उसको राजनैतिक पुट देकर लाखों रुपया बरबाद किया है। लाखों का भी काम नहीं हुआ है। उसके आंकड़े उठाकर देखें तो पता लग जाता है। यहां पशुओं का निष्क्रमण हुआ, बाहर गये उसके लिये 222 डिपो खोले गये, 222 डिपो खोलने के बावजूद जब पशु बाहर जाने लगे तो कोई व्यवस्था बाहर जाने की नहीं रही। कई जगह मारकूट हुई। यहां तक कि लोग मर गये, 300 मुकद्दमें कायम हो गये। यह सिद्ध करता है जो पशु माईग्रेट करने की कोशिश की वह असफल रही। सफलता उसमें थी कि सब पशु सकुशल अपने मालिकों के साथ माईग्रेट हो जाते। इतने झगड़े और मरने तक की नौबत आ जाना इसको आप सुव्यवस्था नहीं कह सकते। अब जब पशु वापिस आने लगे हैं तो भी 302 का एक केस परबतसर में हो गया। अब मैं नहीं कह सकता कि 222 डिपोज जो आपने खोल रखे हैं, जहां कि पशुओं का आना जाना होता है वह क्या काम कर रहे हैं?

इसके बाद में जो चारे की व्यवस्था की गई है उसको तो मैं मानकर चलता हूं और सरकार भी मानती है कि वह पर्याप्त नहीं थी। माननीय रघुनाथ जी के जवाब में मंत्री महोदय ने परसों ही कहा था कि हमने कोशिश की लेकिन मैं इस निश्चित मत का हूं कि जालौर में पूरी व्यवस्था चारे की कम से कम नहीं हो सकी और इस पर माननीय सदस्य श्री रघुनाथ जी भी सहमत होंगे।

Page No 139

(श्री आईदानसिंह)

उसके बाद आपने जो असहायों को सहायता दी है और आपने फिगर्स दी हैं उनको उठाकर देखें तो आपको यह मालूम होगा कि वह सहायता किस तरह से शुरू हुई और कितने लोगों को सहायता कब दी गयी और कैसे कैसे बढ़े और आखिर में जाकर उनका जो सहायता का काम था वह किस तरह से हुआ। माननीय सभापति जी, इनकी फीगर्स को उठाकर गौर से देखना शुरू करें तो सहायता के लिए जो धनराशि दी गई है उसमें इतना फ्लक्चुएशन है कि उसको देखने से मालूम होता है कि यह सहायता किसी भी निश्चित आधार पर या जिस ढंग से सर्वे कराके देनी चाहिये थी उस ढंग से नहीं दी गई है। सहायता के फीगर्स देखें तो जालौर का ही उदाहरण मैं आपको रखना चाहूंगा। फेमिन डिक्लेयर हुआ है 12 अक्टूबर, 68 को और असहाय व्यक्तियों को जो सहायता दी है वह शुरू करते हैं मार्च, 69 में और मार्च, 69 में एकदम से 1308 आदमी बन जाते हैं और वह आखिर तक इसी तरह से चलते रहते हैं। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मार्च, 69 से पहले वहां कोई असहाय व्यक्ति नहीं थे और एकदम से 1308 व्यक्ति पहुंच गये? इसके बाद आप फीगर्स देखें तो ऐसा मालूम होता है कि 75 से शुरू होते हैं और 244 पर खत्म होता है चित्तौड़गढ़ में, जैसलमेर में देखें तो 535 से शुरू होकर 1500 पर जाकर खत्म हो जाते हैं। इन फीगर्स का ढंग से मनन करें तो आपको मालूम होगा कि इन फीगर्स में कितना फ्लक्चुएशन है और सहायता किस आधार पर दी है यह मैं नहीं कह सकता।

सभापति महोदय, अब कामों का विश्लेषण करें जो कि इस विवरण में दिये गये हैं जो जालौर जिले में सब से पहले 7 काम खोले गये 12 अक्टूबर, 68 को, फिर 10 दिसम्बर, 68 को। वह 24 काम हो गए 28 मार्च, 69 को कम हो गए 21 रह गये लेकिन उसके साथ ही जब 24 काम चल रहे थे तो करीब 25 हजार मजदूर थे। 21 काम शुरू होने पर वहां 3100 मजदूर थे और इस तरह मजदूरों की संख्या घटी है लेकिन उस अनुपात में काम नहीं घटे। 30-6-68 को बढ़ाकर 94 काम कर दिये गये और मजदूरों की संख्या 1 लाख 15 हजार हो गयी। तो यह जो फ्लक्चुएशन है यह क्यों हुआ? उसके पीछे भी एक कारण हो सकता है और जहां तक मैं समझ पाया हूं इसका कारण यह है कि वहां की जो अकाल राहत कमेटी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या जिला परिषदें हैं उन्होंने जो सिफारिश करके भेजा राज्य सरकार ने उनके ऊपर कभी मनन नहीं किया। यहां बैठ कर जिस ढंग से चाहे वैसे अपने मनमाने ढंग से काम शुरू करवाये और जिन कामों को बन्द करवाना था उनको बन्द कर दिया। लोगों को मालूम नहीं है कि हमें कहां जाना है और किस तरह काम पर पहुँचना है। एक दम फरमान पहुँचता है कि काम बन्द है तो मजदूरों को पैसा नहीं मिला और लोगों को रवाना होना पड़ता है और इस आधार पर अगर माननीय मंत्री महोदय विश्लेषण करें तो आपके लाखों रुपये होंगे और मनुष्यों की तादाद में हजारों ऐसे लेबर होंगे जिनका अभी तक चुकारा नहीं हुआ। उसका कारण यह है कि जो व्यवस्था थी कि उनको एकदम से फरमान दे

(श्री आईदानसिंह)

दिया कि कब से यहां काम नहीं हो रहा है और उनको चुकारा नहीं होता है। काम तो 31 तारीख को बन्द हुआ और 14-15 तारीख तक और 15 दिन का पैसा कहां से लें यह किसी को पता नहीं। तो यह हुआ आपके कामों का विश्लेषण।

अब माननीय सभापति महोदय, इस अकाल को हमेशा के लिए खतम करने में राज्य सरकार असफल रही है। 2023 के अकाल की बहस के समय मैंने यह निवेदन किया था कि जालौर जिले में हमेशा के लिए अकाल को समाप्त करना है तो वहां जुलाई, 66 में एक स्कीम बनाकर तैयार हुई थी नलकूपों की। उस नलकूप के बारे में मैं इस विधान सभा में कई बार कह चुका हूं लेकिन इस राज्य सरकार के कानों पर जूं भी नहीं रेंगती और मैं कह नहीं सकता कि उनकी क्या नीति है। माननीय सभापति महोदय यह नलकूप योजना जुलाई, 66 में जैसा मैंने कहा बनकर तैयार हुई थी लेकिन वह सिर्फ कागजों में थी। कुछ नलकूप खोदे गये उनके बारे में मैंने पूछा तो मुझे जवाब मिला कि वह तो उस योजना के तहत नहीं हैं बल्कि वह किसी दूसरी योजना के तहत में खोदे गये हैं। तो यह दुर्भाग्य की बात है कि वहां इतना पानी उपलब्ध होते हुए भी और जिन्होंने यह 200 नलकूप की योजना को तैयार किया है, जिन्होंने इसका सर्वे किया है उनका यह मत हैं कि अगर यह नलकूप योजना तैयार हो जाये तो राज्य सरकार को किस तरह से मदद दे सकती है इसका एक पैराग्राफ मैं माननीय सभापति जी इस सदन को सुनाना चाहूंगा।

"As per the advice of the Planning Commission, the data was collected by the State Government to identify backward areas on the basis of selected indicators of development. The information so collected revealed that Jalore district was one of the most backward areas of Rajasthan despite its rich agricultural potential. The investment proposed in this scheme, therefore, will also fulfil the social objective of removing regional disparities in the level of development. Further, this area is subject to recurrent famines due to scanty and erratic rainfall. The present scheme, by improving the general economic condition of the region will go a long way in reducing the distress and hardship on the occurrence of draught and it will act as a permanent insurance against the famines in this area. To this extent it will also reduce the burden on the State exchequer in years of draught on account of famine relief operations."

श्री खेतसिंह (उप मंत्री, विद्युत) : चेयरमैन महोदय, मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो नलकूप खोदे गये हैं यह वहां खोदे गये हैं जहां पीने के पानी की समस्या है आपके यहां जो योजना है वह सिंचाई की योजना है और बिलकुल अलग से योजना है। फेमीन का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप भी उन गांवों का नाम लिखा सकते थे जहां पीने के पानी की समस्या थी। ऐसे ही एक भागली गांव की समस्या थी।

Page No 141

श्री विजयसिंह (मकराना) : अंग्रेजी में है आपकी समझ में नहीं आया ?

श्री खेतसिंह : आप कम पढ़े लिखे हैं मैं तो एम. ए., एल. एल. बी. हूँ।

श्री आईदानसिंह : माननीय उप मंत्री महोदय ने फर्माया कि पीने के पानी की समस्या हल करने के लिए नलकूप बनाये गये हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूँ कि जालौर जिले में जो 26 ट्यूब वैल खोदे गये हैं दुर्भाग्य की बात है कि उनमें से पानी के लिए एक-दो का ही इस्तेमाल किया गया है। बाकी के चार साल से बगैर इस्तेमाल किये पड़े हुए हैं। 26 ट्यूब वैल की लिस्ट मेरे पास है। अगर आप चाहें तो पढ़ दूँ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापतिजी, मैं खुद गांव गांव में घूम घूम कर आया हूँ। जहां पर पीने के पानी की समस्या थी वहां पर ट्यूब वैल्स पर मशीनें लगाकर उनको चालू किया गया है। कोई भी ट्यूब वैल्स जहां पर पीने के पानी की समस्या नहीं है अकाल के अन्दर आप चाहें तो भी सरकार वहां पर जहां पर पानी अनापशनाप है और जिन गांवों में पानी की कमी नहीं है, उन एरियाज में ट्यूब वैल को नहीं चलायेगी।

श्री आईदानसिंह : वह मैं नहीं कहता। फेमीन के पहले चलाते तो जहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी मौजूद है उसको खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता ताकि जालौर जिले में अकाल की स्थिति है वह न होती। 26 कुए खुदे हुए हैं और उन पर मशीनें जो लगी हुई हैं वे मशीनें ऐसी हैं कि जो आपकी दो साल से ज्यादा नहीं चल सकतीं।

श्री खेतसिंह : माननीय सदस्य यह फेमीन पर बहस हो रही है और आप बात कर रहे हैं एग्रीकलचर पर। जिस दिन एग्रीकलचर की बात आये तो उस पर आप कहें।

श्री आईदानसिंह : फेमीन और एग्रीकलचर अलग अलग नहीं हैं। एग्रीकलचर में इम्प्रूवमेंट हो जायगा तो फेमीन खत्म हो जायगा।

श्री पृथ्वीसिंह (बाजी) : मैंने पहले ही कह दिया कि सारे महकमों में कोआर्डिनेशन नहीं है। अगर कोआर्डिनेशन कर देते तो फेमीन की समस्या ही खत्म हो जाती।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : ऐसा लग रहा है कि इतना रुपया खर्च हुआ है वह सब इस ढंग से किया है कि यह सारा काम इनके कारण से हुआ है इसलिए इनको डर लगता है कि कहीं सारा भंडा फोड़ न हो जाय।

श्री आईदानसिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस तरह की बनी हुई हैं स्कीम्स। यह स्कीम अपने आप में कम्पलीट हो गई है। यह 66 में बनी है। इनका इम्प्लीमेंट हो जाता 67 में तो हम इस फेमीन से छूट जाते। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, माननीय सभापति महोदय, कि ये परमेनेन्ट मेजर्स लेने चाहिए थे जो मैंने निवेदन किये।

उसके साथ ही मैं, माननीय सभापति महोदय, यह निवेदन करूंगा....

Page No 142

श्री परसराम मदेरणा : चेयरमैन महोदय, माननीय सदस्य से मैं यह जानना चाहूंगा कि जिस रिपोर्ट का यह रेलेवेन्ट एक्सट्रेक्ट पढ़ रहे थे वह क्या रिपोर्ट है और कौन सदस्य थे इस रिपोर्ट के लिखने वाले यानी उसका रेफेरेन्स दें।

श्री आईदानसिंह : माननीय सभापति महोदय, "200 Tubewells in Jalore (A scheme for Agricultural Development)" published by the Planning Department, Government of Rajasthan, in July, 1966.

66 में पूरा सर्वे हो चुका है कि कितनी रोड्स होना चाहिए, कितनी इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, कहां कहां पर ट्यूब वैल खोदे जायेंगे वे सब इस स्कीम में शामिल हैं।

तो इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था यह स्कीम जो आपके यहां पर बनी हुई है जो कोल्ड स्टोरेज या वेस्ट पेपर बास्केट में न चली गई हो तो माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस तरह मेजर्स लें तो कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट हमेशा के लिए फेमीन से मुक्त हो सकता है। इसलिए मेरी मान्यता है कि......

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, उसके बाद 2025 में अकाल था। आज भी जालौर जिले में अकाल के बादल छाये हुए हैं। मैं यह कहूंगा कि पश्चिमी जालौर जिले में सांचोर और भीनमाल और बाड़मेर से लगा हुआ इलाका है उनमें आज भी वारिश की कमी है, और वहां पर वसूली दबादब की जा रही है। दुर्भाग्य है कि माननीय राजस्व मंत्री जी यहां पर नहीं हैं। यहां पर आज भी तकावी लोन के रिट डिमाण्ड नोटिस दे दिये गये हैं। रिट डिमाण्ड नोटिस देने के बाद तो 15 दिन के बाद कुर्की हो जाती है। तो वहां पर वसूली शुरू कर दी गई है। पंचायत समिति जालौर में और पंचायत समिति सायला उन सब में रिट डिमाण्ड नोटिस देकर आज काम शुरू किया गया है। उसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कम से कम उसको बन्द करायें ताकि आयन्दा अकाल की स्थिति, भगवान न करे बने, अगर बन जाय तो मैं आप से यह निवेदन करूंगा कि कम से कम जिला अकाल राहत कमेटी और जिला परिषद हैं उनको जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि जालौर जिला परिषद् में शंका खड़ी हो गई है कि जो सिफारशें वे करके भेजती हैं उन पर राज्य सरकार मनन नहीं करती है, और इसके लिए जालौर जिला परिषद् में एक रिजोल्यूशन भी आया था, जो मैं माननीय सदस्यों को पढ़ कर सुनाना चाहूंगा....

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार का ऐसा कोई आदेश नहीं है कि जिला परिषद् किसी प्रकार की कोई रिकमन्डेशन या सलाह राज्य सरकार को भेजे। जिला परिषद् के प्रमुख जिला राहत कार्य सलाहकार समिति के सदस्य होते हैं और वहां पर उनको राय जाहिर करने की स्वतन्त्रता है। जिला परिषद् के सुझाव या राय लेने की कोई बात नहीं है और न राज्य सरकार के इस प्रकार के आदेश हैं कि इस तरह से जिला परिषद के रिजोल्यूशन मेरे पास आये। अगर कोई बात हो तो जाकर राहत कमेटी में

(श्री परसराम मदेरणा)
कहें क्योंकि राहत कमेटी में जिले को रिप्रेजेन्ट करता है जिला परिषद् का प्रमुख तो उसको वहां पर उसकी राय देना चाहिये। राय हम मांगते नहीं हैं उनके सुझाव हों तो और कोई बात है।

श्री आईदान सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैंने जिला परिषद् और जिला अकाल राहत कार्य कमेटी दोनों का रेफ़रेंस दिया है। जो मैं पढ़ने जा रहा हूं वह जिला परिषद् का रिज़ोल्यूशन है। उसके बाद दोनों ने जो जो सिफ़ारिशें की, जिला राहत कमेटी ने भेजीं और जिला परिषद् ने उनको उसी तरह से कोट करके भेजा है जिसमें मैं माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिनको टाप प्रायोरिटी पर रखा था वे काम आज तक शुरू नहीं हुए।

जालौर से भीनमाल तक 15 मील की सड़क का जो काम भेजा उस का काम शुरू नहीं किया, और भीनमाल से जैता तक की 15 मील की सड़क का कोई काम नहीं, वह काम शुरू नहीं किया, और आज आप कहते हैं कि वहां से आये हुए प्रस्तावों को नहीं मानते हैं, यह राज्य सरकार की मनमानी है। जिला परिषद् वह जिले की सर्वोच्च बाडी है जो कि जिले के कामकाज को देखती है। जो लोकल रिप्रेजेन्टेटिव प्रधान है वह वहां का रहने वाला है और वह वहां की सिचुएशन को ठीक से एप्रिशियेट कर सकता है। मैं मानता हूं कि आप सारे राजस्थान की सिचुएशन को एप्रिशियेट कर सकते हैं, इसको मैं डिनाई नहीं करता हूं, लेकिन जो लोकल आदमी वहां पर रहता है तो जिला परिषद् के रिज़ोल्यूशन में साफ़ लिखा है, जिला परिषद् में ही नहीं अकाल राहत कमेटी थी उसमें भी यही बात कही गई है।

सभापति महोदय, जिला परिषद् की 25-6-68 की बैठक हुई थी तो जिला परिषद् में यह रिज़ोल्यूशन ले डाउन हुआ था :

'आज की बैठक में यह अनुभव किया गया कि जिला परिषद् की गत बैठक के प्रस्ताव संख्या 5 द्वारा भीनमाल से जैता सड़क, रामसिंह से जेता सड़क, भीनमाल से रतनपुर सड़क की सिफ़ारिश की गई थी, परन्तु किन कारणों से प्राधिकारियों द्वारा इन सड़कों का निर्माण नहीं कराया गया, जब कि ये सड़कें अत्यन्त आवश्यक हैं, और वे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सहायक होंगी, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसलिये हम यह अनुभव करते हैं कि इस प्रकार की सिफ़ारिशों को महत्वहीन किया जाता है तो इन संस्थाओं के प्रति जन साधारण की भावनाओं को ठेस पहुंचती है और साथ ही हमारा अमूल्य समय इन बैठकों को आमन्त्रित करके व्यर्थ किया जाता है, जो समुचित नहीं कहा जा सकता है।"

श्री माधोसिंह : माननीय सभापति महोदय, ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ था। मैं भी उस बैठक में था।

श्री आईदान सिंह : मैं अर्ज कर रहा हूं कि यह प्रस्ताव आया था और मैं लाया था।

श्री माधोसिंह : जिला परिषद् के अन्दर यह प्रस्ताव पास नहीं हुआ और आप को वापस ले ले ना पड़ा।

श्री आईदान सिंह : वह वापस नहीं लिया गया। वह माननीय प्रमुख महोदय के सुपुर्द

(श्री आईदान सिंह)
किया गया था। लेकिन मैंने यह अर्ज किया था कि वह प्रस्ताव आया था।

श्री परसराम मदेरणा : ऐसे प्रस्ताव ज़िला परिषद् पास करके नहीं भेज सकती है और यदि कोई ग़ैर क़ानूनी प्रस्ताव पास करेगी तो मुझे और राज्य सरकार को अधिकार है कि उसको कैन्सिल कर दूं।

श्री आईदान सिंह : उसकी ऐसी कोई बात न मानें तो आप उसके लिए सक्षम हैं। इससे यह स्पष्ट हो गया....

श्री परसराम मदेरणा : आप ही केवल उसके सदस्य नहीं हैं, या उपमन्त्री महोदय ही सदस्य नहीं हैं, लेकिन माननीय सदस्य जो सांचोर से आये हुए हैं वे भी ज़िला परिषद् के सदस्य हैं उन्होंने बताया। वे कह रहे थे कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ। जो रिज़ोल्यूशन मूव किया गया है या जिस प्रपोज़ल को आप पढ़ रहे थे उससे आप यहां पर मुझको मुगालते में रख रहे हैं और हाउस को मगालते में रख रहे हैं कि इसको ज़िला परिषद् ने पारित किया था।

श्री आईदान सिंह : मैंने नहीं कहा कि ज़िला परिषद् ने पास किया था। मैंने कहा था कि ज़िला परिषद् में ऐसा प्रस्ताव आया था। आप प्रोसीडिंग में देखिये। वह ज़िला प्रमुख के सुपुर्द किया गया है। आप किसी प्रस्ताव को निरस्त करें इसके लिये आप सक्षम हैं, लेकिन जिस ढंग से पारित किया जा रहा है उस ढंग के लिये मैं कम से कम कहूंगा कि राज्य सरकार को इसके लिये सोचना चाहिये। भगवान न करे कि इस साल भी अकाल पड़े, और यदि अकाल पड़ गया तो उसके लिये जैसा आप उचित समझेंगे कार्य करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : एक बात मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहूंगा कि जब जब मैं जालोर गया, तो माननीय सदस्य से मैंने हमेशा परामर्श किया। मैंने उनसे पूछा आप को क्या चाहिये। उन्होंने तालाब आदि के जो जो सजैशन दिये उनके सजैशन के अनुसार कार्य हुए ....

श्री मदनसिंह : प्वाइन्ट ऑफ़ ऑर्डर ! मैं यह समझता हूं कि विधान सभा में जो भी माननीय सदस्य बोलते हैं वह ईमानदारी से ही बोलते हैं। हर एक से यह पूछा जाये कि आप ईमानदारी से बोलते हैं क्या तो यह शोभा नहीं देता है। इसलिये....

श्री मूलचन्द डागा : नो प्वाइन्ट ऑफ़ ऑर्डर।

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर ! श्री रघुनाथ विश्नोई !

श्री आईदान सिंह : माननीय मन्त्री महोदय ने जो फ़रमाया। मेरे खयाल में वहां जितने भी मन्त्री पधारे, उनमें परसरामजी ही ऐसे मन्त्री हैं जिन्होंने समय पर अपने आने का सूचित किया है। मैं उनसे मिला। लेकिन जो सिफ़ारिशें मैंने की हैं उनका रिपीटीशन करना मैं उचित नहीं समझता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय सभापति जी, राजस्थान में जो पिछला अकाल पड़ा वैसा मेरे विचार से पिछला जो सं. 56 का अकाल जिसे सबसे भयंकर अकाल कहते हैं, उससे भी भयंकर अकाल था उन इलाकों में जिनका कि

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

हमने नाम भी नहीं सुना था ऐसे इलाकों में एक बूंद तक वर्षा नहीं हुई। परन्तु राजस्थान सरकार ने सितम्बर माह में ही उस समय कलैक्टर्स की मीटिंग बुलाकर विचार किया कि अकाल की छाया नजर आ रही है, उसका हम किस प्रकार मुक़ाबला करें। इसी तरह से मैं यह नहीं कह सकता हूं कि सरकार ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। इसके बावजूद यह कहा जावे कि हजारों आदमी भूख से मर गये हैं और लाखों रुपये वेस्ट किये गये हैं। एक तरफ़ यह कहा जाये और दूसरी तरफ़ यह कहा जाये कि लोग भूख से मर गये हैं। माननीय सभापति महोदय, आप को मालूम है कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है, जो एक लम्बा चौड़ा प्रदेश है। जिसके अन्दर ऐसे लम्बे चौड़े इलाके हैं कि जिनमें 5 साल में बेहद अकाल पड़ते रहते हैं। परन्तु पिछली साल ऐसा भयंकर साल था कि 32,000 गांवों में से 22,000 गांव अकाल से पीड़ित थे। परन्तु जिस मुस्तैदी से राजस्थान सरकार ने और सरकार की मशीनरी ने इसका मुक़ाबला किया है वह मैं पहले कहे बिना नहीं रह सकता हूं। माननीय सदस्य जो आखिर में बैठने वाले हैं जो अभी अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। वह प्रशंसा भी करना चाहते हैं और चूंकि प्रशंसा उनके मुंह से निकल नहीं सकती है। उन्हें तो यही कहना है कि अगर कहीं से कोई रिश्वत का मामला हो, कोई सिफ़ारिश आयी हो अगर एक पर्टीक्युलर काम उन के कहने का नहीं हुआ है, तो हम जनरल रूप से यह नहीं कह सकते हैं कि राज्य सरकर ने इस भयंकर समय में अच्छा काम नहीं किया है। अभी भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य हैं, उन्होंने यह कहा है कि मन्त्रीजी जिस समय भी आये हैं, उन्होंने मिलने का समय दिया है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि दो सड़कों को खोलने का काम नहीं किया गया है। राज्य सरकार को यह सोचना पड़ता है कि सड़क का पैसा वेस्ट तो नहीं जाएगा। एक तरफ़ लोगों को काम मिले। दूसरी तरफ़ आप यह नहीं कहें कि रुपया वेस्ट गया है। यह भी राज्य सरकार को जवाब देना पड़ता है। इसलिये मेरे ख्याल से मैंने भी कहा है। राज्य सरकार को सुझाव दिये हैं। हमारी भी ड्यूटी होती है कि देखें कौनसा काम पहले शुरू किया जाये। कौन सा काम बाद में किया जाये। कौन सा काम प्रोडक्टिविटी वाला होगा। किससे जनता का हित होगा। ताकि मजदूरों को मजदूरी दी जा सके। अगर प्लान नहीं होता है, जब लोग भूख से मरते हों तो उनको राहत देने का सवाल होता है। राज्य सरकार को हम धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकते हैं कि राज्य सरकार ने ऐसे काम लिये हैं जो कि जनता के फ़ायदे के लिये हैं। क्योंकि हमेशा यह कहा जाता है कि इन किये हुए कामों से जनता का लाभ नहीं होता है। इस प्रकार राज्य सरकार ने इसी कन्सीडरेशन से माइनर इर्रीगेशन और सोइल कंजरवेशन कार्य लिये गये हैं। फिफ्थ प्रायोरटी में रोड्स का कार्य लिया गया रोड्स का काम किया गया। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में रोड्स का काम किया गया। अगर पहली केटेगरी, दूसरी कैटेगरी इस प्रायोरिटी से काम लेते तो आप कहते कि लोग भूखे मरे जाते हैं सब काम नहीं लगते। परन्तु जालौर से जो सदस्य हैं, वह यहां नहीं हैं। सांचोर में कई वर्क किये गये हैं। ह्यूमेण्टेरियन कन्सीडरेशन रखा जाये तो वर्स्ट अफ़ेक्टेड सांचोर था। दो काम

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

सांचोर के लिये मन्जूर किये थे। पहिले मई-जून के महीने तक दो माह तक काम किये गये थे। राज्य सरकार ने जिस हालत में काम किया हम यह मान कर चल सकते हैं कि सरकार ने ह्यूमेंटेरियन कन्सीडरेशन रखा है। इसीलिये हम को भी पोलिटिकल कन्सीडरेशन नहीं होता है।

श्री मदन सिंह: इसीलिये माननीय सदस्य से रिक्वेस्ट है, आप अपने ही इलाके की कहें। नहीं तो वापिस सवाल किया जाएगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय सदस्य बीच में नहीं बोलें। हम नहीं बोलते हैं। कोई सदस्य बीच में नहीं बोले।

श्री मदन सिंह : कोई राहत का पैसा नहीं दिया गया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य बोलने दें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : दूसरे इलाकों के लिये कहना मेरा जस्टीफ़ाइट भी नहीं है। परन्तु मैं तो अपने ज़िले की हैसियत से कहता हूं जैसे कि ऐसे इलाके भी थे कि जहां हल चलने की नौबत नहीं आयी वर्षा नहीं थी। आहोर की ज़मीन तो ऐसी भी जहां एक बरसात हुई थी। परन्तु राज्य सरकार के सामने फ़ाईनेंसियल कंण्डीशन कैसी है, लोगों की पेइंग कैपेसिटी कैसी है, यह देखकर ऐसी हालत में सरकार ने कार्य किया है। भवातड़ा वर्स्ट एफ़ेक्टेड इलाका था। जहां ढ़ाई माह बाद तक वर्षा नहीं हुई थी। कार्य शुरू करने के लिये पी. डब्ल्यू. डी. और इरींगेशन का विभाग था। जिन्होंने काम शुरू किये। हम भी कहते हैं कि वर्क प्राडक्टिव नेचर के लिये किये जायं। दूसरी तरफ़ ह्यूमेनिटेरियन कन्सीडरेशन की भी बात है। अभी जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य नहीं हैं, अगर वैसे देखा जाय तो वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, विरोधी पक्ष से जीते थे लेकिन मेरे ख़्याल में सबसे ज्यादा अगर कहीं लेबर एम्प्लाय किया है, सबसे ज्यादा अगर कहीं ख़र्च किया है तो वह वहां पर किया है क्योंकि राज्य सरकार का एक वेलफ़ेयर गवर्नमेन्ट होने के नाते, पीपुल्स गवर्नमेन्ट होने के नाते यह फ़र्ज होता है कि एक भी आदमी को भूख से मरने नहीं दिया जाय, उसके लिये मजदूरी का इन्तज़ाम किया जाय, उसके लिये खाने और पीने का इन्तज़ाम किया जाय। राजस्थान में जो जैसलमेर और बाड़मेर के इलाके हैं, बाड़मेर के इलाके के लिये कह रहा था कि वह ऐसा इलाका है जहां पर आवागमन के साधन नहीं हैं, जिससे कि पानी वहां तक पहुंचाया जाय, साथ ही दो सौ ढाई सौ फ़ीट गहराई तक पानी नहीं है। वहां जो पानी है, वह बहुत नीचा पानी है और खारा है। ऐसी हालत में राज्य सरकार के सामने कितनी बड़ी समस्या थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछली कोई सरकार ऐसी नहीं है

No Government could have managed such an affair in such a nice way as Rajasthan Government has done.

यह कोई ज्यादा तारीफ़ करने की बात नहीं है, परन्तु जो तथ्य हैं उनको उधर बैठने वाले माननीय सदस्य भी मानें। अब राज्य सरकार ने ऐसा अच्छा इन्तज़ाम क्यों किया-यह भी चीज हो सकती है, परन्तु यह राज्य सरकार आज यहां बैठी है इसकी जनता के प्रति भी कुछ जवाबदारी है, उसी जिम्मेदारी

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

को निभाने के लिये यह अच्छा इन्तज़ाम करना चाहती है....

श्री मदन सिंह : सरकार बैठी नहीं है, सोयी पड़ी है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कहीं से कोई पत्र माननीय मन्त्रीजी के पास आया हो और उन्होंने तवज्जह नहीं दी हो उन्होंने उस पर कार्यवाही नहीं की हो तो यह कह सकते हैं कि राज्य सरकार के मन्त्री और राज्य सरकार के अधिकारी सोते रहे और वहां पर लोग मरते रहे। लेकिन राज्य में चूंकि यह पब्लिक का काम था इसलिये मन्त्री जी गांव गांव फिरे, मुख्य मन्त्रीजी ने हज़ारों मीलों का दौरा किया, जिन गांवों की वर्स्ट स्थिति थी वहां पर ज्यादा दौरा किया और जो फैमिन स्ट्राइकन एरिया ऐसे थे जहां पर इन्टेन्सिटी कम थी वहां कम दौरा किया। जहां पर मवेशियों की हालत खराब देखी वहां के मवेशियों को दूसरी स्टेट्स् में भेजा, मवेशियों को भेजने के लिये, मुफ्त ट्रांसपोर्ट उपलब्ध करवाया और मवेशियों को उनके द्वारा मुफ्त दूसरी जगह भेजा। इसके अलावा जहां पर फोडर अवेलेबल थी, वह सारी स्टेट्स से फीडर इकट्ठा किया। यह इन्तज़ाम करना कोई मामूली काम नहीं था। जहां पर दूसरी स्टेट्स से चारा लाने का सवाल था, वहां से, वैगन्स अवेलेवल करने के लिये ब्रोड गेज और मीटर गेज रेल्वे से वैगन्स अवेलेवल करवाये। इसके अलावा एक मामला था कि ट्रक अवेलेबल नहीं थे, जहां पर फेमिन स्ट्राइकन एरिया हो, वहां पर ट्रक वाले और व्यापार वाले भी जनता के साथ प्ले करने की कोशिश करते हैं। ऐसी हालत में राज्य सरकार ने मजबूर होकर आर्डिनेन्स जारी किया और ट्रक उसके द्वारा उसने लिये। क्योंकि चारा लाने का सवाल था, अनाज पहुंचाने का सवाल था, पानी पहुंचाने का मामला था इस लिये ह्यूमेनिटेरियन कन्सीडरेशन से समय रहते हुए ट्रक के रिक्वीज़ीशन के लिये आर्डीनेन्स राज्य सरकार को जारी करना पड़ा और यह राज्य सरकार ने किया लोगों की राय के आधार पर, माननीय सदस्यों की राय के आधार पर, राज्य सरकार उन सबकी राय इस मामले में मानती है। अब अगर जहां से विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य जीत कर आये हैं वहां पर राज्य सरकार पालिटिक्स प्ले करे, और राज्य सरकार वहां पर लोगों को भूखा मरने दे तो यह नहीं कह सकते कि यह राज्य सरकार के लिये शोभा की बात है और अगर कोई राज्य सरकार ऐसा करती है तो वह उसके लिये शोभा की बात नहीं है। नहीं है। लेकिन राजस्थान में ऐसी बात है ही नहीं। आप कहते हैं कि जैसलमेर और बाड़मेर में लोग भूख से मरे। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इन इलाकों में गेस्ट्रो-एन्टेस्टाइन की डिजीज़ फैली, जालौर में भी यह बीमारी फैली, और इस ओर जैसे जैसे ही राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया, तो यद्यपि क्लीकल्स नहीं थीं, डाक्टर नहीं थे, कम्पाउन्डर का इन्तज़ाम नहीं था, फिर भी उस रिपोर्ट पर तुरन्त इन्तज़ाम करके जीपें भेज कर मैडिकल डिपार्टमेन्ट ने इन्तज़ाम किया, वह सराहनीय है। इसके साथ ही गवर्नमेन्ट ने इतनी बड़ी बात की कि किसी डाक्टर का ट्रान्सफ़र कैन्सिल नहीं किया, जिस कम्पाउन्डर के लिये आर्डर था, उसके लिये पाबन्द कर दिया गया कि अगर

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
उसने आर्डर को कम्पलाई नहीं किया तो उसको सस्पेन्ड कर दिया जाय। जो हालत थी, जो ह्यूमेनिटेरियन कन्सीडरेशन था, जो इन्सान को बचाने का सवाल था, मेरे ख्याल में राज्य सरकार ने उस दृष्टिकोण से सुन्दर काम किया है। वैसे यह ज्यादा तारीफ़ की बात नहीं है। राज्य सरकार के काम की इधर बैठने वाले साथियों ने ही प्रशंसा नहीं की है बल्कि उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने भी तारीफ़ की है और उनको करनी भी चाहिये क्योंकि जो फैक्ट है वह फैक्ट ही रहेगा, उसकी आलोचना उनको नहीं करनी चाहिये। इसके साथ ही राज्य सरकार के सब काम इस तरह के ही नहीं हो सकते हैं कि वह अच्छे हों, उनमें कुछ बुराई भी हो सकती है, ऐसे जो काम हैं उनके प्रूफ दें और जो सम्बन्धित लोग हैं उनको सज़ा दिलायें। मेरा निवेदन है कि जो भी फ़ैक्ट्स राज्य सरकार के सामने आये है, कान्क्रीट मामले आये हैं उनमें जांच करके लोगों को सज़ा भी दी है जिससे यह मालूम हो कि जनता कमज़ोर नहीं है और जनता में विश्वास पैदा हो, इसलिये जो अधिकारी ग़लत काम करता है उसको डैमोक्रेसी में सज़ा देने का भी तरीक़ा है। आखिर यह राज्य सरकार रूल्स आफ़ प्रासीजर पर चलती है, आज देश में ओटोक्रेसी नहीं है, इसलिये राज्य सरकार हर बात पर हर व्यक्ति को फांसी तो नहीं लगा सकती, लेकिन अगर कोई इल्ज़ाम है, कोई शिकायत है तो उनकी इमीजियेटली सुनवाई होती है और वह होनी चाहिये। मैंने जो भी शिकायत की है और फ़ैक्ट्स दिये हैं उन पर एक्शन लिया गया है। इसी तरह से दूसरे इलाकों में भी जहां ऐसा हुआ है वहां राज्य सरकार ने एक्शन लिया है।

माननीय सभापति जी, राज्य सरकार की जो आर्थिक स्थिति थी, जितनी इसकी मांग थी, जितने इसके पास फ़ाइनेन्सेज़ थे और जो इसके सामने डिफ़िकल्टी थी उसको दृष्टि में रखते हुए सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने जितनी एड दी है हालांकि उतनी एड की सम्भावना नहीं थी, फिर भी राज्य सरकार का यह फ़र्ज़ था, उसके अनुसार राज्य सरकार ने सोचा कि राजस्थान में कितनी ही फाइ-नेन्सियल पोज़ीशन खराब क्यों न हो जाय, राजस्थान में किसी भी इन्सान को भूखा मरने नहीं दिया जायगा, इसलिये ही लेबर की वेजेज़ बढ़ाई गई, इसके अलावा पहले भी जो पानी दिया जाता था, उससे दो गैलन पानी ज्यादा दिया गया ? पहले पानी की मात्रा कम थी, उसके बाद उसको इन्क्रीज़ किया गया। इसके लिये साथ ही अनाज की दर भी आठ किलो से बारह किलो की गई ? जहां पर अकाल की इन्टेन्सिटी थी, जहां कई सालों से अकाल पड़ रहा था, वहां पर ज्यादा इन्तज़ाम किया गया और जहां एक साल से था वहां पर कम काम किया गया। यह ज़रूरी भी था क्योंकि इसके बग़ैर जस्टिस नहीं कह सकते। इस लिये माननीय सदस्य कहें कि पालिटिक्स चलाई–यह ग़लत है। एक तरफ़ तो कहते हैं कि जनता का पैसा वेस्ट चला गया, दूसरी तरफ़ कहते हैं कि जानवर मर गये। आखिर आप चाहते क्या हैं। कोई भी गवर्नमेन्ट हो, उसके द्वारा इन्तज़ाम किये जाने के लिये कहना आसान है, लेकिन करना मुश्किल है। मैंने देखा है कि रात दिन सरकारी अधिकारी फैमिन डिपार्टमेन्ट के काम में लगे रहे। लोगों का रात रात भर काम करना होता था। जैसे अनाज पहुंचाने का मामला है या और

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

कोई मामला है तो जब भी मैं गया हूं तो एक मिनिस्टर में इन्तज़ाम करने की कोशिश की गई है। आखिर इतना बड़ा काम है, इसमें कुछ लेकूनाज और खराबियां हो सकती हैं, क्योंकि नीति को, प्लान की इम्प्लीमेन्ट करने में हरएक आदमी एक सा नहीं हो सकता है, हर एक आदमी का दिमाग और कैपेसिटी एक सी नहीं हो सकती, उसमें भी कुछ कमियां हो सकती हैं। लेकिन उसके कारण हर एक सरकारी आदमी को और सरकारी मशीनरी को दोषी ठहराये कि कोई काम नहीं हुआ है, और जो काम हुआ है उसमें रुपया वेस्ट हुआ है–यह उपयुक्त नहीं है और मैं तो कहता हूं कि यह हमारे लिये कहना घातक है। अगर हम यह डिस्कस करते हैं कि करोड़ों रुपया बेकार गया और आम लोगों को मिला नहीं तो उससे सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के ऊपर बुरा असर पड़ता है और जहां पर अकाल की इन्टेन्सिटी ज्यादा थी जहां पर मनुष्य मात्र और पशुओं के जीवन के संकट की समस्या थी उसके लिये जो काम करने थे उनके लिये कम एड मिलती है। अगर कोई कमी है तो कम सुझाव दे सकते हैं कि यह काम लिया जाय और यह नहीं। मैं इस बात को मानता हूं कि अगर कोई काम नहीं करता है तो उसको सजा मिले, लेकिन जो अच्छा काम हुआ है उसका तो कहें कि अच्छा हुआ है। केवल यह कहें कि अच्छा काम नहीं हुआ, अच्छा काम नहीं हुआ और उसकी शिकायतें करते हैं तो ऐसी शिकायतों में पार्टीबाजी दोनों तरफ से चलती है लेकिन इतनी पार्टी बाजी होते हुए भी राज्य सरकार की जो ड्यूटी थी उसको उसने निभाया है। अगर नहीं निभाया है और कहीं निभाया है और कहीं पर गलतियां की हैं तो उनको हम पाइन्ट आउट कर सकते हैं। आपको अकाल में किये गये काम के आंकड़े उपलब्ध करा दिये गये हैं, जो भी काम हुआ है वह सब आपके सामने मौजूद है, ऐसी हालत में सब स्पष्ट नक्शा आपके सामने है। राज्य सरकार की कुछ छिपाने की नीयत नहीं है। जैसे कि मैंने एक सवाल किया था उसमें माननीय मन्त्रीजी ने स्पष्ट किया कि हम केवल वेल्थ बचाने में इतने कामयाब नहीं हुए हैं। राजस्थान में कैटल वैल्थ इतनी ज़बर्दस्त है कि लोगों की पचास पर्सेन्ट आर्थिक हालत कैटल वेल्थ पर निर्भर करती है लेकिन फिर भी उसका सारे राजस्थान में माकूल इन्तज़ाम करना मुश्किल है। फोडर लाने की, हम महसूस करते हैं कि राज्य सरकार की ड्यूटी है, लेकिन दूसरी तरफ़ हमको देखना पड़ेगा कि राज्य सरकार की सामर्थ्य कितनी है। अगर कहीं पर नेगलीजेन्स है तो उसके लिये हम लड़ सकते हैं और सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन यह कह दें कि राज्य सरकार ने बिल्कुल बदमाशी की है तो यह नहीं कह सकते। आखिर, सभापति महोदय, आज डैमोक्रेटिक फ़ार्म ऑफ़ गवर्नमेन्ट है, इसमें यह ज़रूरी है कि आलोचना हो लेकिन अच्छी चीज की भी आलोचना की जाय–यह उचित नहीं है। अच्छे को अच्छा कहें और बुरे को बुरा कहें। हर चीज को एक तरह से हांकना डैमोक्रेसी के लिये घातक है। वैसे यह सही है कि मजबूत और सही क्रिटिसिज़म नहीं हो तो डैमोक्रेटिक फ़ार्म ऑफ़ गवर्नमेन्ट टिक नहीं सकती है और किओस आ सकता है। इस लिये स्वस्थ परम्परा बनाये रखने के लिये सब लोगों का

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

कन्स्ट्रक्टिव रोल होना चाहियें। मैं मानता हूं कि कुछ जगह बदमाशी हुई है लेकिन उनको ओर हम शिकायत करके ध्यान आकर्षित करते हैं। इस मामले में जितने हम एक्टिव रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा क्योंकि जहां सरकारी अधिकारियों की हालत खराब हो वहां पर पब्लिक की हालत खराब हो सकती है और हम ज्यादा विजिलेन्ट रहें तो कोई हिम्मत नहीं हो सकती कि बदमाशी करें। फांसी के तख्ते पर और जेल में जाना कोई पसन्द नहीं करता। जहां लोग डंडे लेकर खड़े रहते हैं वहां सरकारी अधिकारी भी सावधान रहते हैं और जहां अंधकार होता है वहां ऐसा होता है। लोग गिरोह बना कर खड़े हो जाते हैं....

श्री बबनसिंह : जैसे इन्दिराजी को बना दिया हीरो।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बदमाशी नहीं हुई यह नहीं मान सके। इसलिये सितम्बर, से लेकर 8-10-68 तक अकाल कार्यों को बन्द नहीं किया, आगे ज्यों 2 इन्टेन्सिटी बढी, मंत्रीजी ने खुद ने जाकर हालात देखे, लोगों के रिप्रेजेन्टेशन्स आये, विधायक लोगों ने जैसा कहा, काम खोले हैं। मंत्री महोदय का फर्ज है कि दूसरी जगह पैसा न लगे तो जांच करें। जरूरी हो तो खोलें। मेरे खयाल से पिछले सैकडों वर्षों से राज्य सरकार आयी हैं, पहले भी अकाल पड़ रहे थे, इन्तजाम करने की कोशिश की। कमियां बताई यह जानबूझ कर बद्‌यानती या पोलिटिक्स चलायी हों मैं नहीं कह सकता। भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने ऊपरी मन से कहा कि सांचौर में काम ज्यादा खोले हैं। मवेशी और मनुष्य सांवणु फसल पर ही निर्भर रहते हैं। सावणु फसल नहीं होती है तो कुछ भी नहीं होता है। सांचोर के 70 गांवों की डिमान्ड अभी तक पूरी नहीं हुई अभी तक वर्षा नहीं हुई है। मेरे पास टेलीफोन ग्राम और अंगूठा की हुई रिपोर्ट प्राप्त हो रही है। माननीय मंत्रीजी कहते हैं कि बाडमेर और जैसलमेर में इन्टेन्सिटी और कठिनाइयां ज्यादा थीं। राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करूं कि जब आपके आंकडे मौजूद हैं, एक बूंद बरसात आज तक नहीं हुई, 70 गांवों का एरिया सांचौर है। माननीय मंत्रीजी से कहा और मुख्य मंत्रीजी से भी मुलाकात की, उन्होंने कहा कि हम सोच रहे हैं। यह कहा गया कि सांचौर का काम हो गया, आई हेपन्ड टु बी देयर और आप ह्यूमेनिटेरियन ग्राउन्ड पर भी नहीं चाहते कि वहां काम शुरू हो।

श्री आईदानसिंह : 12 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को खोले हैं वह सूची आ जाय तो पता चल जायगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आपने यह कहा कि मंत्रीजी पर ज्यादा असर है।

श्री परसराम मदेरणा : काम कब खोले गये कौनसी तारीख को खोले गये, जो कुछ भी आपके पास डाक्युमेन्ट्स और रिकार्ड या याददाश्त है उसको और रीरिफ्रेश कर लीजिये कि 12 अक्टूबर को कौन से काम खोल दिये और कौन से नहीं।

12.10 वाली बात सत्य प्रतीत नहीं होती। आप फिर रिकार्ड देख लीजिये। 7 को खोले गये। मुझे याद नहीं पड़ता है कि सांचोर में खोले गये और दूसरी जगह नहीं खोले गये। 7 काम कौन 2 हैं जालौर

(श्री परसराम मदेरणा)

में लिस्ट दे दीजिये। मेरी मेमोरी सही है तो 12 अक्टूबर को कोई काम नहीं खोला गया। टेस्ट वर्क्स खोले गये हैं। 2 अक्टूबर को जालौर गया था और 12 अक्टूबर को गया ही नहीं था। 18 अक्टूबर को शाम को 5 वजे पहुंचा यह मुझे याद है। टैस्ट वर्क्स थे वह 1 अक्टूबर को खोले गये थे।

श्री आईदानसिंह : आपके दिये हुए विवरण से ही मैंने अर्ज किया था।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वह टेस्ट वर्क्स हैं।

आपके जरिये मैंने माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया। चूंकि कांग्रेस से जीत कर आया हूं इसलिये काम ज्यादा खोल दिये और दूसरी जगह की मवेशी को मार दिया यह बात सही नहीं है। भीनमाल में भी वर्षा नहीं हुई, वहां भी अकाल है। आंकड़े पेश हैं। 70 गांवों के लोग और मवेशी डेली वैजेज पर जिन्दा रह सकते हैं। उनको कार्य देने के लिये गम्भीरता से विचार करें और मवेशी पर संकट आया है यह समय पर एक्शन लें। राज्य सरकार रिपोर्ट प्राप्त कर ले जो तथ्य आ रहे हैं उसकी, मैं तो विधान सभा में बैठा हूं, वास्तविक स्थिति मैं नहीं बता सकता लेकिन वस्तु स्थिति आप जान सकते हैं, समय पर एक्शन लें ताकि वहां की परिस्थिति ऐसी पैदा न हो जो बाद में परेशान करे।

आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं कि इधर और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने जो भी तथ्य पेश किये हैं, मवेशी को तो बचा नहीं सके यह तथ्य तो दे दिये बाकी आदमी भूख से मरे उसको मैं कतई मानने के लिये तैयार नहीं हूं। बीमारी से मर सकते हैं। यह तथ्य राज्य सरकार ने दिये हैं। राज्य सरकार ने जो इन्तजाम किया है वह सुन्दर किया है और इसके लिये मैं धन्यवाद दिये वगैर नहीं रह सकता।

श्री सभापति : श्री मदनसिंह दांता।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय सभापति महोदय, जहां तक अकाल का प्रश्न है राजस्थान में, मैं समझता हूं, भारत वर्ष में ही तीन घटनायें ऐसी हुई हैं। पहला चीन का हमला जिसको देख कर समस्त भारतवर्ष और सारे लोगों में भय उत्पन्न हुआ था, भगवान् की कृपा हुई किसी कारण से वह टला। फौजों के कारण से नहीं टला। दूसरी घटना अकाल और बाढ़ के एक साथ आने से जो कुछ भी घटनायें हुई, लोगों में भय उत्पन्न हुआ, अविश्वास हुआ कि उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। यह निश्चित बात है। तीसरी घटना जो हुई वह अकाल से सम्बन्धित नहीं है वह अर्थ योजना पर है।

मैं मेरे एरिया तक ही सीमित रहूंगा। हो सकता है राजस्थान के चीफ मिनिस्टर और अकाल मंत्री के पास मोटरें हों, वह हरएक एरिया को देख सकते हों, मैं अपने एरिया तक ही सीमित रहूंगा। मैंने भी बड़ी कोशिश की थी कि जगह जगह घूम कर अकाल की स्थिति को देखूं। लेकिन मैं अपने एरिया के लिये इसलिये सीमित रहूंगा कि अगर राजस्थान के व्यापक हित के दृष्टिकोण से यह हो कि सब को राहत पहुंचायी जाय तो मेरे एरिया में जब से बाढ़ लेकर आज तक क्या क्या कार्य हुए हैं यह बतायें मैं अकाल मंत्री महोदय को आज से नहीं एक साल से कह रहा हूं दांता रामगढ़ कान्स्टि-

(श्री मदनसिंह)
ट्युएन्सी के बारे में। माननीय मंत्रीजी को बीसियों कागज पत्र दिये, कलेक्टर को लिखा कि दांता रामगढ़ में इतना पैसा सीकर डिस्ट्रिक्ट को दिया है तो यहां क्यों नहीं काम हो रहे हैं।

मुझे क्या मालूम दूसरी जगह क्या हो रहा है परन्तु मैं राजस्थान सरकार को पूछता हूं कि दांता रामगढ़ को जिस तरह से नेग्लेक्ट किया है, वही हरेक डिस्ट्रिक्ट तहसील में किया गया हो, ऐसा मैं मानता हूं जो दांता रामगढ़ वालों ने रिप्रेजेन्टेशन दिया है, वह शायद किसी विधेयक में नहीं दिया गया होगा। लिखित में दिया है। जब यहां ईमानदारी की बात होती है तो मैं आक्षेप नहीं करूंगा परन्तु मंत्री महोदय से चाहूंगा कि दांता रामगढ़ के बारे में सही बात कहें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपके यहां इतना काम हुआ है, थोड़ा बहुत धन्यवाद दें।

श्री मदनसिंह : जहां तक सामूहिक धन्यवाद है वह तो अन्तरात्मा देती है। इसलिये आज राजस्थान में, फेमिन में गड़बड़ी होती है तो यहां हजारों की संख्या में लोग आकर के आप घेर लेते। इसलिये यह सबूत है। जहां तक सामूहिक प्रश्न हैं, राजस्थान सरकार ने इसका मुकाबला किया है, मजबूती से काम किया है। यह सराहनीय है। यह इसका सबूत है। वरना यहां छोटी छोटी चीजों के लिये आंदोलन हो जाता है। अकाल में घोटाला होता तो राजस्थान के भूखे, नंगे लोग राजस्थान विधान सभा के आगे आकर बैठ जाते। आपने उनके लिये प्रबन्ध किया है। इसलिये घेरने की बात नहीं उठी। जहां से मुझे वोट मिले हैं, जहां से मुझे चुना गया है, खुद मंत्री महोदय महसूस करेंगे, रियलाईज करेंगे सभापति महोदय कि राजनैतिक आधारों के ऊपर कलेक्टर को दबाया गया है, तहसीलदारों को दबाया है, बी. डी. ओ. को दबाया है कि दांता की कान्स्टीट्यूएन्सी के अन्दर वहां काम नहीं होना चाहिये। यहां उसका असर है। विधायकों के डेपूटेशन तैयार किये गये, चीफ मिनिस्टर के पास उनको भेजा गया, चाहे कुछ भी हो यहां इस कान्स्टीट्यूएन्सी में ठाकुर मदनसिंह की यहां से जीत हुई है, उसका असर है, उसको मिटाने के लिये यहां काम न हो। उन्होंने इतनी कोशिश की है। तो मैं अकाल राहत मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आपने आकाश पाताल तोड़े हैं, परन्तु दांता रामगढ़ के नागरिक तो यह समझते हैं कि जैसा कार्य उनके यहां हुआ है वही दूसरी अन्य तहसीलों में हुआ है। वहां के लोग यहां नहीं आते और इधर के लोग उधर नहीं जाते, इसलिये वे यह समझें तो गलत नहीं होगा। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं अकाल शुरू हो गया किन्तु मेरे क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित आज भी बैठे हुए हैं। बाढ़ पीड़ितों को जो विश्वास दिया गया था इस असेम्बली के अन्दर उनको आज भी टीन नहीं दिये गये हैं। मैंने भी उनसे कह दिया तुम मेरे घर रह सकते हो। परन्तु उनके घर खड़े नहीं हुए। मैं आपकी जानकारी के लिये नमूना बताना चाहता हूं कि खाचरियावास के हरिजन आज भी नवलगढ़-मण्डावा की सड़क पर तड़प रहे हैं। आप जाकर के उनको देख सकते हैं। सलाहकार समिति में 6 सड़कों के काम का तय किया गया। यह 6 सड़कों का काम था। सदन सुनकर ताज्जुब करेगा कि इन सारे 6 सड़कों में से दांता की अप्रोच रोड़ केवल 40 गज

(श्री मदनसिंह दांता)

बनी है। एप्रोच रोड समस्त गवर्नमेन्ट और कलेक्टर की ताकत से केवल 40 गज बन पायी है, 40 गज की सड़क बनी है। इसका जवाब जो भी मन्त्री महोदय दें। दांता से रींगस, खाटू रोड है जिसको गत 15 वर्षों से बनाने की योजना है, उसका कुछ भी काम नहीं हुआ। केवल रेत बिखेरी गयी है। गोरां से माताजी की सड़क पर रेत बिखेरी गई है। रेनवाल से सरेराखेड़ा सड़क का ऐलान किया उसके ऊपर एक पत्थर नहीं गिरा। इसलिए आपको यह बताना चाहूंगा कि इस अकाल राहत के अन्दर आपने दांतारामगढ़ के अन्दर क्या क्या काम किये हैं, क्या क्या चीजें की हैं। आप इसका जवाब दीजिये।

. . . .

सभापति महोदय, यह अन्तरात्मा सब जगह फैल रही है मता नहीं वह दांता रामगढ़ की तरफ क्यों नहीं आ रही है। अब तो इस सरकार के पास पैसा आ गया है। भारत सरकार के पास बैंक का रुपया आ गया है। अब बैंक्स का नेशनेलाइजेशन हो गया है। और मैं अकाल राहत मंत्री को फोर्स से कहता हूं कि वे इन्दिराजी की गवर्नमेन्ट को कम से कम इन बैंकों के राष्ट्रीयकरण से जो रुपया आया है, वह लाकर, इन बैंकों को वहां खोल कर राहत कार्य पूरा करवा दीजिये। मेरे क्षेत्र के लोग यहां बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझसे कहा क्या बात है। क्या सीकर के कांग्रेस विधायक हैं, उनके प्रभाव में आकर यह काम नहीं हो रहा है। मैंने कहा यह नहीं। लेकिन माननीय सदस्यों ने जो यहां कहा कि राजनैतिक आधारों पर कार्य नहीं हो रहा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये राजनैतिक आधार नहीं हैं तो क्या हैं, क्या कारण है कि रोलर आ गया और सीकर से उसे रुकवाया गया। दो-दो महीने तक सड़क पर पड़ा रहा। हो सकता है कि यह राजनैतिक पक्षपात न हो? दांतारामगढ़ का जहां तक सवाल है पीढ़ियों से लिखने के बावजूद आज भी टीन सड़ रहे हैं परन्तु गरीब को टीन नहीं मिले। हरिजनों के मकान बाढ़ में ढह जाने के बाद आज तक उनके पास टीन नहीं पहुंचे हैं। मेरे खुद के लिए इसकी चिन्ता नहीं है। एक साल और रुक जायेंगे लेकिन हरिजनों की झौंपड़ी एक एक दिन भूखे रहकर उनसे झोंपड़ी बनवाई और फिर बरसात आ गयी और हरिजनों के फिर मकान ढह गये। वे कलेक्टर के पास पहुंचे तो कलेक्टर ने उनको जवाब दिया अब योजना बंद हो गई। 15 अगस्त के बाद कोई मरता है तो मरे, कोई नुकसान हो रहा हो तो हो। हम 15 अगस्त के बाद कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद सारी योजनाएं बंद हो जाती हैं। मैं आपके जरिये मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां ऐसा काम हुआ है, जो अधूरा है, वह सही ढंग से पूरा किया जाये। सभापति महोदय, जो अप्रोच रोड है, उस अप्रोच रोड में पत्थर गिर गये हैं, उससे न तो बाहर आ सकते हैं और अन्दर के बाहर जा सकते हैं। ऐसा फर्जी काम वहां हुआ है। अब मैं एक बहुत बड़ा घोटाला बताता हूं। पी. डब्ल्यू. डी. कहती है कि यह हमें मिलना चाहिये और जिसको यह काम दे रखा है वह रेवेन्यू आफिसर है और रेवेन्यू वाले कहते हैं कि यह राहत कार्य है, इसे उनकी देखरेख में कराया जाना चाहिये। इनकी यह लड़ाई हड़पने

Page No 154

(श्री मदनसिंह)

की है। कौन हड़पे, यह बात है। यह सड़क है मुकुन्दगढ़ से लक्ष्मणगढ़। इस सड़क में तीन मील में 4।। लाख का घोटाला एक व्यक्ति ने किया है, जिसकी जांच हो सकती है। सलाहकार समिति की बैठक में कलेक्टर महोदय ने यह कहा है कि मैंने अपने जीवन काल में ऐसा भ्रष्टाचार कहीं नहीं देखा है। मुकुन्दगढ़ से फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ की सड़क में 4।। लाख का घोटाला एक व्यक्ति ने किया है। इतने रुपये का घोटाला इस सड़क में हुआ है। सड़क नहीं बनी है और इस बीच में घोटाला हुआ है। जब हमने प्रश्न किया, यह क्या है ! तो यह कहा पी. डब्ल्यू. डी. निकम्मी है। वहां के एस. डी. ओ. कुछ बोल रहे हैं तो मैंने कहा ऐसी बात नहीं है। जब कलेक्टर आपका व्यक्ति नियुक्त कर रखा है, रेवेन्यू आफिसर था तो ऐसी जगह क्यों कर घोटाला हुआ ? पी. डब्ल्यू. डी. ही सब कुछ नहीं है, शायद रेवेन्यू की वजह से यह हो सकता है। वो समझते हैं कि हम अड़ रहे हैं, पैसा हड़पने के लिये और तीसरा आदमी उनके बीच में आ गया और यह घोटाला हो गया। इतना बड़ा घोटाला हुआ परन्तु इस सदन में कुछ नहीं हुआ और कुत्ते मरते हों, बिल्ली मरती हैं तो यहां स्थगन प्रस्ताव पेश कर दिये जाते हैं। 4।। लाख का घोटाला एक छोटी रोड पर हो, और कांग्रेस के सदस्य इस सदन में स्थगन प्रस्ताव भी प्रस्तुत न करें। अकाल राहत के अन्दर 4 लाख का घोटाला, एक छोटी सी सड़क पर यह घोटाला होता है तो क्या यह सबूत नहीं है कि राष्ट्र की सम्पत्ति लूटी जा रही है और...

श्री परसराम मदेरणा : मैं यह निवेदन करूंगा कि 4।। लाख रुपये का घोटाला 3 मील के टुकड़े में हुआ है तो माननीय सदस्य इसके और भी फेक्ट्स कि क्या घोटाला कैसे हुआ है, रखें। इस तरह से यह घोटाला है या कम से कम आप पहले इत्तिला देते तो मैं जांच करवा लेता या इसके अब थोड़े बहुत फेक्ट्स, पाइंट्स यहां बता दें कि मस्टर रोल में गड़बड़ी हुई या किस प्रकार से घोटाला हुआ ताकि जांच करने में सहूलियत रहे।

श्री मदनसिंह : कलेक्टर के पास जांच हुई है समिति के जरिये इस की जांच करके स्पष्टीकरण हुआ है। 4।। लाख का यह घोटाला हुआ है इसकी डिटेल सारी लिखित के अन्दर कलेक्टर, सजकर के पास हैं और आपकी पी. डब्ल्यू. डी. उसके पास है। पी. डब्ल्यू. डी. कह रही है हमारी तरफ से नहीं हुआ। कुछ राग और है। वे कह रहे हैं दूसरी तरफ से हुआ है। दूसरी तरफ वाले कह रहे हैं नहीं। दोनों का राग कुछ और है। मैं आपको यह सूचना देता हूं इतना बड़ा घोटाला एक छोटी सी सड़क का है। इसमें रेवेन्यू आफिसर साथ है। मैं समझता हूं और जगह क्या होता है, यह इसी से मालूम हो जाता है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमरी चूंडावत : उस इलाके के, उस क्षेत्र के प्रतिनिधि क्या कर रहे थे ?

श्री मदनसिंह : इस के प्रतिनिधि रामदेव सिंह वहीं पर बैठे हुए हैं। वहां के जो विधायक हैं वे भी बैठे हुए हैं। जनसंघ के सदस्य भी बैठे हुए हैं वे जब बोलेंगे तब वे बतायेंगे। मैंने इनके ऊपर थोड़ी आपत्ति यह की थी पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर के

(श्री मदनसिंह)

खिलाफ बोल सकता हूं इस सीकर रोड के बारे में जहां रेवेन्यू के सीनियर आफिसर मौजूद थे उनके रहते हुए हुआ है। 4।। लाख का गबन हुआ है आपको भी सूचना दी है, उसकी प्रोसीडिंग है, खुद कलेक्टर ने कहा है मेरी जानकारी में है, कलेक्टर ने कहा मैंने आदेश दिया है यह घोटाला हुआ है। मुझे याद है कलेक्टर महोदय ने मुझ से यह कहा है ठाकुर साहब मैंने अपने जीवन काल में ऐसा और इतना बड़ा घोटाला नहीं देखा है। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं और यह मानता हूं कि दूसरे विधायक भी इसके बारे में प्रकाश डालेंगे। मैं तो वह व्यक्ति हूं जो राजस्थान में कहीं कहीं झलकियां देख लेता हूं वह बता देता हूं और भी जगह बहुत बड़े काम हुये हैं। मैंने सदन के सामने अपने यहां के पके हुए चांवलों का कुछ नमूना दिया है आप इससे अन्दाज लगा सकते हैं। जहां तक सामूहिक अकाल का सवाल है इतने बड़े अकाल को हंसते हंसते सरकार ने काम किया है उसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। इतने बड़े अकाल का मुकाबला करना तमाशा नहीं था। इस सारे अकाल में ऐसा कोई प्रबन्ध नहीं हुआ जिसको हम स्थायी हल समझ सकते। रोटी जरूर लोगों को मिली है लेकिन परमानेन्ट इन्तजाम नहीं हुआ है।

सभापति महोदय, जैसा कि भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा इसके निवारण के लिये कोई ठोस योजना होती, अकाल के समय ऐसे कुए खुदवाये जाते जिनसे हमेशा के लिये पानी प्रबन्ध हो जाता लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गरीबों को काम दिया गया यह मैं मानता हूं लेकिन केवल रुपये बांटने से कोई समस्या का स्थायी हल हो जाय यह मैं नहीं मानता। अकाल के समय जितने काम हुए हैं उनसे टेम्परेरी लाभ हो सकता है। इस अकाल के समय में 21 करोड़ से 56 करोड़ रुपये तक खर्च हुआ है यदि इनसे ऐसे स्थायी कार्य किये जाते तो अकाल का स्थायी हल हो सकता था। यदि इस तरह की कोई योजना होगी तो वे धन्यवाद के पात्र होंगे।

माननीय सभापति महोदय, कुछ ऐसी स्थायी समस्या हल करने वाली योजनायें आती हैं उनका माननीय सदस्य विरोध करते हैं। बांसवाड़ा के लिये एक योजना आयी उसके लिये भी हल्ला करते हैं, उसमें थोड़ी सी खामोशी रहनी चाहिये इस प्रकार की कोई ठोस योजना आती है तो उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। यदि सदस्य महोदय ऐसी योजना में सहयोग देते हैं तो ठोस कार्य भी हो सकते हैं। कई लोगों के लिये जहां अकाल आशीर्वाद के रूप में है वहां मैं समझता हूं आज भी वे लोग अकाल पड़े इस प्रकार की आकांक्षा करते हैं आपके पास पैसा था आपने इस अकाल का मुस्तैदी से मुकाबला किया। इस सारे अकाल में मुख्य मंत्री जी के एक भाषण पर मुझे बड़ी आपत्ति हुई। इस अकाल में भी वे राजनैतिक भाषा में ही बात करने लगे थे उन्होंने कहा आज जब कि राजस्थान में भयंकर अकाल है आज भी लोग जो महलों में सोये पडे हैं, जो जनता के प्रतिनिधि बनते हैं इस अकाल में उनकी तरफ से कोई कार्य नहीं हुआ। मैंने इस पर अपनी आपत्ति जाहिर की। मैं पूछता हूं आप चीफ मिनिस्टर हैं आपका कर्तव्य है कि आप जनता पर जो कष्ट आया है उसके लिये

(श्री मदन सिंह)

सरकार की ओर से सहायता करें। आज हम जैसे विधायक जिनके पास साधन नहीं हैं वे क्या कर सकते हैं, आप के पास सब साधन हैं, पैसा है आप सब कुछ कर सकते हैं। यदि महारानी गायत्री देवी भी इन अकाल क्षेत्रों में आती तो वे क्या कर सकती थीं। महारानी होते हुए वे 56 करोड़ रुपये तो खर्च नहीं कर सकती थीं। आपके पास सरकार का पैसा है साधन हैं आप तो उनकी तकलीफों को हल भी कर सकते हैं। मुझे इस प्रकार के भाषण से बड़ा दुःख हुआ। मेरा कर्तव्य है कि मैं उनको इस प्रकार के भाषणों से आगाह करूं। अकाल राहत कार्य में कम से कम ऐसे भाषण न दिया करें इससे अपने आप उत्तेजना आती है और जन भावनाओं को ठेस पहुंचती है।

मैं, अकाल में जो सरकार ने कार्य किया उसके बारे में धन्यवाद देते हुए दांता रामगढ़ में कोई काम नहीं किया उसके लिये कतई धन्यवाद नहीं देता। इसके लिये गहरा रोष प्रगट करता हूं। राजनैतिक दृष्टि से कम से कम आपने यह ठीक काम नहीं किया।

श्री परसराम बेरणा : आपके यहां कौन सा काम नहीं हुआ? बाढ़ से पीड़ित लोगों को जहां सहायता देने का प्रश्न था उसके लिये कलेक्टर को अधिकार है उसके लिये जिनके मकान बह गये उनको 300 रुपया और कोलेप्स हो गये उनको 100 रुपया और जिनको थोड़ा नुकसान हुआ उनको पचास रुपये देने की बात थी। इसमें राजनैतिक तरीका कौन सा अपनाया। इस तरह से मैं समझ नहीं पाया आप किस काम के नहीं होने की बात कह रहे थे। कुछ हरिजनों के बारे में आपने कहा था जिन के मकान ऐसी जगहों पर आये हुए हैं जो खतरे से खाली नहीं हैं वे पहले भी बह गये थे। उनको राहत क्यों नहीं दी गई इसके बारे में आपने मुझे लिखकर दिया था मैंने वह रिलीफ कमिश्नर को लिखकर दिया था इस पर भी राजनैतिक कारण बताये जांय तो मैं इसको क्या कहूं। आप क्या बात कहना चाहते हैं किस प्रकार से राजनैतिक आधार पर डिसक्रिमिनेशन किया गया।

श्री मदनसिंह : मैंने आपके लिये यह नहीं कहा कि राजनैतिक आधार को रखकर आप कार्य करते हैं। आप किसी काम के लिये कलेक्टर को आज्ञा देते हैं लेकिन वह आज्ञा का पालन नहीं करता है। मैंने 21-22 चिट्ठियां दी हैं लेकिन मुझे एक का भी जवाब नहीं मिला। आपके कलेक्टर राजनैतिक लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं।

इस अकाल के संबन्ध में दांता रामगढ़ के साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ आप किसी से जांच करवा लें। मैंने अकाल मंत्री महोदय एक दिन आपसे वादा किया था आप मेरे साथ चलें मैं आपको बीस हजार मन अनाज पकड़वा सकता हूं। वह मैंने आपको साथ लेकर पकड़वाया। दांता रामगढ़ के बारे मैंने आपसे अनेक बार रिक्वेस्ट की है आप सदन की कार्यवाही देख लें मैं एक बात भी असत्य कह रहा हूं तो आप कह सकते हैं। आपकी आज्ञाओं का पालन नहीं होता। दांता रामगढ़ का विधायक यह हिम्मत रखता है कलेक्टर को दो मिनिट में सीधा कर दे। आन्दोलनों के

(श्री मदन सिंह)

जरिये जनता के आन्दोलन के जरिये विधायक अपनी समस्यायें हल करवा सकता हैं। आप फिर किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे यह आश्वासन आप दे दें।

श्री परसराम मदेरना : मेरी तरफ से आपको छुट्टी है अगर आप ही आपके यहां की समस्या हल करवा सकते हैं जिलास्तर पर तो बहुत अच्छा रहेगा।

श्री विजयसिंह : केवल 40 मील की सड़क बनाई।

श्री मदनसिंह : राजस्थान में आपने अनेक सड़कें बनाई हैं लेकिन हमारे यहां पर हमने जन सहयोग से जो सड़क बनायी है उस पर रोलर नहीं फिरा सके। माधोसिंह भैंसवाड़ा को धन्यवाद दूंगा कि हमारे काम को देख कर रोलर भेजा।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : या वे खुद फिर गये।

श्री मदनसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं अगर आप मंत्री होने के नाते आज यह आदेश दें कि दांता रामगढ़ की समस्या हम अपने ढंग से निपटा सकते हैं, हम आपसे किसी प्रकार की मदद नहीं लेंगे। मैं दांता रामगढ़ में यह ऐलान कर दूंगा कि हमारे मंत्री जी ने यह ऐलान कर दिया है अपने अपने ढंग से समस्या का हल कर लो आयन्दा आपके पास शिकायत नहीं आयगी। कलेक्टर की या बी. डी. ओ. की मदद पर मत आना।

श्री परसराम मदेरणा : जब कभी भी आप मेरे पास शिकायत लेकर आये या दूसरी बात कही है मैंने उसको ध्यानपूर्वक सुना है और एक्शन लिया है। अगर आप यह छुट्टी चाहते हैं कि मैं आपको कलेक्टर से अपने क्षेत्र की समस्या हल करवाने के लिये छुट्टी दे दूं। मैंने आपको इसके लिये इजाजत दे दी है आपके साथ जनता के साथ इन-जस्टिस हो तो आप उसके लिये कलेक्टर को जनतान्त्रिक तरीके से सही कर सकते हैं। आपके यह जो पावर हैं उसमें मैं बाधक बनना नहीं चाहता। जो तरीके इस्तेमाल करें वे आप के अनुकूल होने चाहिये। जब तक मैं मन्त्री पद पर हूं आपकी हर कठिनाई के बारे में मेरा फर्ज है कि उचित कार्यवाही करूं। आप मेरे से मिलते भी रहते हैं और जब कभी नहीं मिलते हैं तो मैं आपको निवेदन भी करता हूं कि आप अब की बार मेरे से मिले नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : लेकिन कलेक्टर का मान सकता हूं किसी दूसरे तरीके से तो वे तरीके जनतान्त्रिक हों, आपके पास तो मुझे कुछ नहीं कहना।

श्री मदनसिंह दांता : इसका तो मैं बड़ा आभारी हूं। उचित मामला जंचे आपको तो मेरी मदद करें। कुछ न कुछ पैसा वहां के लोगों के लिए भी आप खर्च करें। रुपयों का आप वादा करें तो ठीक है। अन्यथा तो जैसा चल रहा है, चल रहा है।

श्री सभापति : श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : श्रीमान् सभापति जी, एक-दो तीन जिलों को छोड़कर पूरे राजस्थान में भीषण अकाल हो और अकाल राहत मन्त्रीजी पागल बनकर उस काम में लग जावें यह कहना अपने आप

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

में बड़ी बात है। इसलिए मैं आपको इसके लिए बधाई दिये बिना नहीं रहूंगा। उन्होंने और उनके अधिकारियों ने रात दिन एक करके बड़ा काम किया। इसमें कोई शक नहीं। कहीं कहीं अलग अलग अकाल के कामों में कुछ भ्रष्टाचार भी हुआ। पर भ्रष्टाचार का नाम ही अब तो मैं नहीं लेता हूं क्योंकि वह तो अब शिष्टाचार का नाम ले चुका है। सौ में से जहां 96 आदमी इसमें लिप्त हों तो वहां तो इसे भ्रष्टाचार कहने से अच्छा शिष्टाचार कहना ही अधिक उपयुक्त मान रहा हूं। आज तो अब यह शिष्टाचार हो गया है। मैं उनके एक दिन घर पर भी चला गया था। मैले से कपड़े और दाढ़ी बढ़ाये हुए बैठे अपना काम देख रहे थे। एक आदमी धुन के साथ काम में लग जाता है तो वह काफी कुछ कर सकता है।

आलोचना करना आसान है, पर काम करना आसान नहीं है। मैंने कई बार कहा है कि हमारा रूप माता का होना चाहिए, सास का नहीं। सास दिन भर बहू को भांडा करती है। इसके परिणाम कितने भयंकर होते हैं, हम जानते हैं। माता सावधान करती है। अच्छा काम होता है तो दिल खोलकर सराहना भी करती है।

मैं अपने भीलवाडा जिले की दृष्टि से निवेदन कर रहा हूं। जितने काम हुए हैं स्थायी नेचर के हुए हैं। उसका नतीजा अच्छा होगा यह कह सकता हूं। मेरे क्षेत्र में कम से कम काम हुआ तो एक साथी ने जो कांग्रेस का उप-प्रधान है पंचायत समिति में उसने कहा कि चूंकि वहां से एक निर्दलीय एम. एल. ए. चुना गया है इसलिए काम कम हुआ है। तो मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस वजह से काम कम नहीं हुआ। उन्होंने कोई भेद नहीं बरता। बात यह थी कि लोग डेढ़ रुपए रोज की मजदूरी पर वहां आकर काम करने को तैयार नहीं थे। जब लोग काम पर आने को तैयार नहीं हों तो काम कैसे हो। फिर मैं तो इसे भी अच्छा ही समझता हूं इस लिहाज से कि 1.11 रु. में लोग आने को तैयार नहीं हुए। पर कुछ लोगों का जो स्थायी रूप से अकाल बनाये रखने का इरादा है वह मुझे अच्छा नहीं लगता। यह स्लो पोइजनिंग है एक बार अगर हमने लोगों को अकाल में काम करने की आदत डाल दी तो परिणाम यह होगा कि लोग कमजोर हो जावेंगे। कामचोर हो जावेंगे। अशिष्ट भाषा है यह तो, कह दूं कि काम से जी चुराने वाले हो जावेंगे। अपनी जगह की बताता हूं। मक्की की निवाई-गुडाई होती है। लोग इसके लिये ढाई ढाई रुपया देने को तैयार हैं पर वहां लोग नहीं जाते, सवा रुपया अकाल में मिलता है, वहां जाना पसन्द करते हैं क्योंकि वे सोचते हैं वहां काम कुछ नहीं करना पड़ेगा, दिन भर बैठे रहेंगे और शाम को सवा रुपया मिल जावेगा। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि इससे लोगों की खराब आदतें पड़ती जा रही हैं। इसलिये जो अकाल के स्थायी काम चलाने के पक्ष में हैं वे कृपा करके ऐसा न करें।

मैं आपकी मार्फत भीलवाड़ा के अधिकारियों को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि हमारे यहां के कलेक्टर को, ईरिगेशन और पी. डब्लू. डी. के इन्जीनियर को जिन्होंने रात दिन एक करके काफी काम किया।

अब तक तो हुई अकाल की बात। अब स्थाई रूप से इसे कैसे मिटावेंगे इसके लिये

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

निवेदन करूंगा। राजस्थान में घास के बीडों की कमी नहीं है। जब राजाओं का राज था तो बीड़ कटवाये जाते थे जिसमें से आधा घास वे अपने घर पर ले जाते थे। एक बटे चार सरकार बेच देती थी और 114 घास की गंजियां लगाते थे। वे फोडर बैंक कहलाते थे। जब जब अकाल होता तो यह काम आ जाता था। कभी कोई कमी महसूस नहीं होती थी। पर आज इतने बीडों के होते हुए भी मौके पर घास नहीं मिलती। इसलिये निवेदन करूंगा कि आज भी ऐसा ही किया जाना चाहिये। आप वन मंत्री को मजबूर करिये कि कोई भी घास का बीड़ नीलाम न करें और वन विभाग की मार्फत 114 की गंजियां लगवानी चाहिये। इस तरह से चार-पांच साल में इतना घास जमा हो जावेगा कि घास बाहर से नहीं मंगवानी पड़ेगी। मैं जानता हूं जिनके सात आठ मवेशी थे रुपये का दो सेर का घास खरीदा है। तो कितनी मुश्किल लोगों को होती है। अगर ऐसा होता तो कमी नहीं होती।

दूसरी बात हमारे यहां मांडल में जिस तरह काम कम हुआ पर जो हुआ वह स्थायी नेचर का हुआ। चार फोरेस्ट में पेडाक्स लगे हैं। तो जो आज बंजर हो गये हैं जंगल उनमें आप पेडाक्स लगाइये चाहे इसमें करोड़ों का खर्चा हो। इसकी इनडाइरेक्ट आमदनी होती है। इसलिये इस पर जोर दें।

तीसरी बात, हो सकता है दुर्भाग्य से अभी भी दो जिलों में अकाल रह गया है तो जहां रह गये हों वहां पर अकाल राहत काम आप चलावेंगे तो उन जगहों पर एक भी शराब की दुकान न रहे इसका जरूर ध्यान रखियेगा। हालांकि शराब बन्दी का प्रस्ताव पास हो चुका है। आप ध्यान रखें कि वहां दुकानें जा नहीं सकें। क्यों कि बता सकता हूं कि शराब की दुकानें पास हुई तो जब मजदूरों को पेमेन्ट हुआ नहीं कि उनका पैसा उनकी दुकानों में पहुंचा नहीं। घर वाले फिर भूखों ही मरो।

चौथी बात, भूमि का अलाटमेन्ट इस ढंग से करवाइये कि खेती हर भूमिहीनों को भूमि मिले ताकि अधिक से अधिक मेहनत करके वे ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा कर सकें। अलाटमेन्ट के तरीकों में भी परिवर्तन करना होगा।

जो जो तालाब अधूरे रह गये हैं आप किसी तरह से उन को चाहे छोटे हों या बड़े हों पूरा करने का प्रयास करिये ताकि जो तालाब सिचाई का काम न भी देंगे तो भी कम से कम अप्रत्यक्ष रूप से कुओं में तो सेजा दे ही सकते हैं। और जहां एनी कट अधूरे रह गये हैं तो उनको भी पूरा कराने की चेष्टा करें।

मैं आपका अधिक वक्त लेना नहीं चाहता। एक बात और कहना चाहूंगा। मुख्य मन्त्री और अकाल राहत और सिचाई मन्त्री जो जो अकाल राहत कार्यों में लोग थे उन सब को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरी निष्ठा और लगन से काम करके बड़ी मुसीबत से पीछा छुड़ाया है।

श्री देवेन्द्रकुमार मीण (गोगुन्दा): सभापति महोदय, इस साल भयंकर अकाल पड़ा। हमारी सरकार ने काफी पैसा खर्च किया और हिम्मत के साथ इसका सामना किया। कई जिले ऐसे थे जहां पर दो दो

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)
तीन-तीन साल से लगातार अकाल चला आ रहा था।

उदयपुर जिले में जहां पर पहाड़ी एरिया है वहां पर अधिकतर आदिवासियों की संख्या है और उनको भी अकाल का सामना करना पडा। पर सरकार ने उनको काम दिया और खाने का साधन दिया। वे इस तरह अपना गुजरा कर सके। इसके बारे में राजस्थान सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उदयपुर जिले में 1 लाख 5941 लोगों को काम दिया गया।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोटड़ा एरिया, गोगुन्दा एरिया ऐसा एरिया है जो पहाडी है, वहां पर आदिवासी रहते है उनके लिये जो सरकार ने व्यवस्था की इसके बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां लोगों को पूरा काम दिया गया। इसके साथ उस एरिया के आवागमन के जो साधन थे वह कम थे। उनकी तरफ भी ध्यान दिया गया। निर्माण मन्त्री वहां पधारे थे और स्वयं ने आवागमन की वहां की कठिनाई का अनुभव किया। उनको खेरली से निकलना हुआ, पर वहां कोटडा होकर पहुंचे। कोटड़ा से उदयपुर और सरूपगंज का रास्ता है। वहां फेमीन में कुछ सडकों का काम हुआ है। कुछ काम बाकी रहा है उसको पूरा कराना सरकार का फर्ज हो जाता है। वह काम सरकार पूरा करावे तो मैं आपका आभारी होऊंगा।

यह एरिया ऐसा है जहां पर काफी बरसात होती है और बरसात के दिनों में उदयपुर आ जा नहीं सकते। सारे रास्ते बन्द हो जाते हैं। उदयपुर आते हैं तो सरूपगंज होकर आना पडता है और गरीब पेशी पर जाते हैं तो टाइम पर हाजिर नहीं हो सकते हैं।

मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूँ फेमीन के वक्त में जो काम किया है और हुआ है वह अच्छा हुआ है। बाकी जो काम रहे हैं सरकार और भी ध्यान देकर इनको पूरा करवाये। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान में हर तीसरे साल अकाल आता रहता है। उदयपुर जिले में 3–4 तहसीलों में अकाल है–गोगुन्दा, फलासिया, खेरड़ा–सभापति महोदय, वहां की अकाल की स्थिति के बारे में एक निवेदन करना चाहता हूँ सरकार ध्यान दे तो अच्छा होगा क्योंकि अकाल आते रहते हैं और अकाल भयंकर होते हैं। इससे आदिवासियों के सामने कई दिक्कतें आती हैं। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं ऐसे एरिया में छोटे छोटे बांध और कुये नहीं बनवाये जायेंगे तब तक आदिवासियों की हालत सुधरना मुश्किल है। वहां पर ध्यान दिया जाय। इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें क्योंकि सरकार ने एक तरफ काफी काम किया है। वे कहते हैं सरकार ने हमारे लिये कुछ नहीं किया। हमारी सरकार ने बड़ी हिम्मत और धैर्य से काम किया है तो और भी सरकार ध्यान दें।

मैं इसके साथ अकाल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं आपने किस हिम्मत के साथ अकाल को जीता। अभी उनके पास अनाज नहीं है तो मैं कहता हूं इसको एक माह और चालू रखें–एक महीना और निभा दें तो अच्छा होगा। 50 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो बापची का आटा बना कर पीते है

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)
इससे उनके पेचिस की बीमारी हो जाती है और कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ एक महीने और शुरू रखें–

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ ऐसी परिस्थिति के कारण कुये और बांध की व्यवस्था नहीं करेंगे तो यह अकाल आते रहेंगे और सरकार को हर बार दिक्कत उठानी पड़ेगी इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस एरिया में ज्यादा से ज्यादा काम किये जायं।

श्री सभापति : श्री कल्याण मल।

श्री कल्याण मल (जहाजपुर) : सभापति महोदय, राजस्थान के 24 जिलों में 32 हजार 42 गांवों में से 22 हजार 766 गांवों में भयंकर अकाल है।

श्री सभापति : जरा जोर से बोलें।

श्री कल्याण मल : इसका मुकाबला करने के लिये सरकार ने किस तरह के कदम उठाये हैं इसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता। साथ ही मैं यह निवेदन करूं कि आज अकाल मंत्रीजी की सदन में तारीफ हो रही है। उस समय सोच रहा था मुझे भी बोलने का मौका मिले। तारीफ इसलिये करनी पड़ेगी कि आज अकाल मंत्री जी ने इस अकाल का किस तरह मुकाबला किया। कई बार मेरा उनसे मिलने का सौभाग्य हुआ हैं चाहे रात हो और चाहे दिन किसी भी समय रात-दिन यह धुन उनके दिमाग में लगी रही कि जो अकाल पीड़ित मजदूर हैं उनकी किस तरह पेट पालना हो तो इस तरह के मंत्री संकट में पड़े लोगों की सहायता करें तो मैं अकाल मंत्री जी को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता।

दूसरा सरकार ने जिस तरह आकर जो हमारे पर संकट आये उस संकट का मुकाबला करने के लिये सिंचाई और पी. डब्ल्यू. डी. के निर्माण कार्य और कई नल कूप इस तरह के काम किये हैं वह यही नहीं केवल मजदूरों को मजदूरी देने के लिये अकाल पीड़ितों को सहायता देने के लिये नहीं बल्कि सदैव राजस्थान में कभी भी अकाल न हो उनका इस तरह से मुकाबला किया है और यह स्थाई हल निकाल दिया जाय। अकाल होने के बाद फिर जनता टाइम निकाल सके तो इस तरह का जो सराहनीय कदम उठाया गया है और कोई हो इधर बैठने वाले सदस्यों से निवेदन करूं आज अकाल की स्थिति पर विचार करते वक्त यह नहीं देखना चाहिये कि राजनैतिक पाइन्ट पर हम एक दूसरे को जो असहयोग करें वह न करें। आज की जो हालत है, आज का जो टाइम है इसका मुकाबला करना है और इसका मुकाबला करके ही हम जिन्दा रह सकेंगे और सब जनता को जिन्दा रख सकेंगे। मैंने अखबारों में पढ़ा कई विरोधी दल के माननीय सदस्यों को चिन्ता थी चिन्ता ही नहीं बल्कि वे भी हर स्थिति का मुकाबला करने को तैयार हैं तो आज हम इस तरह सहयोग करके चलें और इस तरह विचार करें तो अच्छा हो। आपस में विचार करके चलें कि किस तरह के कदम उठाये जायें और किस तरह के सुझाव दें तो हम अकाल का मुकाबला बहुत आसानी से कर सकते हैं।

Page No 162

(श्री कल्याणमल)

आज थोड़े दिन पहले यह सोच रहे थे कि अच्छी बरसात हो गई यह संकट टल गया लेकिन अभी यह संकट टला नहीं है। वह स्थिति और भी अधिक खराब नजर आने लगी है—

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इस तरह मिलकर सहयोग करते रहेंगे तो काम बहुत अच्छा हो जायगा। जहाजपुर तहसील में अभी सिंचाई और सड़कों पर 15 लाख रुपया के करीब कार्य हुआ है तो तारीफ की बात है कि कई जगह यह सूचना मिली है कि कई जगह पहले अकाल में सुनते थे कि फलां जगह पैसे खा गये, गलत मस्टर रोल बने हैं तो आज जहाजपुर तहसील में ऐसी कोई शिकायत नहीं है। सब काम ठीक हुये हैं। जहाजपुर में 50 प्रतिशत तहसीलें ऐसी हो गई हैं जहां अकाल हो फिर भी बान्ध, कुओं और सड़कों की ऐसी स्थिति है कि अकाल होते हुये भी हम गुजरबसर कर सकते हैं—इस तरह हैं अन्त में मैं सरकार को धन्यवाद देते हुये अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 28 अगस्त...

(कई माननीय सदस्यों द्वारा 29 अगस्त बोलने पर)

29 अगस्त, आई करक्ट माई सेल्फ के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 5.00 म. प. दिनांक 29 अगस्त, 1969 के प्रातः 11.00 म. पू. तक के लिये स्थगित हुई)

Page No 163

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न 63 की सूची)

परिशिष्ट (क)

क्र. सं.	नाम सदस्य
1.	श्री तोलाराम निवासी, हरीगढ़
2.	श्री दुलीचन्द, हरीगढ़
3.	श्री बजरंग सिंह, हरीगढ़
4.	श्री प्रभुलाल, हरीगढ़
5.	श्री मंगला, हरीगढ़
6.	श्री प्रभुलाल, हरीगढ़
7.	श्री घासीलाल, हरीगढ़
8.	श्री मदनलाल, हरीगढ़
9.	श्री हेम राज, हरीगढ़
10.	श्री राम लाल, हरीगढ़
11.	श्री कन्हैयालाल, हरीगढ़

Page No 164

परिशिष्ट 2

(तारांकित स्थगित प्रश्न संख्या 240 की सूची)

सूची 'अ' दिनांक 17-7-69

नाम जिला	नाम कर्मचारी	निलम्बन का दिनांक	विवरण जांच
1	2	3	4
सीकर	श्री गौरीशंकर	10-8-69	प्रारम्भिक जांच की जा रही है।
बाड़मेर	श्री ललित मोहन	14-4-69	,,
जैसलमेर	श्री लल्लूराय कैम्प मया जलार	24-4-69	चालान अदालत मुंसिफ मजिस्ट्रेट जैसलमेर में पुलिस ने 11-8-69 को पेश किया है।
,,	श्री वजरगलाल अधीक्षक, हाबुर	1-7-69	कार्य सुचारु रूप से न करने के कारणों की जांच की जा रही है।
बीकानेर	श्री संतलाल, ओवरसियर अकालराहत खण्ड-2		निलम्बन के दिनांक की जानकारी की जा रही है। धनराशि के दुरुपयोग के कारणों सहित।
	श्री महावीर, अकाल राहत, खण्ड-2	12-8-69	
	श्री एस. के. बन्सल		
	श्री बी. एम. केवटा		
	श्री रामनारायण बजाज, सब-डि.-2	11-8-69	
	श्री सुगागमल	,,	
	श्री सदाशिव नारायण	,,	
चूरू	श्री ओमप्रकाश, अधिदर्शक	16-6-69	प्रारम्भिक जांच की जा रही है।
	श्री सादुलेखां आर. आई.	3-6-69	चालान रतनगढ़ कोर्ट में चल रहा है।
	श्री विजयभारत शर्मा, अधिदर्शक	31-7-69	ये कर्मचारी अधिशासी अभियन्ता अकाल राहत कार्यालय राजगढ़ (चूरू) में नियुक्त थे श्री विजयभारत तथा श्यामलाल को पुलिस
	श्री श्यामलाल गुप्ता, जूनियर इ.		

1	2	3	4
	श्री रोशनलाल वर्मा, सहा. अभियन्ता सब डिवीजन 5,	3-8-69	सुपुर्द किया गया है। प्रारम्भिक जांच की जा रही है।
	श्री सुरेश ग्रोवर, सहा. अभियन्ता सब डिवीजन 5, राजगढ़	3-8-69	"
	श्री बद्रीविशाल सोनी, सब डि-6, राजगढ़	3-8-69	"
बाड़मेर	श्री सुरेन्द्रसिंह गहलोत, सहा. अभियन्ता बाड़मेर संभाग-2	18-5-69	पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाकर जांच की जा रही है।
	श्री सोहनलाल आहूजा, ओवरसियर	17-3-69	
	श्री रमेशचन्द्र गर्ग, ओवरसियर.	25-6-69	विभागीय जांच की जा रही है।
फलौदी	श्री मंगलचन्द ओवरसियर	7-5-69	"
नागौर	श्री एम. एस. गिल, सहा. अभियन्ता	23-8-69	एकाउण्ट्स ठीक नहीं होने के कारण।
	श्री हरीशचन्द्र, ओवरसियर	6-6-69	
	श्री ओमप्रकाश जैन, ओवरसियर	16-7-69	"
	श्री आर. एल. ढल्ले, ओवरसियर	17-7-69	"
	श्री धर्मचन्द याहाना	"	"
	श्री खलीक अहमद	"	"

सूची 'ब'

निलम्बित कर्मचारियों के अतिरिक्त जिन कर्मचारियों को आरोप-पत्र दिये गये हैं, की सूची।

जिला जयपुर

1. श्री देवी प्रकाश, अधिदर्शक जो जिला खण्ड, जयपुर के अधीन कार्य कर रहे हैं, उनको दिनांक 15-7-69 को आरोप-पत्र दिया गया। इनके विरुद्ध समय पर मजदूरों को भुगतान आदि न करने के आरोप थे। श्री देवी प्रकाश ने आरोप-पत्र का उत्तर दे दिया है, जो अधिशाषी अभियन्ता, जिला खण्ड, जयपुर के विचाराधीन है। शीघ्र ही इस पर निर्णय ले लिया जावेगा।

परिशिष्ट 3

(समयाभाव के कारण समय पर नहीं लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

चूरू में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट का रिक्त स्थान

419. **श्री मेघराज** (चूरू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट का स्थान कब से रिक्त है और कितने मुकदमात कितने लोगों के खिलाफ इस कोर्ट में कितने समय से पैंडिंग हैं ?

(2) उक्त मजिस्ट्रेट की अदालत में जेरकार मुकदमात को क्या किसी अन्य अदालत में मुन्तकिल किया गया है ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या यह सही है कि जिस कोर्ट में यह मुकदमात मुन्तकिल किये गये हैं वहां भी काम अत्यधिक है ?

उत्तर

(1) चूरू की प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत टेम्पोरेरी थी, पर्याप्त कार्यभार न होने पर कोर्ट जनवरी, 69 से समाप्त करदी गई है। अतः स्थान रिक्त होने व केसेज पंडिंग होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(2) उक्त कोर्ट के जेर कार्यवाही मुकदमे एस. डी. एम. चूरू की अदालत में जनवरी 69, में मुन्तकिल किये जा चुके हैं।

(3) जी नहीं।

इडली नदी पर रपट का निर्माण

420. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकडी सु.) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मालपुरा से केकडी रोड पर इन्डोली नदी पर गत वर्ष रपट बनाई गई थी ?

(2) इस रपट के बनाने में कितना खर्च लगा था ? क्या इस रपट का काम विभाग द्वारा किया गया या किसी ठेकेदार द्वारा करवाया गया था ?

(3) क्या यह सही है कि यह रपट पहली ही बरसात में साफ हो गई थी ?

(4) क्या अब इसी नदी पर पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है ?

(5) क्या यह सही है कि इसी रोड़ पर ग्राम जुनियां के पास डाई नदी पड़ती है और उससे बरसात में आवागमन रुक जाता है ?

(6) क्या सरकार डाई नदी पर भी रपट या पुलिया बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) जी हां।

(5) जी हां, अधिक वर्षा में।

(6) यह कार्य अभी योजना में स्वीकृत नहीं है।

चम्बल प्रोजेक्ट कोटा के भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भूमि अवाप्त किया जाना

421. श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी, चम्बल प्रोजेक्ट, कोटा ने फरवरी, 61 में मोटर रिपेयर वर्क शाप, कोटा के लिये झालावाड़ रोड पर हवाई अड्डे के सामने की भूमि को अवाप्त किया था ?

(2) अगर हां, तो स्थान, खसरा नं. व क्षेत्रफल अलग अलग बताने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि अवाप्त भूमि के पुराने खसरा नं. बदल गए हैं ? अगर हां, तो पुराने नम्बरान के नये खसरा नं. बताने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त अवाप्त भूमि में कुछ भूमि प्राइवेट पार्टीज की भी थी ? अगर हां, तो किन किन की ? कृपया उनका रकबा मय नये व पुराने खसरा नं. सहित बताने का कष्ट करें।

(5) क्या यह सही है कि कुल अवाप्त भूमि पर सरकार ने कब्जा नहीं किया ? अगर हां, तो किस किस पर और क्यों ?

(6) क्या यह सही है कि अवाप्त भूमि पर अनधिकृत तामीरें हुई है ? अगर हां तो किस किस की कब कब व क्यों ?

(7) क्या यह सही है कि उपरोक्त वर्कशाप क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अनधिकृत पेट्रोल पम्प बनाया है ? अगर हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

(स्थगित किया गया)

झालरापाटन नल योजना

422. श्री **राम प्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झालरापाटन झालावाड़ में नल योजना का कार्य पूरा नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि पानी भंजरासा नदी से आना शुरू हो जाने पर भी कम समय ही नल चलाये जाते हैं जिससे लोगों को असुविधा रहती है ?

(3) बाकी काम कब शुरू हो जावेगा और इसके लिये कितनी धनराशि स्वीकार की है ?

उत्तर

(1) जी हां, कुछ कार्य शेष है।

(2) चूंकि अभी फिल्टरेशन प्लान्ट बिल्डिंग सी. डब्लू. आर. और पम्प हाउस के निर्माण का कार्य शेष है, अतः पूरा पानी वितरण नहीं किया जा सकता।

(3) बाकी कार्यों के लिये इस वर्ष 2 लाख रुपयों का प्रावधान रखा गया है और कार्य शुरू किये जाने के लिये निविदायें आदि आमंत्रित की जा चुकी हैं।

सुजानगढ़ में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी

423. **श्री लाभचन्द वैद** (सुजानगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सुजानगढ़ नगर में ता. 22 सितम्बर सन् 1968 को पुलिस द्वारा कुछ

(श्री लाभचन्द वैद)

लोगों को गिरफ्तार किया गया था ? यदि हां, तो किस किस को और किस किस जुर्म में ? मुकदमे के नम्बर सहित बतलाने की कृपा करें।

(2) क्या गिरफ्तार शुदा व्यक्तियों के नाम एफ. आई. आर. में दर्ज थे ?

(3) क्या एफ. आई. आर. में नाम दर्ज शुदा सब व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था ? एफ. आई. आर. की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि एफ. आई. आर. में दर्जशुदा व्यक्तियों के अलावा भी लोगों को गिरफ्तार किया गया था ? यदि हां, तो किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया ?

(5) क्या यह सही है कि सीताराम पुजारी नामक व्यक्ति को भी इस मामले में रतनगढ़ में गिरफ्तार किया गया था ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त सीताराम को गृह विभाग के उच्चतम अधिकारी का संबंधी होने के कारण गिरफ्तारी के बाद छोड़ दिया गया ?

उत्तर

(1) जी हां। वांछित सूचना देते हुए एक स्टेटमेन्ट सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। सभी गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम एफ. आई. आर. में अंकित थे।

(3) जी नहीं। सभी एफ. आई. आर. में नामजद व्यक्तियों को गिफ्तार नहीं किया गया। सिर्फ उन्हीं एफ. आई. आर. में नामजद व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ सबूत काबिल गिरफ्तारी गुजरा।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। दिनांक 26-9-67 को 7.45 बजे शाम श्री सीताराम पुजारी को अभियोग संख्या 78 व 80 दिनांक 22-9-67 अपराध धारा 147।148।149।395।332 ता. हिं. में गिरफ्तार किया था।

(6) जी नहीं। श्री सीताराम पुजारी के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने के प्रमाणों की कमी ही गिरफ्तारी के बाद छोड़ने का एक मात्र कारण था। अन्य कोई कारण नहीं था। जिसे बाद में धारा 169 जा. फो. के अधीन छोड़ा गया।

लिस्ट मुलजिमान जिनका चालान हुआ

क्र. सं.	मु. नं. मय तारीख	जुर्म	नाम मलजिम
1	2	3	4
1.	78 तारीख 22-9-67	147, 148, 395 आई. पी. सी. सुजानगढ़	(1) हरीश चन्द्र पुत्र सुखजी पारीक (2) कैलाश चन्द्र पुत्र टीकमचन्द (3) रूपचन्द पुत्र हसनामल नाहट (4) रामकुमार पुत्र मघा राम (5) रामेश्वर पुत्र ईशर राम जाट

Page No 169

(गृह मंत्री)

			(6) कमलजीतसिंह पुत्र गिरवरसिंह सिक्ख
			(7) श्याम सुन्दर पुत्र मुरलीधर शर्मा
			(8) गोपीकिशन पुत्र लादूराम ब्राह्मण
			(9) विश्व नाथ पुत्र मोती लाल
			(10) विजयसिंह पुत्र गणपत सोमानी
		नोट:—इस मु. में सीताराम को धारा 169 सी. आर. पी. सी. की रिहाई दिखाई है गिरफ्तार कुल 23 हुए जिनमें चालान 22 का किया गया।	(11) शंकरलाल पुत्र ओंकारमल सोलंकी
			(12) रामलाल पुत्र स्योदान सुनार
			(13) नानुराम पुत्र सुलतानाराम ब्राह्मण
			(14) मेघराज पुत्र जेठमल सुनार
			(15) महाबीर प्रसाद पुत्र सूरजमल खाती
			(16) रतीश पुत्र राम कुमार नाई
			(17) माणकचन्द पुत्र खेमाराम शर्मा
			(18) मांगीलाल पुत्र लादुराम नाई
			(19) मनोहरलाल पुत्र नथमल ब्राह्मण
			(20) बोथूराम पुत्र रामलाल कुम्हार
			(21) प्रेमनारायण पुत्र नथमल खाती
			(22) गंगाराम सोमानी छापर
2.	79 तारीख 22-9-67	395, 147, 149, 440, 336, ता. हि. पी. एस. सुजानगढ़	(1) प्रेम नारायण
			(2) रामेश्वर जाट
			(3) कमलजीतसिंह सिक्ख
3.	80 तारीख 22-9-67	147, 148, 149, 395, 332, 336, 340 आई. पी. सी.	(1) श्यामसुन्दर पुत्र मुरलीधर शर्मा
			(2) कैलाशचंद पुत्र टीकमचंद पारीक
			(3) रामकुमार पुत्र मगराज
			(4) रूपचन्द पुत्र हनुमानमल
			(5) रामू पुत्र श्योराज शर्मा
			(6) रतिशकुमार पुत्र रामकुमार
			(7) महाबीर पुत्र सूरजमल खाती
			(8) मूलचंद पुत्र हुलासचंद ब्राह्मण
			(9) माणकचंद पुत्र खेमाराम शर्मा
			(10) सुरेश पुत्र मोहमदा ढाढी
			(11) विजयसिंह पुत्र गणपत राम
			(12) मेघराज पुत्र जेठराज
			(13) नानूराम पुत्र सुलताना राम
			(14) शंकरलाल पुत्र ओंकर मल स्पेनी
			(15) विश्वनाथ पुत्र मोतीलाल शर्मा
			(16) गोपीकिशन पुत्र लादूराम शर्मा
			(17) बोधुराम पुत्र रामलाल प्रजापत
			(18) सम्पतलाल पुत्र मोहनलाल

(गृह मंत्री)

(19) असगर पुत्र गनी छीपा
(20) मांगीलाल पुत्र लाधूराम शर्मा
(21) मनोहरलाल पुत्र नथमल शर्मा
(22) हरीशचंद्र पुत्र सुखदेव पारीक
(23) सीताराम पुत्र माणकचंद बगडिया
(24) प्रेम नारायण पुत्र नानुराम

नोट:—इस मुकदमा में सीता राम पुजारी को धारा 169 सी. आर. पी. सी. को दिलाई है। कुल गिरफ्तारी 25 हुई जिनमें 24 का चालान पेश किया गया।

424. **श्री गंगा सहाय कोली** (कठुमर सु.) : क्या मुद्रण एवं लेखन सामग्री मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य मुद्रणालय, अलवर से दिनांक 24-10-66 को भारी मात्रा में टाइप व अन्य सामान चोरी गया था ?

(2) क्या यह सही है कि सहायक अधीक्षक, राज्य मुद्रणालय, अलवर के समक्ष कम्पोजिंग शाखा के कर्मचारी व इन्चार्ज ने कम्पोजिंग शाखा के कमरों के ताले जो वैल्डिंग किए हुए थे खोलने से इन्कार किया व पुलिस को इस चोरी की रिपोर्ट कराने का आग्रह किया ?

(3) क्या यह सही है कि सहायक अधीक्षक ने उनकी यह प्रार्थना अस्वीकार करदी व 11 बजे 24-10-66 को ताले खुलवा दिये ?

(4) क्या सह सही है कि कम्पोजिंग शाखा के दोनों इन्चार्ज श्री कृष्णचन्द्र व शम्भूदयाल ने टाइप व अन्य सामान की भारी मात्रा में चोरी होने की रिपोर्ट 24-10-66 को दे दी थी ?

(5) क्या यह सही है कि सहायक अधीक्षक ने निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर को इस घटना की सूचना नहीं दी ?

(6) क्या यह सही है कि श्री प्राणनाथ जनरल फोरमैन ने 25-10-66 को निदेशक को इस घटना की रिपोर्ट भेज दी थी ?

(7) यदि हां, तो निदेशक ने राज्य के चोरी हुए माल को वापस पाने और सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये तथा इसकी अब क्या स्थिति है ?

(8) क्या यह सही है कि इस चोरी के पूर्व भी जनवरी, 1966 में टाइप की चोरी हुई थी जिसे ले जाने के लिये सहायक अधीक्षक श्री शिवदत्त के दफ्तर के पर्दे इस्तेमाल किये गये थे ?

(9) यदि हां, तो श्री शिवदत्त ने चोरी का माल बरामद करने व पर्दों के रहस्य को जानने के लिये क्या कदम उठाये ?

(10) क्या यह सही है कि निदेशक ने उपरोक्त चोरी के बारे में पुलिस को भी अभी तक जांच करने के लिये रिपोर्ट नहीं भेजी

(मंत्री, मुद्रण एवं लेखन)

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी नहीं।

(5) यह सही नहीं है।

(6) जी हां। रिपोर्ट भेजी परन्तु

(7) निदेशालय ने अपने पत्र सं. 21031, दि. 29-10-66 द्वारा सहायक अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, अलवर को ये आदेश दिये कि वे स्वयं जांच करके यह रिपोर्ट करें कि कितना नुकसान हुआ और कौन दोषी थे। अन्तिम जांच के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि उक्त तिथि को कोई चोरी नहीं हुई थी ।

(8) जनवरी, 66 में कोई टाइप की चोरी नहीं हुई थी, सहायक अधीक्षक के कार्यालय के पर्दे अवश्य चोरी गये थे।

(9) पर्दों की चोरी के विषय में सन्देहप्रद व्यक्ति श्री रामजी लाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का माह फरवरी, 66 का वेतन रोक कर जांच की गई, किन्तु उसे भी निर्दोष माना जाने पर कालान्तर में उक्त वेतन का भुगतान कर दिया गया।

(10) चूंकि यह मामला इतना गम्भीर नहीं था अतः पुलिस को सूचना नहीं दी गई ?

425. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयसमन्द झील में मछली पकड़ने के ठेके की अवधि ठेकेदार श्री एच. सी. कपूर की कभी की समाप्त हो गई थी ?

(2) क्या सरकार ने इस झील में मछली पकड़ने का कार्य विभाग द्वारा करने का विचार किया है? यदि हां, तो कब से और यदि नहीं तो क्या इसका ठेका देना चाहती है ?

(3) इस झील में श्री एच. सी. कपूर ठेकेदार की मछली पकड़ने की अवधि समाप्त होने के बाद मछली पकड़ने का कार्य अब तक कौन कर रहा है और क्या वह सरकार की स्वीकृति से कर रहा है ?

उत्तर

1. जी हां।

2. यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

3. श्री कपूर ठेके की अवधि समाप्त होने के बाद भी मछली पकड़ते रहे, क्योंकि उन्होंने जिला व सत्र न्यायालय, जयपुर से राज्य सरकार के विरुद्ध निषेध आज्ञा (इन्जेक्शन) प्राप्त करली थी। इसलिये सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करने में असमर्थ थी। अब इस केस का निर्णय हो चुका है। वित्त विभाग की राय से इस पर शीघ्र निर्णय लिया जावेगा।

Page No 172

मंत्री के रिश्तेदार के साथ थानेदार का दुर्व्यवहार

426. श्री **श्रवण लाल** (हिन्डौन) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के एक वरिष्ठ मन्त्री के रिश्तेदार को जब कि वह दिनांक 27 जुलाई, 68 की रात को अपने महिला रिश्तेदारों के साथ नीरोज, जयपुर में भोजन करने गये हुये थे, एक ट्रैफिक के थानेदार जो शराब के नशे में धुत्त थे, तंग किया और जब रात को उक्त रिश्तेदार ने डी. आई. जी. को मामले की सूचना फोन द्वारा करने पर थानेदार भाग खड़े हुए? यदि हां, तो इस शिकायत पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त थानेदार की यातायात के मामले में लोगों को तंग करने की पहली भी शिकायतें हो चुकी हैं? यदि हां, तो क्या क्या शिकायतें थीं और इन पर क्या क्या एक्शन लिया गया?

(3) क्या यह भी सत्य है कि वह सब-इन्सपैक्टर सिविल की परीक्षा में 2 बार फेल हो जाने के बाद भी सी. पी. थानेदार के पद पर वहां नियुक्त है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) इस प्रकार की कोई शिकायत स्थानीय पुलिस के समक्ष किसी व्यक्ति ने प्रस्तुत नहीं की। अतः कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(2-3) विस्तृत जानकारी जैसे थानेदार का नाम आदि के अभाव में वांछित सूचना देना सम्भव नहीं है।

नगरपालिकाओं में इंजीनियरों की नियुक्तियां

427. **श्री ओमदत्त भाटी** (सरदारपुरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 50 हजार की आबादी वाले क्षेत्र की कितनी नगरपालिकाओं में वित्त मंत्री महोदय के 8 मार्च, 68 को विधान सभा में दिये गये भाषण के बाद, कितने इन्जीनियर्स की नियुक्ति की गई है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ऐसी सभी नगरपालिकाओं के सारे स्थानों पर जो रिक्त थे, एसिस्टेन्ट इन्जीनियर्स की नियुक्तियां क्यों नहीं की गई जब कि योग्य व्यक्ति बेकार हैं?

उत्तर

(1) किसी भी इन्जीनियर को नई कोई नियुक्ति नहीं की गई है। अतः सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(2) नगर परिषद्, सीकर व अलवर की आर्थिक स्थिति खराब होने से नियुक्तियां नहीं की गई हैं। बीकानेर नगर परिषद् की आर्थिक स्थिति भी खराब है यहां पार्ट टाइम अधिकारी गत वर्षों से कार्य कर रहा है।

बीकानेर में रेल हड़ताल में गोली चलाने की जांच

428. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

रेल हड़ताल के समय में बीकानेर में जो गोली चलाई गई और उसकी जांच के लिये

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

बोरडर कमिश्नर को नियुक्त किया गया था, क्या उन्होंने राज्य सरकार को रिपोर्ट दे दी? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखी जाय। इस गोली काण्ड में कितने मजदूर, छात्र व महिलायें मरीं व कितने घायल हुए? गोली किसने किसकी आज्ञा से चलाई?

उत्तर

रिपोर्ट मिल गई। जिन निष्कर्षों पर वह पहुंचे उनकी प्रति संलग्न है। इस फ़ार्यरिंग में 24 व्यक्ति घायल हुए जिनमें से एक की मृत्यु हो गई। फ़ार्यरिंग की आज्ञा सिटी मजिस्ट्रेट ने दी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गंगानगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार तस्करी का मुखिया

429. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्रीगंगानगर जिला पुलिस द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय तस्करों के गिरोह के मुखिया रहमतअली उर्फ़ दरपतराम को गिरफ्तार किया गया था? और बाद में वह फ़रार हो गया?

(2) इस व्यक्ति के पास से तस्करी का कितना माल बरामद किया गया?

(3) क्या यह सही है कि अदालत द्वारा ली गई जमानत को रद्द करवाने के लिये पुलिस की ओर से सैशन जज के यहां कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(4) यह व्यक्ति किस तारीख को गिरफ्तार किया गया और किस तारीख को छोड़ा गया? और उसके कितने दिन बाद यह फ़रार हो गया?

(5) क्या यह सही है कि इसकी जमानत देने वाले एक व्यक्ति को हरियाणा पुलिस ने डकैती के मामले में गिरफ्तार कर लिया है और शेष दो व्यक्ति जिन्होंने जमानत दी थी वे फ़रार हो गये हैं? यदि हां, तो इन तीनों व्यक्तियों की हैसियत किसने तस्दीक की थी? और तीनों व्यक्तियों द्वारा अपनी हैसियत के बारे में जो हलफ़नामा अदलात में पेश किया गया उसकी एक एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) तस्करी माल, अफ़ीम, चरस, सुरमा व एक जीप नं. 1524 कुल क़ीमत क़रीब एक लाख रुपया बरामद हुआ।

(3) यह सत्य नहीं है कि जमानत मन्सूखी के लिये कोई कार्यवाही पुलिस द्वारा नहीं की गई। इस सम्बन्ध में पुलिस ने डी. एम. गंगानगर की अदालत में लिखित प्रार्थना-पत्र पत्र नं. 104 दिनांक 28-1-69 वास्ते मन्सूखी जमानत व रिवीजन हेतु प्रस्तुत किया था और यह भी निवेदन किया था कि वे इस सम्बन्ध में इस प्रकार दिये गये एस. डी. एम. साहब के नाजायज आदेशों को रद्द कराने हेतु हाई कोर्ट को लिखें।

(4) तस्करी रहमत अली दिनांक 1-12-68 को गिरफ्तार हुआ व दि. 6-1-69

(गृह मंत्री)

को जमानत पर रिहा हुआ। इसके बाद दि. 13-1-69 को पेशी पर अदालत में हाज़िर नहीं हुआ और न ही उसके उपरान्त पेशियों पर हाज़िर हुआ।

(5) जी नहीं। तस्करी रहमत अली की बुन्टा सिह पुत्र कुन्दा सिंह जाट सिक्ख निवासी गुरूसर थाना रायसिह नगर व निछतर सिह पुत्र प्रताप सिंह निवासी 20 एवं कोटली ने 15000) रु. की प्रत्येक ने जमानत दी थी। इनमें से कोई भी हरियाना पुलिस द्वारा डकैती केस में गिरफ्तार नहीं किया गया? उक्त दोनों जमानतियों में से रक़म जमानत वसूल की जा चुकी है। एस. डी. एम. गंगानगर श्री वी. डी. चौपरा ने स्वयं ने जमानतियों की हैसियत उनके द्वारा भरे गये अफ़ेडेविट्स के आधार पर दिनांक 4-1-69 यानी ज़मानत के दो दिन पूर्व ही तस्दीक करदी थी? प्रतिलिपि अफेंडेविट्स संलग्न हैं।

हलफ़नामा—

अदालत एस. डी. एम. साहब, गंगानगर 1 सन् 69

स्टेट बनाम रहमत अली वगैरह जेर दफ़ा 13/14 फ़ोर्नर एक्ट।

मनके बुन्टासिह पुत्र कुन्दा सिंह जटसिह सा. चक गुरूसर तहसील करनपुर का हूं।

1. मैं हल्फ़न बयान करता हूं कि मुकीर के पास 25 बीघा आराज़ी नहरी चक नं. 100 तहसील करनपुर मालियती 75000) रु. जो मुकीर के कब्जा या काश्त में है। इसके अलावा दो बैल, एक गाड़ी, एक भैंस, एक गाय कीमत करीब 3500) रु. का एक मकान गुरूसर कीमत 10000) रु. है का दीगर घरू सामान वा जेवरात मालियत 10000) रु. है।

2. मैं हल्फ़न बयान करता हूं कि मुकीर की हैसियत जेर ज़मानत से ज्यादा की है और मुकीर जेर जमानत एक मुश्त अदा कर सकता है।

3. मैं हल्फ़न बयान करता हूँ कि हल्फ़नामा हाज़ा में दर्ज वाक़यात मुकीम के जाति इल्म का यकीन से सही वा दुरुस्त है।

द: हिन्दी बुन्टा सिह एल. टी. आई. जटसिह दस्तक मोहर शिवशंकर व्यास दि. 6-1-69।

हलफ़नामा—

बअदालत एस. डी. एस. सा. गंगानगर सन् 69 स्टेट बनाम रहमत अली वग़ैरह जेर दफ़ा 13/14 फ़ोर्नर एक्ट।

मनके निछतरसिह बल्द प्रताप सिंह सा. चक 20 एच. कोरटी तहसील करनपुर जिला गंगानगर का हूं।

1. मैं हल्फ़न बयान करता हूँ कि मुकीर के पास 20 एच. कोरली में 26 बीघा आराज़ी नहरी मालियत करीब 60000 वा एक मकान वाके 20 एच. कोरली मालियत करीब 4000) रु., दो बैल, एक भैंस, एक गड़ा मालियत करीब 3000) रु. वा दीगर घरू सामान वा जेवरात मालियत क़रीब 8000) रु. है।

2. मैं हल्फ़न बयान करता हूं कि मुकीर की हैसियत जेर जमानत से ज्यादा की है।

(गृह मंत्री)

3. मैं हल्फन बयान करता हूं कि हल्फ़नामा हाजा में दर्ज वाकेआत जाति इल्म या यकीन से सही वा दुरुस्त है।

ह. निछतरसिंह ह. कुन्टा सिंह

ह. निछतर सिंह,
दस्तखत मोहर,
शिवशंकर व्यास दि. 6-1-69

खेतड़ी उप-चुनाव में मंत्रियों द्वारा प्रचार

430. **श्री विजय सिंह** (मकराना) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खेतड़ी उप-चुनाव में राजस्थान के कौन कौन मन्त्री कांग्रेस के चुनाव प्रचार के लिये गये? वहां कितने दिनों तक ठहरे और इस अर्से का कितना डी. ए., टी. ए., लिया?

(2) जो मन्त्रीगण प्रचार के लिये गये उन्होंने कांग्रेस की गाड़ियां इस्तेमाल कीं या सरकारी गाड़ियां? अगर सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल की तो कितना खर्चा पैट्रोल वगैरह का गाड़ियों पर सरकार को करना पड़ा?

उत्तर

(1) वांछित सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(2) यह सूचना उक्त सूची के स्तम्भ 5 पर अंकित करदी है।

खेतड़ी उप-चुनाव में जिन जिन मन्त्रियों ने भाग लिया की सूची :—

क्र. सं.	मन्त्री का नाम व पद	प्रवास के दिनों की संख्या	टी. ए. व डी. ए. लिया	सरकारी कार इस्तेमाल की
1	2	3	4	5
(1)	श्री मोहन लाल सुखाड़िया, मुख्य मन्त्री	1	चार्ज नहीं किया	नहीं
(1)	श्री अमृतलाल यादव, सहकारिता मन्त्री	4	,,	
(2)	श्री अमीनुद्दीन अहमद, सार्वजनिक निर्माण मन्त्री	15	,,	नहीं
(3)	श्री हरिदेव जोशी, उद्योग मन्त्री	5	,,	नहीं
(4)	श्री नारायण सिंह मसूदा, वन मन्त्री	1	,,	नहीं
(5)	श्री मनफूल सिंह, राज्य मन्त्री	9	,,	नहीं
(6)	श्री जयकृष्ण शर्मा, राज्य मन्त्री	4	,,	नहीं
(7)	श्री जसराज, उप मन्त्री	7	,,	नहीं
(8)	श्री खेत सिंह, उप मन्त्री	4	,,	नहीं
(9)	श्री शिवचरण सिंह, उप मन्त्री	6	,,	नहीं

(मुख्य मंत्री)

1	2	3	4	5
(10)	श्री हरिसिंह बेगूं, उप मन्त्री	5	चार्ज नहीं किया	नहीं
(11)	श्री समर्थलाल, उप मन्त्री	9	„	नहीं
(12)	श्री रामदेवसिंह, उप मन्त्री	6	„	नहीं
(13)	श्री प्रद्युम्न सिंह, उप मन्त्री	8	„	नहीं
(14)	श्री बृज सुन्दर शर्मा, स्वास्थ्य मन्त्री	9	„	नहीं

भेड़ व ऊन विभाग में काम करने वाले पशुपालन विभाग के अधिकारी

431. श्री **भैरं सिंह शेखावत** (किशनपोल, जयपुर) : क्या भेड़ ऊन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पशु पालन विभाग के अधिकारी जो भेड़ व ऊन विभाग में राजपत्रित पदों पर कार्य कर रहे हैं कृपया उनकी सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या इन में से कुछ अधिकारियों को पशु पालन विभाग में 360 से 900 वेतन श्रृंखला में पदोन्नत करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो उस आदेश की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या इन अधिकारियों को उपरोक्त श्रृंखला दिलाने के आदेश भेड़-ऊन विभाग सचिवालय ने जारी नहीं किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक ऐसे आदेश जारी कर दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) सम्बन्धित पदाधिकारियों की सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(2) जी हां, राज्य सरकार के आदेश की प्रतियां सदन की मेज़ पर रख दी गई हैं।

(3) जी नहीं, राज्य सरकार से भेड़ व ऊन विभाग के समस्त पदाधिकारियों के सम्बन्ध में आदेशों की प्रतीक्षा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सिरोही में उन्नत कृषि बीज फार्म की स्वीकृति

432. श्री **मोतीलाल** (रेवदर-सु.) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने सिरोही जिले में एक बड़ा उन्नत बीज कृषि फ़ार्म स्थापित करने की स्वीकृति करीब करीब 3 साल पूर्व प्रदान की थी ?

(2) क्या इस कृषि फ़ार्म हेतु आवश्यक भूमि जिलाधीश द्वारा आवन्टित करदी गई है ?

(3) यदि नहीं, तो ऐसे महत्वपूर्ण योजना के कार्यान्वित करने में हुए विलम्ब के लिये किस किस अधिकारी की ज़िम्मेदारी नियत की गई है ?

(4) क्या इस वर्ष यह कृषि फ़ार्म पूर्णतया स्थापित कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी नहीं।

ग्राम मुण्डारा त. बाली में पेय जल योजना के कुए में पानी की कमी

433. **श्री पृथ्वीसिंह चौहान** (बाली) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गांव मुण्डारा तहसील बाली में पेय जल योजना के कुए में पानी की भारी कमी है। ?

(2) यदि हां, तो उसमें पानी उपलब्ध करवाने हेतु आज दिन तक क्या कदम उठाये गये ? और आगे क्या व्यवस्था विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) जी हां जलाभाव है।

(2) कुए को और गहरा करवाया जाकर पर्याप्त जल वितरण हेतु उचित व्यवस्था करदी गई है।

पब्लिक प्रोसीक्यूटर, यू. आई. टी. के चेयरमैन आदि पदों पर नियुक्तियां

434. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज-मन्डी) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले आम चुनावों के बाद पब्लिक प्रोसीक्यूटर, चेयरमैन, यू. आई. टी., चेयरमैन, रोडवेज कारपोरेशन, होटल कारपोरेशन व अन्य नये खोले गये कारपोरेशन के पदों पर कितने व्यक्तियों की किन किन स्थानों पर नियुक्तियां की गई हैं ? कृपया उनकी सूची मय नाम, पते, तनख्वाह, अलाउन्स व सहूलियतों के बताने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि प्रशासनिक क्षेत्रों में चुने जाने वाले ये सब व्यक्ति राजनैतिक दलों से सम्बन्धित हैं ? यदि हां, तो कृपया जिन दलों से इनका सम्बन्ध रहा है उनका नाम भी बताने की कृपा करें।

(3) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि सर्विसेज के इण्डिपेन्डेन्स के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त चयन का सर्विस एफीशियेन्सी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

उत्तर

(1) आवश्यक सूचना परिशिष्ट "क" में उपलब्ध है, जिसे सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) प्रशासनिक क्षेत्रों में चुने जाने वाले सभी व्यक्ति राजनैतिक दलों से सम्बन्धित नहीं है। नगर विकास न्यास के सभी अध्यक्ष तथा जन अभियोक्ताओं में से केवल एक श्री रामेश्वर दयाल सक्सेना, नियुक्ति से पूर्व कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे।

(3) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

छबड़ा, छीपा बड़ोदा नल योजना का सर्वे

435. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या कोटा जिले के छबड़ा व छीपा-बड़ौद कस्बों की नल योजना की सर्वे हो चुकी है? तथा इस नल योजना के लिये जलदाय विभाग ने स्वीकृति भी दे दी है? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र ही इन स्थानों के लिये नल योजना लागू करके पेय जल की समस्या को हल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

जी हां, केवल छबड़ा नल योजना की स्वीकृति हो चुकी है, छीपा बड़ौद की नहीं। छबड़ा नल योजना का कार्य प्रगति पर है और धन व सामग्री की उपलब्धि पर इस योजना को पूर्ण करने में 2 साल की अवधि लगने की सम्भावना है।

भरनाई के सरपंच की गिरफ्तारी

436. **श्री दुर्गालाल बाड़दार** (हवा-महल, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरपंच भरनाई, पंचायत समिति मकराना को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के एक अधिकारी ने 10-3-67 को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था ?

(2) क्या यह सही है कि उस सरपंच को आज तक न तो मोअत्तिल किया गया है और न चालान ही पेश किया गया है?

(3) यदि हां, तो क्यों ? नियमानुसार कार्यवाही कब होगी ?

उत्तर

(1) जी हां, श्री वीर सिंह को दिनांक 10-7-67 को पकड़ा गया था न कि दिनांक 10-3-67 को।

(2) यह सही नहीं है। श्री वीरसिंह के विरुद्ध दिनांक 11-10-68 को चार्जशीट स्पेशल जज मेडता के न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है जहां पर यह विचाराधीन है। श्री वीरसिंह को दिनांक 16-4-69 को निलम्बित किया जा चुका है।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

भरतपुर की सुजान गंग नहर की खराब स्थिति

437. **श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर शहर में स्थित सुजान गंग की हालत अत्यन्त खराब है जिससे शहर के कई भागों को काफी खतरा उत्पन्न हो गया है ?

(2) क्या यह सही है कि इस नहर एवं उसके चारों ओर की सड़क को ठीक कराने के कई बार आश्वासन दिये गये हैं ? यदि हां, तो उसमें क्या प्रगति हुई ?

(3) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री महोदय ने भरतपुर के अपने 1-2 जुलाई के दौरे में इस नहर के सुधार के लिये विशेष धनराशि स्वीकृति करने का आश्वासन सार्वजनिक सभा एवं विभिन्न विरोधी दलों

(श्री नत्थीसिंह)

के प्रतिनिधि मण्डलों को दिया था ? यदि हां, तो इन आश्वासनों की क्रियान्विति के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) किला व नहर केन्द्रीय पुरातत्व विभाग के अन्तर्गत है । जिलाधीश एवं नगरपालिका द्वारा पुरातत्व विभाग को कई बार लिखा जा चुका है, परन्तु अभी तक सफलता नहीं मिली है ।

नहर सुजानगंगा के उत्तर की ओर जनाने अस्पताल के फाटक से लेकर केतन दरवाजे तक सड़क की मरम्मत करवाने संबंधी कार्यवाही नगरपालिका द्वारा की जा रही है ।

(3) नगरपालिका को ऐसी जानकारी नहीं है ।

राजस्थान कृषि यन्त्रालय, झोटवाड़ा का हिसाब

438. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान कृषि यन्त्रालय, झोटवाड़ा की शुरूआत कब की गई थी और अब तक उसमें सालाना नफा या नुकसान क्या क्या रहा ? सूची सालवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) अब तक इसके प्रोफिट एवं लोस के अकाउण्ट किसके द्वारा तैयार किये गये हैं ?

(3) उक्त योजना को चलाने का आधार क्या है ?

(4) किस किस वर्ष में कितना कितना माल खरीदा गया तथा कितना कितना बेचा गया और वर्ष के अन्त में कितना कितना कच्चा माल बना हुआ बाकी रहा ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(5) इसमें सरकार ने कितनी कितनी पूंजी कब कब लगाई ?

उत्तर

(1) राजस्थान कृषि यन्त्रालय की शुरूआत 1960-61 के अन्त में की गई थी । वर्षवार लाभ हानि के आंकड़े संबंधित सूची सदन की मेज पर रख दिये गये हैं ।

(2) लाभ-हानि के एकाउन्ट्स लेखा अधिकारी द्वारा तैयार कराये जाते हैं तथा उनकी जांच महालेखाकार, जयपुर के द्वारा होती है ।

(3) इस योजना को चलाने का आधार आधुनिक किस्म के उन्नत कृषि यन्त्रों का कृषकों में प्रसार करना है ।

(4) क्रय, विक्रय किये माल व शेष रहे कच्चे व तैयार माल की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी ।

(5) कृषि यन्त्रालय जयपुर में सरकार की लगी हुई पूंजी का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

वर्षवार लाभ हानि की सूची

(कृषि मंत्री)

वर्ष	लाभ रुपये	हानि रुपये
1961-62	9,006.00	..
1962-63	5,624.00	..
1963-64	..	1,19,838.00
1964-65	..	1,49,394.00
1965-66	..	1,74,986.00

वित्तीय वर्ष 1966-67, 67-68 तथा 68-69 के लाभ-हानि खाते तैयार किये जा रहे हैं ।

4. क्रिय-विक्रय किये माल तथा शेष कच्चे व तैयार रहे माल की सूची (लाख में)

वर्ष	क्रय (कच्चा माल)	विक्रय (कृषि यन्त्र)	वर्ष के अन्त में शेष रहा कच्चा माल	वर्ष के अन्त में शेष रहा तैयार माल
1961-62	3.65	3.10	2.27	1.38
1962-63	6.35	4.67	4.96	2.81
1963-64	7.56	7.02	6.68	6.64
1964-65	9.50	13.01	9.76	6.29
1965-66	21.27	19.31	22.38	5.80
1966-67	14.30	12.31	24.70	8.63
1967-68	13.46	8.00	27.02	2.05
1968-69	25.81	25.00	25.21	3.73

5. सरकार द्वारा लगाई गई वर्षवार पूंजी की सूची

वर्ष	लगाई गई पूंजी
1961-62	30,435.00
1962-63	1,24,948.00
1963-64	27,282.00
1964-65	47,976.00
1965-66	6,15,837.00
1966-67	4,47,279.00 (लगभग)
1967-68	2,25,000.00 (लगभग)
1968-69	90,000.00

जयपुर के पशु हटवाड़े में ठेकेदार की मनमानी

439. **श्री लादूराम सुलानिया** (फागी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि जयपुर नगर में प्रत्येक शनिवार को रावलजी के बन्ध के समीप पशु हटवाड़ा लगता है ? यदि हां, तो इसके ठेके की अवधि कब से कब तक की है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि इस पशु हटवाड़े में ठेकेदार अपनी मनमानी से मनमाने ढंग से पैसा वसूल कर गरीब कृषकों का शोषण करते हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में दोषी ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और नहीं तो क्यों नहीं ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि शनिवार के पहले दिन ग्राम झोटवाड़े में इन पशुओं का पड़ाव होता है और उसमें भी कुछ व्यक्तियों द्वारा पर्चियां बनायी जाती हैं ? यदि हां, तो क्या झोटवाड़ा पशु पड़ाव का भी ठेका दिया हुआ है ? यदि हां, तो किस ठेकेदार को किस अवधि से किस अवधि तक का ? और यदि नहीं, तो झोटवाड़े में अवैध रूप से पर्चियां बना कर हजार रुपये प्रति शुक्रवार को क्यों वसूल होता है ? क्या राज्य सरकार ने अवैध वसूली करने वालों के विरुद्ध कठोर कदम उठाये हैं ? यदि हां, तो किस किस व्यक्ति के विरुद्ध किस किस अदालत में मुकदमे चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

हटवाड़े का संचालन नगर परिषद् द्वारा ही किया जा रहा है इसलिये ठेके की अवधि का प्रश्न नहीं उठता है ।

(2) हटवाड़े का संचालन नगर परिषद् द्वारा किया जा रहा है । ठेकेदार द्वारा मनमानी करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(3) ग्राम झोटवाड़ा की ओर से आने वाले पशुओं का पड़ाव होता है ।

किसी भी व्यक्ति को ठेका नहीं दिया जाता है ।

नगर परिषद् द्वारा न तो पर्चियां ही बनाई जाती हैं और न किसी प्रकार की वसूली की जाती है ।

पर्चियां दिये जाने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त न होने से कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

राजस्थान केनाल क्षेत्र में काश्तकारों का रकबा आबादी में लिया जाना

440. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान केनाल क्षेत्र में जिन काश्तकारों का रकबा आबादी में लिया गया है उनको बदले में रकबा नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो कुल कितने काश्तकारों को तबादला में रकबा दिया जा चुका है और कितनों को आज तक नहीं दिया गया है ? चकवार तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

Page No 182

(श्री रामचन्द्र आर्य)

(2) क्या यह सही है कि सरदार अजायलसिंह वगैरह पिसरान वीरसिंह जट सिख सा. भुरानपुरा तहसील टी. बी. का रकबा चक नं. 11 आर. डब्लू. डी. को आबादी में 7 साल पहले 25 बीघा आबादी में लिया गया था और उनको आज तक बदले में जमीन नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि 7 साल तक 25 बीघा जमीन की फसल से काश्तकार को वंचित रखने से हजारों रुपयों का नुकसान हो जाता है ? यदि हां, तो उक्त काश्तकारों को कितना नुकसान हुआ ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) बदले में भूमि नहीं देने से हुआ हरजाना सरकार से पाने का काश्तकार को हक है या जिस अधिकारी की लापरवाही से रकबा नहीं दिया गया उससे है ?

उत्तर

(1) जी नहीं राजस्थान नहर योजना क्षेत्र की तहसील नौरंगदेशर में 32 आसामियों को भूमि आबादी में आई किन्तु वे अपनी पुरानी भूमि पर ही काबिज हैं । भूमि छुड़वाये जाने पर उनके तबादले का प्रश्न खड़ा होना वर्तमान में कोई समस्या नहीं है । तहसील रावतसर में 25 काश्तकारों का रकबा आबादी में आया जिसमें से 20 को तबादले में रकबा दिया जा चुका है और 5 आसामियों की पत्रावलियां जेरगौर हैं ।

(2) उपनिवेशन तहसील हनुमानगढ में 47 काश्तकारों की जमीन आबादी के लिये सुरक्षित की गई है जिनमें से एक आसामी के अतिरिक्त अभी तक अन्य आसामियों का उसी भूमि पर कब्जा है और उनकी कोई समस्या नहीं है ।

इसी प्रकार उपनिवेशन तहसील सूरतगढ़ नं. 1 में 14 काश्तकारों की भूमि आबादी में आई है किन्तु क्योंकि वे सन् 1955 के बाद के आराजी काश्तकार हैं और राजस्थान उपनिवेशन राजस्थान नहर परियोजना राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय नियम, 67 के प्रकाशित होने के बाद अब उन्हें तबादले में जमीन दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता और उनकी कोई समस्या नहीं है । उपनिवेशन तहसील सूरतगढ़ नं. 3 में दो आसामियों की भूमि आबादी में आई है उनके मामले जेरगौर हैं । आसामियों की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

सरदार अजायलसिंह को उनकी भूमि के बदले में दूसरी भूमि दिये जाने के प्रस्ताव उपायुक्त उपनिवेशन को प्रेषित हो चुके हैं और वे उनके विचाराधीन हैं ।

(3) प्रश्न हाईपोथिटिकल है । इसलिये उत्तर देने में मजबूरी है ।

(4) यह प्रश्न कानूनी है ।

Page No 183

सूची उन काश्तकारान की जिनको आबादी के तबादले में रकबा दिया जा चुका है उपनिवेश तहसील, राजस्थान नहर योजना, रावतसर।

नम्बर शुमार	नाम आसामी	कैफियत
(1)	श्री रामसिंह केसरीसिंह पिता गंगासिंह राजपूत सा. रावतसर	चक नं. 4 के. डब्ल्यू. डी.
(2)	„ बल, भड़सी पि. दिया जाट सा रावतसर	„ 4 ए. एम.
(3)	„ लिछमन, रामरस पि. सुखराम धामाली आपरजा व अर्जुन रतीराम पि. नन्दराम जाट रामपुरा	„ 7 डी. डब्ल्यू. डी.
(4)	„ दानारामपुरा दीना कौम मागी	„ 16 डी. डब्ल्यू. डी.
(5)	„ लालचन्द पुत्र श्री वीरू जाट साकिन गंधेली	„ 25 आर. डब्ल्यू. डी.
(6)	„ रामचन्द्र पुत्र मंगलाराम जाट सा. रावतसर	„ 4 ए. एम.
(7)	„ मु. तोजा जोजे किशोरीलाल कौम, ब्राह्मण सा. रावतसर	„ 2 डी. डब्ल्यू. डी.
(8)	„ जेठा, श्योकरण पि. चैना जाट सा. रामपुरा	„ 2 आर. पी. एम.
(9)	„ मनफूल पुत्र हीरा राम जाट सा. रावतसर	„ 29 डी. डब्ल्यू. डी.
(10)	„ रामजस पुत्र कनीराम कौम जाट गंधेली	„ 30 आर. डब्ल्यू. डी.
(11)	„ रामसिंह पुत्र खादसिंह राजपूत सा. रावतसर	„ „ „
(12)	„ डूंगर गिरधारी, गंगाराम, सोमाना पि. गुमनराम जाट रामपुरा	„ „ „
(13)	„ श्योनाथ पुत्र साजन माली रावतसर	„ 16 डी. डब्ल्यू. डी.
(14)	„ राम, लिछमन पुत्र सौना बाबरी सा. रावतसर	„ „ „
(15)	„ रतीराम वल्द जीवराज 1/2 हिस्सा सरबती जोजे रामलाल 1/2 हिस्सा विसगन सा. रावतसर	„ 10 डी. डब्ल्यू. एम.
(16)	„ तोताराम पुत्र खदूराम जाट सा. गिरवाल	„ 3 एन. डब्ल्यू. एम.
(17)	„ गजानन्द पुत्र टीकाराम टाइम्स सा. रावतसर	„ 29 डी. डब्ल्यू. डी.
(18)	„ केनसिंह पुत्र नत्थू सिंह कौम राजपूत सा. रावतसर	„ 12 ए. पी. एम.
(19)	„ रामेश्वर पुत्र रामकरण कौम ब्राह्मण सा. रावतसर	„ 16 डी. डब्ल्यू. डी.
(20)	„ दुलीचन्द पुत्र रामकरण कौम ब्राह्मण सा. रावतसर	„ 27 डी. डब्ल्यू. डी.

सूची उन असामियान की जिनकी आबादी के बदले में मिसलें गैरवार है। उपनिवेशन तहसील रा. न. यो. रावतसर

(1) श्री हुक्मा पुत्र बागा जाट सा. गांधी नगर	चक नं.	25 आर. डब्ल्यू. डी.
(2) ,, हन्सराज, रामसिंह पि. गुन्ना कौम जाट सा. गंधोली	,,	25 आर. डब्ल्यू. डी.
(3) ,, तुखा, बिरदा पि. गंगाराम जाट साकिन गांधी नगर।	,,	32 आर. डब्ल्यू. डी.
(4) डूंगर सिंह जगमाल सिंह पि. केसूसिंह राजपूत सा रावतसर	,,	16 के. डब्ल्यू. डी.
(5) , मालू नाथु पि. राधू कौम बावरी सा. रावतसर	,,	16 डी. डब्ल्यू. डी.

सूची आसामियान जिनका रकबा खातेदारी आबादियान में आया तहसील उपनिवेशन सूरतगढ़ नं. 3

नं. श.	नाम ग्राम मय चक	नाम आसामी जिनका रकबा आबादी में आया	किस्म हकूक	खसरा नं. या मु. नं.	तफसील किला	तफसील किला			कैफियत
						नहरी	बारानी	योग	
(1)	14 ए. एस. कूपली	श्रीराम जोधा पि. लालू को. जाट सा. कूपली	खातेदारी	222/475	17,18/2)	2)	..	2)	
(2)	12 किशनावाली	श्री खीया वल्द मागू 1|2 आधा हिस्सा मानेराम वल्द देवाराम 1|3 गणपतराम वल्द जैसाराम 1|3 कौम ब्राह्मण सा. रघुनाथपुरा	"	154/419	1/1)	1)	..	1)	
					योग ..	3)	..	3)	

Page No 186

जोधपुर मुद्रणालय के मुख्य त्रुटि शोधक द्वारा रात्रि कालेज में पढ़ाई

441. श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या मुद्रण एवं लेखन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री लालचन्द जैन, मुख्य त्रुटि शोधक, राजकीय मुद्रणालय जोधपुर ने 1965-66 व 1966-67 में इवनिंग इंस्टिट्यूट जोधपुर विश्वविद्यालय में टी. डी. सी. द्वितीय व तृतीय वर्षीय कक्षायें नियमित रूप से ज्वाइन कीं और परीक्षायें उत्तीर्ण कीं ?

(2) क्या यह सही है कि राजकीय मुद्रणालय, जोधपुर में दो शिफ्ट 9-30 से 4-30 व 4-30 से 11-30 बजे तक चलती हैं और दोनों मुख्य त्रुटि शोधक हर महीने पन्द्रह दिन से बारी बारी से हर शिफ्ट में बदले जाते हैं ?

(3) क्या यह सही है कि श्री लालचन्द जैन जब उनकी द्वितीय शिफ्ट 4-30 से 11-30 बजे में हर पन्द्रह दिन से जब जब उनकी बारी आती थी तब नियमित रूप से कालेज जाते रहे ?

(4) यदि हां, तो वे कालेज में तथा ड्यूटी पर एक ही समय में कैसे उपस्थित रहते थे ?

(5) क्या श्री लालचन्द जैन को तत्काल अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जोधपुर ने ड्यूटी के समय कालेज जाने से मना किया था क्योंकि उनकी राय में श्री लालचन्द जैन की अनुपस्थिति से राजकार्य में बाधा होती थी ?

(6) क्या अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जोधपुर ने 1966-67 के लिये निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग को इस आशय की सिफारिश की थी कि श्री लालचन्द जैन को अपनी पढ़ाई चालू रखने की अनुमति न दी जावे क्योंकि सायंकालीन कालेज जाने से राजकार्य में बाधा उपस्थित होगी ?

(7) क्या उक्त सिफारिश को निदेशक महोदय ने राज्य हित में होते हुए भी श्री लालचन्द जैन को आज्ञा प्रदान की ? यदि हां, तो अधीक्षक की सिफारिश के बावजूद उनको क्यों ऐसी आज्ञा दी गई जब अन्य किसी कर्मचारी को ऐसी सुविधा नहीं दी गई ?

(8) क्या श्री लालचन्द जैन को 1965-66 में निदेशक महोदय की ओर से केवल टी. डी. सी. सेकिण्ड इयर परीक्षा में बैठने की आज्ञा दी गई थी ? यदि हां, तो वे नियमित रूप से सायंकालीन कालेज में कैसे जाते रहे जब उन्हें ड्यूटी पर उपस्थित रहना चाहिये था ? क्या अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय ने सितम्बर, 1966 में श्री लालचन्द जैन को नियमित रूप से कालेज जाने को मना किया था ?

(9) क्या निदेशक, लेखन एवं मुद्रण विभाग, जयपुर की ओर से श्री लालचन्द जैन को अगस्त, 1966 में एक आरोप-पत्र एवं आरोप विवरण-पत्र दिया गया था जिसमें एक आरोप उनकी इस अनियमित पढ़ाई का भी था ? यदि हां, तो उस आरोप-पत्र की एक प्रतिलिपि दी जावे तथा बताया जावे कि इस आरोप पत्र पर क्या क्या कार्यवाही अभी तक की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां।

Page No 187

(मुद्रण एवं लेखन मन्त्री)

(2) जी हां ।

(3) इस संबंध में जांच की जा रही है ।

(4) इस संबंध में जांच की जा रही है ।

(5) जी हां ।

(6) जी हां ।

(7) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग जयपुर ने राज हित को ध्यान में रखते हुए श्री लालचन्द जैन को थर्ड ईयर टी. डी. सी. का अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की थी । शेष प्रश्न के उत्तर में लेख है कि यह सही नहीं है कि अन्य किसी कर्मचारी को अग्रेतर अध्ययन करने की सुविधा नहीं दी गई हो ।

(8) जी हां, उनके नियमित रूप से सायंकालीन कालेज में जाने के बारे में जांच की जा रही है । वह सही है कि सितम्बर 1966 में अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जोधपुर ने श्री लालचन्द को नियमित रूप से कालेज जाने से मना किया था ।

(9) जी हां । आरोप-पत्र व आरोप विवरण पत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी है । इस आरोप-पत्र का स्पष्टीकरण श्री लालचन्द जैन से प्राप्त हो गया था इस मामले में दौराने जांच श्री जैन मुख्य त्रुटि शोधक (अराजपत्रित पद) से सहायक अधीक्षक (राजपत्रित पद) पर एतदर्थ रूप से नियुक्त करने के पश्चात् नियमानुसार इसकी जांच शुरू से पुनः राज्य स्तर पर की जा रही है । (सूची वृिस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सीमावर्ती दौरे के समय राज्यपाल महोदय की गाडी को ध्वस्त करने की कार्यवाही

442. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि सन् 67–68 में राजस्थान के राज्यपाल महोदय राज्य सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा करने गये उस समय प्रतिक्रियावादी लोगों ने उस गाड़ी को ध्वस्त करने की कोशिश की जिसमें राज्यपाल महोदय सफर कर रहे थे जिससे उनको अपना निश्चित कार्यक्रम बदलना पड़ा ? यदि हां, तो वे लोग कौन थे और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

जी नहीं ।

चित्तौड़ रोड के लिए ठेका

443. श्री केसरी सिंह हाडा (हिन्डोली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बूंदी सिटी सैक्शन के अन्तर्गत आने वाली चित्तौड़ रोड़ पर आर. ए. पी. पी. के नाम पर भारत सरकार से कब कब और कितनी धनराशि 1968-69 में प्राप्त हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) इस सड़क पर किस किस कार्य का ठेका किस किस ठेकेदार को दिया गया था ? क्या ठेके बन्द टेण्डर द्वारा ही दिये गये थे ? किस का ठेका सबसे ऊंचा और किसका ठेका सबसे नीचा था और ठेका किसे प्राप्त हुआ ?

Page No 188

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

उत्तर

(1) कोई धन राशि प्राप्त नहीं हुई है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

सवाई माधोपुर नगरपालिका को वार्डों का पुनर्सीमन

444. **श्री हरि वल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आगामी होने वाले नगरपालिका सवाईमाधोपुर के लिए वार्डों का पुनर्सीमन किया जाकर राज-पत्र में प्रकाशित किया जा चुका है ? यदि हां, तो राज-पत्र में इन वार्डों का पुनर्सीमन (अंतिम) किस तारीख को प्रकाशित किया गया ? राज-पत्र के अंक का पूरा विवरण देने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि इसके पश्चात् इन चुनावों की मतदाता सूची तैयार करने हेतु जिलाधीश द्वारा नियमों का भी प्रकाशन किया जा चुका है ? यदि हां, तो किस तारीख के राज-पत्र में ? कृपया राज-पत्र के अंक का पूरा विवरण देने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि जिलाधीश महोदय द्वारा प्रकाशित कराये गए उक्त नियमों के आधीन सवाईमाधोपुर नगरपालिका की मतदाता सूची का प्रथम प्रकाशन भी जिलाधीश द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार करा दिया गया ? यदि हां, तो यह तारीख प्रकाशन किस तारीख को हुआ और ऐतराजों के लिये कौन सी अंतिम तारीख निश्चित की गई ?

(4) उक्त निश्चित तारीख तक कितने ऐतराजात नाम बढ़ाये जाने अथवा हटाये जाने बाबत हुए ? कृपया वार्ड वाइज उक्त दोनों प्रकार की संख्या सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह सही है कि इन ऐतराजात का निर्णय भी निर्वाचन अधिकारी (एस. डी. ओ.) द्वारा किया जा चुका है ? यदि हां, तो किस किस वार्ड में कितने कितने नाम बढ़ाने अथवा घटाये जाने का निर्णय लिया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) इस पालिका की मतदाता सूची के अन्तिम प्रकाशन की कौन सी तारीख निश्चित है ?

(7) क्या यह सही है कि जुलाई में ही राज्य सरकार ने इस पालिका के कई वार्ड पुनर्सीमन किए जाने का आदेश दिया है ? यदि हां, तो यह आदेश किस तारीख को दिए गए और किस कारण से ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 6 (क) दिनांक 6-2-68 में प्रकाशित किया गया है।

(2) मतदाता सूची तैयार करने हेतु नियमों का प्रकाशन वार्डों का पुनर्सीमन प्रकाशित होने से पूर्व किया गया था। नियम अंग्रेजी में राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग (क) दि. 5-10-67 व हिन्दी में राज-पत्र विशेषांक भाग 6 (क) दि. 1-2-68 में प्रकाशित हुए।

(3) जिलाधीश सवाईमाधोपुर के द्वारा अधिकृत अधिकारी उप खण्ड अधिकारी

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

सवाई माधोपुर द्वारा नगरपालिका की मतदाता सूची का प्रथम प्रकाशन दि. 16-6-69 को किया गया। एतराजों के लिए अन्तिम तारीख 1-7-69 निश्चित की गई।

(4) सूचना सदन की मेज पर रखदी गई है।

(5) जी हां, सूचना सदन की मेज पर रखदी गई है।

(6) अन्तिम प्रकाशन दिनांक 13-8-69 को किया जा चुका है।

(7) जी हां, दिनांक 10-7-69 को वार्ड नक्शे के अवलोकन से असन्तुलित प्रतीत होते हैं।

न. पा. सवाई माधोपुर द्वारा अन्तिम निर्णय लिये जाने के पश्चात् बढ़ाये गये व घटाये गये नामों की संख्या की सूची निम्न है:–

क्रमांक	नम्बर वार्ड	जोड़े गये नाम	घटाये गये नाम
1	2	3	4
1.	1	17	13
2.	2	8	—
3.	3	4	—
4.	4	14	—
5.	5	16	—
6.	6	24	—
7.	7	45	—
8.	8	74	—
9.	9	9	—
10.	10	57	—
11.	11	1	—
12.	12	1	—
13.	13	24	67
14.	14	12	35

प्रार्थना-पत्र जो अन्तिम तारीख नाम बढ़ाने व घटाने के लिये प्राप्त हुए उनकी संख्या की सूची वार्ड वाईज निम्न है:—

क्र. सं.	वार्ड नंबर	नये जोड़े जाने वाली प्रार्थना पत्रों की सं.	नाम घटाने वाले आपत्तियों की सं.
1.	1	18	13
2.	2	32	..
3.	3	12	..
4.	4	10	..
5.	5	17	..
6.	6	26	..
7.	7	48	..
8.	8	95	..
9.	9	10	..
10.	10	71	..
11.	11	1	..
12.	12	1	..
13.	13	44	67
14.	14	19	35

राजस्थान केनाल के जैसलमेर क्षेत्र में भूमि आवंटन

445. श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर के उस क्षेत्र में जो राजस्थान नहर का क्षेत्र

(श्री बालसिंह सोढा)
घोषित है किसी भी किसान को भूमि आंवटन नहीं की जा रही है जिससे वहां के लोगों के लिये एक बहुत बडी समस्या हो गई है कि वे लोग कहां जावें ?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान नहर निकट भविष्य में जैसलमेर क्षेत्र में नहीं आ रही है ? अगर हां, तो फिर जैसलमेर के इस क्षेत्र को राजस्थान नहर के क्षेत्र से क्यों नहीं निकाल दिया जाता ?

(3) क्या यह सही है कि नहर क्षेत्र होने के नाते कोई भी व्यक्ति नया झौंपडा तक नहीं बना सकता और अगर बनाता है तो पटवारी लोग सैंकडों रुपया मांगते हैं तथा इस भ्रष्टाचार से वहां के किसान परेशान हैं ? यदि हां, तो सरकार इसकी क्या व्यवस्था और कब तक करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी हां चूंकि जैसलमेर का जो क्षेत्र. राजस्थान नहर का कमाण्ड क्षेत्र घोषित हो गया है उस में से इस क्षेत्र को नहीं निकाला जा सकता ।

(3) जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्थान में नगर विकास न्यास योजना

446. श्री **हंसराज आर्य** (भादरा): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के किस किस नगर में नगर विकास न्यास योजना को लागू कर दिया गया है ?

(2) क्या भविष्य में और भी नगरों में यह व्यवस्था लागू की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक और कहां कहां पर ?

उत्तर

(1) जयपुर, जोधपुर, अलवर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर, गंगापुर, हिन्डौन, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में नगर विकास न्यास कार्य कर रहे हैं ?

(2) अन्य नगरों में नगर विकास न्यास स्थापित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

स्थगित प्रश्न
(20-8-69)

सीकर रतनगढ नेशनल हाई वे का कार्य

249. श्री **नथमल चौहला** (लक्ष्मणगढ़-सु.) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर-रतनगढ़ नेशनल हाई वे का कार्य कौन से सन् में चालू किया गया था और कब तक पूरा किया जायेगा ?

(2) क्या मन्त्री महोदय ने इस सड़क को मार्च सन् 1968 के अन्त तक पूर्ण करने के लिये आश्वासन दिया था ?

(3) क्या यह सही है कि लक्ष्मणगढ़ व फतेहपुर को जोड़ने वाली अप्रोच रोड भी अधूरी पड़ी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) सरकार का इस नेशनल हाई वे को व इसी से सम्बन्धित अप्रोच रोड को कब तक पूरी करवा देने का विचार है ?

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

उत्तर

(1) सड़क का कार्य 1968 में शुरू किया गया। फरवरी, 1970 तक कार्य पूरा हो जावेगा।

(2) जी हां। भारत सरकार से प्राप्त धन राशि के अनुसार कार्य किया जाता है। पर्याप्त धन राशि न मिलने से कार्य की प्रगति धीरे रही। जमीन अवाप्ति व रेल्वे समतल पारज को केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति में विलम्ब होने से कार्य में विलम्ब हुआ।

(3) डब्ल्यू. बी. एम. रोड का कार्य पूरा हो चुका है।

(4) एप्रोच रोड का कार्य पूरा हो चुका है। नेशनल हाई वे का कार्य फरवरी, 1970 तक पूरा हो जावगा।

स्थगित प्रश्न

(20-8-69)

ग्राम सोहनखेड़ा में काश्तकारों पर जुर्माने

257. श्री **जुझारसिंह** (रामगंज मंडी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम सोहन खेड़ा, पंचायत बुधखान तहसील रामगंज मन्डी के श्रीनाथूलाल पुत्र नन्दा भील, श्री बजरंगलाल खाती, श्री प्रभुलाल सुपुत्र श्री राम धाकड़ व दूसरे लोगों पर कुल मिला कर करीब 1600) रु. जुर्माना व पैनेल्टी गलत नम्बर काश्त करालेने के कारण हुई है?

(2) क्या इसी प्रकार श्री बिरधा सुपुत्र भैरू चमार, नानूराम सुपुत्र भैरू चमार, चम्पा सुपुत्र फूलचन्द धोबी, कजोड़ सुपुत्र गंगा चमार, मंगला सुपुत्र गंगा चमार व ग्राम कुदायला तहसील रामगंज के अनेकों दूसरे व्यक्तियों पर भी गलत नम्बरों पर काश्त करते रहने के कारण केस चलाये गये हैं?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त व्यक्तियों के नाम कायदे से भूमि एलाट की गई थी और पटवारी द्वारा कब्जा दिया गया था और वे वर्षों से इसी जमीन पर काश्त करते व लगान देते आ रहे हैं ?

(4) सरकारी मुलाजिमों द्वारा गलत क़ब्जा दिलवाने या गलत नम्बरों पर काबिज व्यक्ति को काश्त करते चले आने देने के विरुद्ध सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और अब तक कितने सरकारी मुलाजिमों के विरुद्ध किसानों को परेशानी में डालने के कारण कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) ग्राम सोहनखेड़ा के नाथूलाल, बजरंगलाल व प्रभु व अन्य लोगों पर अनधिकृत कब्जा करने के कारण 257-25 जुर्माना किया गया है।

1600) जुर्माना व पेनेल्टी गलत नम्बर काश्त कर लेने के कारण होना सही नहीं है।

(2) जी हां। यह सही है।

(3) प्रश्न नं. 2 के आसामियों को भूमि आवन्टित की जाना व पटवारी द्वारा आव-

(राजस्व मन्त्री)

न्टित भूमि पर कब्जा देना सही है। लेकिन आवन्टिती ने आवन्टित भूमि को अपनी मर्जी से छोड़ कर अन्य भूमि पर काश्त करना शुरू कर दिया अप्राधिकृत रूप में कब्जा की गई भूमि का लगान नहीं लिया जाता है।

(4) राज्य कर्मचारियों द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा आवन्टित भूमि पर ही आवंटनी को दखल दिया जाता है। गलत खसरा नम्बरों पर कब्जा दिये जाने का कोई मामला सामने नहीं आया है इसलिये कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

स्थगित प्रश्न

(12-8-69) व (20-8-69)

अनिवार्य शिक्षा के अन्तर्गत पाठशालाएं

15. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भूतपूर्व बीकानेर राज्य क्षेत्र में अनिवार्य शिक्षा के नाम से नगरपालिका क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालायें चलती थीं, क्या वे अब नगरपालिकाओं और राज्य सरकार की सहायता से चल रही हैं? यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है? उनकी व्यवस्था, नियन्त्रण, निरीक्षण, सेवा नियम, नियुक्ति, पदोन्नति, पेन्शन, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड आदि की क्या व्यवस्था है?

(2) क्या यह सही है कि वे एक कानून के अन्तर्गत बने नियमों के अन्तर्गत एक राजकीय सेवा के व विभाग के तौर पर भूतपूर्व राज्य में स्थापित हुई थीं और संचालित होती थीं? यदि हां, तो किस कानून और नियम के अन्तर्गत उनको मौजूदा दर्जा दे दिया गया?

(3) क्या यह सही है कि इन संस्थाओं की मौजूदा स्थिति में सेवारत कर्मचारियों के साथ बहुत अन्याय हुआ है? क्या यह सही है कि इन कर्मचारियों को न तो राज्य कर्मचारी माना जाता है और न ही नगरपालिका कर्मचारी माना जाता है? इस कारण यह दोनों ही सेवा नियमों की सुविधाओं से वंचित हैं।

(4) क्या नगरपालिकायें आर्थिक कमजोरी के कारण इन संस्थाओं को चलाने में असमर्थ हैं और लगभग बीस नगरपालिकाओं ने समय समय पर प्रस्ताव पारित कर इन स्कूलों को शिक्षा विभाग के अधीन लेने के निवेदन किये हैं? यदि हां, तो राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिया?

(5) क्या अब आगामी सत्र से इन संस्थाओं को शिक्षा विभाग के अन्तर्गत ले लिया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(6) क्या समय समय पर इनके अध्यापकों के प्रतिवेदन मिले हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

(1) जी हां, इनका स्वरूप राजकीय प्राथमिक शालाओं की तरह कक्षा 5 तक है। उनकी व्यवस्था भूतपूर्व बीकानेर स्टेट के कम्पल्सरी स्कूल एक्ट के अनुसार है। नियंत्रण संबंधित नगरपालिकाओं का है। शिक्षा विभाग के इन्सपेक्टर्स शिक्षा संबंधी निरीक्षण करते हैं। नियुक्तियां शिक्षा विभाग की स्वीकृति से होती हैं। पेन्शन नहीं दी जाती है। नगरपालिकाओं के अन्य कर्मचारियों के समान प्रोविडेन्ट फण्ड दिया जाता है।

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

(2) कम्पलसरी स्कूल एक्ट के अनुसार इनकी स्थापना हुई थी और आज भी उन्हीं नियमों के अनुसार उनका संचालन होता है।

(3) जी नहीं। नगरपालिकाओं के कर्मचारी माने गये और सुविधाएं दी जा रही हैं।

(4) जी हां। मामला विचाराधीन है।

(5) मामला विचाराधीन है। निश्चित अवधि बतलाई जानी सम्भव नहीं है।

(6) जी नहीं। प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

स्थगित प्रश्न

(13-8-69) व (20-8-69)

मांडलगढ़ में कमान्ड एरिया की भूमि का अलाटमेंट

45. श्री **मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मांडलगढ़ के श्री भंवरलाल खटोड, श्री सुगनचन्द जैन तथा श्री राधाकृष्ण खाती को राजस्व विभाग से वाला वाला पन्द्रह-पन्द्रह बीघा जमीन कमान्ड एरिया की हर व्यक्ति को अलोट की गई है ?

(2) यदि हां, तो क्यों ? क्या यह राजनैतिक पीड़ित हैं और कभी जेल में गये हैं ?

(3) यदि जेल गये हैं, तो कब ?

(4) एक एक बीघा जमीन का दो-दो हजार देने वाली जमीन को इस प्रकार अलोट करने के क्या क्या कारण हैं ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(21-8-69)

बून्दी नगरपालिका के प्रशासक द्वारा भूमि का बेचान

295. **श्री केसरीसिंह हांडा** (हिन्डोली): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बूंदी नगरपालिका के भंग होने के बाद प्रशासक के कार्यकाल में कितनी जमीनें बेची गई व किस दर से और किस किस को ?

(2) प्रशासक के कार्यकाल में कितनी बत्तियां नई लगाई गई ?

(3) क्या यह सच है कि देवपुरा से बूंदी सड़क पुलिस लाइन के सामने होकर जाती है वह कोटा बूंदी की मुख्य सड़क होते हुए भी उस पर एक भी बत्ती क्यों नहीं लगाई गई जब कि प्रशासक ने अपने मकान के सामने व बंगले में दो बत्तियां लगा ली और चिमन कादरी के मकान के सामने कम से कम 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है ?

(4) सरकार वार्ड नं. 18 जो कि एक पिछड़ा हुआ वार्ड है और नगरपालिका ने जिसकी सदा से उपेक्षा की है, वहां पर पाइप लाइन व सड़क पर बत्तियों की पूर्ण व्यवस्था कब तक करा देगी ?

उत्तर

(1) सूचना संलग्न है।

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

(2) नो नई लाइट लगाई गई हैं एवं चार स्थानों पर पुराने बल्बों को हटाकर 4 ट्यूब लाइटें लगाई गई हैं।

(3) आवश्यकता एवं आबादी के अनुसार प्रकाश की व्यवस्था है।

प्रशासक के बंगले पर नगरपालिका ने कोई ट्यूब लाइट नहीं लगाई है।

बल्ब लगाने की व्यवस्था विद्युत् मंडल द्वारा की जाती है नगरपालिका द्वारा नहीं।

(4) नगरपालिका द्वारा उपेक्षा नहीं की गई है जल और प्रकाश की व्यवस्था अभी तक थी। इसके अतिरिक्त पाइप भी लगा दिया गया है।

सूची जो जमीनें बेची गई उसकी

क्रमांक	पत्रावली सं. व दि.	भूमि खरीदने वाले प्रार्थी का नाम	आदेश प्रशासक महोदय दिनांक	भूमि की दर बेची गई		विशेष विवरण
1.	358/213/1-4-68	पंच वैष्णव समाज बाबत देवपुरा मंदिर के पास की भूमि खरीदने बाबत ।	31-1-67	नौ आना	वर्ग फीट से	
2.	165/21-6-67	श्री अब्दुल रहमान मुसलमान स्ट्रीफ आफ लैण्ड	30-6-67	छः आना	,,	
3.	180/2-7-67	श्री गोपालसिंह जी राव काला महल लैण्ड	11-10-67	छः आना	,,	
4.	162/12-6-67	श्री रामचन्दपुरी लैण्ड	20-10-67	नौ आना	,,	
5.	173/12-7-67	श्री आत्माराम गुप्ता रिफ्यूजी व कॉलोनी लण्ड	14-7-67	,,	,,	
6.	278/29-5-67	श्री हरिमोहन जी चन्दोरिया बालचन्द पाड़ा लैण्ड	24-6-67	छः आना	,,	
7.	261/25-6-67	श्री खाना माली आबादीयान मोहल्ला लैण्ड	28-6-68	नौ आना	,,	
8.	268/24-6-68	श्री बालगंगाधर जो पोद्दारों की थाई लैण्ड	5-7-68	छः आना	,,	
9.	177/8114-67	श्री कर्णशंकर वैणी शंकर बाहरली बूंदी नोहरे के आगे की भूमि खरीदने हेतु लैण्ड	24-5-67	नौ आना	,,	

स्थगित प्रश्न

(14-8-69) व (21-8-69)

झालावाड़ जिले में अपराधों की संख्या

75. **श्री लक्ष्मण तानीवाल** (डग सु.) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले में गत वर्ष सन् 1967-68 में हत्यायें, शील-भंग एवं अपहरण की कुल कितनी वारदातें हुईं ? इन घटनाओं का विवरण मय स्थान, तारीख, सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) खानपुर तहसील के लीमी ग्राम में बन्दूक से घायल होने की घटना की सूचना से वर्तमान स्थिति तक की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त अवधि में हुई इन घटनाओं पर कितनों को दण्डित किया व कितने केस अभी चल रहे हैं ? बताने का कष्ट करें ?

उत्तर

(1) मण्डल झालावाड़ में सन् 1967 में हत्यायें 24, शीलभंग के 12, अपहरण के 14 अपराध व सन् 1968 में हत्या के 19, शीलभंग के 20, अपहरण के 32 अपराध हुए। प्रत्येक घटना का विवरण झालावाड़ जिले के विभिन्न थानों से भारी वर्षा के कारण आवागमन रुक जाने से एकत्रित नहीं हो सका है। अतः सूची सदन की मेज पर रखने में असमर्थता है।

(2) दिनांक 19-9-68 में ग्राम लीमी आरक्षी केन्द्र सारोला कलां, तहसील खानपुर में घासीलाल महाजन ने सांप मारने के लिये 12 बोर बंदूक के फायर किये। असावधानी एवं लापरवाही के कारण गुलाब व सोहनलाल महाजन लीमी के छर्रे लगे। दिनांक 20-9-68 को सोहनलाल की मृत्यु हो गई। आरक्षी केन्द्र सारोला में मुकदमा नं. 49/68 धारा 304/338 ता. हि. का दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया गया तथा दिनांक 25-12-68 को अभियुक्त घासीलाल निवासी लीमी के विरुद्ध न्यायालय प्रथम श्रेणी दण्ड-नायक अकलेरा में चालान पेश कर दिया गया है।

(3) सन् 1967 में हुई हत्या के 24 अपराध हुए जिसमें से 16 विचाराधीन अदालत हैं, 4 में सजा हो गई, 3 में एफ. आर. दे दी गई है व एक वरी कर दिया गया है। शीलभंग के 12 अपराधों में से 10 विचाराधीन अदालत हैं। एक में एफ. आर. दे दी गई व एक में रिहाबरी। अपहरण के 14 अपराधों में से 9 में एफ. आर. दी गई, एक में रिहाबरी, 4 विचाराधीन अदालत हैं। सन् 1968 में हत्या के 19 अपराधों में से 5 में एफ. आर., एक में सजा व एक रिहाबरी व 12 विचाराधीन अदालत हैं। शीलभंग के 20 अपराधों में से 4 में एफ आर. दी गई, एक में राजीनामा हुआ व 15 विचाराधीन अदालत हैं। अपहरण के 32 अपराधों में से 12 में एफ. आर. दी गई, 3 में रिहाबरी, 11 विचाराधीन अदालत व 6 पैण्डिंग थाना हैं।

स्थगित प्रश्न

(22-8-69)

राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त उपाधियां

299. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के किन किन व्यक्तियों

(श्री भैरोंसिंह)
को राष्ट्रपति द्वारा पद्म श्री, पद्म विभूषण आदि की उपाधियां प्रदत्त की गई हैं और कब ?

(2) इन उपाधियों के प्रदान करते समय किन-किन व्यक्तियों के संबंध में किस-किस प्रकार का साइटेशन, विवरण दिया गया ? कृपया इस अधिकृत विवरण की एक-एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) इन उपाधिधारियों में किन-किन को राज्य सरकार द्वारा किस-किस प्रकार की क्या सहूलियतें या सहायता प्रदान की गई है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) वांछित सूची सदन की मेज पर रखदी है।

(2) उक्त सूची के स्तम्भ 4 पर वांछित साइटेशन संलग्न करदी है।

(3) निम्नलिखित उपाधिधारियों को राज्य सरकार द्वारा सहायता दी गई है :—

1. श्री चण्डीदान–1 मुरब्बा जमीन-निर्मूल्य-भाखरा प्रोजेक्ट में।

2. श्री सीताराम ओला–1 मुरब्बा जमीन-निर्मूल्य-भाखरा प्रोजेक्ट में।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

स्थगित प्रश्न
(22-8-69)

जयपुर गोली कांड की जांच रिपोर्ट पर विधि विभाग की राय

309. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर),

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जस्टिस बेरी द्वारा 7 मार्च 1967 को जयपुर में हुए गोलीकाण्ड की जांच रिपोर्ट 9-1-69 को राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिये जाने के पश्चात् विधि विभाग की इस पर राय जानने हेतु यह रिपोर्ट विधि विभाग को कब प्राप्त हुई और उसमें की गई नौ सिफारिशों के संबंध में विधि विभाग का अब तक क्या मत है ?

(2) गोलीकाण्ड के लिये जिम्मेवार पी. ए. सी. पार्टी के जो व्यक्ति थे, क्या विधि विभाग की राय के अनुसार उनके खिलाफ राजस्थान में चालान नहीं किया जा सकता ?

(3) आर. ए. सी. पार्टी जिसने 7 मार्च, 1967 को जयपुर में गोली चलाई थी, उनके विरुद्ध मुकदमें दायर करने हेतु किस वकील को विशेषतौर पर नियुक्त किया गया अगर अभी तक नहीं किया है, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या इस रिपोर्ट की बाबत एडवोकेट जनरल महोदय से कोई राय ली गई है या दिल्ली में किसी अन्य वरिष्ठ एडवोकेट से इस संबंध में कोई राय ली गई ? यदि हां, तो उनके द्वारा क्या राय दी गई ?

(गृह मंत्री)

उत्तर

(1) रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद ही उस पर विचार-विमर्श शुरू हो गया और समय-समय पर विधि विभाग को संबंधित मुद्दों पर आवश्यकतानुसार सलाह ली गई। रिपोर्ट एवं उससे संबंधित रेकार्ड को एक विशिष्ठ अधिकारियों की समिति देख रही है, और वह उसके प्रत्येक पहलू पर विचार कर अपने सुझाव राज्य सरकार को पेश करेगी।

(2) एवं (3) अभी यह प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

(4) समय-समय पर आवश्यकतानुसार एडवोकेट जनरल से भी राय ली जाती रही है। दिल्ली के किसी एडवोकेट से कभी भी कोई भी राय नहीं ली गई।

स्थगित प्रश्न

(16-8-69 व 22-8-69)

तहसील लाडपुरा में भूमि का आवंटन

118. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की तहसील लाड़पुरा में सन् 67 व 68 में भूमि का आवण्टन किया गया है? अगर हां, तो सूची मय नाम के देने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि आलनियां प्रोजेक्ट क्षेत्र में भी भूमि का आवण्टन किया गया है? अगर हां, तो कितनी-कितनी व किस-किस को कब-कब दी गई?

(3) क्या यह सही है कि आलनियां प्रोजेक्ट में भूमि का आवण्टन नहीं किया जा सकता? अगर हां, तो उक्त एलोटमेंट के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील लाड़पुरा में सन् 67 व 68 में ऐसे क्षेत्रों में भूमि-आवंटन किया गया है जो अनकमाण्ड या परियोजना भिन्न क्षेत्र है। आवंटन की सूचि संलग्न है।

(2) जी हां। आलनियां प्रोजेक्ट क्षेत्र में श्री श्यामसुन्दर शर्मा को भूतपूर्व सैनिक होने के नाते दिनांक 13-11-68 को 25 बीघा भूमि सरकार द्वारा आवंटित की गई है।

(3) मध्यम सिंचाई परियोजना भूमि-आवंटन नियम के अन्तर्गत राज्य सरकार को भूमि-आवंटन करने के अधिकार प्राप्त हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

परिशिष्ट 4

(अ. प्र. सं. 667 की सूची)

राजकीय बीज गुणन फार्म कवाई की पैदावार, जिला कोटा

वर्ष 67-68

क्र. सं.	नाम किस्म	पैदावार क्विंटल में	विशेष विवरण
1.	ज्वार एसपुरी	20.05	
2.	ज्वार सुलतानपुरी	29.15	
3.	ज्वार संकर	9.85	
4.	ज्वार निक्स	13.90	
5.	तिल सी-50	0.10	
6.	चना	12.50	

क्र. सं.	नाम फसल	क्षेत्र एकड़ में	पैदावार क्वि. में	विशेष विवरण
1.	संकर बाजरा मेल फीमेल	5	9.29 4.68	
2.	ज्वार आई. एस. 2252	12	108.30	
3.	ज्वार आसपुरी	18	62.10	
4.	गेहूं कल्याण सोना	36.75	297.00 (लगभग)	
5.	चना आर. एस. 10	20	38.00	
6.	आलू कुफी चमत्कार	3.25	111.75	

अटरू तहसील के कवाई एग्रिकलचर फार्म पर तैनात स्टाफ की सूची

			वेतन श्रृंखला
1.	क्षेत्र प्रबन्धक	1	225-525
2.	निम्न श्रेणी लिपिक	1	110-230
3.	ट्रेक्टर ड्राईवर	1	110-230
4.	पम्प ड्राईवर	1	110-180
5.	हलवाहा	5	50-90

परिशिष्ट 5

(अ. प्र. सं. 672 की सूची)

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग

विज्ञप्ति

सं. प. 2(जन. स्वा.) 68।चिकित्सा । जयपुर, दिनांक अप्रेल, 69

विषय :—राजस्थान जल-प्रदाय नियम, 1967 ।

राजस्थान सरकार, राजस्थान जलप्रदाय नियम, 1967 जो कि इस विभाग की अधिसूचना सं.एफ. 4 (97) चि. स्वा./67 दिनांक 1-7-67 द्वारा जारी किये थे, में निम्न संशोधन करती है :—

नियम 16 के उपनियम 2 के पश्चात् निम्नांकित नया उपनियम 3 जोड़ा जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है :—

3. यदि विभाग के पास स्टाक में कोई मीटर तुरन्त उपलब्ध न हो या तथा उपभोक्ता मीटर युक्त कनेक्शन लेने के इच्छुक हों तो उपभोक्ता द्वारा प्रदान किया गया मान्यता प्राप्त फर्म का बना नया मीटर स्वीकृत किया जाकर उसे मीटर युक्त कनेक्शन दिया जा सकता है। यह सहूलियत उन उपभोक्ताओं को भी मिल सकेगी जिनके इस समय फ्लेट रेट कनेक्शन हैं अथवा स्वयं के मीटर हैं। इस सुविधा पर भी उपनियम 2 की समस्त शर्तें लागू होंगी और ऐसे उपभोक्ता से मीटर का निर्धारित मासिक किराया भी वसूल किया जायेगा।

आज्ञा से,

जगन्नाथ सिंह मेहता,

शासन सचिव।

परिशिष्ट–6

(अ. प्र. सं. 679 की सूची)

No. 6740/PW.

Office of the Public Works Minister, Bikanor.
7/8th November, 1946.

DEAR SIR,

Cleaning and Watering of Ratangarh Road.

With reference to your letter No. 12-2835 dated the 4th September, 1946, I write to inform you the financial position of the Ratangarh Municipality not being quite satisfactory. Government have taken on themselves the responsibility of watering the roads at Ratangarh and orders have accordingly already been issued to the Chief Engineer in this respect. I am, however, to state as long as Water Works Scheme at Ratangarh does not begin to function, it will not be possible to have regular watering of the road.

As regards future maintenance of the roads, I am to state that the Government of Bikanor have sanctioned an annual expenditure of Rs. 5100/- for the purpose, beginning from the next financial year.

Yours faithfully

Sd/-
For Public Works Minister.

M/s Soorajmall Nagarmall,
B, Dalhouse Square East,
Calcutta.

परिशिष्ट 7:

(अ. प्र. सं. 685 की सूची)

विवरण पत्र कर्मचारी, नगरपालिका केकड़ी, जिनकी सालाना तरक्कियां रुकी हुई हैं।

क्र. सं.	नाम कर्मचारी जिनकी सालाना तरक्की रुकी हुई है	पद	दि. जब से तरक्की रुकी हुई है	तरक्की नहीं मिलने का कारण
1	2	3	4	5
1.	श्री शान्ति कुमार जैन	मुख्य लिपिक	11-3-65	बोर्ड द्वारा इनकी सेवायें दि. 28-7-64 से समाप्त करदी गई थीं, लेकिन राज्य सरकार के आदेशानुसार दिनांक 29-12-65 से वापस ड्यूटी पर ले लिया गया। बीच के समय के मामले का फ़ैसला बोर्ड दिनांक 17-11-68 को कर चुका है अत: बोर्ड के निश्चय माफिक वाजिब ग्रेड इन्क्रीमेन्ट शीघ्र दे दिया जावेगा।
2.	श्री उसमान	मिस्त्री, तामीरात विभाग	1-5-59	वे अपनी ग्रेड में अधिकतम राशि प्राप्त कर रहे हैं। अत: सालाना तरक्की अब नियमानुसार नहीं दी जा सकती।
3.	श्री शिवप्रकाश जोशी	ट्रैक्टर ड्राईवर	1-12-66	इनका सक्षम अधिकारी द्वारा क्लासीफिकेशन ऑफ कन्ट्रोल एण्ड अपील रूल्स के तहत दो इन्क्रीमेन्ट दो साल के लिये रोके जाने की सज़ा दी गई है अत: समय आने पर तरक्की देदी जावेगी।
4.	श्री रामचन्द्र सैनिक	जमादार सफाई विभाग	16-2-67	इनको सक्षम अधिकारी द्वारा क्लासीफिकेशन ऑफ कन्ट्रोल एण्ड अपील रूल्स के तहत एक दफा 1 साल के लिये एक ग्रेड इन्क्रीमेन्ट व दूसरी दफा हमेशा के लिये दो ग्रेड इन्क्रीमेन्ट

Page No 203

1	2	3	4	5
				रोकने की सजा दी गई है अतः समय आने पर तरक्की दे दी जावेगी।
5.	श्री मोहन लाल दरोगा	चपरासी	9-5-64	ये अपनी ग्रेड की अधिकतम राशि प्राप्त कर रहे हैं अतः सालाना तरक्की अब नियमानुसार नहीं दी जा सकती।
6.	श्री कल्याण पुत्र गोपी माली	"	28-1-68	इनकी नियुक्ति 27-1-68 को हुई है अतः तरक्की 27-1-69 से देय होती है जो सक्षम अधिकारी के आदेश होते ही दे दी जावेगी।
7.	श्री जगन्नाथ दरोगा	पानी वाला	1-3-59	इनके नियुक्ति आदेश में ग्रेड के विषय में विवाद होने से मामला विचाराधीन है अतः शीघ्र निर्णय लिया जाकर ममामला तय कर दिया जावेगा।
8.	श्री छीतर पुत्र कल्लू	हरिजन	13-4-68	इनको सक्षम अधिकारी द्वारा क्लासीफिकेशन ऑफ कन्ट्रोल एण्ड अपील रूल्स के तहत एक साल के लिये ग्रेड इन्क्रीमेन्ट रोकने की सज़ा दी गई है अतः सालाना तरक्की समय आने पर दे दी जावेगी।
9.	श्री गोरधन पुत्र जुगना	"	17-5-63	इनके द्वारा काफी अवैतनिक छुट्टियां लेने व गैर हाज़िर रहने के कारण अब तक सालाना तरक्की नहीं दी गई है। मामला विचाराधीन है शीघ्र निपटाया जावेगा।

परिशिष्ट 8

(प्र. प्र. सं. 693 की सूची)

PROGRESS OF FAMINE WORKS

S. No.	Name of district	Completed length in miles surface-wise as existing on 31-7-69					Length of roads in miles for which materials has been Collected & site. stocked at query.				
		E.W.	G.R.	M.R.	B.T.	Total	Gravelled	Soling	Ballast	Grit.	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Bikaner	816	328	7	..	1151	..	251	..	..	251
2.	Sikar	119.50	..	53.50	..	173	..	..	..	..	..
3.	Jhunjhunu	166	..	56	..	222	..	..	..	..	..
4.	Churu	277	162	6	..	445	210	..	..	..	210
5.	Bundi	50	3	30	..	83	..	9	25	14	48
6.	Kota	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..
7.	Ajmer	59	89	3	4	155	..	44	..	..	44
8.	Jaipur	173	..	8	5	186	..	50	13	12	75
9.	Jhalawar	38	..	20	3	61	..	28	13	9	50
10.	Tonk	280	151	..	..	431	147	..	..	..	147
11.	Sawai-Madhopur	2.50	..	..	..	2.50	..	..	..	..	..
12.	Udaipur	535	..	93	35	603	..	29	84	20	133
13.	Dungarpur	..	..	51	23	74	..	14	26	7	47
14.	Banswara	39	..	94	6	139	..	48	69	1	118
15.	Chittorgarh	152	..	20	10	182	..	20	33	28	81
16.	Bhilwara	164	..	50	19	233	..	5	33	25	63
17.	Ganganagar	135	4	3	..	142	6	14	..	..	20
18.	Jodhpur	1250	595	24	6	1875	465	245	..	..	710
19.	Barmer	1415	365	6	..	1786	645	15	..	..	660
20.	Jaisalmer	625	235	25	30	915	205	85	..	35	325
21.	Nagour	545	285	12	3	845	270	3	60	8	341
22.	Pali	410	140	20	..	570	100	..	70	..	170
23.	Jalore	455	150	19	6	630	..	..	55	..	55
24.	Sirohi	90	40	..	..	130	..	11	6	..	17
	TOTAL:	7797	2547	605.5	150	11099.5	2048	891	467	159	3565

परिशिष्ट 9

(प्र. प्र. सं. 701 की सूची)

CHURU-RATANGARH ROAD

(Original Works)

Year	Original works	Repairs	Famine
Upto 1961-62	4,98,841.10	..	..
1962-63	3,19,396.17	2,202.61	..
1963-64	28,293.61	16,360.86	..
1964-65	1,34,883.58	21,291.93	..
1965-66	14,833.30	45,336.23	..
1966-67	26,333.18	49,869.22	..
1967-68	584.29	58,211.42	..
1968-69	52,069.37	68,283.18	..
1969-70 upto	7,616.07	29,735.65	14,422.00
GRAND TOTAL:	10,82,850.67	2,91,291.10	14,422.00

परिशिष्ट 10

(अ. प्र. सं. 708 की सूची)

राजस्थान में वर्ष 1967-68 में खले औषधालयों की सूची

क्रमांक	नाम जिला	नाम स्थान		जन संख्या 1961 को जनगणना के अनुसार
1	2	3		4
1.	गंगानगर	1.	मलसीसर	1142
2.	भीलवाड़ा	1.	बरसानी	2243
		2.	छोटी निवोंलिया	1135
		3.	थडोदा	853
		4.	तिलस्वा	849
		5.	जालिन्दरी	906
3.	चित्तौडगढ़	1.	घोलापानी	867
		2.	जलोदिया	1403
		3.	डिन्डोली	1871
		4.	भीमगढ़	1828
4.	अलवर	1.	पाचडी	542
		2.	करणीकोट	1629
		3.	कीलपुराखेडा	269
5.	भरतपुर	1.	सरमथुरा	4689
6.	उदयपुर	1.	कोसीवाडा	500
		2.	मन्दूरवास	1280
		3.	टूखडाकलां	2020
		4.	लवकडवास	3000
7.	अजमेर	1.	सिकरानी	1981
8.	झालावाड़	1.	घाटोली	1667
		2.	माथनिर्बा	863
		3.	थरोनियां	1217
		4.	उन्हेल	941
9.	सीकर	1.	दूदवा	575
		2.	वालोदा	1033
			दीनारपुरा	597
10.	झुन्झुनू	1.	मोजासर	803
11.	जयपुर	1.	राजभवन	403441

Page No 207

राजस्थान में वर्ष 1968-69 में खुले औषधालयों की सूची

क्र. सं.	नाम जिला		नाम स्थान जहां औषधालय खोला गया	जनसंख्या 1961 की जनगणना अनुसार
1.	गंगानगर	1.	मौजवाली	618
2.	सवाई माधोपुर	1.	गंगापुर सिटी	22591
3.	बांसवाडा	1.	लसोडा	538
4.	भीलवाडा	1.	कोदूकोटा	2039
		2.	बेनाली	2230
5.	अलवर	1.	दातियां	1661
		2.	दुहारचोगान	1594
		3.	सकट	2578
6.	भरतपुर	1.	जोतरोहिला	478
		2.	बरखेडा	318
7.	धौलपुर (भरतपुर)	1.	मांगरोल	2748
		2.	सकवाडा	1465
8.	नागौर	1.	नागौर (यूनानी)	129829
9.	जोधपुर	1.	किदवई रोड़, जोधपुर	224760
10.	बूंदी	1.	गरडा	924
11.	टोंक	1.	कडीला	1041
12.	सीकर	1.	रायपुर	1710
		2.	बठोठ	1274
13.	झुन्झुनूं	1.	बुडानिया	1507
14.	जयपुर	1.	सचिवालय जयपुर	403444
		2.	मिलकपुर	3081
		3.	दांतिल	3097
15.	पाली	1.	भांवरी	1600
16.	उदयपुर	1.	सेमड	2000
17.	झालावाड	1.	बुवलिया	740

परिशिष्ट 11

बस्सी पशु प्रजनन केन्द्र पर किये गये व्यय तथा आय के आंकड़े निम्न प्रकार हैं:

(अ. प्र. स. 710 की सूची)

क्र. सं.	वर्ष	खर्च	आय	विवरण
(1)	1964–65	98,001	55,330	फार्म पर निःशुल्क बछड़े वितरण, वृषभ पालन एवं बछड़ियों को पालकर गायें बनाने का खर्चा भी है, सा। में अनुसंधान कार्य व नेपियर घास की जड़े भी मुफ्त वितरित की जाती हैं। अतः इस पर किया जाने वाला व्यय संगत ही है।
(2)	1965–66	1,28,692	1,03,735	
(3)	1966–67	1,42,404	1,50,878	
(4)	1967–68	1,64,065	1,55,693	
(5)	1968–69	1,49,726	1,47,444	

Page No 209

परिशिष्ट 12

(अ. प्र. सं. 711 की सूची)

जयपुर दुग्ध योजना के वाहनों की मरम्मत कराये गये खर्च की सूची

क्र. सं.	समय	गाड़ी नम्बर		मरम्मत की लागत
(1)	मार्च, 1968	आर. एस. एल.	615	16,690) 10
(2)	मार्च, 1968	आर. एस. एल.	603	13,356) 68
(3)	जनवरी, 69	आर. एस. एल.	1039	18,491) 18
(4)	मार्च, 1969	आर. एस. एल.	616	33,4) 31

STATEMENT OF MONTHLY MILEAGE OF THE VEHICLES OF JAIPUR MILK SUPPLY SCHEME, JAIPUR.

S. No.	Veh. No.		31.10.68		Nov. 68	Dec. 68	Jan. 69	Feb. 69	Mar. 69	April 69	May 69	June 69	July 69
1	RSL	6230	124278	K	4544	4766	3161	3275	3565	3245	3318	419	—
2	RSL	6231	90441	K	3001	3060	3059	2754	2921	3084	3159	2795	3102
3	RSL	6252	40951	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	RSL	6253	103645	K	1219	3174	3373	2846	3124	2925	3240	3290	2771
5	RSL	601	81660	M	—	—	—	—	—	—	—	1752	4000
6	RSL	602	92226	M	2950	721	—	—	—	—	—	—	—
7	RSL	603	116588	M	3410	3563	4006	3175	4817	2907	1143	1135	1500
8	RSL	615	88856	M	1511	3180	2735	2975	3738	4429	4506	3885	3224
9	RSL	616	73944	M	—	—	—	—	—	—	1674	264	—
10	RSL	1039	66370	M	—	—	—	869	1094	919	293	1030	—
11	RSL	7563	69126	M	—	—	2468	4396	4878	4576	4710	1670	—
12	RSL	7564	56587	M	1921	1377	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट 13

(अ. प्र. सं. 663 की सूची)

S. No.	Date of firing	Place of firing	Casualties in Public		Casualties in Police		No. of round	Remarks.
			Killed	Injured.	Killed	Injured.		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	2-2-67	P. S. Deeg	—	1	—	7		
2.	7-3-67	Jaipur city	9	49	—	131		
3.	24-4-67	Bari (Bharatpur)	1	11	—	8		
4.	6-9-67	Alwar	—	—	—	—		
5.	27-8-67	Border (Bharatpur)	—	2	—	—		
6.	10-9-67	Siwana Barmer.	1	10	—	5		
7	19-9-68	Bikanar	1	23	—	62		
8.	22-3-69	Hanumangarh Town	—	—	—	22		
9.	27-6-69	Hindaun Railway Station	2	6	—	12		
10.	28-6-69	Sub-post Office Hindaun (Jalain)			—	—		
			14	102	—	247		

NOTE :—The above statmement excludes cases of use of fire arms in encounters with dacoits and smugglers.

Page No 212

फायरिंग से मृतक व्यक्तियों के नाम निम्न प्रकार से हैं:

दिनांक	स्थान	गोली द्वारा मृतक व्यक्तियों के नाम
7-3-67	जयपुर	जयपुर गोली काण्ड में मरे व्यक्तियों की सूचना पिछले प्रश्नों के उत्तर में दी जा चुकी है ।
19-9-68	बीकानेर	श्री किशनगोयल
4-5-69	अकलेरा (झालावाड़)	श्री ग्यारसी मीणा
27-6-69) 28-6-69)	हिन्डौन (सवाई माधोपुर)	श्री सुगनचन्द श्री रामप्रसाद
24-4-67	बाड़ी (भरतपुर)	
10-9-67	सिवाना (बाड़मेर)	

परिशिष्ट 14

(अ. प्र. सं. 415 की सूची)

परिशिष्ट "क"

सूची खाद एवम् बीज वितरण, सारथल ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.

क. सं.	नाम सदस्य	बीज कि.	बीज ग्रा.	कीमत	खाद कि.	खाद ग्रा.	कीमत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री नारायण	37	..	45-14	200	..	153-64
2.	श्री बद्री लाल	18	500	22-57	150	..	103-57
3.	श्री बिरधा	37	..	45-14	75	..	88-14
4.	श्री गोपाल	37	..	45-14	200	..	153-64
5.	श्री मदन लाल	18	500	22-57	100	..	86-07
6.	श्री कालू	37	..	45-14	75	..	88-14
7.	श्री कालू पुत्र भंवरिया ..	37	..	45-14	75	..	88-14
8.	श्री हीरा	18	500	22-57	100	..	86-07
9.	श्री दल्ला	18	500	22-57	100	..	86-07
10.	श्री मदन लाल	18	500	22-57	100	..	86-07
11.	श्री घासी	37	..	45-14	150	..	131-14
12.	श्री धूली लाल	37	..	45-14	200	..	153-64
13.	श्री कजोड़ लाल	37	..	45-14	250	..	174-14
	योग ..	388-500		473.97	17750		1485-487

Page No 214

परिशिष्ट "ख"

सूची वकायादारान सारथल ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.

क्र. स.	नाम सदस्य			बीज कि.	बीज ग्रा.	कीमत	खाद कि.	खाद ग्रा.	कीमत
1.	श्री नारायण	..	..	37	..	45-14	..	..	..
2.	श्री बद्री लाल	..	..	18	500	22-57	150	..	108-57
3.	श्री बिरधा	..	..	37	..	45-14	75	..	88-14
4.	श्री गोपाल	..	..	37	..	45-14	75	.	81-64
5.	श्री मदन लाल	..	..	18	500	22-57	100	..	86-07
6.	श्री कालू धाकड़	..	..	37	..	45-14	75	..	88-14
7.	श्री कालू माली	..	..	37	..	45-14	75	..	88-14
8.	श्री हीरा	..	..	18	500	22-57	100	..	86-07
9.	श्री दल्ला	..	..	18	500	22-57	..	..	..
10.	श्री घासी	..	..	37	..	45-14	150	..	131-14
11.	श्री मदन लाल	..	..	18	500	22-57	100	..	86-07
12.	श्री धूली लाल	..	..	37	..	45-14	..	..	..
13.	श्री कजोड़ी लाल	..	..	37	..	45-14	250	..	164-14
		योग	..			473-97			1018-12

परिशिष्ट 15

(अ. प्र. सं. 437 की सूची)

निम्नांकित अधिकारी भूतपूर्व कोटा रियासत के निम्नांकित पदों पर पशुपालन विभाग में नियुक्त किये गये थे, उनको दी गई वेतन श्रृंखला का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	वेतन श्रृंखला
1.	श्री अहमद नबी खान	सहायक पशु शल्य चिकित्सक	150-10-250-12 ½-300
2.	श्री अमीनुद्दीन गौरी ..	"	"
3.	श्री किशोर सिंह हाड़ा	"	"
4.	श्री चांदसिंह ..	"	"
5.	श्री मेघराज शर्मा ..	अधीक्षक, पशु प्रजनन केन्द्र	"

श्री मेघराज शर्मा को पशु पालन वेटरीनरी एवं डेयरी विषय पढ़ाने हेतु ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र, सवाई माधोपुर में वेतन श्रृंखला 150-10-250-12½-300 में दिनांक 1-4-50 से 26-2-56 तक वेतन दिया गया, तत्पश्चात् 1-3-56 से इनको यूनिफ़ाइड वेतन श्रृंखला 200-10-280-15-400 की वेतन श्रृंखला में वेतन दिया गया ।

Page No 216

परिशिष्ट 16

(अ. प्र. सं. 438 की सूची)

सूची

पशु मेला गोमती सागर एवं चन्द्रभागा के आय व्ययक आंकड़ों का विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र. सं.	वर्ष		गोमती सागर	चन्द्रभागा	गोमती सागर	चन्द्रभागा
			आय		व्यय	
1.	1964-65	..	40,758-00	42,324-00	9,995-00	7,330-00
2.	1965-66	..	42,193-00	34,699-00	10,042-00	10,937-00
3.	1966-67	..	25,999-00	42,578-00	7,448-00	9,727-00
4.	1967-68	..	29,653-00	48,262-00	9,926-00	9,734-00
5.	1968-69	..	37,606-00	50,880-00	12,232-00	15,991-00

परिशिष्ट 17

(अ. प्र. सं. 443 की सूची)

सेन्ट्रल फिशयरीज ट्रेनिंग सेन्टर, आगरा से प्रशिक्षित मत्स्य निरीक्षकों की सूची

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति स्थान	प्रोजेक्ट जहां उनकी सेवाओं का उपयोग हो रहा है
(1)	श्री उमेश चन्द्र माथुर ..	सवाई माधोपुर	मोरेल
(2)	श्री के. के. सक्सेना ..	झालावाड़	राणा प्रताप सागर
(3)	श्री सदानन्द पन्थ ..	अजमेर	काला खो एवं सैंथल

श्री सदानन्द पन्थ के ड्राईबन्ध ब्रीडिंग प्रजनन में इनके प्रशिक्षण के दौरान विशेष योग्यता अर्जित की है। अजमेर में इसके प्रजनन केन्द्र स्थापित करने हैं, अतः इनकी नियुक्ति वहां पर की गई है, फिलहाल उनकी सेवाओं का उपयोग प्रोजेक्ट कार्य के लिये ही किया जा रहा है।

इन्डयूस्ड ब्रीडिंग द्वारा मत्स्य बीज का उत्पादन

क्र. सं.	प्रजनन की क़िस्म	प्रजनन का स्थान	मत्स्य बीज की तादाद
(1)	पिट्यूरी इन्डयूस्ड ब्रीडिंग ..	फतेह सागर	15,074
(2)	ड्राईबन्ध ब्रीडिंग द्वारा ..	आमेर तलाई, हरिपुरा तलाई काला खो की तलाई व ताला तलाई	40,00,000 लगभग
(3)	कामन कार्य इन्डयूस्ड ब्रीडिंग ..	आमेर	प्रजनन हो गया
		भरतपुर	"
		सिलीसेड	"
		काला खो	"
		बड़गांव	"
		फतेह सागर	7,08,220
		मामचेरी बंध के ओगाल के खड्डों में	प्रजनन हो गया

उक्त मत्स्य बीज का उत्पादन वर्ष 1968-69 में इन्डयूस्ड ब्रीडिंग द्वारा की गई है।

परिशिष्ट 18

(अ. प्र. सं. 496 की सूची)

कोटा जिले में संकर बीज विभिन्न फार्मों से खरीदने की सूची सन् 1968-69-70
बीज का नाम मात्रा व दर

क्र. सं.	फार्म का नाम	बीज का नाम	मात्रा	दर	बीज का नाम	मात्रा	दर	बीज का नाम	मात्रा	दर
(1)	हरचनपुरा फार्म मवासा, कोटा	संकर मक्का	520-62	250) प्रति क्वि.	संकर ज्वार	27-56	600) प्रति क्वि.	संकर बाजरा	14-04	600) रु. प्रति क्वि.
(2)	पंजाब एग्रीकल्चर, फार्म रामनगर कोटा	"	27-48	"	"	..	..	..	..	..
(3)	कृषि यांत्रिकी क्षेत्र उम्मेदगंज	"	255-48	"	"	11-44	"	..	..	..
(4)	बीज गुणन क्षेत्र, कवाई (अटरू) कोटा	"	..	..	"	..	..	..	4-68	"
(5)	बिचडी एग्रीकल्चर फार्म बडा नया गांव बूंदी	"	34-56	"	"	30-48	"	..	27-33	"
(6)	मोडल एग्री. फार्म बडा नया गांव फार्म बूंदी	"	..	..	"	15-48	"	"	11-40	"
(7)	श्री केदारलाल गिरिराजकुमार सुलतानपुर (कोटा)	"	..	..	"	2-24	"	"	..	..
			838-14			87-20			57-45	

बीज के नमूने जांच हेतु भेजने की तारीखों की सूची

क्रम सं.	फार्म का नाम	बीज का नाम	तारीख
(1)	हरचरनपुरा फार्म मवासा कोटा	(1) संकर मक्का	3-3-69 व 18-3-69
		(2) संकर ज्वार	18-3-69
		(3) संकर बाजरा	18-3-69
(2)	पंजाब एग्री. फार्म, रामनगर, कोटा	(1) संकर मक्का	1-[illegible]-69
(3)	कृषि यांत्रिकी फार्म उम्मेदगंज कोटा	(1) संकर मक्का	18-12-68 व 23-12-68
		(2) संकर ज्वार	23-12-68 व 2-1-69
		(3) संकर बाजरा	2-1-69
(4)	बीज गुणन फार्म कवाई, कोटा	(1) संकर बाजरा	1-4-69
(5)	बीचर्डी एग्री. फार्म बडा नया गांव, बूंदी	(1) संकर मक्का	1-4-69
		(2) संकर ज्वार	1-4-69
		(3) संकर बाजरा	8-4-69
(6)	मोडल एग्री. फार्म बडानयागांव, बूंदी	(1) संकर ज्वार	1-4-69
		(2) संकर बाजरा	8-4-69
(7)	श्री केदारलाल गिरिराजकुमार सुलतानपुरा, कोटा।	(1) संकर ज्वार	1-4-69

परिणाम संतोषजनक प्राप्त होने पर बीज का क्रय किया गया था।

1	2	3	4
22	4	मनहर	मनोहर
25	अन्तिम से 9	श्री रमचन्द्र	श्री रामचन्द्र
25	अन्तिम से 2	करवाली	करवा ली
26	अन्तिम से 3	शोभराम	शोभाराम
27	" 9	रहा है। कि	रहा है कि
27	अन्तिम से 3	(मंढावा)	(मंडावा)
28	3	पोर्ट-फ़ोलियों	पोर्ट-फोलियो
28	6	वे स्वमं	वे स्वयं,
28	8	सम्पर्क	समर्थन
28	12	भरोंसिह	भैरोंसिंह
29	9	भैरोंसिह	भैरोंसिह
29	10	निणय	निर्णय
29	अन्तिम से 6	है।	है ?
30	2	होगा।	होगा ?
30	5	दो	तो
30	9	राजोरि ा	राजोरिया
30	अन्तिम से 2	हो रही है।	हो रहो है
31	..	भैरोंसिह	अध्यक्ष
31	8	मतलब यह तो हो कि	मतलव यह हो कि
31	16	लिये लिये सोचूंगा	लिये सोचूंगा
31	अन्तिम से 2	लेकर मेरा स्वास्थ्य मंत्री	लेकर स्वास्थ्य मंत्री
32	2	मैंन	मैंने
32	अन्तिम से 8	करे।	करे ?
32	" 1	इ	इस
33	13	अब्वक्ष	अध्यक्ष
34	अन्तिम से 3	चा	चाहे
35	अन्तिम से 17	क्या हैं ?	क्या हैं
35	" 14	टर्मस	टर्म्स
35	" 12	चाहूगा	चाहूंगा
35	" 6	स्पीक	स्पीकर
36	2	ौन	कौन
36	17	हू	हूं
39	11	`खिये	देखिये
39	12	हैं	हैं।
39	अन्तिम से 8	मनफल	मनफूल
43	6	उप-मत्री	उप-मंत्री
45	8	राय	राज्य
46	11	पोसपोन	पोस्टपोन
46	12	पोसपोन	पोस्टपोन
46	18	गाडिया	गाड़िया
46	अन्तिम से 6	गया था।	गया था ?
50	3	माधोहि	माधोसिंह
50	6	जुझरसिंह	जुझारसिंह

8

1	2		3	4
51		16	भूि	भूमि
53	अन्तिम से	15	दलतराम ारण	दौलतराम शारण
53	„	7	क र्यवा ी	कार्यवाही
53	„	5	श्री भैरसिह	श्री भैरोंसिंह
54		11	उप त्री	उप मंत्री,
54		18	माधसिह	माधोसिह
54	अन्तिम से	2	माधसिह	माधोसिह
58		11	शीन	मशीन
59		9	उप मंत्री :	उप मंत्री
60		4	बालहि	बालसिह
60	अन्तिम से	11	हरि न	हरिजन
61	„	3	अनसार	अनुसार
62		14	(5	(5)
62	अन्तिम से	12	वाि का में शु	वाटिका में पशु
62	„	1	असपास	आसपास
64		8	नियमानुार	नियमानुसार
66	„	6	बूरासिया	बुरासिया
70		5	अीर	और
71		1	रुिद्ध	विरुद्ध
71		3	रामानद	रामानन्द
71	अन्तिम से	4	195	1965
72		5	आदेश दिये।	आदेश दिये ?
73	शीर्षक		तारांकित	अतारांकित
73	अन्तिम से	5	19-4- 9	19-4-69
73	„	3	19-4- 9	19-4-69
74	„	24	ोचंद	लाभचन्द
74	„	2	192	1962
76		4	दज	दर्ज
76		5	देवीलल बुरसि	देवीलाल बुरासिया
76		11	को थी	की थी ?
78		1	ग्रेज्वेुएट,	ग्रेज्युएट
78	अन्तिम से	1	एलाट ई है	एलाट हुई है
79	..		ब्रजवल्लभ	बृजवल्लभ
79	अन्तिम से	1	उटर	डेटर
80	„	9	भ-संरक्षण	भू-संरक्षण
81	„	21	बंदी	बून्दी
81	„	15	वैस	वैल्स
82	„	1	ा	सभा
83	शीर्षक		969	1969
	„		श्री प्रमसि सिघवी	श्री प्रेमसिंह सिंघवी
	अन्तिम से	3	वाली	वाले
85	शीर्षक		देवीदत्त	श्री देवीदत्त

1	2	3	4
85	अन्तिम से 1	श्रेण	श्रेणी
87	„ 29	ब ी	वडी
87	„ 26	निम्वा	निम्वाहेड़ा
88	„ 21	बृजवलभ	बृजवल्लभ
89	2	प्रप्त	प्राप्त
91	..	गोरधन	श्री गोरधन
92	4	इंदिया	इंदलिया
93	4	स	इस
93	अन्तिम से 2	ारा	द्वारा
93	„	1. नी	दानी
96	2	लाभचद	लाभचन्द
96	अन्तिम से 9	द्वरा	द्वारा
102	„ 11	कटा	कोटा
107	„ 7	त्त	उत्तर
109	„ 10	भदरा	भादरा
115	4	काय	कार्य
121	13	सिन्धी)	(सिन्धी)
136	अन्तिम से 8	फम	फर्म
137	„ 24	माबपुर	माबोपुर
145	4	शारण	सारण
146	अन्तिम से 7	लिय	लिये
148	„ 13	कि,	की
150	„ 18	ी	श्री
150	„ 1	क	कर्जा
151	3	——	स्थगित प्रश्न (21–8–69)
151	अन्तिम से 3	प्रतिनयिुक्ति	प्रतिनियुक्ति
153–154	1	बैंकों कीहेबिलीटेशन	बैंकों को रीहेबिलीटेशन
153–154	5	नीति अनुसार	नीति के अनुसार
156	6	तथा पर	पर तथा
156	अन्तिम से 8	र्	रहे
157	8	रख दो गई	रख दी गई है।
158	7	लगया	लगाया
157–158	9	(21–8–69	
159	अन्तिम से 8	का लील	को लोन
162	„ 8	स्थगि प्रश्न	स्थगित प्रश्न
165	„ 14	स्मि	किस्म
166	„ 23	स्पल	स्पेशल
166	„ 1.	किय	किया
171	„ 16	रास्थान	राजस्थान
172	„ 4	विम्वरनाथ	विश्वंभरनाथ
173	„ 21	क्रियावित	क्रियान्विति
173	„	तथ	तथा

1	2	3	4
174	अन्तिम से 25	विधेयक,	विधेयक, को
174	„ 21	मथुरदास मथुर	मथुरादास माथुर
174	„ 16	भैरोंसिह	भैरोंसिह
175	„ 19	का	या
175	„ 10	मदेना	मदेरणा
175	„ 8	ाडिया	गाड़िया
176	„ 22	शंकरलल	शंकर लाल
176	„ 6	पर	पर)
177	„ 14	रसराम	परसराम
178	7	रनाथ	रघुनाथ
173	9	शंक लाल	शंकरलाल
178	11	सराम	परसराम
180	11	व	वह
184	अन्तिम से 5	विजसिंह	विजय सिंह
188	अन्तिम से 5	Panh	Panch
188	9	Residin	Residing
190	„ 24	समक्ष	सक्षम
192	4	सती चन्द्र	सतीशचन्द्र
192	6	गयल वयाना)	गोयल (वयाना)
192	अन्तिम से 12	सकता	सकता है
192	„ 10	छबडा)	छबड़ा)
192	„ 4	चहता	चाहता
193	„ 7	गयी क	गयी कि
193	„ 4	का	को
200	„ 8	को	की
200	„ 5	अरोप	आरोप
201	8	उठया	उठाया
201	9	ग्रवाल	अग्रवाल
201	11	मदरण	मदेरणा
202	अन्तिम से 4	वे	वे क्या
203	1	मदेरण	मदेरणा
203	अन्तिम से 2	मिनट	मिनट के
204	6	सतीशचन्द्र	सतीशचन्द्र
205	अन्तिम से 14	भरोंसिह	भैरोंसिह
207	4	भरोंसिह	भैरोंसिह
207	8	भरोंसिह	भैरोंसिह
207	13	गयल	गोयल
207	18 18	गयल	गोयल
208	अन्तिम से 11	की ओ	की ओर
209	„ 17	महोदय	महोदय,
210	„ 21	का	के
210	„ 18	प्रन	प्रश्न
210	„ 3	सुखाडिया	सुखा या

1	2	3	4
210	अन्तिम से 1	नहीं	नहीं
213	,, 8	द्वष	द्वेष
217	,, 18	श्री पूनमचन्द	श्री पूनमचन्द विश्नोई
219	,, 16	हैं कि	हैं,
224	,, 19	साढ़े	—
225	,, 27	उसका	उसको
225	,, 20	नाराय	नारायण
226	,, 9	उपाध	उपाध्यक्ष
229	,, 17	नारायणहिं	नारायणसिंह
229	,, 11	गयल	गोयल
235	,, 11	नही	नहीं
237	,, 20	कुमर गोल	कुमार गोयल
237	,, 10	जसी	जैसी
238	,, 24	आर	और
238	,, 5	गोल	गोयल
239	,, 20	कृष कुमार गोल	कृष्ण कुमार गोयल
239	,, 14	इज इट नाट (श्री नारायणसिंह) तो पहले	?
239	,, 6	हर्ी देव	हरिदेव
241	,, 1	जिसका	जैसा कि
242	,, 1	कितन	कितना
243	,, 4	जाता थ ा	जाता था
245	अन्तिम से 12	चली जाती	चली जाती है,
251	3	मनोहरसिंह मे ता	मनोहरसिंह मेहता
251	12	प्रश्न हैं	प्रश्न यह है
254	6	र वे	रखे
255	14	जा	जो
257	14	मथुर दास	मथुरादास
257	16	उपध्यक्ष	उपाध्यक्ष
258	अन्तिम से 5	होशियार	होशियारी
260	20	जा	जो
261	अन्तिम से 20	राका	रोका
261	,, 9	17	?
261	,, 4	उसका	?
263	3	हम ी	हमारी
264	15	जता	जाता
264	17	चहता	चाहता
264	20	ता	तो
264	26	हर	पर
264	29	व्य स्था	व्यवस्था
264	अन्तिम से 1	गय	गया
265	4	नीमडा	भीमड़ा
265	5	यजना	योजना

1	2		3	4
265	अन्तिम से	16	इसका	इसकी
265	,,	14	हगा	होगा
265	,,	12	जा	जो
265	,,	9	चाहिय	चाहिये
265	,,	9	चौयी	चौथी
265	,,	7	मानीय	माननीय
266		2	द्वरा	द्वारा
267		8	लांगों	लोगों
267	अन्तिम से	17	ख ले	खोले
267	,,	12	जा	जो
267	,,	7	स कार	सरकार
269		7	फीठ	फीट
272	अन्तिम से	1	झूंठ	झूंठा
275		3	विश्न ई	विश्नोई
275		5	अदानसिह	आईदान सिंह
275		7	रघनाथ	रघुनाथ
275	अन्तिम से	16	आइदा सिह	आईदान सिंह
277		1	जी	जो
278		4	खले	खोले
278	अन्तिम से	15	ममन	मनन
283		15	जो	वह
287		8	हिं	सिंह
287	अन्तिम से	14	मगालेत	मुगालते
290		11	कंजरवेशन	कंजरवेशन के
290	अन्तिम से	2	ह्यूमेन्टेरियन	ह्यूमेनिटेरियन
291		5	,,	,,
291		6	हमको	हमारा
294	अन्तिम से	16	नहीं हैं	—
294	,,	11	जैसे	—
295	,,	15	जनता	सरकार
296	,,	2	का	को
297	2	1	मिनिस्टर	मिनिट
97	अन्तिम से	15	थी	थी,
98	,,	26	केवल	कैटल
00		8	रोरिफ्रेश	रिफ्रेश
01		7	की	पर
02	अन्तिम से	14	मैं	इसलिये मैं
02	,,	4	बाढ़	बाढ आई तब से
03	शीर्षक		अबस्त	अगस्त
03		10	ऐसा मैं	ऐसा मैं नहीं
03	अन्तिम से	12	होती है तो	होती तो
03	,,	11	आप घेर लेते	आपको घेर लेते हैं
04	अन्तिम से	2	सार	सारी
05	,,	11	वे	—

1	2		3	4
306	अन्तिम से	9	और	और न
306	,,	6	कहते	कहता
308		11	मदनसिं	मदनसिंह
308		16	आपकी	आपका
308		16	ी. डब्लू.डी	पी. डब्लू. डी .हैं
308		17	रही	रहा
308	अन्तिम से	9	लक्ष्मी कुमरी	लक्ष्मी कुमारी
309	,,	15	को	में
310	,,	6	सये	सोये
311	,,	10	देरणा	मदेरणा
312		1	र	रहे
312	अन्तिम से	11	वादा	वायदा
312	,,	4	सकती	सकते
313		5	मदेरना	मदेरणा
314		18	श्री परसराम मदेरणा	—
314		19	का	को
314		22	मदनसिं	मदनसिंह
314	अन्तिम से	8	वादा	वायदा
314	,,	6	श्री सभपति	श्री सभापति
314	,,	5	हिं	सिंह
315			मेहा	मेहता
316	अन्तिम से	6	कि	—
318		5	तो जब	क्योंकि
318	अन्तिम से	5	मीण	मीणा
319	,,	26	गुजरा	गुजारा
319	,,	9	फमीन	फेमिन
320		5	फमीन	फेमिन
324		11	माई सेलफ	माई सेल्फ
338	अन्तिम से	22	भैरेसिंह	भैरोंसिंह
339		6	भेजना	योजना
339		8	चहान	चौहान
341	अन्तिम से	8	बृड़क	बुरड़क
343	,,	14	राजस्थन	राजस्थान
348	शीर्षक		जोधपु	जोधपुर
348	अन्तिम से	4	ड्यटी	ड्यूटी
349		1	सीमवर्ती	सीमावर्ती
349	अन्तिम से	15	रह	रोड
349	,,	15	लि	लिये
349	,,	2	ठका	ठेका
350	,,	23	आगामी	आगामी चुनाव के लिये
350	,,	20	आ	जा
354	अन्तिम से	19	अन्तगट	अन्तर्गत
355		15	अलाटमट	अलाटमैन्ट

1	2	3	4
355	5	भमि	भूमि
359	3	रिपर्ट	रिपोर्ट
359	7	भरोंसिह	भैरोंसिह
369	3	खले	खुले
369	5	अनसार	अनुसार
373 अन्तिम से	1	Statmement	Statement
175–2/3 शीर्षक		पुरःस्थापित कीये जाने वाले विधेयक	श्री कन्हैयालाल उप मंत्री से संबंधित मामले पर विचार